# राजस्थान विधान सभा

## तेईसवीं बैठक, दिनांक २७ मार्च, १९५३

(सदन का कार्य ८-२५ बजे प्रात: प्रारम्भ हुआ)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

### प्रश्नों सम्बन्धी वाद-विवाद

**श्री अध्यक्ष**—श्री भोगीलाल पंड्या।

**श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**—Sir.........

**श्री जसवन्तसिंह**—Sir, before the meeting starts today I would like to know something about List No. 5 of the Cut Motions which has been received by us or got circulated amongst us. This has been placed on the Table just now. In this list there are certain cut motions on which debate has already taken place. Is it the intention to re-open the subject today, or the first five cut motions on the Demands which we have discussed yesterday......

**श्री अध्यक्ष**—No necessity.

**श्री जसवन्तसिंह**—Then what was the point in circulating it today ?

**श्री अध्यक्ष**—वह साथ ही साइक्लोस्टाईल हुए हैं इसलिये आपके पास आगये होंगे। There should be no ground to suppose that....

(विराम)

I want to know only one thing. Some questions which were scheduled for today, should their replies be placed on the Table or should they be taken up regularly on a subsequent day ?

**श्री जसवन्तसिंह**—I think it would be better if the questions come before the House. There is no intention on the part of the......

**श्री अध्यक्ष**—There are questions on the 30th also.

**श्री जसवन्तसिंह**—Yes Sir, there are questions on the 30th. These questions also ........

# Page No.2



**श्री अध्यक्ष**—Normally this is the practice in the Central Parliament that on one particular day, when the question-hour is suspended the answers are laid on the Table. But if the House wants otherwise we can fix another date for that.

**श्री संतोषसिंह**—दूसरी तारीख ही ठीक रहेगी ।

**श्री अध्यक्ष**—श्री भोगीलाल पंड्या ।

## अभियाचना संख्या ८-सिंचाई इत्यादि

**श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,17,78,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. VIII, Major Head XVII—Irrigation, etc."

**श्री अध्यक्ष**—Motion moved. Shri Santosh Singh;

(श्री सन्तोषसिंह बोलने को खड़े हुए)

**श्री अध्यक्ष**—Before we proceed, I wanted to ascertain one thing from the Hon'ble Members. There are certain cut motions attached to the list which are not ripe, and I think all the Members have got a copy of those cut motions.

So if instead of allowing other members to support the cut motions, we take all of them and the Members concerned make a sp ech about those cut motions, that will facilitate matters and then it will not be possible for each and every member to speak in support of these cut motions.

**श्री संतोषसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस तरह से है:—

"That the demand for grant No. VIII be reduced by Re. 1/- (to discuss the policy of the Government for construction of new canals and Bunds)."

माननीय अध्यक्ष, भारत के जितने भी प्रान्त हैं उनमें राजस्थान प्रान्त सबसे बड़ा प्रान्त है, और साथ ही यह सबसे पिछड़ा हुआ भी है। यहां के निवासियों के लिये कोई खास ऐसा कारोबार वगैरह यहां राजस्थान में नहीं है, और जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वे अपना कारोबार करने के लिये परदेश में चले जाते हैं, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास वगैरह और जो निचली श्रेणी के लोग हैं वह राजस्थान में अधिक हैं, और उनके कारोबार का साधन सिर्फ खेतीबाड़ी करना है। इसलिये अब हमारी राजस्थान सरकार ने जो यह बन्ध बांध कर सिंचाई के लिये इन्तजाम करने का विचार किया है उसके लिये हमें पहले यह सोचना चाहिये कि यह बन्ध किस किस जगह और पहले किस जगह बंधाये जायं। इस तरह राजस्थान को ४ भागों में बांटना चाहिये, एक तो पथरीला हिस्सा जहां कि बहुत वन हैं, जहां के लोग वांसकी लकड़ीसे अथवा और किसी तरह से अपना गुजारा आसानी से चला सकते हैं। दूसरा हिस्सा वह है जो कि तराई का

# Page No.3



[... पोषसिंह कछवाहा ]

...है कि बड़ी बड़ी नदियां और नहरों से पानी की सिंचाई होती है, और वहां के लोग भी खुश- ...भाग वह हिस्सा है जहां की जमीन भी अच्छी है और कुए भी बहुत हैं, और पानी भी ... ऊंचा है, और वहां के लोग आसानी से खेती कर सकते हैं। चौथा भाग वह हिस्सा है ... है जिसको कि रेगिस्तान कहते हैं। अब जो राजस्थान के ४ हिस्से किये गये हैं तो किस ... पहले बांध बनाना चाहिये और किस तरह से किसको प्रायोरिटी देनी चाहिये, तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रायोरिटी आप राजस्थान का जो भाग रेतीला और रेगिस्तान है उसको दीजिये, वहां पर बान्ध बनाइये, क्योंकि वहां के लोगों के गुजारे के लिये कोई खास उद्योग-धन्धों का कोई जरिया नहीं है। खेतीबाड़ी भी वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं है। इसलिये वहां के लोगों के लिये जहां कि उनके खास उद्योग-धन्धों का जरिया जानवरों का पालना और चराना है, लेकिन वह भी बहुत कम है, इसका कारण है मादीन जानवरों की बाहर निकासी। इसीलिये, माननीय अध्यक्ष, सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का भी यह विचार है कि बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिये बान्ध बनाये जांय। इस लिहाज से, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मैं माननीय मन्त्रीजी से यह कहूंगा कि पहले आप जो डेम या बन्ध वगैरह बनाने का जितना भी विचार रखते हैं वह सबसे पहले रेगिस्तान का हिस्सा जो बाडमेर, जैसलमेर, शेरगढ, शिव, फलौदी, पोकरण वगैरह और बिलाडा का आधा हिस्सा है, वहां पर बान्ध तैयार करवाइये। उनमें से एकाध बान्ध का जिक्र करूंगा। बिलाड़ा में जसवन्तसागर नाम का बान्ध है। वह बान्ध बहुत पक्का बना हुआ है और पूरा नहीं भरने का एक कारण यह है कि उसकी नहरें टूटी फूटी हालत में हैं। उनको ठीक कर दिया जाय तो बन्ध पूरा भर जाय और आये दिन पानी के लिये जो किसानों में झगड़े होते रहते हैं कि पानी पूरा नहीं मिलता है, वह नहीं होंगे। और बान्ध के ऊपर पानी का जो हैड है, जो मोहरी हैं उनमें कीचड़ जम गया है जिससे बहुत सा पानी रुक जाता है और मोहरी के नीचे नहीं पहुंचता है। वह साफ कर दी जांय तो यह बन्ध काम आ सकता है और इससे लोगों को काफी फायदा पहुंच सकता है। इस बन्ध में यह देखा गया है कि हर साल पानी का बराबर झगड़ा रहता है।

इसलिये मैंने एक स्कीम रखी है कि वहां भावी गांव के पास एक बड़ तालाब नाम का पुराना तालाब था जो कि बन्द हो गया है, जिसकी वजह से लोग जो उससे सिंचाई करते थे वह बन्द हो गई है। उस बड़ तालाब को यदि सरकार वापिस बन्धवा दे तो उसमें काफी पानी आ सकता है, और उससे हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है और जसवन्तसागर बन्ध के पानी का झगड़ा इससे काफी कम हो सकता है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, जिस तरह से डेम आदि बना कर सिंचाई की जाती है और इस पर रुपया खर्च किया जाता है उसी तरह से यदि मेकेनिकल तरीकों से मशीनें लगा कर सिंचाई का काम किया जावे तो इससे ज्यादा फायदा होगा और पैसा भी कम खर्च होगा। बिलाड़ा परगने में दस दस मील के डाईमीटर में मशीनों से सिंचाई के लिये साधन उपलब्ध कर दिये जावें तो बहुत सिंचाई हो सकती है क्योंकि जोजरी नदी का किनारा वहां पर आया हुआ है। यदि वहां पर बिजली दे दी जावे और

[ श्री सतोषसिंह कछवाहा ]

पानी की फॅसिलिटी हो जावे तो ५ या १० करोड़ रुपया लगा कर जो डेम बनाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी और लाखों मन धान वहां आसानी से पैदा हो सकता है। इससे बेकारी दूर हो सकती है और सिंचाई का भी ऐसा अच्छा इन्तजाम हो सकता है कि जिससे लोग आराम पायें।

इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट इस बारे में काफी कदम उठा इस विभाग की तरफ से एक क्वेश्चनरी भी भेज कर यह मालूम किया गया है कि किन किन जगहों राजस्थान में कोन कौन से बान्ध टूटे हैं और मरम्मत कराने से काम में आ सकते हैं। इससे उनको काफी जानकारी प्राप्त हो गई है कि कहां कहां पर बान्ध टूटे हैं और कहां कहां पर मरम्मत करानी है। मैं इतना ही कह कर कि जब मुझे इस सम्बन्ध में आश्वासन मिल जायगा कि सरकार उचित कदम उठा रही है तो मैं अपना कट मोशन वापिस ले लूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—श्री कानसिंह !

**श्री हिम्मतसिंह**—कानसिंह जी नहीं हैं तब तक आप दूसरा कट मोशन ले लें।

**श्री अध्यक्ष**—श्री सज्जनसिंह अपना कट मोशन मूव करें।

**श्री सज्जनसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन सिंचाई विभाग पर इस प्रकार है:—

"That the demand for Grant No. VIII be reduced by Rs. 100/- (to discuss the inefficiency, favouritism and unjust distribution of work in Rajasthan of the Department)."

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस विभाग के प्रति कट मोशन मेरी तरफ से प्रस्तुत करूं क्योंकि दो दिन पहले ही हमारे चीफ मिनिस्टर ने यह हमको सलाह दी थी कि हमको राजस्थान को एक राजस्थानी के दृष्टिकोण से देखना चाहिये और इस भाव से प्रेरित होकर ही हमारी आलोचनाएं होनी चाहिये। मैं यही चाहता था कि उन्हीं भावों को लेकर चलता और एक स्थान विशेष या डिवीजन विशेष के लिये जिक्र नहीं करता लेकिन मुझे परिस्थितियों से बाध्य होकर इस परिस्थिति को सदन के सामने और सम्बन्धित मन्त्री महोदय के सामने, उनकी जानकारी के लिये उपस्थित करना पड रहा है। मैं यह मानता था और अब भी मानता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय हमारे राजस्थान को एक यूनिट की दृष्टि से देखते हैं और यह चाहते हैं कि राजस्थान सम्पूर्णतः समृद्धिशाली हो और उसकी जो प्रोग्रेस हो वह चारों तरफ से हो। राजस्थान का कोई हिस्सा ऐसा न हो जहां उन्नति के साधनों का लाभ वहां के निवासियों को न मिले। लेकिन मुझे खेद के साथ निवेदन करना पडता है कि जब मैं दो वर्ष के ईरिगेशन आंकडों को देखता हूं तो स्थिति मुझे कुछ भिन्न मालूम पडती है। मैं सदन की जानकारी के लिये कुछ आंकडे प्रस्तुत करूंगा। उनसे यह मालूम होगा कि सिविल डिविजन वार किस प्रकार धन खर्च किया गया है।

**१९५१-५२ के बजट में इस विभाग का एक करोड़ चार लाख ८९ हजार रुपया खर्च हुआ।**

[ श्री सज्जनसिंह ]

१९५२-५३ में १,३१,१६,७०० रुपये खर्च हुए ।

जब इस रकम के डिस्ट्रीब्यूशन की ओर निगाह डालते हैं तो मालूम होता है कि सिविल डिविजन वार किस डिविजन को कितना रुपया मिलता है :—

उदयपुर के लिये ४० लाख रुपया मिलता है ।
जयपुर के लिये ३५ लाख रुपया मिलता है ।
कोटा के लिये ५ लाख मिलता है ।

फिर ५३-५४ में मौजूदा बजट में ५९ लाख की व्यवस्था की हुई है उसमें से कोटा डिविजन के लिये केवल ५,६९,००० रुपये मिलते हैं ।

संभव है हमारे माननीय मन्त्रीजी यह दलील पेश करेंगे कि कोटा के लिये चम्बल योजना के अन्दर ३३ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इसलिये उनका यह कहना होगा कि कोटा के लिये सरकार ने सबसे ज्यादा धन राशि दी है । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में उनका यह विचार सही हो सकता है । लेकिन उन्होंने उन हिस्सों का कोई ध्यान नहीं रखा जिन हिस्सों को चंबल योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

मैं यह मान कर चलता हूं कि माननीय मन्त्री राजस्थान को हरा भरा देखना चाहते हैं । इसके लिये सिंचाई मुख्य साधन है जो देश को हरा भरा बना सकती है । इसलिये उनको राजस्थान में धन राशि का विभाजन बराबर के हिसाब से करना चाहिये । मैं यह भी मानता हूं कि वे यह नहीं देखना चाहेंगे कि कहीं हरी हरी खेती लहरा रही है तो दूसरी तरफ उजाड हो । यह चीज मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं । जो हिस्सा चम्बल योजना से कमान्ड होगा वही होगा और उसके अलावा वहां का जो पहाड़ी हिस्सा है वह कमान्ड नहीं होगा । इसलिये मैं यह समझता हूं कि या तो वह चीज उनके ध्यान से निकल गई या लाई नहीं गई है ।

अध्यक्ष महोदय, हम सब इस चीज को मानते हैं कि कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिये सिंचाई मुख्य साधन है । इसके बगैर कृषि व्यवसाय की उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये पहले सिंचाई योजना को प्राधान्यता दी जाती है । सिंचाई योजना को सभी जगह कार्यान्वित करने के लिये मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या स्टेन्डर्ड है कि अमुक कामों को टॉप प्रायरिटी ( top priority ) और अमुक को बाद में लिये जावेंगे; मैं साधारण दृष्टि से मानता हूं कि जहां कृषि योग्य भूमि और सिंचाई के साधन सुलभता से प्राप्त हो सकेंगे ऐसे स्थानों को मुख्यतः चुना जावेगा । और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते समय यह भी ध्यान रखा जायगा कि अमुक स्थान पर यह साधन उपस्थित नहीं किये गये तो वहां के आम लोगों पर और वहां की जनता के स्टेन्डर्ड पर क्या असर पड़ेगा ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस डिविजन से, जिस कॉन्स्टीट्युएंसी से मैं आया हूं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

Page No.6



[ श्री सज्जनसिंह ]

चम्बल योजना के बारे में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि आरा बैराट की साइट ऊपर की ली जावेगी या कोटे के नीचे की । अभी यह झगड़ा चल रहा है, अभी निश्चित नहीं हो पाया है। इसके बाबत निर्णय नहीं होने से यह विवादास्पद है कि आया राजस्थान के कितने हिस्से में, कितने एरिया में इस योजना से लाभ होगा। इसके सम्बन्ध में मैं फिर अर्ज करूंगा। पर इस वक्त मैं यह अर्ज कर चाहता हूं कि जिस हिस्से को चम्बल योजना से लाभ नहीं पहुंचेगा वह हिस्सा पहाड़ी हिस्सा होने कारण वहां प्राकृतिक साधन इतने उपलब्ध हैं कि जिनके बारे में वह खुद जानते हैं। जो लोग पहाड़ी इलाके से आये हैं वे जानते हैं कि पहाड़ी इलाके के अन्दर वहां की भूमि स्वभावतः ही वहां के प्राकृतिक साधनों के कारण बडी उपजाऊ होती है। इसका कारण यह है कि पहाडों से जो पत्ती का खाद बह कर आता है वह वहां की जमीन को उपजाऊ बनाता है।

मेरा निवेदन है कि जहां की भूमि वहां के प्राकृतिक साधनों से बडी उपजाऊ है, काफी थोडे खर्चे से बिना ज्यादा एहतियात बरते कृषि की उन्नति की जा सकती है। इसके अलावा उन पहाड़ी इलाकों में कृषि योग्य भूमि का एक्स्टेन्शन बन्धों के सिवाय अन्य तरीकों से नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और कोई दूसरे साधन वहां नहीं हैं और मेरी मान्यता है कि खेती में सबसे बड़ी दिक्कत खाद और इरिगेशन की होती है। वहां बेड कल्टीवेशन तैयार किये जा सकते हैं तो ऐसी सूरत में वहां के इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाय तो यह समस्या भी हल हो जाती है और वहां के लोगों को भी राहत पहुंचती है।

पहाड़ी इलाकों से आने वाले सदस्य मेरे इस कथन का समर्थन करेंगे कि जो बेड कल्टीवेशन तैयार किये जायंगे वहां सिंचाई इलाकों से किसी कदर कम पैदावार नहीं होगी। शायद मन्त्री महोदय को भी यह मालूम होगा कि गत वर्ष बूंदी का फूल सागर तालाब सूखा था तो.........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मुझे अभी इसके बारे में और कहना है।

**श्री अध्यक्ष**—Three minutes more.

**श्री सज्जनसिंह**-I think I will not be able to finish it within three minutes

**श्री अध्यक्ष**--You want a little time more, then go on.

**श्री सज्जनसिंह**—मैं यह अर्ज करूंगा कि उस जगह में जो गेहूं की प्रोडक्शन हुई है वह २४ मन फी बीघा की हुई है। मैं समझता हूं कि न वहां सिंचाई की आवश्यकता है, न खाद की। तो औसतन अगर १० मन बीघा का भी मान लिया जाय तो ऐसे छोटे छोटे साधनों के व्यवहार में लाने से लाखों बीघा जमीन उस इलाके में निकल सकती है जिससे न सिर्फ वहां के आम लोगों को ही फायदा पहुंचेगा बल्कि हमारे 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में भी हमें इससे काफी सहायता और सफलता मिलेगी।

अब मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे डिविजन्स को जो धन राशि दी गई है उससे मुझे कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। मैं समझता हूं कि हर डिविजन को सहायता और उचित धनराशि मिलनी

[ श्री सज्जनसिंह ]

चाहिये पर साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि कोई हिस्सा उनकी आखों से ओझल नहीं हो जाय क्योंकि आपको एक इकाई के रूप में राजस्थान को बनाना है। तो उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजस्थान की ऑल राउन्ड प्रोग्रेस में किसी तरह का हेन्डीकेप नहीं रहे और राजस्थान का कोई भी पार्ट अपने उचित हिस्से से वंचित नहीं रह जाय। इस दृष्टि से मैंने यह सुझाव आपके सामन रखा है।

चंबल स्कीम के बारे में मैंने अर्ज किया था कि मैं बाद में अर्ज करूंगा। प्रथम तो यह कि यह एक लोंग टर्म स्कीम है। अभी जो कुछ वहां हो रहा है वह एक तरह से इस स्कीम को कार्यान्वित करने या नहीं करने के बाबत केवल प्रिलिमिनरी सर्वे वर्क हो रहा है। इसके मुतल्लिक जो सूचना मुझे मिली है वह यह है कि चंबल का बंध कोटा के नीचे बनाने की योजना है। इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इंजीनियर्स में इसके मुतल्लिक काफी मतभेद है। एक सेक्शन है, वह कोटा के पास जो साइट है उसे अच्छा मानता है तो दूसरा सेक्शन इससे ऊपर के साइट को अच्छा मानता है। बात यह है कि नीचे के साइट से ३ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और वह भी लिफ्ट इरिगेशन से इरिगेट होगी और ऊपर की साइड से ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और वह भी फ्लो इरिगेशन से सिंचाई होगी वहां लिफ्ट इरिगेशन से कम खर्च होगा। तो यह तो आप भी मानेंगे कि एक जगह तो २० रुपया फी एकड़ के हिसाब से किसान को खर्चा पड़ता हो और दूसरी जगह ५ रुपया फी एकड़ का खर्चा पडता हो तो पहले की बनिस्पत दूसरा किसान बहुत ज्यादा मुनाफे में रहेगा।

इसके विपरीत कोटा के ऊपर की साइट से ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने की संभावना है वहां फ्लो इरिगेशन से सिंचाई होगी, वहां लिफ्ट का सवाल नहीं आता। ऐसी सूरत में एक नोनटेक्निकल आदमी के हिसाब से अर्ज करूंगा कि जब राजस्थान को ३ लाख एकड़ जमीन की अधिक सिंचाई का लाभ होने जा रहा है तो क्यों नहीं ऊपर की योजना को काम में लिया जाता। मान लिया जाय कि इनिशियल इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा लगेगा पर ३ लाख एकड़ अधिक जमीन की सिंचाई और इससे बाद में होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेन्ट का ध्यान रखना उचित नहीं होगा।

इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हिस्सा उनके ध्यान से या तो छूट गया है या किसी की गलती से उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है उसके लिये अब तक जो कुछ हुआ है उसे जाने देकर, भविष्य में बजट में प्रोविजन रखने के लिये यदि मंत्री महोदय मुझे आश्वासन देंगे तो बड़ा संतोष होगा। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में क्यों असंतोष हुआ और मैं क्यों यह बातें आपके ध्यान में लाने के लिये आतुर हुआ इसका कारण एक यह भी है कि पंचवर्षीय योजना में जो आपको ३० लाख रुपये मिले हैं उनमें से बूंदी डिस्ट्रिक्ट को केवल ३ लाख रुपये दिये गये हैं। यहां के प्राकृतिक साधन अच्छे हैं, भूमि उपजाऊ है और वहां के लोगों के पास सिवाय इस तरह के साधनों को उपलब्ध करने के, उनकी उन्नति का और कोई जरिया नहीं है। इसलिये उनको आंखों से ओझल करना उनके साथ अन्याय करना होगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस पहाड़ी इलाके में लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके लिये पूरा इन्तजाम किया जाय सिवाय इन साधनों के उपलब्ध करने के उनके लिये कृषि की जमीन बढ़ाने का और कोई साधन नहीं है। यह वही हिस्सा है जहां किसी समय क्रिमिनल ट्राइब्स

# Page No.8



[ श्री सज्जनसिंह ]

कहलानेवाली मीणा जाति बसती है। इस जाति के लोगों को जब तक गेनफुल प्रोफेशन्स (gainful professions) में नहीं लगाया जायगा तब तक वे भूखे मरते हुए चोरी और धाड़ा करेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री महोदय की ओर से आश्वासन मिल जायगा कि भविष्य में इनके साथ समान व्यवहार होगा और उनकी स्थिति को सुधारने के लिये विशेष प्रयत्न किया जायगा और जो कुछ हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी तो मुझे अपना कट मोशन वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इतने ही शब्दों के साथ मंत्री महोदय से इस ओर विशेष ध्यान देने की प्रार्थना करता हुआ मैं अपने स्थान पर बैठ जाता हूं।

**श्री रघुराजसिंह**—(अनुपस्थित होने के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Demand for Grant No. VIII be reduced by Rs. 1/- (to discuss the arbitrary and unjustified stoppage of water supply to Ganga Canal area and failure of the Government to make adequate arrangement for maintenance and repairs of existing bunds and its failure to make proper and timely decisions for apportionment of water in other irrigation work)"

जैसा कि मेरे कट मोशन से साफ है, कुछ विशेष चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह कट मोशन प्रस्तुत किया है। सबसे अधिक अहमियत की और सबसे बड़ी चीज है गंग कैनाल एरिया से संबंध रखनेवाली। एक प्रश्न इस सिलसिले में उठा था और माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में यह कहा था कि सफाई के लिये हर साल नहर कुछ दिन बन्द करदी जाती है और वही चीज इस साल भी हुई है। प्रश्न का उत्तर देने के बाद फिर से हमने उसकी जांच करवाई और जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि गंग केनाल एरिया में इरिगेशन के सिलसिले में काफी दिनों से बहुत जबरदस्त अव्यवस्था चल रही है। सबसे पहली अव्यवस्था यह है कि शिवपुर हैड से आज से कुछ दिन पहले तक २१०० कियोस्क पानी दिया जाता था। करीब साल भर से पहले तादाद बढाई गई और २७०० कियोस्क कर दी गई। लेकिन जहां तक इरिगेटेड एरिया का संबंध है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन्क्रीज्ड वाटर सप्लाई जब हुई तो वह आखिर गई कहां। इस बारे में जांच करने पर इस परिणाम पर पहुंचे कि कुछ लोगों ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के जरिये प्रभावित किया है और पानी देने के जो मोखे होते हैं उनको साधारण तादाद से कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया है जिससे जितने समय तक पानी खुला रहे उतने समय में निश्चित मात्रा से कहीं अधिक पानी मिल सके। यही कारण है कि पानी की तादाद बढ़ गई लेकिन सिंचाई का एरिया अंश मात्र भी नहीं बढ़ा। इससे संबंध रखने वाली दूसरी बात है जो इसके साथ हो रही है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से इन्तजाम करना चाहिये जिससे कि आयन्दा ऐसी घटना कभी न होवे। सफाई के लिये नहर बन्द की गई, यह बात नहीं है। तीन बार इसकी जांच की गई तो उससे पता चला कि दिसम्बर और जनवरी के बीच में तीन बार यह नहर बन्द की गई और कुल मिलाकर जितने अरसे के लिये यह बन्द की गई उतने दिनों तक पिछले दस वर्षों में भी कभी बन्द करने का मौका नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि जिन खेतों के लिये

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

एक पानी की और जरूरत थी उनको पानी नहीं मिलने से उनकी फसल बरबाद हो गई। हजारों लाखों मन चना और गेहूं का घाटा हुआ। बेमौके नहर बन्द करने के लिये आज तक कोई सफाई नहीं की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर यह घटना क्यों हुई। इस इलाके के लोग जब सम्बन्धित अधिकारियों से मिले तो उनको जो उन्होंने जवाब दिया वह बहुत मनोरंजक है, ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि आप इस मामूली बात पर क्यों इतना गौर करते हैं; आबियाना जब मुकर्रर किया जायगा तब जिनको कम पानी मिला है उनसे कम आबियाना लिया जायगा आपके आबियाना से अधिक से अधिक २०-२५ प्रतिशत कमी कर देंगे। परन्तु जो फसल बरबाद हुई है उसका क्या होगा? केवल आबियाना के बारे में जो दिलासा दिलाई गई है और वह भी उस वक्त विचार करेंगे जब आबियाना की दर मुकर्रर होगी। यह तो उसी तरह की बात हुई कि नदी में डूबते को बचाने के लिये गये और उसका धड़ का पूरा हिस्सा नहीं बचा सके, आधा हिस्सा बचा सके तो बाहर आकर कहा कि आधा आदमी तो बचा लिया है। पानी न देने से जो फसल बरबाद हुई है......

श्री जयनारायण व्यास—आधे आदमी के साथ ही पूरा आदमी आजाएगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मनुष्य का धड़ काटने के बाद उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो फसल बरबाद हो गई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गंगानगर में जो बदइन्तजामी हुई उसकी ओर मंत्रीजी ने कोई ख्याल नहीं किया। पानी देने में जो बदइन्तजामी हुई है उसकी पूरी तरह से छान बीन करके पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मेरे कट मोशन का दूसरा सम्बन्ध है इस महकमे की बदइन्तजामी से। पिछली बार जब हम मिले थे तब भी यही प्रश्न उठाया गया था और मेरा ख्याल है कि इसे बार बार उठाने की आवश्यकता है और वह इसलिये है कि एक ओर जब नयी नयी योजनायें बनाई जा रही हैं और नये साधन उपलब्ध करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी ओर यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि जो मौजूदा साधन हैं उनके रिपेअर का इन्तजाम होना चाहिये, यह न हो कि रिपेअर न होने के कारण टूट जावें।

पिछले सालकी जो घटनाएं हुई उन घटनाओं से मैंने अन्दाजा तो लगाया था कि माननीय मंत्रीजी के और सरकार के दिमाग में इसकी गम्भीरता पूरी तरह से आ गई होगी परन्तु वास्तविकता यह है और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि वे दिन नजदीक आ रहे हैं कि फिर से तीन चार महीने में बरसात शुरू होगी और मंत्री महोदय याद रखें कि अभी तक उसके बारे में जो रिपेयर का काम किया गया है वह इतनी शुरूआती स्टेज पर है कि अभी से उसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया और सौभाग्यवश वर्षा शुरू हो गई तो फिर ऐसी शिकायतें देखने को मिलें। यदि वर्षा शुरू हो गई और मरम्मत समय पर नहीं हुई तो पानी को नहीं रोका जा सकता।

तीसरी चीज जिसका मुझे जिक्र करना है वह है सिंचाई और इन्तजाम के साधन। यह एक ऐसी चीज है जिसको तुरन्त हल करना है। यदि इसे हल नहीं किया गया तो इससे न सिर्फ फसलों को नुकसान होगा किन्तु आम लोगों को इस माह में सिंचाई का फायदा नहीं मिलेगा बल्कि इससे झगड़े होंगे और सिर

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

फूटेंगे, और क्या होगा इसकी मिसाल में आपके सामने पेश कर दूं कि ऐसी घटनायें हर इलाके में करीब करीब होती हैं। बिलाड़ा तहसील में जो बांध है उसके बारे में पिछले कई सालों से किस प्रकार से सिंचाई के लिये पानी को बांटना है, इसका कोई फैसला नहीं किया गया है। आज से दस बारह साल पहले एक धारणा थी और उसके मुताबिक काम किया गया। भावी के बीच में और दूसरे गांवों के बीच में पानी बांट दिया गया, उसको थोडा-थोडा पानी नामजद कर दिया गया, किन्तु प्रायोरिटी एक ही गांव को दी गई। इस संबंध के कागजात, दस्तावेज निश्चित रूप से संबंधित विभाग के पास नहीं मिलते और होता क्या है कि हर साल नया इन्तजाम करना पड़ता है, हर साल सैंकडों रुपया किसानों को जोधपुर कलेक्टर के पास जाने और जयपुर आने के लिये देने पड़ते हैं और हर साल नया फैसला करना पडता है। इस साल तो स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि कलेक्टर को १४४ दफा के मातहद दखल देना पडा और उन्हें एक टेन्टेटिव फैसला करना पड़ा। सम्बन्धित विभाग के इन्जीनियर ने उस फैसले को मानने से इन्कार किया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है? क्या कोई विशेषज्ञ जाकर इसका फैसला नहीं कर सकता कि इसके बाद पानी की यह व्यवस्था रहेगी? क्या कारण है कि किसानों को लिटिगेशन के लिये जाना पड़ता है और हर साल उन्हें हजारों और लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दस साल से जो घटनायें हो रहीं हैं, और पिछले तीन साल से तो ये घटनायें बहुत बढ़ गयी हैं, तो क्या किसानों को लूटने के इरादे से ही इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं?

अन्त में मैं इस विभाग के भ्रष्टाचार की ओर इशारा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। भ्रष्टाचार के बारे में सबूत देना इतना आसान काम नहीं है. फिर भी कम से कम इस विभाग से संबंधित जीते जागते सबूत दे सकता हूं। जवाई बांध जब से शुरू हुआ, ठेकों को तोड़ कर विभाग के जरिये जब से काम कराया जाना शुरू हुआ, ठेकों उस विभाग में काम करने वाले संबन्धित अधिकारी चाहे वह इन्जीनियर हों या ओवरसियर हों, उन सबने पिछले डेढ़ दो साल में पेलेशियस मेन्शन्स (Palacious Mansions) खडे कर लिये हैं। अगर रिश्वत को साबित कराना आसान काम नहीं है तो कम से कम अपनी समझके मुताबिक इस नतीजे पर तो पहुंचा जा सकता है कि जिन लोगों ने, इन्जीनियरों ने मामूली तनख्वाहें पाकर भी थोड़े से अर्से में ६-६,७-७, भवन खडे करा लिये वे इतना रुपया कहां से लाये। और यही हाल छोटे छोटे कर्मचारियों का भी है। उन काम करने वालों को वहां कौनसी गोल्ड माइन (gold mine), सोने की खान मल गई कि वे डेढ़ दो साल में ही इतने माला माल हो गए। एक ही सोने की खान है और वह यह है कि विभागीय काम जो कराया जाता है तो स्टोर्स में गोटाला होता है और गोटाला होता है तनख्वाएं बांटने में। मैंने इस संबंध में तीन चार बार शिकायतें कीं। संबंधित अधिकारियों से जब कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हमारे पास तो ये नाम दर्ज हैं। किन्तु मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये नाम उन व्यक्तियों के दर्ज होते हैं जो वहां काम नहीं करते हैं और उनके नामों की रकम ओवरयिसर और इन्जीनियर्स आपस में बांट लेते हैं। जिन मजदूरों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की तो उसका नतीजा यह हुआ कि उनकी शिकायतें दूर करना तो दूर रहा, ३०-४० मजदूरों को बगैर नोटिस दिए वहां से निकाल दिया गया और उन्हें आज तक भी काम पर नहीं लगाया गया।

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

अन्त में मैं इस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कटौती प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—श्री अवनी कुमार । (अनुपस्थित)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मिस्टर स्पीकर, मैं अपना कटौती प्रस्ताव जो इस तरह है पेश करता हूं:—

"That the demand for Grant No. VIII be reduced by Re. 1/- (to discuss the repeated closure of the Gang Canal, Ganganagar)"

श्री अध्यक्ष—दूसरा भी पढ़ दीजिए ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the demand for Grant No. VIII be reduced by Re. 1/- (to discuss the inefficiency and corruption of Irrigation Department)".

जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि गंग केनाल में सन् १९३४ के बाद इस साल उसमें जितनी बन्दियां आयीं हैं उतनी पहले कभी नहीं आई । आम तौर पर यह सोचने और समझने में आया है कि एक नहर इस रबी सीजन में ६० दिन से कम बन्द नहीं रही है । एक बात यह भी मान लें कि अगर दरियाव से पानी मिलता तो यदि सम्बन्धित अधिकारी ठीक तरह से काम करते तो फसल का बचाव हो सकता था । इस साल नहरों की बन्दी १२ दिन रही ह जो पिछली जनवरी महीने की बात है, कि नहर को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर साइड को टर्न बाई टर्न पानी मिलता है । हर साइड का २५ दिन के लिए बन्द कर देने की कोशिश की गई है । अगर सम्बन्धित अधिकारी कुछ अपनी अक्लबन्दी से काम लेते और सब नहरों को सात-सात आठ-आठ दिन पानी देते तो फसलें बच सकती थीं । एक साइड को यदि २५ दिन के लिये बन्द कर दिया गया तो उस साइड की फसलें बरबाद हो गईं और दूसरी साइड को २५ दिन के लिये फिर बन्द कर दिया गया तो उस साइड की भी फसलें बरबाद हो गईं और इसी तरह से तीसरी साइड की भी । इससे यह साबित होता है कि वहां जो अधिकारी लगाये गए हैं वे इसको समझते नहीं हैं कि पानी किस तरह से तकसीम किया जाता है । अगर वे इस बात को समझ जाते तो फसल को इतना नुक्सान नहीं होता जितना कि हुआ है और जितना आज महसूस किया जाना चाहिये उतना नहीं किया जाता ।

मैं आपको गंगनहर के बारे में जिक्र करूंगा और कहूंगा कि जब से राजस्थान बना है आज तक किसी भी चीफ इन्जीनियर ने उसका दौरा नहीं किया है । कभी यह समझने की कोशिश नहीं की गई है कि आउटलेट कहां होना चाहिये । मैं आपको मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों में नहर का लेवल किया गया था । पानी ज्यादा मिलता था । उसका सर्वे करवाया गया कि नहर की लेवल को कितना-कितना ऊंचा किया जाय ? एक आर. डी. का सवाल है उसकी ३० मील की सर्वे ही गलत हो गई । आप

[ श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु ]

कोई भी आउट लेट ले लीजिए। उस पर आपको पानी जीरो ही मिलेगा, कहीं आप को Gauge नहीं मिलेगा। अगर आप Gauge Reader की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि Gauge पूरा मिलता है। उसी हिसाब से आउटलेट के बारे में शिकायतें होती हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो चीफ इन्जीनियर साहब उनको केल्कुलेट करके लिख देते हैं कि पानी पूरा निकल रहा है।

यह कभी कोशिश नहीं की गई कि इस सारी गंगनहर का लेवल हो जो किया गया है वह बिल्कुल गलत है और जो केल्कुलेशन किया जाता है वह जयपुर में बैठे २ करने पर कभी ठीक नहीं आ सकता। हमारे चीफ इन्जीनियर साहब और ऐसे ही एस. ई. साहब वहां की बाड़ाबन्दी को भी नहीं समझते। वे यह भी नहीं जानते कि पानी किस तरह से तकसीम होता है। इनके साल भर के जो इन्होंने फैसले किए हैं वे म देखने के लिये आपसे निवेदन करूंगा। उन्हीं से यह साफ जाहिर हो जावेगा कि ये बाड़ेबन्दी क. कतई नहीं समझते। जब चीफ इन्जीनियर और एस. ई. बाडाबन्दी नहीं समझते तो वे क्या हक रखते हैं वहां के पानी को तकसीम करने या चीफ इन्जीनियर बने रहने का। इस केनाल के प्रबन्ध पर सरकार द्वारा जितना खर्च आज किया जाता है अगर उसका आधा भी सोच समझकर अच्छी तरह खर्च किया जावे तो आज से कहीं बेहतर प्रबन्ध हो सकता है और गंगनहर इससे बेहतर हालत में चल सकती है।

इसी तरह जहां पंजाब की नहरों में दरख्तों की आमदनी बहुत ज्यादा होती है वहां हमारे यहां कुछ आमदनी नहीं है। गंग केनाल पर के सब दरख्त काटे जा रहे हैं। दरख्तों की जड़ें कटी नहीं हैं किन्तु ऊपर से दरख्त काटे जा रहे हैं। कई दरख्त नीलाम भी किये गये हैं। आप देखेंगे इस नीलाम में क्या हुआ है और क्या होता है। दस-दस बीस-बीस साल के पुराने दरख्त आठ-आठ और बारह-बारह आने में गये हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक रुपये में नीलाम कभी नहीं हुए और लाखों रुपयों की लकड़ी मुफ्त में ले जाते हैं जिससे कि इस नहर को बहुत नुकसान हो रहा है।

इसके अलावा अर्थ वर्क के लिये जो रुपया मंजूर किया जा रहा है वह किस तरह खर्च हो रहा है यह भी आप देखें। इसमें से ३० फी सदी तो पहले ही ले लेते हैं। मैं तो कहूंगा कि इससे भी ज्यादा यों ही खर्च कर दिया जाता है और फिर पुराने खदानों की छंगाई करवा ली जाती है। नाप कर फिर ठेकेदार को पेमेन्ट भी कर दिया जाता है। अगर मेरे इस कथन में कोई गलती नजर आवे तो आप एक दो बार जाकर इसे चेक कर लीजिए। मैंने इस बारे में कई बार सरकार का ध्यान खींचा था।

बहुत से नोकर ऐसे हैं जो बिना नाम के और काम के भी मिलेंगे। आप देखेंगे कि एक Gauge Reader है। आप बैठे बैठे सब Gauge लिख सकते हैं। कागजों में नाम लिखे हैं पर आदमी वास्तव में नहीं है। दूसरे दूसरे आदमियों के अगूठे लगवाकर हर महीने उनको पेमेन्ट भी हो जाता है। अगर मंत्री महोदय इसकी जांच करें तो पता चलेगा कि बहुत से ऐसे ही नौकर हैं जिसके नाम के आदमी भी नहीं मिलेंगे।

एक वहां पर खराब सिस्टम चलता है। अगर इसको चेक करना है आपको तो अगली फ़सल पर मैं आपको वहां ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है। फसल मार्केट में बिक चुकी होती है।

[ श्री गुरदयाल सिंह सन्धु ]

वहां सब फसल कटी और इधर खराबा दिखाया जा रहा है। इधर कमाद काश्त की हुई दिखाई है लेकिन वहां जाकर होती है और कई जगह तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जमीन खाली पड़ी है। और इस तरह से लाखों रुपयों का नहरी मामलों में सरकार का नुकसान हो रहा है। अगर गंग नहर की ओर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे तो मालूम पड़ेगा कि खराबा सिस्टम और Gauge रीडिंग और दूसरे दरख्त वगैरह काटने आदि में सरकार का कितना नुकसान हो रहा है और तब सरकार उसे रोकने का प्रयत्न करे।

तो मैं तो इतनी बात कहने के बाद सरकार से अर्ज करूंगा कि उसको चाहिये कि गंग कैनाल जो कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी केनाल कालोनी है उसकी तरफ पूरा पूरा ध्यान दे और जिस तरह की खुली लूट-खसोट वहां हो रही है उस लूट-खसोट को बन्द करे।

**श्री मोतीराम**—मैं भी बोलना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—आप इसी को सपोर्ट करना चाहते हैं? फिर भी अगर बोलना चाहते ही हैं तो पांच मिनिट बोल लीजिये।

**श्री मोतीराम**—माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा कुछ इरिगेशन के बारे में हमारे मन्त्रियों को बताना चाहूंगा।

बात यह है जी, कि इस गंग नहर के पानी का जो बहाव था उसे भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी देने के लिए कम कर दिया और इसके कारण वहां के किसान इस काश्त में वाकई तबाह हो गये हैं। अब इसमें यह भी बात जरूर है कि पानी न मिलने से खड़ी फसल बरबाद हो गई तो इसमें हमारी इस सरकार का कोई दोष नहीं था। यह तो भारत सरकार का ऑर्डर था और पाकिस्तान की शिकायत थी, इस वास्ते हमें पानी नहीं मिला। पाकिस्तान को उसका पानी का हिस्सा मिलना चाहिये था यह ठीक है, पर जैसे मौके पर आकर पानी बन्द किया गया वह गलत था। अगर पाकिस्तान का हिस्सा देना था तो हर महीने वार हिस्सा देना था या अगर देना था तो हमें पहले इतना पानी नहीं देना था और कह देना था कि आगे जाकर आपको पानी नहीं मिलेगा। हमें जो पानी मिला बिल्कुल नियमानुसार मिल रहा था और नियमानुसार ही मिलना चाहिये था। पर इधर तो फसल पकने को आई और आखिरी पानी के लिए तरस रही थी और उधर वह आखिरी पानी ऐन मौके पर बन्द कर दिया। फल यह हुआ कि सारी फसल बरबाद हो गई और इस बरबादी और तबाही से वहां का इलाका वीरान हो गया। इसमें कोई हेर फेर की बात नहीं है।

मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हमारे मन्त्री महोदय भारत सरकार से कहें कि ऐसी कोई चीज भी अगर हो तो आपको हर महीने के लिए पहले प्रोग्राम बना लेना चाहिये और यह पहले से ही ऐलान कर देना चाहिये कि आप लोगों को इस तरह से पानी मिलेगा। तो किसान उसी के हिसाब से फिर

Page No.14



[ श्री मोतीराम ]

अपनी फसल बोएँ और पानी दें। इस तरह से उनकी सब करी कराई मेहनत तो बेकार नहीं जायगी। अब उनके पास क्या है, हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं।

पर साथ ही यह कह देना कि हमारी सरकार ने गलती की, यह भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जैसा कि हमारे मित्र श्री एच. के. व्यास ने, जो कुछ, इस बारे में कहा है, वे स्वयं तो वहां देखने गये नहीं, जाएं तो सही बात का पता भी लगे। उनके पास तो वहां से बैठे हुएआदमियों की कुछ रिपोर्ट आती है। कुछ थोड़े उनके साथी वहां बैठे हैं। केवल प्रोपेगेन्डा करनेके लिए कुछ मसाला झूठ-सच बनाकर भेज देते हैं, इसलिए गलत बात कह देते हैं। बात यह है कि हमारी सरकार का कोई दोष नहीं। यह तो भारत सरकार का ऑर्डर था, पाकिस्तान को पानी देने के लिए। आबियाने के माफ करने नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं था। आबियाना तो साफ नहीं होता। दर असल बात यह थी कि इस प्रकार के मामले में हम लोग स्वयं फीरोजपुर गये। वहां एस. ई. से मिले और उनको कहा कि हमारा पानी क्यों रोकते हो, यह आपकी इन्साफ की बात नहीं है। उन्होंने भी हमारे कथन से एग्री किया, पर उन्होंने कहा कि हम भी ऊपर के हुक्म के सामने मजबूर हैं।

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी गवर्नमेन्ट की कोई गलती है तो वह यही है कि उन्होंने पहले से ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया। पहले तो ज्यादा पानी दे दिया, पूरा ही दे दिया और इसी के भरोसे वहां किसानों ने अपनी फसल बोली। पर बाद में एक दम ही बन्द कर दिया। यह कमजोरी मैं मानता हूं। हमारी सरकार को यह चाहिये था कि पहिले समय ही कम से कम यह कौल करा लेती कि हम इतना पानी बाद में दे सकेंगे तो उसी हिसाब से किसान अपनी फसल बोते। अब आशा है सरकार आइन्दा साल में ऐसा करेगी।

**श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथियों ने मुझे अमूल्य सुझाव दिये हैं इसके लिये मैं उनका हृदय से आभार मानता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह से समय समय पर सचेत करते रहेंगे, ताकि यह जो सिंचाई का कार्य है, जो जनता के लिये बड़ा उपयोगी है उसे पूरा करने में हमें अधिकाधिक सफलता मिले। साथियों ने यह कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, सिंचाई के लिये अधिक रुपया मिलना चाहिये। इससे मैं सहमत हूं और आप सब भी सहमत होंगे लेकिन हमें राज्य की आमदनी भी देखनी पड़ेगी और कभी कभी इच्छा होते हुए भी संतोष मानना पड़ता है। राज्य द्वारा इस काम के लिये १९५०-५१ में १ करोड २४ लाख रुपया बजट में रखा गया और ५१-५२ में १ करोड २६ लाख रुपया रखा गया, ५२-५३ में २ करोड ७ लाख रुपया रखा गया और इस वर्ष ३ करोड ८१ लाख ६६ हजार रुपया इस कार्य के लिये रखा गया है। क्या ही अच्छा होता इससे भी ज्यादा रुपया हम इधर-उधर से लाकर इस कार्य में लगाते।

दूसरी बात जो मुझे सुझाव के रूप में बताई गई है कि प्राप्त किये हुए रुपयों को किस तरह खर्च किया जाय। लेकिन मैं इस विषय में पहले से ही जागरूक हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार की ओर से एक व्यवस्था करने की बात सोची गई है कि

[ श्री भोगीलाल पण्ड्या ]
सदन के माननीय सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति बनाई जाय और उसी के द्वारा कोई निर्णय हो कि वह जो रुपया मिला है वह किस तरह से और कहां कहां किस किस मात्रा में खर्च किया जाय । यह मेरी उत्कट इच्छा है और चाहता हूं कि इस पर जल्दी अमल हो ।

दूसरी बात जो थी वह यह थी कि सभी माननीय सदस्यों को, इधर के और उधर के सभी सदस्यों को, कृषि विभाग, स्वायत्त शासन विभाग,, राजस्व विभाग और दूसरे लोगों को इस तरह की सूचना दी गई थी कि वे सिंचाई योग्य जो कोई भी स्थान हो, जो अच्छा रिटर्न दे सकते हों, जो प्रोडक्टिव हों, ऐसे स्थानों की सूची देने की कृपा करें ताकि उनका सर्वे कराया जा सके और जांच करके हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि प्राथमिकता किसे दी जाय । इस वर्ष क्या काम हाथ में लिया जाय तीसरे वर्ष क्या काम किया जाय । लेकिन इस विषय की जानकारी जैसी कि मुझे आशा थी उतनी मात्रा में नहीं मिली । फिर भी मैं आशा करता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी ऐसी सूचनायें बना कर देने की कृपा करें ताकि हम लोग साथ बैठ कर किसी निर्णय पर पहुंच सकें । इसके साथ साथ सरकार की यह भी इच्छा है कि जिलाधिकारियों द्वारा जिले में समितियां बनाई जावें और जो जो, जिस जिस जिले के साथी हैं उनको अलग अलग बुला कर बातें की जावें कि उनके जिलों में कौनसे काम ऐसे हैं जिनको पहले लेना आवश्यक है । ऐसा सोचा गया है, यह सुझाव मैं माननीय सदस्यों को दे चुका हूं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—On a point of explanation Sir, आप गंग कनाल के एरिया को ज्यादा पानी कहां से दे सकेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य ने बड़ा सारगर्भित भाषण जो दिया है, उसका उत्तर भी मुझे देना है । उसमें यह प्रश्न अपने आप आने वाला है इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे जरा शान्ति रखें तो बहुत अच्छा होगा ।

अभी कुछ मित्रों ने यह भी बताया था कि सिंचाई विभाग में काम बराबर नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है। इस प्रकार की दो बातें खास तौर से बताई गई हैं । माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि १९५२-५३ में सिंचाई का इतना काम पूरा किया गया जिससे ३० हजार एकड़ अधिक जमीन की सिंचाई हुई, जिससे हम १० हजार टन अधिक अन्न उपजा सके । अगर इस विभाग के लोगों ने बहुत साथ नहीं दिया होता तो इतना काम नहीं हो सकता था, यह मैं आपको बता दूं ।

दूसरी बात माननीय श्री सन्तोषसिंह जी ने कही कि राजस्थान के रेगिस्तान भाग में आप बन्ध बनवाने को प्राथमिकता क्यों नहीं देते ! माननीय सज्जनसिंह जी ने बताया कि पहाड़ी हिस्सों के जो स्थान हैं उनको आप प्राथमिकता क्यों नहीं देते, तीसरी बात हमारे गुरुदयालसिंह जी सन्धु ने कही कि गंग कनाल के एरिया को प्राथमिकता देने के लिये क्या कर रहे हैं? यह तो मैं समझा हूं कि माननीय साथियों ने अपने अपने जिलों, अपनी अपनी कान्स्टीटयूएन्सी का ख्याल रखते हुए बातें कही हैं, राजस्थान के ख्याल से नहीं रखी हैं । मुझे तो सारे राजस्थान का ख्याल रखना है । हम सब को कैसे खुश रख सकते

# Page No.16



[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

हैं, सबकी इच्छानुसार काम नहीं हो सकता । समितियों के रूप में हम जब एक साथ बैठेंगे तो वहीं निर्णय करेंगे कि राजस्थान में पहले पहाड़ी हिस्से को लिया जाय या रेगिस्तानी हिस्सों को । इस बात का हम सब बैठ कर निर्णय करेंगे तो ठीक होगा ।

यह भी पूछा गया था कि बन्ध बनवाने के आपके क्या नियम हैं? नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं । भारत सरकार से जो लोन मिला है और राजस्थान सरकार का जो रुपया खर्च करता है उसमें से थोड़ा सा रुपया छोड़ कर बाकी रुपया ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से रिटर्न ज्यादा मिलता हो, अधिक सिंचाई होती हो वहीं पर वह रुपया खर्च किया जायगा ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या पिछले साल जो भारत सरकार से लोन मिला था वह लेप्स हो गया ।

**श्री भोगीलाल पंड्या** (अपना भाषण जारी रखते हुए)—जी नहीं हुआ ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—भाखरा बान्ध के लिये जो ८० लाख रुपया मिला था उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना लेप्स हुआ ?

**श्री भोगीलाल पंड्या** (अपना भाषण जारी रखते हुए)—मैं बता दूं कि भारत सरकार से जो रुपया मन्जूर हुआ था वह मन्जूर होने के बाद उसके लिये स्टाफ रखा, और रुपया जो होता है वह बहुत दिनों से मन्जूर होता है उसका मतलब यह तो नहीं कि उसको दो एक दिन में ही खर्च कर दिया जाय । उसके लिये योजना चाहिये, स्टाफ चाहिये, आदमी चाहिये । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि हम भाखरा नांगल योजना में जितने ज्यादा लोगों को काम पर लगा सकते थे हमने लगाया । करीब ८ हजार से ज्यादा लोग काम पर लगाये गये और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को यह भी आदेश दिया गया कि वे यदि रातपाली से भी काम करवा सकते हैं तो करवाया जाय और जो रुपया मिला है उसका सदुपयोग किया जाय । साथी यह बात जानते हैं कि रुपये की स्वीकृति बहुत दिनों बाद आई थी फिर भी हमने पैंतालिस लाख रुपया इस कार्य पर खर्च किया । इस साल १ करोड ६ लाख रुपया मन्जूर हुआ है और आशा करते हैं कि वह इस साल सारा खर्च हो जायगा ।

(९.३५ पर डा. श्री मंगलसिंह ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया)

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—मेरा यह प्रश्न है कि ८० लाख रुपये में से ४५ लाख रुपये खर्च हुए बाकी जो हैं वे क्या लेप्स हो गये ?

**श्री भोगीलाल पंड्या** (सिंचाई मंत्री)—मैं आपको परसों ही बता चुका था कि देर से स्वीकृति आई थी, लेकिन स्टाफ वगैरह का इन्तजाम करके ४५ लाख रुपये खर्च किये गये । उससे मुझे संतोष है कि इतना भी हम खर्च कर सके । इस वर्ष स्टाफ काफी ले रहे हैं और इस वर्ष रुपया लेप्स नहीं होगा, ऐसी आशा है ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

माननीय संतोषसिहजी ने यह भी बताया था कि विलाडा में जसवन्त सागर का बन्धा है, उसकी नहरें बनवाने के सम्बन्ध में वे मुझसे बातचीत कर चुके हैं। उसकी नहरें ठीक करवाने के लिये आपकी और मेरी बातचीत हुई थी। नहरें ठीक करवाना हैं। माननीय एच. के. व्यास ने भी भावी के झगड़े की बात कही। भावी के झगड़े को मैं भी जानता हूं। १० वर्ष से चल रहा है और इसके लिये सरकार को काफी प्रबन्ध करना पड़ा है, किन्तु मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसके लिये २ माननीय सदस्यों ने सहानभूति बतलाई, किन्तु दोनों ने जो अपने अपने विचार मेरे सामने रखे उसमें दोनों के दृष्टिकोण कुछ भिन्न भिन्न थे. यह दुख की बात है। उसके लिये सरकार ने इस वर्ष से व्यवस्था कर दी है। कुछ किसानों को बहुत ज्यादा आश्वासन दिये होंगे या क्या हुआ था कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया। सरकार ने मजबूत रह कर उसकी समुचित व्यवस्था की, और पानी की व्यवस्था इस वर्ष हो गई, और मैंने यह व्यवस्था भी की है कि अभी से ऐसा प्रयत्न किया जाय कि अगले साल जब पानी बांटने का समय आये तो उस समय इस तरह का झगड़ा खडा नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था अभी से सरकार ने की है।

उन्होंने यह भी बताया कि मेकेनाइज्ड इरिगेशन जल्दी हो। इसकी उन्होंने पहले भी चर्चा की थी। मैंने आपको कहा था कि कृषि विभाग से इस विषय की चर्चा करेंगे। कृषि मन्त्रीजी, मैं और आप सब बैठेंगे और सोचेंगे। और इतना रुपया लगाने से, जैसा आपने बताया, हजारों कूओं में पानी होगा, बड़े लाभदायक होंगे। किन्तु जब तक इसके विशेषज्ञ यह नहीं बतलायेंगे कि यह बिल्कुल ठीक है तब तक कुछ विचार नहीं किया जा सकता है। इसका निर्णय तो तभी होगा जब कि सब मिल कर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।

माननीय सज्जनसिंह जी ने कुछ बताया, आंकड़े भी दिये कि कोटा डिवीजन में कुछ कम खर्चा हुआ। मेरा खयाल है कि पिछले वर्षों में जो खर्च हुआ होगा उनके आंकडों को देखेंगे तो आपको संतोष होगा। मेरा खयाल है कि कोटा डिवीजन की बात तो ठीक है पर बूंदी जिले में सबसे अधिक खर्च हुआ। वह स्वयं इस बात को जानते हैं, फिर न मालूम क्यों पूछा? मेरे पास आंकड़े हैं कि बूंदी में काफी खर्च हुआ। इस वर्ष के लिये भी आपने बताया कि इस वर्ष चम्बल की हमारी योजना है, न मालूम चम्बल से पानी मिलेगा या नहीं, इसलिये कम रखा। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वर्ष बूंदी जिले में कम खर्च नहीं हुआ है। वे इसको मानते नहीं, तब प्रश्न आता है। वास्तव में वहां पहाड़ी हिस्सा और गुढा बान्ध आदि कई अच्छे अच्छे मौके हैं। मैं दोहराता हूं कि इस वर्ष वहां काम शुरु होने वाला है, और मेरे माननीय साथी इस बात को जानते हैं कि नये कामों में एक बडा हेड गुड़ा का और दूसरे छोटे बड़े बान्ध रखे हैं। भारत सरकार से जो लोन मिलने वाला है, उसका वितरण करना बाकी है, इसलिये कहीं उनके खयाल में ऐसा आता होगा कि रुपया जो भारत सरकार से मिलने वाला है माइनर इरिगेशन का उसका वितरण कर दिया गया है; ऐसी बात नहीं है।

साथ ही चम्बल के बारे में आपको बताया दिया कि किसी तरह सरकार का खयाल ऐसा नहीं है कि चम्बल योजना क्रियान्वित होने वाली है, इसलिये बूंदी जिले को छोड़ दिया जाय, या दूसरे स्थानों

[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

को लाभ नहीं मिले। ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं रहा है और न है। मैंने आपको साफ बताया कि इस वर्ष भी काफी रुपया रखा गया है दूसरे सिंचाई के कामों के लिये, गढा बान्ध आदि के लिये।

आपने यह भी बतलाया, आपने अपर बेराज, लोअर बेराज के बारे में कहा। आपको विश्वास दिलाता हूं, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने चम्बल के लिये भारत सरकार से कितना प्रयत्न किया है और उसे पंचवर्षीय योजना में रखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि पंचवर्षीय योजना म चम्बल योजना आगई है। आपने ज्यादातर बातें जो कहीं कि लोअर बेराज में तो ३ लाख एकड़ की सिंचाई होगी और उसमें से कुछ तो फ्लो ( flow ) से होगी और कुछ लिफ्ट से होगी, फ्लो वाली सस्ती होगी और लिफ्ट वाली सस्ती नहीं होगी; किसान उसको पसन्द नहीं करेंगे, वह खर्चीली होगी। यह सारी बातें सरकार के ध्यान में है इसीलिये सरकार ने यह प्रश्न उठाया कि अपर बेराज को रखना चाहिये, और यदि सरकार ने भरसक प्रयत्न नहीं किया होता तो आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने यह निर्णय नहीं किया होता कि चम्बल का पानी आधा आधा मध्य भारत और राजस्थान में बटेगा। यह तो आपको मालूम हुआ ही होगा, और अगर आपको मालूम नहीं हुआ हो तो मैं आपको आज फिर सुना रहा हूं कि चम्बल का जो पानी होगा वह आधा मध्य भारत में और आधा राजस्थान में बटेगा। इससे आपके प्रश्न का हल तो वैसे हो जाता है कि यदि हमारी योजना में कुल १२ लाख एकड़ को पानी मिलेगा तो ६ लाख एकड़ का पानी राजस्थान को और ६ लाख एकड़ का पानी मध्य भारत को मिलेगा।

आपने यह जो बताया कि जो चम्बल पर राजस्थान सरकार ने अनुसन्धान पर इतना खर्चा कर दिया लेकिन अनुसन्धान नहीं कर सके हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। जितना अनुसन्धान करना था, जितना सर्वे करना था वह कर लिया है। अब तो केवल अपर बेराज में मालूम करना है कि पत्थर किस तरफ है। बाकी नहरों का सर्वे आदि का काफी काम लगभग समाप्ति पर है। वहां पर केन्द्र के लोग जा चुके हैं और बहुत जल्दी इसका निर्णय होने वाला है। वह जो आपको डर है कि लिफ्ट या फ्लो से इरींगेशन होगा वह डर आप निकाल दीजिये। आधा पानी बंटने पर मध्य भारत सरकार को इन्ट्रेस्ट नहीं रहा कि अपर बेराज किया जाय या लोअर बेराज। राजस्थान और मध्य भारत की सरकारों के बीच निर्णय पहुंच चुका है कि १२ एकड़ से ज्यादा पानी मिलेगा तो वह आधा-आधा बट जायगा। राजस्थान को ६ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन की सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। उसमें यह जानकर आपको खुशी होगी कि बूंदी जिले में चम्बल के लेफ्ट साइड की जो जमीन है, जहां चावल वगैरह की खेती होती है, अपर बेराज आने पर वह सारा हिस्सा उसमें आ जायगा।

आपने अभी बताया कि ३० लाख रुपये का लोन जो भारत सरकार से मिला उसमें से बूंदी जिले को केवल ५० हजार रुपया ही मिला। उसमें किसी के साथ पक्षपात किया गया हो, ऐसी बात नहीं। किन्तु विशेषज्ञों ने जो सर्वे किया, उनके सामने जो बात रखी गई कि आया ५० रुपये में एक एकड़ की सिंचाई होगी या ६० रुपये में होगी तो इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार बूंदी जिले के ३० लाख रुपयों में से ५० हजार रुपया हिस्से में आया है तो ५० हजार रुपया बूंदी जिले को दिया गया। ज्यादा

Page No.19



[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

आयेगा तो ज्यादा दिया जायगा। नियम बनाकर नियमानुसार तय किया हुआ है। ५० हजार रुपया ही जनता को मिला है तो आपको संतोष होना चाहिये, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि संतोष नहीं करे और आगे मांगते रहें। परन्तु ऐसे मामलों में स्थान विशेष की उपयोगिता का ध्यान में रखते हुए ही रुपया दिया जाता है। स्थान की उपयोगिता से ही आपने भी योजनायें दी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि और भी कोई योजनायें हो तो दीजिये।

दूसरे जो सुझाव आपने दिये हैं वे अच्छे हैं। आपने जो जानकारी चाही है वह मने देदी। आपने यह जो कहा कि भविष्य में समान व्यवहार किया जायगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस लूंगा, यह अच्छी चीज नहीं है। आप अपना प्रस्ताव, कट मोशन, वापिस लें या नहीं लें, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा। सरकार ने पक्षपात करके न बूंदी जिले को टाला है, न पक्षपात किया है और न आगे भी इच्छा है। चाहे वे अपना प्रस्ताव वापिस लें या नहीं लें। कन्डीशनली आपने जो फरमाया है वह आप जैसे सात्विक वृत्ति के आदमी के लिये ठीक नहीं है।

दूसरा मेरे माननीय मित्र, श्री एच. के. व्यास, ने जो कुछ कहा उसको सुन कर दुख हुआ। प्रायः वह काफी अध्ययन करके बोला करते हैं। आज तो वह इस तरह से बोले जैसे बाजार से बात सुनकर आये हों और वह बात यहां कह दी गई हो, तो मुझे इससे दुख हुआ। दुख इसलिये हुआ कि उन्होंने जो एक बात कही तो अपनी दूसरी बात से उन्होंने उस ही बात को काटा, तीसरी बार फिर पक्ष में बोले तो चौथी बार खिलाफ बोले। इसलिये आश्चर्य हुआ कि विरोध के लिये कहना चाहते थे पर कह नहीं सके।

गंगानहर सफाई के लिये २५ दिन बन्द रखी गई। वह नहर जो बन्द रखी गई थी, नियम के अनुसार बन्द रखी गई थी। उसके लिये न तो आप कुछ कर सकते हैं और न हम ही कुछ कर सकते हैं। इसलिये इस तरह से कहना कि नहर २५ दिन तक बन्द हुई यह अतिशयोक्ति होगी। नहर १०-१२ दिन...

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—On a point of information Sir, क्या यह नहर राजस्थान सरकार के हुक्म से बन्द होती है या पंजाब सरकार इसको बन्द करती है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—जिस प्रकार हमेशा बन्द होती थी उसी प्रकार नियमानुसार बन्द होती है। पहले आपने इस सम्बन्ध में जब प्रश्न पूछा था उस समय भी मैंने आपको बताया था और अभी भी फिर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वह नहर कभी २५ दिन के लिये बन्द नहीं की गई। यह नियमानुसार बन्द होती है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसको बन्द कर दिया गया था।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**-मेरे पूछने का मतलब यह है कि आया यह नहर राजस्थान सरकार के हुक्म से बन्द होती है या नहीं ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को पूछ लेते हैं और नियमानुसार वह बन्द होती है।

[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

दूसरी चीज कही गई वह यह है कि सूरपुरा कुन्ड से २१ हजार क्यूबेक्स ही पानी मिला जब कि पिछले साल २७ हजार क्यूबेक्स पानी मिला। मैं इस पर ज्यादा प्रकाश डालने की स्थिति में नहीं हूं कि यह पिछले साल २७ हजार क्यूबेक्स क्यों मिला और अब कम क्यों मिला। मैं यही कहूंगा कि नियम के अनुसार जितना मिलना चाहिये मिलेगा, चाहे हम कितना ही कहें। बीच में ऐसे आसार थे जिससे मिल गया। मिल गया, सो मिल गया अब मिलने की आशा नहीं है।

**श्री सज्जनसिंह**—On a point of information Sir, माननीय सिंचाई विभाग के मन्त्रीजी ने यह फरमाया कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिये काफी प्रबन्ध किया गया है लेकिन जहां तक मैंने बजट के प्रोविजनों को देखा है और समझ सका हूं केवल ३८ हजार का ही प्रोविजन रखा गया है। हो सकता है कि यह मेरी सूचना गलत हो। मैं मन्त्री महोदय का बड़ा आभार मानूंगा यदि वे कृपा कर बतावेंगे कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिये क्या प्रोविजन रखा गया है।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—मैं माननीय सदस्य को यह बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने हिसाब के अन्त में जो लम्पसम रकम है उसको नहीं देखा है। आपने पिछले वर्ष या नामजद रुपये हैं वही देखे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

अभी उन्होंने यह भी बताया कि नहर तीन बार बन्द हो गई। यह माननीय सदस्य ने सुनी सुनाई बात कह डाली। मैं यह कहूंगा कि यह उनकी सूचना गलत थी। उन्होंने यह भी कहा कि नहर बनती जाती है और पीछे से टूटती जाती है, जिस प्रकार सड़क आगे बनती जाती है और पीछे से टूटती जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस प्रकार की वे एक भी मिसाल बता नहीं सकते और न बता सकेंगे। उन्होंने जिस प्रकार का सड़कों के लिये मुहावरा काम में आता है उसी प्रकार के मुहावरे को काम में लाते हुए कह डाला है।

उन्होंने एक बात जवाई बान्ध के बारे में कही कि वहां बहुत भ्रष्टाचार है और इन्जीनियरों ने बहुत सारे मकान बनवा लिये है, माननीय सदस्यों ने यह भी बतलाया कि जब मजदूरों ने शिकायत की तो अधिकारियों ने उन्हें निकाल दिया है। मुझे मालूम नहीं कि जो कुछ श्री एच. के. व्यास ने कहा उसमें कहां तक सत्यता है फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा।

इसके अलावा वहां के लिये टेन्डर्स कॉल किये गये थे और कॉन्ट्रेक्टरों को कॉन्ट्रेक्ट दिया गया। इसलिये उनका यह कहना गलत है कि सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के नाते लोगों के मकान बनाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी सूचना गलत है और उन्होंने यहां जो बातें, सुनी सुनाई बातों के आधार पर कही हैं वे उन्हें नहीं कहनी चाहिये। वह ठीक नहीं है।

अब श्री गुरुदयालसिंह सन्धु ने यह कहा कि नहर १२ दिन बन्द रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि २५ दिन तक बन्द रही। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं और उसको दोहरा कर सदन का समय

[श्री भोगीलाल पंड्या]
नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्य का यह कहना कि वह २१,०००क्यूसेक्स और २७,००० क्यूसेक्स के टन्टे में बन्द रही।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि १२ दिन तक बन्द रही, उसके बाद २५ दिन तक बन्द रही।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को जवाब देते बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिये. जो मिनिस्टर कहें उसको सुन लेना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या–इसका जवाब माननीय सदस्य श्री मोतीराम जी ने स्वयं दे दिया कि राजस्थान सरकार ने पानी के लिये प्रयत्न किये, पंजाब सरकार ने किये। लेकिन किन्हीं कारणों से सफलता नहीं मिली और न २१,००० क्यूसेक्स से ज्यादा पानी मिलने की भविष्य में भी आशा है। पहले मिल गया सो मिल गया।

आपने आगे चल कर कहा कि चीफ इन्जीनियर साहब बाड़ाबन्दी आदि नहीं जानते। मुझे यह सुन कर बड़ा दुखः हुआ कि जो चीफ इन्जीनियर यू.पी. में रहा हुआ है और भारत सरकार से आया है वह भी कुछ नहीं समझता तो क्या मेरे माननीय सदस्य उनसे ज्यादा समझते हैं? मुझे इस बात का यदि विश्वास हो जावेगा कि मेरे माननीय सदस्य इन्जीनियर से ज्यादा समझते हैं तो मैं उनसे सलाह लूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सुनी सुनाई बात पर कुछ नहीं कहना चाहिये था। न उन्हें इस प्रकार की बात कहना उसके लिये शोभा-जनक ही है कि चीफ इंजीनियर कुछ नहीं जानते। माननीय सदस्य ने कहा है कि यह भी ठीक नहीं, वह भी ठीक नहीं। जब उनको यह भी पसन्द नहीं, वह भी पसन्द नहीं तो क्या वे सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सभी अधिकारियों को अयोग्य समझते हैं। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि आप किसी में जो खामियें हों उनको बतावें, सरकार खुशी से उनको दूर करने का प्रयत्न करेगी और भविष्य में भी यदि आप ऐसी खामियें बतावेंगे तो इसकी जांच करके उन खामियों को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा। यह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण बतावें। महज कह देने से काम नहीं चल सकता।

आपने यह भी फरमाया कि अर्थ वर्क पर जो रुपया खर्च किया जाता है उसमें बहुत गड़बड़ी की जाती है। यह तो रेकर्ड पर चीज है। इसकी तो आसानी से जांच कराई जा सकती है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वास्तव में इसमें गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि जब एक हाउस का जिम्मेदार आदमी कहता है तो उसमें तथ्य हो सकता है। मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो जानकारी हासिल करके आपको दे सकता हूं।

आपने पेड़ काटने के सम्बन्ध में कहा। इस सम्बन्ध में भी मेरी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। मुझे यह बताया गया है कि पेड़ काट कर सस्ते दामों पर बेच दिये जाते हैं और बेचे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उचित जांच की जावेगी और जो भी इसके लिये जिम्मेदार होगा उसको उचित जांच के बाद दन्ड दिया जाएगा।

# Page No.22



[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

आपने यह बतलाया कि इसका हिसाब-किताब बराबर नहीं रखा जाता, कुछ आदमी चूंकि पूरा काम नहीं करते,अपने स्थानों पर बैठे बैठे भत्ता पकाते हैं जिससे राजस्थान सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान होता है। शायद आपको मालूम ही नहीं है कि आमदनी ही इसकी कितनी होती है। लाखों का नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर भी आपने हमें सूचना दी है तो इसके बारे में मैं जल्दी से जल्दी जांच कराऊंगा और कुछ भी इसमें तथ्य होगा तो इसका सुधार किया जायगा और किसी की भूल होगी तो उसको दन्ड दिया जायगा।

एक बार में फिर से आप सब से निवेदन करूंगा कि यह स्पष्ट है कि ३,८१,००० रुपये की बहुत बड़ी रकम है। इसे अच्छे ढंग से खर्च करने में आप मुझे पूर्ण सहयोग दीजिये, ताकि हम सब मिल कर इसका अच्छा उपयोग कर सकें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैंने बंदी के मुतल्लिक कहा था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले ही कह दिया कि जितना नियमानुसार पानी मिलना चाहिये उतना मिल रहा है और उससे विशेष नहीं मिल सकेगा और इसे आप भी जानते हैं। रहा बन्दी का सवाल सो वह १२ दिन से ज्यादा बन्द नहीं रहा। जितना पानी दिया जा सकता है उतना दिया जा रहा है और हमें ठीक ढंग से उसी पर टिके रहना पड़ेगा।

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, श्री संतोषसिंह, श्री सज्जनसिंह और श्री एच. के. व्यास ने अपने कट मोशन्स वापिस लेने की सदन से अनुमति चाही। सदन द्वारा अनुमति मिलने पर उपरोक्त सदस्यों ने अपने अपने कट मोशन्स को वापिस लिया)

श्री चेयरमैन (डा० मंगलसिंह)—इस डिमाण्ड पर जितने कट मोशन्स थे वापिस ले लिये गये हैं। डिमाण्ड नम्बर ८ मेजर हैड XVII इस प्रकार है:—

"That a sum not exceeding Rs. 1,17,78,000/-be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. VIII, Major Head XVII Irrigation etc.

प्रश्न यह है कि डिमाण्ड नम्बर ८ स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

डिमाण्ड नम्बर ८ स्वीकृत की गई।

## अभियाचना संख्या ४-वन

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—I beg to move :—

"That a sum not exceeding Rs. 25,67,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will Come in course of payment during the

Page No.23



[श्री अमृतलाल यादव]

year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. IV, Major Head 10—Forest."

श्री एच. के. व्यास—Not audible, Sir.

एक सदस्य—Is he not feeling confortable?

एक सदस्य—Why it is trembling Sir?

श्री अमृतलाल यादव—Sir, I move :—

"That a sum not exceeding Rs. 25,67,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will Come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. IV, Major Head 10—Forest".

श्री चेयरमैन—Motion moved. श्री एच.के.व्यास अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री एच. के. व्यास—Sir, I move:—

"That the Demand for grant No. IV be reduced by Rs. 20,000/- (to discuss the unnecessary import of the Chief Conservetor of Forests, and the failure of the Government to prevent illegal cutting of Forests and its failure in undertaking Consideration."

माननीय चेयरमेन, मैं आपका ध्यान, जो आंकड़े डिटेल्ड एस्टीमेट के वॉल्यूम नं० २ में दिये गये हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उसमें आप यह पायेंगे कि पेज ऑफ ऑफिसर्स के हेड में आज से दो साल पहले केवल १० हजार रुपये की रकम की आवश्यकता थी पर उसके बाद पिछले दो साल से यह तादाद बढ़ कर ३३ हजार रुपया हो गई है और आप यह भी पायेंगे कि इस दफ्तर में और नीचे जितने लोग काम करने वाले हैं उनकी सब की तनख्वाह का टोटल कर लिया जाय तो वह भी अकेले इन अधिकारी की तनख्वाह से कम नहीं निकलेगा । तो जब हम यह चाहते हैं, कहते हैं, दावा करते हैं और ऐलान करते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि आप आम लोगों के कल्याण की ओर बढ़ना चाहते हैं या कुछ विशेष व्यक्तियों के कल्याण की ओर बढ़ना चाहते हैं । मझे तो ऐसा मालूम होता है कि विशेष व्यक्तियों के कल्याण के लिये ही १० हजार से बढ़ा कर इस खर्चे को ३३ हजार कर दिया गया है । क्योंकि राजस्थान में कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता था इस लिये आपने बाहर से विशेषज्ञ को बुलाया और उसने एक भी स्कीम राजस्थान के वन विभाग की तरक्की के लिये प्रस्तुत नहीं की है । उन्होंने इतना तो कुछ किया है कि ज्यादा समय वह कान्फ्रेसों में और इधर उधर दौरे करते हुए, घूमते हुए समय विताते हैं । उन्होंने इस विभाग के लिये इतना तो किया है कि जहां काम करने की आवश्यकता हो वहां नीचे के काम करने वालों को भेज दिया जाता है । फिर बहुत बड़ी तनख्वाह में उनको बुलाया गया है जैसे इतना बड़ा एक्सपर्ट हम समझे

[ श्री एच. के. व्यास ]

कि दूसरी जगह से बुलाना पड़ा। इतना ही नहीं में तो यह कहूंगा कि इसी रेट पर अगर हम चले तो कल हमें कहीं अमेरिका और इंग्लेण्ड से कंजर्वेटिव ऑफीसर बुलाना नहीं पड़े। करीब करीब इसी हद तक यह बात है। यदि उस हद तक हम जायेंगे तो हमको पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति वहां रिटायर हो चुका है और यह राजस्थान शायद एक असायलम है रिटायर्ड आदमियों के लिये। जिनको दूसरी जगह स्थान नहीं मिलता वे हमारे यहां राजस्थान में आकर एक्सचेकर पर भार हो जाते हैं। विशेषज्ञ होने के बहाने वे हमारे यहां भेज दिये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी, चाहे वह ताईद अधकिचरी क्यों न हो, इस बात की ताईद की है कि हमारे यहां एक्सपर्ट नहीं हैं इसलिये बाहर से बुलाये गये। फाइनेन्स विभाग के लिये भी यही बात कही गई थी। फाइनेन्शियल मामलों में एक्सपर्ट कहे जाने वाले एक साहब हमारे यहां थे, शायद एक दो दिन में यहां से जा रहे हैं और जिनका चार्ज हमारे ही यहां के एक अफसर ने लिया है। क्या उन बाहरवाले व्यक्ति के यहां न रहने से हमारे यहां के फाइनेन्स का काम चलेगा नहीं? यह कहा जा सकता है कि वे बहुत बड़े अफसर थे। जिस काबलियत से वे काम चलाते थे उससे कम काबलियत से अब भी हमारा काम नहीं चलेगा। फिर क्या कारण है कि एक्सपर्ट होने का नाम लेकर बाहर से आदमी बुलाये जाते हैं। यह हमारे साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। इस बजट में जो २० हजार रुपये अधिक रखे हैं, मौजूदा अफसर के कारण, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि संबन्धित मंत्री इस बात को गोलमोल में टालें नहीं और जवाब दें कि इन अफसर महोदय ने राजस्थान की तरक्की के लिये अब तक क्या किया है और क्या नहीं किया है। यदि कुछ नहीं किया है तो, इतने अच्छे काबिल अफसर को जहां से वे आये हैं, वहीं उनको वापिस जाने दें। वहां नहीं तो जहां वे जाना चाहें वहीं जाने दें, लेकिन ऐसे व्हाइट एलिफेन्ट (white elephant) को हमारे यहां न रखें।

मेरा कटौती प्रस्ताव रखने का दूसरा कारण है राजस्थान के वनों से संबन्धित। जंगलों को काटने से रोकने के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर में यह कहा जाता है कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है या आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया है। आज म यह पूछना चाहता हूं कि वह आवश्यक कानूनी कार्यवाही होती किस किस्म की है? एक जंगल में एक आदमी चौकीदारी करने के लिये रखा जाता है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही का मतलब यह है कि जहां से पेड़ काटा गया है उस जगह पर चश्मदीद गवाह होना चाहिये। अकेला आदमी वहां क्या कर सकता है, वह अगर काटनेवालों को रोके तो पीटा जावे। यही नहीं बल्कि चार पांच आदमी जावें तो भी पीछे जावें। यदि माननीय मंत्रीजी राजस्थान के जंगलों को अपनी जिम्मेदारी से बचाना चाहते हैं तो यह कहें कि कोई इन्तजाम नहीं है। उनको चाहिये कि इन्तजाम करने की कोशिश करें। जहां नये आदमी भेजने की जरूरत हो वहां नये आदमी भेजें। यह नहीं कि कोई प्रश्न पूछा जाय या इन प्रश्नों के अलावा सप्लीमेन्टरी प्रश्न किये जायें तो उनके जवाब भी झूठे-सच्चे तैयार करदें। इस तरह से तो कोई इन्तजाम नहीं होगा। मैं आपका ध्यान उन सूचनाओं की ओर आकर्षित करूंगा जो हिन्दुस्तान के अखबारों में और राजस्थान के अखबारों में भी छपती है कि जो रेगिस्तान राजस्थान में बढ़ रहा है वह पास के प्रान्त यू. पी. और दिल्ली की ओर

[ श्री एच. के. व्यास ]

भी बढ़ता जा रहा है और उसे रोकने के लिये यू. पी. की और अन्य जगहों की सरकारें प्रयत्न कर रही हैं और भारत सरकार ने भी इस संबन्ध में कुछ कार्यवाही करने का विचार किया है। यदि हमें बढ़ते हुए रेगिस्तान या डेजर्ट के प्रकोप से रक्षा करनी है तो अफोरेस्टेशन के लिए बहुत बडा प्रयत्न मंत्री महोदय को करना पड़ेगा । आज राजस्थान सरकार ने इस सवाल को आंखें मूंदकर पटक रखा है । हर साल फुट फुट रेगिस्तान बढ़ रहा है और कुछ वर्षों में आज जितना है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जायगा । इससे काम नहीं चलेगा कि मंत्रीजी कुछ पेड़ लगादें और अखबारों में फोटो भेज दें । अच्छे ब्लॉक बनाने के लिए अखबार वालों को ज्यादा पैसा देकर अच्छी अच्छी फोटुएं अखबारों में निकलवा दें । इससे जंगल ज्यादा नहीं बढ़ेगा और रेगिस्तान कम नहीं होगा । अफोरेस्टेशन का काम इस तरह से नहीं होगा । इसके लिए एक बड़ी योजना बना कर बेल्ट का बेल्ट पेड़ों का लगाना होगा । हमारे साथ टिन्कर की जा रही है, खिलवाड की जा रही है । इसी कारण से मैंने यह कटौती प्रस्ताव इस विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत किया है ।

श्री रघुवीरसिंह—चेयरमेन महोदय, डिमान्ड नं० ४ में जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस महकमें में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है । इस महकमें से गवर्नमेन्ट को आमदनी ४० लाख रु० की बतलाई गई है। यदि यह भ्रष्टाचार न होता तो यह आमदनी इससे कहीं अधिक हो सकती थी इस विभाग के ऊपर २५ लाख ६७ हजार का जो खर्चा मांगा गया है वह बहुत ज्यादा है क्यों कि इस महकमे को चलाने के लिये एक चौथाई यानि १० लाख रु० सालाना से अधिक खर्चा नियमानुसार नहीं होना चाहिये । लेकिन इस महकमे के लिये आधे से अधिक यानि ५० प्रतिशत से ज्यादा खर्चा मांगा गया है । इस महकमे का इन्तजाम ठीक नहीं है हालांकि चीफ कंजर-वेटर ओफ फोरेस्ट इतने अधिक वेतन पाने वाले हैं जो वन ऑफ दी हाइएस्ट गिने जाते हैं। फिर भी इस महकमे का इन्तजाम ठीक नहीं है । जब मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी में दौरा करने के लिये गया था तब गांव गाव से इस महकमे के खिलाफ शिकायतें आई थीं, जिनको मैंने सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा था। परन्तु आज तक उनकी शिकायतें दूर नहीं हुईं। इस महकमे के ऊंचे अफसर बहुत कम दौरा करते हैं यानि जहां दौरा करना चाहिये वहां दौरा नहीं करते हैं । यदि वे दौरा करते हैं तो किसी खास मतलब से करते हैं । या तो पैसा कमाने के लिये या शिकार के लिये । इसके अलावा काम करने के लिये उनका दौरा कम ही होता है । मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वे खुद दौरा करके लोगों की शिका-यतें सुनें और पूछें कि उनसे संतुष्ट हैं या नहीं । मैं आशा करता हूं कि समय निकाल कर वे जरूर इस ओर ध्यान देंगे ।

इससे लोगबाग आगे जाकर फोरेस्ट गार्डों के अत्याचारों से और जुल्मों से बच सकेंगे । चन्द अर्से से राजस्थान सरकार ने लकड़ी पर टैक्स वापिस कायम कर दिया है और हल टैक्स बदस्तूर लिया जा रहा है । इसके बाद यह टैक्स भी लिया जाता है जिससे लोगों को काफी कष्ट है । नियमों के तौर पर तो यह ठीक है कि पास लेकर जंगल से बांस, लकडी लावें, किन्तु हो यह रहा है कि नाकेदार लोगों का यह कमाई का जरिया बन गया है । कई शिकायतें ऐसी भी सुनने में आई हैं कि नाकेदार लोग एक एक पैसा लेकर भी पास दे देते हैं। दूसरी शिकायतें भी यह आई हैं कि हर हल्के में नाकेदार नहीं होने

[ श्री रघुवीरसिंह ]

से तीन-तीन, चार-चार कोस से लोगों को आना पडता है और समय पर नाकेदार के न मिलने से उन्हें वापिस भटक कर जाना पडता है । अतः यह जो नियम रखा गया है वह उचित नहीं है । यह काम किसी पंचायत को, किसी गांव के पटेल या किसी भले आदमी को सौंप दिया जाय जिसकी इजाजत लेकर वे लोग जंगल से लकड़ी आदि ले आवें । इससे नाकेदार की जो ज्यादतियां होती हैं वे बन्द हो जावेंगी और गलत तरीके से जो वह पैसा वसूल कर लेता है उस पर भी रोक लग जावेगी ।

दूसरी बात यह है कि गवर्नमेन्ट अपने सुभीते के खातिर तहसील वाइज ठेके दे देती है । यह तो उचित है किन्तु पक्षपात जो होता है उसकी जांच नहीं करती है । लोगों को कितनी तकलीफ होती है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । शाहबाद तहसील में महुओं का ठेका दिया गया। ठेके से ठेकेदार को कोई नुकसान नहीं होता है । महुओं की चोरियां होती हैं और उसकी कार्यवाही होती है तो यह तो उचित है किन्तु यह उचित नहीं है कि आम रास्तों को बन्द कर दिया जाता है। कहीं गांव से गायें वगैरह पानी पीने के लिये उन रास्तों से गुजरती हैं तो उन्हें गुजरने नहीं दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है । इस प्रकार की बातों की यदि शिकायतें की जाती हैं तो अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती । रेन्जर या तो दौरा ही नहीं करते और यदि करते भी हैं तो सिवाय अपना पेट भरने के जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं । दो गांवों की स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट्स को सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा गया कि वे यह मालूम करें कि यह शिकायतें उचित हैं या नहीं। तो उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं मालूम पड़ा कि वे उचित थीं या नहीं। गांव वालों की तो यहां तक शिकायत थी कि एक आदमी के मर जाने पर उसको जलाने के लिये भी लकड़ी नहीं दी गई । नाकेदार उस समय वहां नहीं था । वह वापिस आया तो उसने ५०-१०० रुपया लेकर फिर लकड़ी लाने की इजाजत दी । इस स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट को भी अधिकारियों के पास पहुंचाया गया तो भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला । अगर यह कहा जाय कि इन्क्वायरी हो रही है तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच में काफी समय लग जाया करे तो वह मामला ही बदल जाता है । आगे जाकर पब्लिक को दबाने का अफसरों को मौका मिल जाता है । अतः इस प्रकार के मामलों की कार्यवाही होना आवश्यक है ।

फोरेस्ट में आमदनी कम होने का कारण ही यही है कि रेन्जर वगैरह पैसा लेकर अपना पेट भर लेते हैं और गवर्नमेन्ट की आमदनी को इस प्रकार नुकसान पहुंचता है । पैसा लेकर वे पास दे देते हैं । यही कारण है कि सन् ५२ और ५३ के फोरेस्ट के आंकड़ों के मुकाबले में सन् ५३ और ५४ के आंकडों में ५ लाख ७० हजार की कम आमदनी होगी, वरना वह तो अधिक होनी चाहिये थी। इसलिये मैं इस कटमोशन के जरिये माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इस महकमें में बहुत भ्रष्टाचार है और इसे भ्रष्टाचार का महकमा ही कहा जाता है । "This is one of the most Corrupted department that I have seen" अतः आप इस पर ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री चन्दनमल बैद—चेयरमेन साहब, मेरे कट मोशन का विषय वही है जो साम्यवादी मित्र बतला चुके हैं। मैं इस विषय म अधिक नहीं बोलना चाहता था किन्तु हमारे माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी ने प्रान्तीयता पर जो कल शिक्षाप्रद भाषण दिया था उसके कारण मेरा कहना कुछ जरूरी

[ श्री चन्दनमल वैद ]

होगया है। उनका कहना यह है कि अगर हम आवाज उठाएं कि हमें दूसरे प्रान्तों से बड़े बड़े अफसर नहीं बुलाने हैं तो उससे हमारे प्रवासी भाइयों की जो बंगाल, आसाम, बंबई आदि प्रान्तों में रहते हैं आफत हो जावेगी। मेरी यह समझ में नहीं आता है कि क्या वे यह समझते हैं कि बंगाल के कलेक्टर को यहां चीफ सैक्रेट्री बना देने से, उडीसा के कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट को यहां पर चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट बना देने से या बम्बई के डी. आई. जी. पी. को यहां पर आई. जी. पी. बना देने से उन प्रान्तों में जो राजस्थान के प्रवासी भाइयों का प्रभाव है वह बढ़ जायगा। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारे वहां पर बसे हुए भाई उनकी उपयोगिता साबित नहीं कर देंगे तब तक ऐसा कभी होने वाला नहीं है। यदि बड़े बड़े आदमियों को या वहां से मंत्री भी इम्पोर्ट कर लिए जांय तब भी यह नहीं होगा। हमारे वहां जो भाई बसे हुए हैं उनको तो अपनी उपयोगिता साबित करना ही पड़ेगा। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो मनोवृत्ति काम कर रही है कि चूंकि दूसरे प्रान्तों में राजस्थानी प्रवासी भाई काम कर रहे हैं और उनको पनाह देने के लिए हमें यह करना है कि दूसरे प्रान्तों के अफसरों को यहां पनाह दी जाय, तो यह गलत है।

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूं ताकि आप इस बात को करेक्ट कर लें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह नहीं कहा था कि हम बाहर से अफसरों को इस लिए बुला रहे हैं कि हमारे राजस्थान के प्रवासी बन्धुओं की आफत नहीं आवे किन्तु उन्होंने तो यह कहा था कि राजस्थान भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और हम संकुचित भावों से विचार नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां के उधर चले जाते हैं और उधर के इधर चले आते हैं। पुलिस के सिलसिले में उन्होंने यह बात कही थी।

**एक सदस्य**—यह नहीं बताया गया है कि हमारे यहां से उधर के प्रान्तों में कितने अफसर जा चुके हैं ?

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—यह भी बताया जा सकता है।

**श्री चन्दनमल वैद**—अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट को १२०० रुपया मिलता था और वर्तमान कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट को २५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा तनख्वाह देने के बाद भी क्या हमारे फारेस्ट की हालत पहले के चीफ कन्जर्वेटर के समय से अच्छी है, उसमें क्या २ तब्दीलियां आई हैं, क्या माननीय मंत्री जी हमें बतावेंगे ? मेरे सामने दो-तीन तब्दीलियां आई है, वे मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। पहली बात तो यह हो रही है कि जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जोधपुर और सरदार शहर में जंगल लगाए जाने का कार्य हो रहा है। इस बात को सुन कर बडे विचार में पड़ा कि सरदार शहर में कब से जंगल लगाये जा रहे है, यह काम कब से शुरु किया गया है, मेरे यहां आने के बाद किया गया है या पहले ? मैंने तार देकर दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ५०-६० लादियों के लिए लकडी बिकने के लिए तो आया करती है, अन्यथा

[ श्री चन्दनमल वैद ]

जंगल लगवाने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जंगल लगवाने के लिए पेड़ों को काटा जाना जरुरी है, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है, शायद मंत्री महोदय के समझ में आजाय। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय बतलावेंगे कि पेड़ काट कर जंगल लगवाए जाते हैं या क्यों कर ?

श्री जसवन्तसिंह—इससे मलेरिया ज्यादा हो जायगा ।

श्री चन्दनमल वैद—अब मैं एक बात की ओर इशारा करूंगा। केन्द्रीय सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया है और उसके अनुसार जंगल जो पुराने राज और महाराजाओं को दिए गए थे और वे इस शर्त पर दिए गए थे जैसा कि श्वेत-पत्र में लिखा है, कि उनमें वे अपने पशु चरा सकते हैं, जलाने के लिए लकड़ी ला सकते हैं. किन्तु जो जंगल राजाओं और महाराजाओ के पास हैं उनमें से वे जलाने के लिए लकडी ही नहीं लाते हैं उनमें पशु ही नहीं चराते हैं किन्तु वहां से लगान भी वसूल करते हैं। वे दरख्तों और पेड़ों को कटवा रहे है, कीमती सामान जो जंगलों में होता है उसको बटोर रहे हैं और बेच रहे हैं।

तो यह जो कार्य हो रहा है उसके बारे में हमारे मन्त्री महोदय यह बतावें कि उन्होंने जो चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट इतनी बड़ी तनख्वाह देकर बाहर से इम्पोर्ट किया है इस स्थिति में उन्होंने क्या सुधार किया ?

एक बात की तरफ में और इशारा करूंगा कि महाराणा उदयपुर के पास दो जंगल हैं। वे भी इन जंगलों को कटवाकर खेती करने का विचार कर रहे हैं।

माननीय चेयरमेन साहब, हमारे राजस्थान में वैसे ही जंगल कम हैं। सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और फिर भी जो थोड़े बहुत जंगल हैं उनको भी काट कर अगर खेती कराना शुरू कर देंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी हालत क्या होगी ?

यह एक सिद्धान्त की बात है कि जंगल कम होंगे तो उस प्रदेश में वर्षा कम होगी और जब वर्षा हो कम होगी तो फिर हरियाली और पेड़ पौधे कैसे पैदा होंगे। हमारा प्रान्त तो पहले ही रेगिस्तान है। फिर जो थोड़े बहुत जंगल हैं वे भी अगर काट देगें तो जो थोडा बहुत हिस्सा हरा भरा हमारे प्रदेश में है वह भी रेगिस्तान हो जावेगा ।

मैं समझता हूं कि हमारा राजस्थान पहिले ही आधा रेगिस्तान है पर अब जो जंगल की नीति हमारे मन्त्री महोदय ने अपना रखी है उसके हिसाब से सारा राजस्थान ही रेगिस्तान हुआ जा रहा है। वे हमें बतावें कि जो अफसर इम्पोर्ट कर कर के वे यहां ला रहे हैं वे क्या इस वास्ते लाये जा रहे हैं कि सारा का सारा राजस्थान रेगिस्तान बन जावे ?

इसी मंशा का मेरा प्रस्ताव था। इस बात को कहते हुए मैं अपना कट मोशन प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फोरेस्ट के सिलसिले में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

[ श्री हरिदेव जोशी ]

वैसे मेरे मित्रों ने बहुत कुछ कहा है मगर मैं कुछ अर्से से यह अनुभव कर रहा हूं कि जहां प्रान्त के निर्माण के लिये फोरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है वहां हम लोग यह देख रहे हैं कि सरकार इसके साथ एक बहुत माइनर पोर्टफोलियो के रूप में बर्ताव कर रही है । जो कोई भी मिनिस्टर इसके लिये रहे हों, पर वे इसके लिये उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिये ।

इसका परिणाम यह हुआ कि जहां हम बातों में, किताबों में, और सरकारी कागजों में जंगलों के बढ़ने की बात पाते हैं वहां अमल के अन्दर जंगल अधिक से अधिक घटते और कटते जा रहे हैं ।

अभी पिछले दिनों हमने यह सुना था, अखबारों में भी पढ़ा था कि राजस्थान का रेगिस्तान बढ़ता बढ़ता यू. पी. की ओर जा रहा है (श्री जसवन्तसिंह—दिल्ली की ओर जा रहा है) और कुछ सौ वर्षों में यू. पी. के अन्दर भी वही रेगिस्तान बढ़ेगा । मैं कहता हूं कि अगर हमारी यही रीति नीति और पद्धति रही तो कुछ सौ वर्ष भी नहीं लगने वाले हैं, कुछ ही वर्ष लगने वाले हैं जिसमें हम पूरे के पूरे राजस्थान को रेगिस्तान पावेंगे ?

इसके लिये मैं अधिकार पूर्वक कहता हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य चाहें तो राजस्थान के उस जंगल वाले प्रदेश का दौरा करें तो देखेंगे कि आज से दस वर्ष पहिले, नहीं, पांच वर्ष पहिले सन् ४८ के अन्दर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण उदयपुर के प्रदेश जो जंगलों से हरे भरे थे आज पांच साल के भीतर क्या हालत उनकी हो गई है ?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के जंगल राजस्थान के ही नहीं भारत के अच्छे से अच्छे जंगलों में से थे । उनमें बड़े से बड़े और ऊंचे से ऊंचे दरख्त मिलते थे, जैसे कि हमने बहुतों ने देखे भी नहीं होंगे । उन्हीं जंगलों की आज की हालत देख कर रोना आता है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे वे शानदार जंगल अब नष्ट हो गये हैं । हमने अपनी लापरवाही और कर्तव्यहीनता से उन्हें खो दिया । यही हालत थोड़े दिनों और रही तो थोड़े दिनों के बाद दांत कुरेदने के लिये, एक सींक के लिये भी हम मोहताज हो जाने वाले हैं । इस बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी रीति-नीति इस बारे में है वह सफल हो रही है, कागजों में ही या अमल में भी उस पर कुछ हो रहा है ।

फोरेस्ट के बारे में कुछ नियम हैं, प्रोसेस हैं । हरेक प्रदेश की जमीनों के अलग अलग गुणावगुण हैं । जो पेड़ जिस जमीन में हैं वे कितने सालों में उसी रूप में फिर पनप सकते हैं, वहां पानी कितना बरसता है, उस जमीन में से आज किसी दरख्त को काटते हैं तो उसी जमीन में फिर कितने वर्षों में जाकर वैसा ही पेड़ खड़ा होता है । इसको वर्किंग प्लान सिस्टम कहते हैं । आज का फोरेस्ट विभाग कहता है, इसी वर्किंग प्लान सिस्टम के अन्तर्गत, कि हमारे इस प्रदेश के जंगलों की औसत ३०-३५ वर्षों की है । ३५ वर्षों के अन्दर जाकर वहीं पर इसी प्रकार का जगल फिर हो सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इनका वर्किंग प्लान सिस्टम है केवल धोखाधडी है । वे केवल हमें धोखा देना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारी वर्किंग प्लान सिस्टम सही है और हम

[ श्री हरिदेव जोशी ]

फोरेस्ट को बढा रहे हैं। इसके विपरीत हालत यह है कि इस प्लान को ध्यान में नहीं रख कर जंगल काटे जा रहे हैं। महज इस वजह से कि हमारा बजट डेफिसिट न हो, फारेस्ट विभाग का बजट बढा हो, यह वह बताना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि फारेस्ट से इतनी आमदनी हो र हालत यह होगी कि कुछ वर्षों तक तो आमदनी बढती मालूम होगी पर कुछ वर्षों के बाद में ही उ हालत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की सी हो जायगी। यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। एक पेट चीर कर ही अंडे प्राप्त कर लेना चाहते हैं. अगर यही आपकी मंशा है तो इन जंगलों को काट काट कर आमदनी बढा लीजिये, पर इसके बाद फिर कुछ नहीं मिलने वाला है।

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिये हमें बहुत गहराई से सोचना होगा और आज के हमारे तौर तरीके हमें बदल देने होंगे।

अभी पिछले दिनों कुछ बचत के तरीके अख्तियार किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह किन दिमागों की उपज है। ऊंचे से ऊंचे अफसर को अधिक से अधिक तनख्वाह दी जावे, पर जो जंगल का पहरेदार है, रक्षक है और कस्टोडियन है जंगल का, उनको अपने ओहदे से भी आज मोहताज किया जा रहा है। जो रक्षक हैं उन्हें आज निकाला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं जिक्र कर दूं कि अभी पिछले दिनों में डूंगरपुर के जिले में, जंगलों में इस विभाग में काम करने वाले चार चार मील के एरिया में एक एक गार्ड और एक एक फोरेस्टर, पांच पांच मील के फासले पर रखे जाते थे। उनको, खर्चा कम करने के नाम पर अभी अभी हटा दिया गया है। आज पन्द्रह-पन्द्रह मील पर एक एक गार्ड रखा जा रहा है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि जंगल काटे जा रहे हैं, बगैर पास के काटे जा रहे हैं और जंगलों की लकड़ियों की चोरी हो रही है। हमारे फोरेस्ट राजस्थान की सीमा पर हैं। सीमा उदयपुर की गुजरात से मिलती है। यहां से लकडियां काट काट कर पास के प्रदेशों में ले जाई जा रही हैं। रक्षा का आज समुचित प्रबन्ध अब नहीं रहा।

एक तरफ तो १२ सौ रुपये का सी. सी. एफ. हटा कर २५ सौ का आदमी लाया जा रहा है और दूसरी ओर जिन्हें २०-२० और २५-२५ रुपये अथवा पचास रुपये मिलते थे उन लोगों को बचत के नाम पर हटाया जा रहा है जो वाकई इन जंगलों के सही माने में रक्षक हैं, एक तरह के कस्टोडियन हैं और जिम्मेदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। मैं नहीं समझता कि इन सी. सी.एफ. में क्या काबलियत है और कितने जंगल इन्होंने बचा लिये हैं। आखिरकार राजस्थान सरकार का इतना खर्च करके इन साहब के संरक्षण में जंगल देने पर इसमें कितनी सफलता मिली है ?

एक रीति-नीति जिसके बारे में मैं जब कभी बोला हूं मैंने यही निवेदन किया है कि हमारे यहां एक बड़ा नामाकूल तरीका है कि छोटे कर्मचारियों में, जिन पर अधिक से अधिक जिम्मेदारी है, उनमें इस जिम्मेदारी की भावना को पैदा नहीं करते। उनमें यह चीज पैदा नहीं होने देना चाहते कि वे यह समझें कि अगर वे कर्तव्यहीनता की भावना बतावेंगे तो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश होगा।

[ श्री हरिदेव जोशी ]

हमने इन फॉरेस्टर्स और गार्ड्स को हटा कर प्रतिहिंसा की भावना उनके दिमागों में पैदा कर दी है और यही प्रतिहिंसा की भावना आज मूल कारण है इन जंगलों को नष्ट करवाने के लिये। वहां घनी आबादी है भीलों की। वे हमेशा से अपने उपयोग के लायक लकड़ी जंगल से लेने के हमेशा से अधिकारी रहे हैं। आज उनके इन मामूली से अधिकारों से महरूम करके उनके अन्दर भी प्रतिहिंसा की भावना सरकार ने पैदा कर दी है।

मैं नहीं जानता प्रतिहिंसा से प्रेरित कोई एक भील अगर जंगल में एक आग की छोटी सी चिनगारी रख दे तो यहां बैठे बैठे सी. सी. एफ. कैसे उसे संभाल लेंगे। मैं नहीं समझता कि आज के इन सी. सी. एफ. के इस नामाकूल इन्तजाम में ऐसी घटना को रोकने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री मानसिंह महार—On a Point of Order, Sir, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 'नामाकूल' शब्द पार्लियामेन्ट्री है ?

श्री हरिदेव जोशी (जारी)—हां, मैं समझता हूं पार्लियामेन्ट्री है।

श्री मानसिंह—मैं तो चेयर की रूलिंग चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (जारी)—मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से हमने जो एक प्रान्त से बाहर का एक बड़ा अफसर लाकर इस प्रदेश पर थोप दिया है, उससे मैं पूछता हूं, इस प्रान्त का क्या भला होने वाला है ? क्या परिणाम निकलने वाला है ? इनका उपयोग राजा-महाराजाओं के महलों में जाकर ठहरना, वहां दावतें खाना, उनकी मोटरों में घमना और उनको बेजा फायदा देना ही रह गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसे सी. सी. एफ. से राजस्थान का कोई भला होने वाला है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि फोरेस्ट हमारी बर्निंग प्रोब्लेम है, जिसको नहीं सम्भाला गया तो मैं समझता हूं प्रान्त का भविष्य नहीं संभाला जा सकेगा, प्रान्त के भविष्य को खतरे में डाला जावेगा।

दूसरी चीज जो दो दिन पहले फॉरेस्ट के बारे में खड़ी हुई थी उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा और वह यह है कि कुछ राजा-महाराजाओं को जो जंगल दिये गये उनके सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजा-महाराजाओं द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था कि उनको शिकार का शौक है, और वे आज तक रूलर्स रहे हैं, सम्पूर्ण अधिकारों का भोग करते रहे हैं और इसलिये उनको यह सुविधायें दी जानी चाहिये, ताकि उनको दूसरों के सामने मोहताज न होना पड़े। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उनको वहां शिकार करने के लिये, जंगलों से लकड़ी लाने के लिये और अपने पशुओं को चराने के अधिकार दे दिये। उन अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख इन्डियन स्टेट्स पर जो व्हाइट पेपर जारी हुआ था उसकी धारा १५८, १५९ में स्पष्ट कर दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि राजा-महाराजाओं को जनरल्ली फॉरेस्ट दिये नहीं गये हैं बल्कि उनको केवल जलाने की लकडी लाने के और अपने पशुओं को उन जंगलों में चराने के अधिकार दिये गये हैं।

[श्री हरिदेव जोशी]

राजस्थान सरकार ने इसका एक्सप्लेनेटरी नोट बनाया है और जो सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है स्पेश्यली डूंगरपुर और बांसवाडा में लगे हुए जंगलों के बारे में इस तरह की मांग की गई थी और इसका स्पष्टीकरण चाहा गया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे उस दिन आ हुआ जब सम्बन्धित मन्त्री महोदय से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उसे व्हाइट वाश चाहा और वह इस सम्बन्ध में साफ तौर से बताना नहीं चाहते थे। अफसोस के साथ मुझे इस बा कहना पड़ रहा है कि इस विषय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी विचार किया गय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उदयपुर अधिवेशन में एक रिजोल्युशन पास किया गया और उसमें निवेदन किया गया कि राजस्थान सरकार, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महसूस करती है कि राजाओं को यह अधिकार देकर अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। में नहीं जानता इसके बारे में क्या हुआ, क्या नहीं। मैंने इस विषय में श्री पालीवालजी को, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे एक पत्र भी लिखा था उसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि वे हस्तक्षेप करके डूंगरपुर और बांसवाडा रूलर्स जो बेतहाशा ढंग से जंगलों से लकड़ी कटवाकर बम्बई में बेच रहे हैं कोयले का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें एक प्रकार से प्रतिहिंसा की भावना काम कर रही है, उस चीज को रोका जाना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि में इस पर विचार करूंगा। में उनसे निवेदन करूंगा कि क्या वे उस दिन विचार करेंगे जिस दिन डूंगरपुर और बांसवाडा सरदार शहर की तरह रेगिस्तान प्रदेश हो जायगा या जिस दिन हमारे फोरेस्ट खत्म हो जायेंगे और वहां के लोग बालू के टीलों से तपते नजर आयेंगे। यह जो फोरेस्ट के बारे में सरकार की ढिलमिल नीति है वह लोगों के दिलों में बेतहाशा रोष पैदा करती है, ऐसी हालत पैदा कर दी है कि में निवेदन नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति है उसके बारे में म यह भी निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मन्त्री यह समझते ह कि उनका वर्किंग प्लान सिस्टम जिसके द्वारा राजा महाराजा लोग जंगल नष्ट कर रहे हैं सही है तो वे चाहे जिन पांच या सात इस हाउस के सदस्यों की एक कमेटी बनादें जो इस बात की जांच करेगी कि राजस्थान के अन्दर जो फोरेस्ट पोलिसी चल रही है वह सही है या गलत। इस बात की जांच करके वह अपनी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें।

**श्री गंगासिंह**—चेयरमेन साहिब, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the Demand for Grant IV be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to run this department efficiently).

चेयरमेन साहिब, यह तो मैं मान कर चलता हूं कि हमारे इस प्रान्त के अन्दर यह जो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट है वह बहुत ही इम्पोर्टेण्ट डिपार्टमेन्ट है। इसकी वृद्धि के लिये हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिये। यह भी सत्य है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट की वृद्धि के पीछे हमारी वर्षा का मापदण्ड भी निर्भर है, तरह तरह की काम आने वाली लकडी आदि भी इसी पर निर्भर है। परन्तु फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है उसके लिये बडी भारी शिकायत है हमारे वन विभाग ने यह निश्चय किया है कि सभी जगह वन महोत्सव मनाया जाय और उसके इस निश्चय के अनुसार

[श्री गंगासिंह]

मनाये भी जा रहे हैं, लेकिन जो उद्देश्य वन महोत्सव मनाने का है वह पूरा नहीं हो रहा है। हमारा उद्देश्य पूर्णतया कार्य रूप में परिणित नहीं हो रहा है। वन-महोत्सव के दिन राजस्थान के हरेक कोने कोने में वृक्ष लगाने की योजना बनाई जाती है। नये पेड़ इस शुभ दिन पर लगाये भी जाते हैं किन्तु पेड़ के लगाने के बाद में उन पेड़ों का खयाल तक नहीं रखा जाता। डिस्ट्रिक्टों के अन्दर, तहसीलों के अन्दर पेड़ लगाये जाते हैं वे उचित देख-रेख के अभाव में नष्ट हो जाते हैं इसलिये यह डिपार्टमेन्ट यदि कुछ कर भी रहा है तो भी वह नजर नहीं आता। इसके अलावा श्रीमान्, मैं इस कटौती प्रस्ताव के सिलसिले में जो बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही है न कह कर सदन के समय की बचत करते हुए एक दो उदाहरण देकर अपना भाषण खत्म करूंगा। उन उदाहरणों से आपको जानकारी प्राप्त हो जायगी। जयपुर का ही उदाहरण लीजिये हमारे पुराने जयपुर के वक्त फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से मिर्जा इस्माइल द्वारा सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगवाये गये थे और उस समय उन वृक्षों का ठीक तरह से पालन-पोषण किया जाता था और वे वृक्ष बेनीपार्क कॉलोनी में सड़कों के दोनों तरफ भी लगाये गये थे। अब उन वृक्षों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन वृक्षों को जानवर खाते रहते हैं, बकरियां चरती रहती हैं। वहां पर डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर का भी मकान है। उसके कोई १०० गज की दूरी पर ही वृक्ष तहस नहस हो रहे हैं। जब हमारे इस विभाग के अफसरों का ध्यान तक भी इस ओर नहीं जाता है तो दूसरों की तो बात ही क्या।

दूसरी मिसाल जो मैं देना चाहता हू वह है जयपुर से अजमेर जाने वाली सड़क की। निस्सन्देह जयपुर राज्य को इन वृक्षों को लगाने के लिये बहुत सा रुपया व्यय करना पड़ा और इसके लिये एक अंग्रेज इंजीनियर को भी रखा गया। उस इंजीनियर ने बड़े परिश्रम के साथ इन वृक्षों का पालन पोषण किया। वह खुद इस सड़क पर जाता था और यदि किसी व्यक्ति को पेड़ काटते हुए देखता तो उसको जयपुर लाता और कानून के मुआफिक सजा दिलवाता। इस सड़क की ओर अब कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि अकाल पड़ा उस वक्त अकाल पीड़ितों को जानवरों को खिलाने के लिये इन वृक्षों को काटने तक की इजाजत दे दी गई थी। उस समय इलेक्शन का समय था, शायद इस आदेश से कांग्रेस ने कुछ वोट हासिल कर लिये हों। लेकिन इस आदेश के माफिक बड़े बड़े वृक्ष काट लिये गये व पेड़ तहस-नहस हो गये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—मेरे माननीय मित्र श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह बिल्कुल ठीक रखा है क्योंकि जो आज ४० लाख की इनकम फोरेस्ट की बताई गई है वही इन्कम, यदि फोरेस्ट का समुचित इन्तजाम व देख रेख किया जाय तो करीब करीब १ करोड़ रुपये की हो सकती है। परन्तु आज जो २५ लाख का जो खर्च फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का बताया गया है वह २५ लाख रुपया खर्च नहीं होना चाहिये। मेरे मित्र ने बताया कि जो २५-२५ व ३०-३० रुपये के नौकर थे उन्हें हटाकर उनकी जगह कन्जर्वेटर व डाइरेक्टर ऑफ फोरेस्ट के ऊपर आज ३५ हजार रुपये सालाना खर्च किया जाता है। उसके बनिस्पत छोटे आदमी रखकर २० हजार रुपया सालाना भी खर्च किया जाय तो करीब ५ लाख रुपये की इनकम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से और ज्यादा हो जाय।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

दूसरी बात यह है कि आज सारे हिन्दुस्तान में वन महोत्सव आदि की आवाज उठाई जाती है और उसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट व राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है, कुछ सप्ताह मनाये जाते हैं और लाखों रुपया खर्च किया जाता है। परन्तु वे समारोह केवल दिखावटी होते हैं ताकि मिनिस्टरों के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हों। आज जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको सरकार कटवाने की इजाजत दे देती है। माननीय सम्बन्धित मिनिस्टर साहब को यह भी मालूम नहीं होता है कि फॉरेस्ट कटवाने की इजाजत किस मिनिस्टर साहब ने कैसे व क्योंकर दी और उनको मालूम कराने पर यह बताया जाता है कि मुझको तो इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। जंगलों के अन्दर १५ हजार या १० हजार या ५ हजार पेड़ों की तादाद होती है, और जितना चाही का लगान नहीं आता है उससे ज्यादा लगान व आय उस फॉरेस्ट के घास को कटवाने से सरकार को प्राप्त होती है। किन्तु फिर भी वे जंगल खेती के लिये एलॉट कर दिये जाते हैं। यह माननीय मन्त्री महोदय भी जानते हैं। मैंने खुद ने उनको मुहाना बीड के बारे में बतलाया था कि मुहाना बीड के अन्दर करीब करीब १५ हजार पेड़ थे, और दूसरे खातीपुरा बीड, तकिया बीड जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हैं, और दूसरे बीड जो कोटा डिवीजन में हैं उनको जाकर मैंने देखा कि उन बीडों का भी कटवाकर आज राजस्थान गवर्नमेन्ट, खेती करने के लिये जमीनों को एलाट कर रही है। राजस्थान गवर्नमेन्ट को उस जंगल से जितनी चाही से लगान नहीं आता है उतना उन जंगलों से पूर्व हालत में रहने से ज्यादा आय होती थी और उनसे कितने इन्सानों का पेट भरता है और कितने जानवरों का पेट भरता है, यह नहीं सोचते हुए उन जंगलों को कटाया जाता है। उस जमीन को चाही कर खेती करने के लिये दी जाती है और यह जमीन जो कि आज बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, बिल्कुल रद्दी पड़ी हुई है, जिसमें टीले हैं उस जमीन को साफ करके क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहां उदाहरण के बतौर में यह बता दूं कि जिस मुहाना बीड में १५ हजार पेड़ थे उस बीड की इनकम साढे दस रुपये फी बीघा के हिसाब से घास की आती थी, लेकिन उस बीड को काटने के लिये आर्डर कर दिया गया और इसका एलॉटमेन्ट कर दिया गया। जब एक छोटे अफसर के पास में वह बीड काटने का आर्डर जाता है तो पेडों की कीमत सिर्फ २ या ३ रुपया लगाते हैं जब कि एक पेड की कीमत ५० या २५ रुपये फी पेड के हिसाब से होती है। आज उन पेड़ों से काफी रुपया कमा लेने के लिये उनको बेच कर उस जंगल की जमीन को ही अलॉट कराते हैं, जब कि दूसरी काफी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, किन्तु उनको अलॉट नहीं किया जाता है। आज जो मोहाना, खातीपुरा, तकिया व पाटन बीड का एलॉटमेन्ट किया गया है, उनसे बहुत ज्यादा आय होती थी, घास की कितनी इनकम थी, उससे कितने आदमियों का पेट भरता था, कितने जानवरों का पेट भरता था, यह नहीं देखा जाता है; देखा केवल यह जाता है कि जमीन येन केन प्रकारेण अपने व अपने सम्बन्धियों को एलॉट कर दी जाय ताकि फायदा उठाया जा सके। तकिया बीड जिसका कि एक महीने पहले एलाटमेन्ट किया गया था वहां जमीन के लिये उन वृक्षों को २ रुपये फी वृक्ष के हिसाब से काटने का हुक्म दिया गया।

कुछ एम. एल. ए. साहब के क्वेश्चन पूछने पर जो बताया गया वह पूरा नहीं बताया गया। उसमें ४८।।। एकड़ लिखा है, परन्तु वह २४८।।। एकड़ है। जो लिस्ट टेबिल पर रखी गई है उसमें ४८।।।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

एकड बताया गया है परन्तु वह जिस आदमी के नाम एलाट की गई है वह २४८।।। एकड़ है। इस तरह के एलॉटमेन्ट करके उन वृक्षों की कीमतों को मामूली तौर पर लिखा जाता है। इस तरह से जयपुर डिवीजन में फोरेस्ट को बरबाद किया जाता है। माननीय अध्यक्ष, वे कहते हैं कि हम वृक्ष लगाते हैं, पर मैं यह निवेदन करता हूं कि वृक्ष लगाये नहीं जाते हैं किन्तु काटे जाते हैं।

कर्नल श्री दिलीपसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं तकरीर तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो बेचारे राजा-महाराजाओं ने अपना सवर्स्व दे दिया है उनके ऊपर जो मड स्लिगिंग हो रहा है, उस पर जरूर अर्ज करूंगा। दौराने तकरीर मेरे मित्रों ने फरमाया है कि बांकी और नाहरमगरा के जंगलों को काटकर वहां खेती की जा रही है। मैं उदयपुर का रहने वाला हूं और उदयपुर से और भी कई माननीय सदस्य हैं, स्वयं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब उदयपुर के हैं। उनको शायद यह मालूम होगा कि बांकी की जो जगह है वह आपके नाहरगढ जैसी पहाड़ी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि महाराणा साहब उसको कटवाकर उस पर खेती कैसे कर सकते हैं? बांकी के फॉरेस्ट के साथ गवर्नमेन्ट का फॉरेस्ट लगता है। मेरे साथ एक ऐसा कमीशन भेजा जाय और उसको देखा जाय तो मालूम होगा कि बांकी का फॉरेस्ट थाउजेन्ड टाइम्स बेटर हैं, गवर्नमेन्ट फॉरेस्ट से। महाराणा साहब क्या करते हैं? सिवाय शिकार करने और जलाने की लकडी लेने के और क्या करते हैं? कोयले बनाने वगैरह का ठेका दिया या नहीं इस बारे में तहकीक मालूम किये बगैर किसी को झूठा बदनाम करने से क्या मतलब हल होता है, वह बेचारे सब कुछ दे चुके हैं।

एक सदस्य--दे चुके हैं या लिया गया है?

कर्नल श्री दिलीपसिंह--नाहरमगरा की झाड़ी के ऊपर इतना बडा फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन वह फॉरेस्ट भी थाउजेन्ड टाइम्स बेटर फॉरेस्ट है, गवर्नमेन्ट के फॉरेस्ट से। और उसके पास जो मैदान महाराणा साहब के जंगल से लेफ्ट साइड का है वहां ४ कांग्रेस वर्कर्स को उस फॉरेस्ट के अन्दर जमीनें दी गई हैं और वह फोरेस्ट काटा जा रहा है, और खेती कर रहे हैं।

इसी तरह डूंगरपुर के लिए जो कहा गया है उसके बारे में भी मैं अर्ज करूंगा चूंकि, डूंगरपुर भी मैं आता जाता रहता हूं। डूंगरपुर के महारावल साहब के लिए कहा गया है कि वे जंगल कटवा रहे हैं। जंगल कटवाया भी गया है तो फोरेस्ट के कायदे से काटा जा रहा है। दूसरे गवर्नमेन्ट के फोरेस्ट, जंगल, हैं उनसे उसका कम्पेरिजन कर लिया जाय तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेन्ट के फॉरेस्ट्स को डेस्ट्रॉय किया जा रहा है। राजा महाराजा जो सब कुछ दे चुके हैं वह डेस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा बांसवाडा के जो जंगल थे वे प्रथम श्रेणी के जंगल थे। वहां पर ४८ से पहले जो जंगलों की हालत थी वह हालत अब नहीं है। जोशी साहब ने फरमाया था कि आमदनी बढाने के लिए, बजट को बढाने के लिए जंगलों को इन्डिस्क्रिमिनेटली दिया जा रहा है। पहले जब रियासतें थी उस वक्त क्या हालत थी और अब क्या हालत है? फिर ऐसी हालत में इस तरह से मड स्लिंगिग (mud slinging) क्यों किया जाता है?

श्री सोहनलाल भटनागर—Sir, my cut-motion lies as:—

"That the Demand for Grant No. IV be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to release the 'manivor forest' for rehabilitation of 'Adivasis')".

मेरे कट मोशन का आशय यह नहीं है कि राजस्थान सरकार ऐसी नीति का प्रतिपादन करे जिससे कि जहां फारेस्ट हैं उनको पूर्णतया काट दिया जाय और वहां पर रेगिस्तान बना दिया जाय, परन्तु अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में इस सदन में निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर और खास तौर से उदयपुर जिले के अन्दर हजारों और लाखों की संख्या में भूमिहीन किसान हैं, और इस राज्य और भारत सरकार की यह नीति है और आज हमारे देश के अन्दर भी एक आन्दोलन चल रहा है कि भूमिहीन किसानों को बसाया जाय, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भूमिहीन किसानों का बसाने, और साथ ही जंगलों को बढाने; इन दोनों नीतियों का समन्वय करना पड़ेगा। जब एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है तो मेरे इस कट मोशन को रखने का आशय यही है कि मेरे उदयपुर जिले के अन्दर और खास तौर से जिस क्षेत्र से सराडा क्षेत्र से, मैं आया हूं, वहां पर हजारों, लाखों, भूमिहीन मीणे, भील आदिवासी हैं, उनकी विशेष परिस्थितियां हैं। वह पहाड़ों पर रहते हैं। किन्हीं के पास जमीन नहीं है, किन्हीं के पास है तो आधा बीघा एक और डेढ़ बीघा जमीनें हैं। उनके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं है। वह आधे नंगे और आधे भूखे रहते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं। आपको विदित होगा कि इन्हें फेमीन रिलीफ से जिस प्रकार की सहायता दी जाती है उससे उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। उनकी समस्या तब ही सुलझेगी जब कि उन्हें पहाड़ों पर से लाकर मैदान में बसाया जायगा, ऐसी जगह बसाया जायगा जहां सिंचाई के साधन हों। इसलिए जयसमन्द झील के पास जो जंगल हैं, उस जंगल में भूतपूर्व राजस्थान सरकार की ओर से २००-३०० आदिवासी परिवारों को जो पहाड़ों पर रहते थे बसाया गया था और उनकी हालत पहले से बहुत कुछ सुधरी है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस प्रकार इन आदिवासियों को बसाया गया है उसी प्रकार जो महाराज प्रमुख के पास जंगल है उसमें, मैं मानता हूं कि कम से कम हजार डेढ़ हजार परिवार बसाये जा सकते हैं। इसके लिये पहले एक कमेटी भी बनी थी और उसके लिये स्पेशल ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि उसको एक वर्ष बाद कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। इसका क्या कारण है यह हम नहीं जानते।

मुझे यह मालूम हुआ है कि उदयपुर महाराणा ने इस जंगल के सम्बन्ध में यह समस्या रखी है कि इस जंगल पर मेरा अधिकार है और आदिवासी नहीं बसाये जा सकते हैं। मुझे प्रश्नों के उत्तर में यह मालूम हुआ कि यह जंगल उनका व्यक्तिगत नहीं है। उनको इस जंगल से लकड़ी तक काटने का अधिकार नहीं है। महाराणा को इस जंगल में केवल शिकार खेलने का अधिकार दिया गया है। मैं उधर का रहने वाला हूं और देख रहा हूं कि वर्ष या दो वर्ष में एक चीते की शिकार होती है। एक तरफ तो एक वर्ष या दो वर्षों में एक या दो चीतों का शिकार का प्रश्न है और दूसरी तरफ हजारों आदिवासियों को बसाने की समस्या है। एक तरफ एक व्यक्ति के शिकार और मनोरंजन का प्रश्न है तो दूसरी तरफ आदिवासियों के जीवन का। मैं यह कहूंगा कि अब वे आदिवासी नहीं है और एक दो साल के बाद

[श्री सोहनलाल भटनागर]

न वे पहले के समान रहेंगे जो शिकार पकड़ कर लावेंगे और उन्हें शिकार खिलावेंगे। आज वे आदिवासी बदल गये हैं। मुझे इतना कहना है कि राजस्थान इस ओर जागृत है और सदन धीरे धीरे चल रहा है आदिवासियों की समस्या पर।

श्री गोपीलाल यादव—On a point of order, Sir, माननीय सदस्य को फारेस्ट के डिफेक्ट्स पर ही बोलना चाहिये और उन्हीं को बताना चाहिये, लेकिन आप बता रहे हैं इरिगेशन के बारे में। आपको फारेस्ट पर ही बोलना है इरिगेशन पर नहीं बोलें।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं यह निवेदन करूंगा कि जंगल को रिलीज करना भी इसी विभाग का काम है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि एक नीति ऐसी चल रही है कि हजारों की संख्या में उस जंगल से लकड़ी काटी जाकर हटाई जा रही है जब कि महाराणा साहब को उस जंगल से लकड़ी तक लेने का अधिकार नहीं है। महाराणा साहब का अधिकार नहीं होते हुए भी हम देखते हैं कि रोज हजारों गट्ठे उस जंगल से जाते हुए दिखाई देते हैं। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और इस सम्बन्ध में प्रश्न भी रखा था। महाराणा को शिकार खेलने का अधिकार है, न कि वे उन जंगलों को नष्ट करें, जो किये जा रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कट मोशन पर ध्यान देकर कम से कम आदिवासियों की मांग को स्वीकार करें।

श्री गोपीलाल यादव—मिस्टर चेअरमेन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर क्लोज़र मूव कर दिया जाय, खास तौर से इस कारण से कि हमारे सामने ४२ डिमान्ड्स हैं और अध्यक्ष महोदय ने दोनों तरफ के नेताओं से मिल कर इन ४२ डिमाण्ड्स के लिये १५ घन्टों का समय तय किया था। इन ४२ डिमाण्ड्स के लिये कम से कम ८४ घंटे होने चाहिये। इसके लिये या तो पहले तय कर लिया जाय। यदि यह तय नहीं होता है और सदस्य इसी रफ्तार से बोलें, जिस रफ्तार से बोल रहे हैं तो इन १५ घन्टों के समय में ४-५ डिमाण्ड ही ली जा सकेंगी और रेवेन्यू जैसे इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट के लिये, जिस पर कि बोलना बहुत जरूरी है और जिसके लिये बजट के जनरल डिस्कशन के समय कुछ नहीं कहा गया है, कोई समय बाकी नहीं रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस चीज को जरूर तय कर दिया जाय और जिस रफ्तार से बोल रहे हैं यह काम ८४ घन्टों में भी समाप्त होने वाला नहीं। अतः इस पर विचार किया जाय और फिर कार्य किया जाए।

श्री जसवन्तसिंह—Can I say something ?

मैं मेरे मित्र श्री गोपीलाल यादव ने अभी जो बात कही है उससे इत्तफाक करता हूं। अगर इस सदन के सदस्यों का यह विचार हो कि सबक. डिमान्ड्स पर अच्छी तरह बोलने का मौका मिले और सदन के माननीय नेता को कोई एतराज नहीं हो तो मैं विरोधी दल की तरफ से यह कहूंगा कि रूल्स के अनुसार डिमान्ड्स पर बोलने के लिये १५ दिन तक का समय रखा जा सकता है और एक एक डिमान्ड

[श्री जसवन्तसिंह]

पर बोलने के लिये दो-दो दिन रखे जा सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि बजट ३१ तारीख को ही पास हो या १ अप्रेल को ही पास हो। यदि यह बजट ३१ तारीख को ही या १ अप्रेल को ही पास होना जरूरी है तो हमें डिबेट्स को कन्ट्रोल करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने थोड़े समय में डिमान्ड के through अच्छी तरह से जा नहीं सकते। अतः आप सदन के माननीय सदस्यों के विचार मालूम कर लें कि वे क्या चाहते हैं, अगर वे यह चाहते हैं कि इस पर १५ दिन तक बहस हो तो रूल्स के अनुसार की जा सकती है, ३१ तारीख की पाबन्दी नहीं है कि बजट ३१ तारीख को पास हो ही। यदि आप सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बजट को, विलायत में पार्लियामेन्ट में जहां पर बजट पर विचार होता है उसकी प्रणाली की ओर देखें तो आपको मालूम होगा कि मुकर्ररा तारीख जैसे ३१ मार्च होती है और बजट पास नहीं हो सकता, है तो वोट ऑफ एकाउन्ट के बाद एक महीने, १५ अप्रेल या ३० अप्रेल या मई में भी पास किया जा सकता है। अगर यही सदस्यों का विचार हो कि यह ( demands ) जरूरी है और उनको बहुत कुछ कहना है तो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रियों को जो अपने अपने महकमों में कार्य कर रहे हैं उनको भी सुनने के बाद काफी मसाला मिल जावेगा। मैं चेयर से प्रार्थना करता हूं और माननीय अध्यक्ष से भी जो हमारी स्पीचेज को अपने कमरे में सुनते हैं प्रार्थना करता हूं कि वे आकर इसका निर्णय करें। या तो स्पीचेज को कण्ट्रोल करना चाहिये, अगर ३१ मार्च को ही बजट पास कराना है और नहीं तो रूल्स के अनुसार १५ दिन तक डिमान्ड्स पर बहस हो सकती है और एक एक डिमान्ड पर दो-दो दिन लिये जा सकते हैं। इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है ताकि उसके माफिक काम किया जाए।

**श्री जयनारायण व्यास**--माननीय चेयरमेन साहब, यह जो वोट ओन एकाउन्ट की बात कही गई है वह भी एक बहुत लम्बा प्रोसेस हो जाता है। इन डिमाण्ड्स को ३१ तारीख से पहले खत्म कर दिया जाय, अगर रात में बैठना हो तो उसमें भी आपत्ति नहीं है, मिड नाइट सेशन के लिये भी हमारी तैयारी है। पहले जैसी की मन्जूरी, विरोधी पक्ष के नेता ने दी थी उसी के माफिक ३१ तारीख के पहले खत्म करना है।

हां, एक तरीका और हो सकता है कि जो सिलसिला रखा है उसको थोड़ा बहुत ऊंचा-नीचा किया जा सकता है। जैसे कि फॉरेस्ट के बाद रेवेन्यू को ले लिया जाय, इसके बाद और किसी जरूरी डिमाण्ड को ले लिया जाय। हम इसके लिये तैयार हैं। वोट ओन एकाउन्ट में बड़ी दिक्कत हो जायगी। मैं माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि हरेक विषय पर बोलने की नीति को छोड़ दें और चेयर को और हमको सहयोग देने की कोशिश करें।

**श्री दिलीपसिंह**--मैं अपील करूंगा कि इस विषय का ग्रामीण जनता और राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा जनता से सम्बन्ध है और यह विषय आम लोगों के फ़ायदे से ताल्लुक रखता है, इस लिये इस पर ज्यादा से ज्यादा बोलने का समय दिया जावे और यदि मुख्य मन्त्रीजी हाउस में बोलने का समय नहीं देना चाहते हैं तो इसके सम्बन्ध की शिकायतें सुनने के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर दें। उस कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास पेश हो जाय और वे सदन के सम्मुख उपस्थित कर दें।

# Page No.39



श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)—सदन के नेता और दूसरे पक्ष के नेता की राय से ही यह तय किया गया था कि इन डिमाण्ड्स को ३१ तारीख तक पास कर लिया जावे, पर बहुत से सदस्य यह चाहते हैं कि पूरे पूरे विचार हर डिमाण्ड पर रखें। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी थोड़ी देर तक बोल कर समय बचाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपस में एक दूसरे के सहयोग से समय बचा लेंगे।

श्री दिलीपसिंह—मैंने मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना की थी, उसका जवाब मुझे नहीं मिला।

श्री जयनारायण व्यास—बजट सेशन का काम कमेटी नहीं करती। ऐसा प्रोविजन प्रोसीजर में नहीं है, इसलिये अफसोस है कि ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री रोशनलाल—मेरे पहले इस सदन के सदस्य श्री सोहनलालजी ने जंगलों के बाबत बातें रखीं। बांकी का जंगल है वह बहुत महत्वपूर्ण जंगल है। उसके आस पास में कारा आदिवासी क्षेत्र है। जिन आदिवासी क्षेत्रों के लिये मेरे साथी ने सदन के सामने सारी स्थिति रखी, मैं भी उस बारे में कुछ निवेदन सदन के सामने करना चाहता हूं। बांकी का जो जंगल है उसमें भूतपूर्व राजस्थान के समय में जंगल काट कर ५०० आदिवासी परिवारों को बसाया गया। इसका असर यह पड़ा कि उसके आस पास के बड़े गांव हैं उन गांवों में मीणों को,भीलों को चौकियों का रुपया देना पड़ता था। वहां के लोगों के पास जमीनें नहीं हैं व उनके गुजर बसर करने के और साधन नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को पुराने काम जैसे चोरी करना आदि के लिये मजबूर होना पड़ता है।

श्री शंभुसिंह—बांकी का जंगल किस जगह है ?

श्री रोशनलाल—माननीय सदस्य जल्दी न करें मैं अभी बता दूंगा। मैं बांकी के जंगल के पास ही रहता हूं, आप तो उससे दूर रहते हैं।

वहां के आदिवासी क्षेत्रों की अलग स्थिति है। आदिवासी क्षेत्र मेवाड़ में बड़ा क्षेत्र है। पर सराड़ा में जो आदिवासी रहते हैं उनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीनें देने के लिये ही हमने राजस्थान सरकार से निवेदन किया है कि बहुत जंगल हैं और जब कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में समतल भूमि पर जंगल लगाये जा सकते हैं तो उदयपुर में तो काफी पहाड़ हैं, वहां जंगल लगायें तो हमें कोई एतराज नहीं है बल्कि सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं।

मैं, माननीय चेयरमेन, सदन की जानकारी के लिये यह बातें यहां कह देना आवश्यक समझता हूं कि जंगलों में रहने वाले लोग बालारा नाम के पहाड़ पर वृक्ष काट कर खेती करते थे तो हमने महसूस किया कि जंगल बर्बाद हो रहे हैं तो हमने जंगलवासियों को समझाया और आज यह बात कह सकते हैं कि इस वर्ष वहां के भीलों ने एक भी वृक्ष बगैर काम के नहीं काटा है।

किन्तु हम खुद भी चाहते हैं कि वन विभाग उन्नति करे, पर जो दूसरे लोग भूखों मरते हैं किन्तु अन्य कोई साधन नहीं होने की हालत में चोरी करने के आदि हो गये हैं उनकी समतल जमीनों पर बसायें। जिस जंगल से कोई फायदा नहीं है उसको सरकार कटवा कर समतल जमीनों में कृषि करने

[श्री रोशनलाल]

के लिये आदि वासियों को जमीनें दे दें तो क्या हर्ज होगा । आज वह जंगल राजा महाराजाओं के शिकार के सिवाय कुछ काम में नहीं आते हैं और न उनसे विशेष राजस्थान सरकार को कोई आमदनी ही होती है ।

श्री हिम्मतसिंह जी ने कहा कि महाराणा उदयपुर पर चंदनमलजी ने चार्ज लगाया है कि नारा मगरा में खेती की गई है, केसर बाग में महाराणा उदयपुर ने जंगलों को काट कर खेती की है । बांकी में भगवतसिंह जी ने मकान बनाया है और भूतपूर्व राजस्थान सरकार के फारेस्ट विभाग की ओर से २० हजार रुपये खर्च करके जो जंगल लगाया था, उस जंगल को काट कर खेती की है । बांकी और नारामगरा पहाड़ हैं उनके पास जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा है । (घंटी)

माननीय चेयरमैन साहब, मैं सदन की सूचना के लिये यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा जो चीफ कंजर्वेटर हैं उनके आने के बाद राजस्थान सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है । उन पर जो पैसे खर्च किये जा रहे हैं, जिस तरह उनकी ऊंची तनख्वाह, टी. ए. बिल वगैरह हैं उनके बारे में सदन में प्रश्न पूछा गया था परन्तु उस प्रश्न का उत्तर गोलमाल में सदन में मिला । जब कोटा से उदयपुर आने के लिये ट्रेन है तो भी कंजर्वेटर साहब कोटा से उदयपुर आये हैं तो मोटरों से आये हैं । पता नहीं उन्हें बार बार कौनसे जंगल देखने पड़े हैं । उन्होंने और दूसरी जगह तो कहीं जंगल नहीं देखे, उनका प्रधान कार्य शिकार करना रहा है । हमारे यहां भी आये थे तो महाराणा साहब के मेहमान रह कर मौज-शौक से शिकार की, जनता के लाभ का कोई काम नहीं किया ।

(श्री कंवरलाल जेलिया बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)**--श्री मोहम्मद इब्राहीम बोलें ।

मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक सदस्य का नाम बोलने के लिये पुकारा जाय तो दूसरे सदस्यों को बैठ जाना चाहिये ।

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—जनाब चेयरमेन साहब, मैं मुतल्लिक महक्मे की ग्रान्ट पर कट मोशन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । जंगलात का महकमा बहुत अच्छा महक्मा है । अगर इसकी ओर पूरा ध्यान दिया जाय तो इसकी तरक्की हो सकती है । लेकिन इस महक्मे के जो आला अफसर हैं वे इस पर पूरा ध्यान नहीं देते । हमारे मिनिस्टर साहब तो इस तरफ काफी ध्यान रखते हैं लेकिन सरकार की मशीनरी कुछ इस तरह से चलती है कि वह हर चीज में रोड़े अटकाती है और हर चीज को असली रूप में लाने नहीं देती । हमारे यहां जंगल तो अधिक नहीं बढ़ पाया पर जंगली जानवर इस कदर बढ़ गये हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता । अलवर के इलाके में जो जंगल हैं उनमें जंगली जानवर पहले से ही काफी थे पर अब तो इस कदर बढ़ गये हैं कि राजगढ़ के आसपास जो जंगल है उसमें के जानवर कभी किसी आदमी को उठा ले जाते हैं तो कभी गाय, भैंस या भेड़-बकरी को उठा ले जाते हैं । जब जंगलात के अफसरों को कहा जाता है कि ऐसे भयंकर जानवरों को मारने दो तो कहते हैं कि वह तो शिकार का एरिया है, इसमें हरेक को जानवरों को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती । अगर शिकार के लिये रखे जाने वाले जानवर किसी को नुकसान पहुंचाने लग जांय तो क्या उनको नहीं मारना चाहिये?

Page No.41



[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

शिकार के लिये रखे जाने वाले जानवर किसी आदमी का ही शिकार कर दें तो ऐसी सूरत में उनको मारने की इजाजत देनी चाहिये। इन जंगली जानवरों की बनिस्पत आदमियों की जान ज्यादा कीमती है। जब इन जंगली जानवरों को मारने की कोशिश की जाती है तो शिकायत की जाती है कि हमारे जंगलों को खराब करते हैं। इन जंगली जानवरों का मारने की इजाजत देनी चाहिये और फिर इन जंगलों में अच्छे अच्छे पेड़ लगाने चाहिये, जैसे शहतूत के पेड लगाये जावें या और और तरह के पेड लगाये जा सकते हैं, रेशम के कीडे पाले जा सकते हैं जिनसे रेशम पैदा हो सकता है। जंगलों की राजस्थान में बहुत कुछ कीमत है। यदि महकमे वाले अच्छी तरह से ध्यान दें तो जंगल से राजस्थान में बहुत कुछ पैदा हो सकता है। दूसरे सूबों में तो जंगली जानवरों को मारने के लिये लोगों को बंदूकों के लाईन्सेस दिये जाते हैं। हमारे यहां भी ऐसा कानून है, पर उस पर अमल नहीं किया जाता। अमल करना ही सबसे बड़ी चीज है। जंगलात के अफसर लोग भी शिकार कर सकते हैं और करते भी हैं तो दूसरों को भी इजाजत देनी चाहिये। जो ऐसे जंगली जानवर हैं, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये। जब हमारे यहां पब्लिक की हुकूमत है तो पब्लिक के मुफीद चीज होनी ही चाहिये। जंगलात के महकमे के लिये बहुत बड़ी रकम रख दी गई है, इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि महकमे के अफसर इसकी तरफ पूरा पूरा ध्यान देकर काम करें।

**श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—Mr. Chairman Sir, my cut motion is as under :—

"That the Demand for Grant No. IV be reduced by Rs. 100/- (to duscuss unsatisfactory administration, appointment of highly paid officers and uncalled for shitfing of Zoos from Jaipur, Bikaner and Kotah to Udaipur".

चेयरमेन महोदय, मैंने जो अपना कटौती प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करनी हैं। उनमें से दो के उपर तो काफी प्रकाश डाला जा चुका है और अब कुछ और कहने से पूर्व मैं चाहूंगा कि जब सदन में किसी विषय पर बहस हो रही है तो उससे सम्बन्धित मन्त्री महोदय भी सदन में उपस्थित रहें ताकि उनको बहस का जवाब देने में सहूलियत हो। चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट को तुरन्त हटाने के लिये इस सदन में प्रार्थना की गई है। मैं समझता हूं कि जब कन्जर्वेटर साहब के बारे में यहां काफी कहा जा चुका है, तो यदि चीफ कन्जर्वेटर साहब में कुछ आत्म सम्मान है तो वे स्वयं ही राजस्थान से जल्द से जल्द हट जायेंगे। इसलिये उनके विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

अब जो दूसरा पोइन्ट है उसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। राजस्थान के अन्दर जयपुर में एक ऐसा जू ( Zoo ) है जिसको देखने के लिये केवल जयपुर के या राजस्थान के ही नहीं; बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं। इस जू की जो जो विशेषतायें हैं उनको लेकर मैं कुछ कहूं तो मुमकिन है सदन का ज्यादा समय लेना पड़े। लेकिन कुछ मुख्य बातों को केन्द्रित करके सदन के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू सेक्रेट्री ने एक चिट्ठी चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट को लिखी है।

[श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)]

श्री चेयरमैन महोदय, अभी सदन के अन्दर चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के सम्बन्ध में काफी कहा गया और मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में उनसे सम्बन्धित बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन कन्जर्वेटर साहब ने जंगलात के बारे में सरकार को वक्तन फवक्तन कई अच्छी राय दी है और उसके ऊपर सरकार ने अमल किया है और सरकार उनके सुझाव पर अमल करती है, परन्तु जू के मामले में चीफ कन्जर्वेटर साहब की राय को किस प्रकार कद्र की गई उसका नमूना मैं आपको बताऊंगा। उस चिट्ठी का जो जवाब चीफ कन्जर्वेटर साहब ने दिया है, वह भी पढ़ कर सुनाता हूं। जिससे मालूम होगा कि इतनी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी की राय को ठुकराते हुए बिना किसी कारण के इस जू का हटाने का सरकार ने विचार कर लिया है। चीफ कन्जर्वेटर साहब ने जू को हटाने के बारे में इस प्रकार सरकार को लिखा था :—

"The Zoological gardens have been maintained in the higher units of Rajasthan for a very long time and even as a child I remember having heard of a Zoological garden at Jaipur. It would be a pity to abolish this amenity which was existed for such a long time. The abolition of Zoological gardens will have a very adverse effect on the public opinion with regard to the Government of Integrated Rajasthan. It is true, Rajasthan Government is passing through a very acute phase of financial stringency and the Zoological gardens are more or less a luxury. But after all man does not live by food alone, and personally I would be against abolition of any of the Zoological gardens excepting Kotah. However if it is decided that only one Central Zoological garden must be maintained I suggest that it must be at Jaipur and not at Udaipur. Jaipur is after all Capital of the State and most of the visitors come to Jaipur. Removal of the Zoological garden from Ram Niwas garden at Jaipur will create a void which will be most felt by the public who visit the garden in Jaipur in the evening in large number."

"इस पत्र को पढ़ने से मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को, चीफ कन्जर्वेटर की राय किस हद तक ठीक समझी जाती है, उसका सही अन्दाजा लग जायगा। अब कि जिन कारणों से यहां के जू को उदयपुर ले जाने का मन्त्रीजी ने विचार किया है उस पर गौर करें। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा इन पांच जगहों पर राजस्थान में जू हैं। इनमें सबसे ज्यादा जानवर जयपुर में हैं। जयपुर में ९९१, उदयपुर में ५८१, जोधपुर में ५४७, बीकानेर में १६३, और कोटा में १५० जानवर हैं। जयपुर और उदयपुर के जानवरों की संख्या में जो फर्क है वह ४१० का है। उदयपुर में जितने जानवर हैं उनको जयपुर लाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि सब तरह के जानवर यहां मौजूद हैं सिवाय एक तरह के बन्दर और तोते को, यानि जितने किस्म के बन्दर यहां हैं उनसे सिर्फ एक किस्म का बन्दर वहां अधिक है। और यदि जयपुर जू को उदयपुर ले जाया गया तो यहां से कई तरह के पक्षी, कई तरह के गीदड़, कई किस्म के चमगादड़ और कई तरह के उल्लू व कई जानवर उदयपुर ले जाने पड़ेंगे।

श्री चन्दनमल बैद—उदयपुर में उल्लू और गीदड़ कम हों शायद ?

# Page No.43



श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—कम नहीं हैं। मैं अब आर्थिक कारणों के बाबत भी आपको कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यदि यह जानवर उदयपुर से जयपुर में लाए जाते हैं तो करीब ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ पांच सौ रुपये के होंगे। अगर जयपुर से सारे जानवरों को उदयपुर ले जाया जाता है तो करीब २० हजार रुपया खर्च होगा। ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ के अलावा केजेज़ चार्ज भी होंगे। जयपुर के जू में जो केजेज बने हुए हैं वे काफी सेटिस्फेक्ट्री हैं और सर मिर्जा इस्माईल ने इनमें सीमेन्ट भी लगवा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ दिनों पहले उदयपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं वहां के जू को देखने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उदयपुर के ज के मकानात जयपुर के जू के मकानात के मुकाबले में ठीक नहीं है। यदि जू को जयपुर से उदयपुर ले जाया गया और उनके लिये केजेज़ बनाये गये तो इससे हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। बजट के आइटम के अनुसार अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अगर मैं माननीय सदस्य को कहूं कि इस पर पुनः विचार कर लिया जावेगा तो मेरे खयाल से उनको अब आगे इस विषय पर कष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मालूम होता है कि सरकार शहर के सदस्य उल्लुओं को जानती है।

श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)—बीच में छेड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैंने कहा था कि इस पर पुनः विचार कर लिया जावेगा, इससे बहस कम हो जायेगी।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी के इस आश्वासन पर कि वे इस विषय पर दुबारा विचार करेंगे मैं इस मामले पर, सदन में जिस पर विचार किया जाने को है, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। दूसरी चीज जो मुझे फॉरेस्ट के सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि किस प्रकार की आमदनी राजस्थान सरकार को हो सकती है और उस आमदनी के करने के लिये जो कार्यवाहियां की जानी चाहिये थीं वह नहीं की गई और जिसके कारण बजट पर भी काफी असर पड़ा है। जंगलात विभाग की ओर से घास लकड़ी वगैरह के ठेके नीलाम किये जाते हैं। इनमें से कुछ गवर्नमेन्ट ऐजेन्सी की मार्फत कार्य होता है। दोनों के आंकड़े बजट में दिये हुए हैं। अगर आप बजट के वोल्यूम १ के आंकड़ों के हिसाब को देखें तो मालूम होगा कि गवर्नमेन्ट एजेन्सी की मार्फत जो घास, टिम्बर आदि के ठेके दिये जाते हैं उनसे आमद २,१२,००० रुपये होती है और ठेकों के हिसाब से जो सरकार को आमद होती है वह १८ लाख ४९ हजार रुपये। अतः यह स्पष्ट रूप से, अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि गवर्नमेन्ट ऐजेन्सियों की तरफ से कोयले, घास, लकड़ी आदि के जो ठेके दिये जाते हैं उनमें अवश्य ही गड़बड़ियां होती हैं और यदि गड़बड़ियां नहीं होती हों तो उनकी भी आमद उसी प्रकार से हो सकती है जिस प्रकार से कि अन्य ठेकों से होती है।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

मुझे कहना तो और अधिक था परन्तु समयाभाव के कारण इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

# Page No.44



श्री चेयरमेन (डा० मंगलसिंह)—श्री चन्दनमल वैद अपने कट मोशन पर बोलें। कट मोशन नम्बर २४ ।

श्री चन्दनमल वैद—मैं तो अपने कट मोशन पर बोल चुका हूं ।

श्री दिलीपसिंह—अध्यक्ष महोदय, बजट की बहस के जरिये पिछले साल बहुत कुछ इस विभाग की बेजाब्तगियां और गैर कानूनी कार्यवाहियों को सदन के सामने रखा गया था और अपने विचार व्यक्त किये थे। इस बार भी काफी कहा गया है। इससे हाउस को मालूम होगया होगा कि इस जंगल के महकमे में जंगली कानून काम कर रहा है। अब मैं इस सम्बन्ध में उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बहुत बड़े मामले की तरफ इस हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि इस महकमे से ताल्लुक रखता है और बताता है कि इस महकमे में किन किन नावाजिब तरीकों से क्या क्या किया जा रहा है। वह मामला है, अगर इसे मामला न कह कर कांड कहा जाय तो ठीक होगा, श्री नन्दन भार्गव का। श्री नन्दन भार्गव इस महकमे के बहुत ऊंचे अफसर थे। वे फॉर्मर राजस्थान में चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे और इस राजस्थान में भी वे सीनियर ओफिसर चीफ कन्जरवेटर के बाद थे। उनको कुछ अफसरों को तरक्की देने के लिये पिछले डेढ़ साल से मोअत्तिल कर दिया गया और उनके खिलाफ जो इल्जामात लगाये गये उनकी जांच के लिये चीफ सेक्रेटरी ने और एडवाइजर ने यह नोट दिया था कि इनके केस में हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच करा ली जाय क्योंकि जो इल्जामात थे वे फिजूल थे और बात का बत्तंगड, राई का पहाड़ बनाया गया था। महकमे की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उस केस में हाई कोर्ट के जरिये या ज्युडिशियल तरीके पर जांच करावे। उस केस की जांच माननीय मन्त्री महोदय ने सेक्रेटरी के द्वारा कराई जो कि माननीय मन्त्री महोदय के हाथ के नीचे काम करने वाले थे। तो इस सिलसिले में अगर यह कहा जाय कि "वही कातिल, वही हाकिम और वही हुक्म"; तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उन्होंने ही उनके खिलाफ केस तैयार किया और उन्हीं से उस शख्स के खिलाफ जांच करवाई गई। तो इससे सदन को मालूम होगा कि किस तरह से पक्षपात से काम किया गया है। उनके (श्री नन्दन भार्गव) के खिलाफ ११-१२ इल्जामात लगाये गये थे, जिनमें से सेक्रेटरी साहब की जांच के अनुसार ७-८ को तो ड्रॉप कर दिया गया जिनमें कि इनको बेकसूर समझा गया और वे चार्जेज गलत समझे गये। चार-पांच इल्जामात उनके खिलाफ तैयार करके वह केस आगे पेश कर दिया गया। कायदे की रूह के अनुसार यह मामला पी. एस. सी. को जाना चाहिये था और वह आखिरकार वहां भेज दिया गया। पी. एस. सी. ने उसकी जांच करके गवर्नमेन्ट को वापिस लौटा दिया और उसमें, यह सही है कि अफसर को सब इल्जामों से बरी करके ओनरेबली उसके फेवर में रिमार्क्स दिये गये हैं, लेकिन चूंकि माननीय मन्त्री महोदय और दूसरे कुछ ऊंचे दर्जे के लोग इसमें दिलचस्पी रखते थे और सम्बन्धित थे, इस वजह से इसे अभी तक सेक्रेटरियेट में दबा कर रखा गया है और पी. एस. सी. से दो माह हो चुके हैं उस केस को आये हुए किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से भी मिला था, पर मुझे अफसोस है कि इतने उच्च दर्जे के व्यक्ति होते हुए भी मेरे सामने गलतबयानी शुरु की कि अभी मामला ठीक नहीं हुआ है, फाइल मेरे पास आई जरूर पर वह तो प्राइवेट तौर पर जांच के लिये मंगाई है आदि। हालांकि असलियत

[श्री दिलीपसिंह]

यह है कि पी. एस. सी. से दो महीने हुए वे कागज सेक्रेटेरियेट में वापिस आ गये। सेक्रेटरी को दिये कि वह नोट्स लगावे और फिर उस मामले की फाईल मन्त्री महोदय के पास पहुंच गई, पर मन्त्री महोदय चूंकि इसमें इन्टेरेस्टेड हैं, और उस अफसर को जो बेजा तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस फाइल को आगे पेश नहीं कर रहे हैं, मुख्य मन्त्री महोदय के सामने। उसे दबा रखना चाहते हैं। मुझे यहां तक भी मालूम हुआ है कि यह मामला एक सरसरी तौर पर कैबीनेट में भी पास हो चुका है और उस पर ताकीद की गई है कि जल्दी से जल्दी अपना नोट लगा कर मन्त्री महोदय अपनी राय जाहिर करें। पर अफसोस है कि उस मामले को अभी तक दबा कर रक्खा है। चूंकि इतना बड़ा मामला है, डेढ़ साल से उसे मुअत्तिल कर रक्खा है। नीचे से उसके हक में रिपोर्ट है और आगे जाकर तो मामला ठीक होनेवाला है। तो आप अन्दाज लगाइये कि राज को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उस अफसर का भी बेजा तौर पर नुकसान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर मन्त्री महोदय उनकी जैसी पोजीशन में होते तो मालूम होता कि इस तरह परेशान करने से इंसान को कहां तक मुश्किलें पेश आती हैं। पर मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा अर्ज नहीं करते हुए मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस बहुत बड़े मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इसका जल्दी से जल्दी न्याय करें। इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--अध्यक्ष महोदय, इस जंगल के विषय में मुझे भी दो शब्द अर्ज करने हैं।

मुझे बड़ा अफसोस है कि हाउस के उस कोने से बड़े जोरों से आवाज उठाई गई है राजाओं के खिलाफ।

यह आवाज उठाना मैं स्वाभाविक मान सकता हूं। लेकिन मैं इसके लिये निवेदन करूंगा कि उधर के सदस्यों को कम से कम इन्सपेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट, जो भारत सरकार का है उसकी रिपोर्ट पर भी गौर करना चाहिये था। मेरा खयाल है कि किसी ने रिपोर्ट भी नहीं देखी होगी।

इन लोगों को, उस पक्ष के लोगों को, राजाओं को इतना बुरा न कह कर धन्यवाद देना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज राजस्थान में जितने जंगल नजर आ रहे हैं वह राजाओं के शिकार की शौक के कारण हैं। अगर अपने शौक के लिये राजा ऐसे जंगलों को न रखते तो अजमेर जैसे प्रदेश में डूंगर नजर आते हैं वही हाल राजस्थान के रजवाड़ों के जंगलों का भी होता।

लेकिन अफसोस यह है कि राजाओं को धन्यवाद न देते हुए उनको दोष दिया जाता है।

चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट जो कि बाहर से यहां बुलाये गये हैं और जिन्हें ऊंची तनख्वाह देते हैं उनकी योग्यता क्या है. इसके सबूत में मैं सिर्फ इतने ही शब्द कहना चाहता हूं और इसी से यह सदन अनुमान कर सकता है कि उनको जानवरों के बाबत भी ज्ञान नहीं है। वे यह भी नहीं बता सकते कि एन्टीलोप किसे कहते हैं और डीयर किसे कहते हैं। शायद बहुत से उधर बैठने वाले भी नहीं जानते। ऐसे सी. सी. एफ. साहब हमारे जंगलों के भाग्य विधाता बने बैठे हैं।

[ श्री हिम्मतसिंह (अटरू) ]

गवर्नमेन्ट की योजना 'ग्रो मोर फोरेस्ट' के बाबत है और उसके सिलसिले में वन महोत्सव होता है। उसमें भी क्या होता है इसकी एक नजीर में आपके सामने पेश कर देता हूं।

यह सन् ५० की बात है। महीना कोई सितम्बर का होगा। चित्तौड़ खास की बात कहता हूं। एक मिनिस्टर महाशय वहां अपने दौरे के सिलसिले में तशरीफ ले गये थे और अकस्मात् वह वन महोत्सव का ही दिन था।

वैसे चित्तौड़ इलाके में काफी जंगल हैं पर वन महोत्सव करना तो जरूरी समझा गया। कोई उपयुक्त स्थान तलाश करने की जरूरत पड़ी और अचम्भा इस बात का है, मैं खुद भी देखता था, कि वन महोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है, कि वह स्थान तय किया गया एक कलक्टर साहब के कम्पाउन्ड में।

यह अचम्भे की बात है कि वन महोत्सव किस तरह से मनाये जा रहे हैं, एक कलेक्टर साहब के कम्पाउन्ड में, जो २०-२० का है वन महोत्सव मनाया जा रहा है। स तरह से वन महोत्सव से जनता को क्या फायदा है जब कि उनके मकान में दो पेड़ पहले से मौजूद थे। मेरा कहना है कि यह वन महोत्सव का एक ढोंग रचा जाता है। ऐसे वन महोत्सव को करने में किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि उदयपुर के क्षेत्र में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में आदिवासियों को समतल जमीन पर सेटल करनेके लिये प्रयत्न किये जारहे हैं, किये जाने चाहिये; किन्तु साथ साथ में इतना अर्ज करूंगा कि इनकी जैसी आदते हैं वे आदतें एक दम मिट नहीं सकतीं। कोटा राज्य में इस प्रकार का प्रयत्न किया गया, बनजारों का घरों के अन्दर सेटल करने का। इन आद मियों को पक्के मकान बनवाकर वसाया गया, उनका हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अन्दर नहीं रखा और मुस्तस्ना कर दिया। खेद के साथ अर्ज करना पड़ता है कि हजारों की तादाद में जिनकी संख्या है उनमें से १००-५० आदमी मुश्किल से आबाद हुए होंगे। इसी प्रकार आदिवासियों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी जो आदत है वह एक दम नहीं जायगी। इसके साथ साथ में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह आदिवासियों को बसाने के नाम पर टट्टी की आड में शिकार खेलना जारी हो गया है। आदिवासियों का नाम लिया जाता है और शिकार और कोई करता है। फॉरेस्ट का महकमा है जहां शिकार करते हैं, आदिवासियों की आड में भी शिकार खेले जाते हैं।

श्री जसवन्त सिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, I feel that the debate on this particular item has been extremely lengthened and not only extremely lengthened but it would preclude many of the items. which are more important items, from being discussed in the House. I have, therefore, no alternative but to request the Hon'ble members not to prolong the debate and I move closure, Sir.

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस पर कट मोशन दिया है उस पर भी आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। आगे आपकी मरजी।

श्री खेतसिंह—क्लोजर मूव हो चुका है अब समय देने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर मूव हो चुका है। मैं हाउस की सेन्स जानना चाहता हूं और मैं इसे अकाउ करता हूं। एक सदस्य ने इस पर एतराज उठाया है इस क्लोजर को पेश करने के बारे में इसलिये हाउस की सम्मति लेना आवश्यक है।

श्री मोतीलाल—क्लोजर नियमानुसार मूव नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लोजर मूव करने की स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृत)

क्लोजर मूव करने की इजाजत दी जाती है। अब मिनिस्टर कन्सर्न्ड रिप्लाई देंगे।

श्री अमृतलाल यादव (वनमंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वन बहुत विस्तृत हैं, उनमें तरह तरह के जानवर, तरह तरह की चिड़ियां और तरह तरह के पेड़ और हरियालियां हैं। मुझे इसमें कोई ताज्जुब मालूम नहीं हुआ कि माननीय सदस्य गण बहुत देर तक इनमें भ्रमण करते रहे।

अब मुझे उन बातों का जवाब देना है जो माननीय सदस्यों ने वनों के बारे में कहीं और उसके साथ साथ मुझे अपना दृष्टिकोण और अपनी नीति को भी आप लोगों के समक्ष रखना है। मैं एक बात, जो जनरल मानता हूं और जो सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं उन भाषणों को यदि एक साथ लिया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इन बातों में आपस में विरोधाभास मालूम होता है। एक तरफ तो यह शिकायत की गई है कि डिफोरस्टेशन हो रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ से इस तरह की शिकायतें हो रहीं हैं कि वनों के लगाने से पशुओं के चरने के लिए जंगल नहीं रह रहे हैं; इस तरह से यह बातें एक दूसरे के परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं।

श्री चन्दनमल बैद—अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग शिकायतें हैं।

श्री अमृतलाल यादव (अपना भाषण जारी रखते हुए)—इस तरह से दो प्रकार के विचार सामने आये हैं। मैं अब क्रमशः माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको लूंगा और संक्षेप में उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। श्री एच.के. व्यास ने बतलाया कि इस विभाग में सर्व अमाप खर्च हो रहा है। खास तौर से उन्होंने चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट के लिये कहा कि उनकी तनख्वाह ज्यादा है और उनके ऊपर अधिक खर्चा हो रहा है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि एक राज्य का दूसरे राज्य अधिकारियों के संबंध में कॉन्ट्रेक्ट हुआ करता है एग्रीमेन्ट होते हैं, उनका आनर करना पडता है, उनका आनर करना लाजमी होता है और जिन अधिकारियों को इस तरह से बुलाया जाता है तो उनका हमें खयाल रखना लाजमी हो जाता है। जहां तक राजस्थान सरकार की नीति का संबंध है हमारी हमेशा यह नीति रही है और हम इस नीति पर दृढ हैं कि जहां तक हो सके बाहर के अधिकारियों को नहीं लाना चाहिये और राजस्थान के स्थानीय अधिकारियों को प्रिफ्रेन्स देना चाहिये। तो मैं इस संबंध में आपको बतलाऊं कि, वर्तमान चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट का जहां तक

[ श्री अमृतलाल यादव ]
सवाल है मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि उनके पीरियड को एक्सटेन्ड करने का हमारा कतई इरादा नहीं है।

**श्री चन्दनमल वैद**—इनका पीरियड कब समाप्त हो रहा है ?

**श्री अमृतलाल यादव (अपना भाषण जारी रखते हुए)**—जल्दी ही खत्म हो रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि रेगिस्तान को रोकने के लिए अखबारों में दूसरी तरह चर्चा आती है, सरकार इस ओर आखें मूंद कर पड़ी है। मैं समझ नहीं पाया जब अखबारों में वे यह चर्चा पढ़ते हैं कि रेगिस्तान बढ़ रहा है तो क्या वे दूसरी ओर जो रेगिस्तान को रोकने की भी चर्चा अखबारों में होती है उसको नहीं पढ़ते। एक माननीय सदस्य ने यह भी कह डाला कि हमने इसके लिए तार किया और इस बात की जानकारी करवाई। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डेजर्ट प्रिवेन्शन स्कीम के संबंध में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के फारेस्ट डिपार्टमेन्ट और राजस्थान सरकार की सलाह से मिल जुल कर प्रयत्न चल रहा है, जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर के समय भी माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि इसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। यह मैंने सरदार शहर के लिये आपको बतलाया वहां पर डेजर्ट प्रिवेन्शन स्कीम के अन्तर्गत एक बेल्ट सरदार शहर में भी रखा गया है। वहां पर फारेस्ट के पौधे लगाने के लिए नर्सरी की स्थापना की गयी है। वह वहां पर जारी रहेगी। यह नहीं कहा कि वहां इसके अन्तर्गत इतने पेड़ लगा दिये गये। उसी सिलसिले में मैंने बतलाया था कि एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट (Research Institute) जोधपुर में भी कायम कर दी गई है, इसके बाद फंड्स कायम होंगे और इसके बाद बेल्ट बनाने की स्कीम इसके तहत है। इस स्कीम के मुताबिक पंचवर्षीय योजना में भी रकम रखी गई है। प्रश्नोत्तर के समय मैंने विस्तृत रूप से बताया था कि वहां गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से काम चालू हो गया है। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है इस विभाग में अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं, उनको लगाये जाने की तजबीज है; कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति भी कर दी गई है बाकी की नियुक्तियां होना बाकी हैं।

श्री रघुराजसिंह जी ने बताया कि इस विभाग में करप्शन बहुत है, उन्होंने कहा कि नाकेदार लोग रिश्वत लेकर जंगल काटने की इजाजत दे देते हैं, पैसे लेकर के पास दे देते हैं, इस प्रकार नाकेदार लोग रिश्वतखोरी करते हैं। मैं इस बात पर अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरफ से यह कहा जाता है कि जंगल न काटे जांय दूसरी तरफ और बातें उठती हैं कि किसानों को हर तरह के, हर प्रकार के पेड काटने की छूट दे दी जावे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तक वन विभाग का ताल्लुक है, जो परमिट सिस्टम राजस्थान सरकार ने जहां आदिवासी रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, वहां पर उन लोगों को अपने काम के लिये लकड़ी काटने की सहूलियत के लिये रखा है।

**श्री चन्दनमल वैद**—उपाध्यक्ष महोदय, जू से कोई जानवर छूटकर सदन में आ गया है।

**श्री भैरूं सिंह (दांतारामगढ)**—यह शेरगढ होकर आया मालूम होता है ?

**श्री खेतसिंह**—परन्तु इसकी पैदाइश दांता रामगढ़ की है।

[श्री खेतसिंह]

श्री अनन्तलाल यादव (अपना भाषण जारी करते हुए)–इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी और किसानों को जितनी सहूलियत दी जानी चाहिये थी उतनी दी गई । किसानों को अपने काम के लिए, खेती के काम के लिये जिस प्रकार की लकड़ी की जरूरत है उस प्रकार की लकड़ी उनको दी जाने की इजाजत है । अगर किसी किसान को हल की लकड़ी की जरूरत है तो वह उसके लिए सारा पेड़ काट डालता है । वह इस तरह न केवल पेड़ ही काट डालता है कहीं कहीं तो उसको काटकर बेच भी देता हैं । इस तरह से अपना काम भी चलाते हैं और रोजगार भी करते हैं । माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इसीलिए खासतोर के व्यक्तियों को इजाजत नहीं दी जाती है ।

पास की व्यवस्था के बारे में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट ऑफिसर के पास यह काम न रहना चाहिये, किसी छोटे अधिकारी को दे दिया जाना चाहिये । इस विभाग में सबसे छोटा अधिकारी नाकेदार होता है । अगर उसके बारे में किसी प्रकार की शिकायत है, जब जब इस प्रकार की शिकायतें सरकार के ध्यान में आती हैं तो सरकार एक्शन लेती है और उसके लिये उचित कार्यवाही करती है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर जब कभी कोई शिकायत आयगी तो उसके संबंध में सख्ती से कार्यवाही की जायगी, किसी प्रकार की रियायत किसी के साथ नहीं बरती जायगी । लेकिन एक तरफ वह किसानों की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये उन्हें इस बात के लिये उकसाते हैं कि तुम पेड़ काटो अपनी मरजी के मुताबिक, कोई रोकने वाला नहीं है, दूसरी तरफ फिर इस प्रकार की बातें कही जाती है कि पेड़ कट रहे हैं । मैं यह कहूंगा कि इस पर उन्हें विचार करने की आवश्यकता है कि कानून मौजूद है कि चोरी नहीं की जाय, कानून मौजूद है कि दूसरे अपराध नहीं किये, फिर भी लोग करते हैं ।

जहां तक वन सम्पति बढ़ाने का सवाल है वह केवल सरकार का ही नहीं बल्कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है । जब तक राजस्थान के नागरिक जागरूक नहीं होंगे और उतनी ही दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक जिस उद्देश्य को हम करना चाहते हैं वहां तक पहुंचना कठिन है । राजस्थान सरकार इस बात की ओर जागरूक रही है और जागरूक रहेगी, और इसके लिये मैं आपको आश्वासन देता हूं ।

इसके बाद श्री चन्दनमलजी वैद ने जो कहा था उसके एक हिस्से का मैंने जवाब दे दिया । दूसरी बात उन्होंने कही थी कि राजा महाराजा लोग जंगल का दुरुपयोग करते हैं और उन्होंने बान्की और नाहर मगरा के जंगलों का जिक्र किया है । जहां तक राजा महाराजाओं का ताल्लुक है मैंने एक से अनेक बार इस सदन के सामने यह रखा है कि कुछ एक राजाओं को एकोडिंग टू कवेनेन्ट्स, कुछ शर्तनामों के अनुसार, कुछ जंगल का रकबा उनकी निजी सम्पत्ति में उनको दिया गया है, और कुछ जंगल ऐसे हैं, जिनमें उनको लकड़ी और ईंधन को कलेक्ट करने का, संग्रह करने का, अधिकार दिया है । तो उनके संग्रह के बारे में हमारे विभाग में कुछ शिकायतें आई कि कुछ हाउसहोल्ड की तरफ से शायद किन्हीं को लकड़ी दी गयी या बेची गई, इस प्रकार की जांच हुई । मगर उसमें वह लोग यह समझते हैं कि कलेक्ट करने का मतलब यह है कि उसमें जितना भी ईंधन अथवा घास है वह सब उनको लेने का अधिकार है, जब कि हम यह समझते हैं कि उसमें से उन्हें अपने उपयोग के लिये जितनी आवश्यकता है वह उतनी लेलें । तो यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इसका निर्णय न केवल राजस्थान सरकार के तहत है, बल्कि इसमें भारत सरकार भी संबंधित है । यह

[श्री अमृतलाल यादव]
मामला भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच चल रहा है और इसका निर्णय वहां से होना है। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है इस प्रकार की कार्यवाही के लिये वह जागरूक है।

श्री हरिदेवजी जोशीने कहा कि बांसवाड़े का जंगल भारत के अच्छे जंगलों में से था और इस प्रकार डूंगरपुर के जंगल और दूसरे जंगल भी नष्ट हो रहे हैं, और वर्किंग प्लान के मुताबिक वहां का काम नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अबतक राजस्थान बनने के बाद जहां रियासती युनिट्स थे वहां पर यह वर्किंग प्लान सिस्टम इन्ट्रड्यूस नहीं हुआ था। राजस्थान बनने के बाद यह वर्किंग प्लान सिस्टम इन्ट्रड्यूस हुआ। मैं यह कह सकता हूं कि जितना भी यह जंगल दिया जाता है उसी वर्किंग प्लान के मुताबिक कूपन नियत किये जाते हैं और उसी के मुताबिक वह दिया जाता है। वर्किंग प्लान के मुताबिक वह काम किया जाता है, न कि उसके खिलाफ। अगर उसके खिलाफ कोई जागीरदार अथवा राजा काम करते भी है तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है जब तक कि ठेकेदार उस तरह से वर्किंग प्लान के मुताबिक काम करने के लिये लिखित इकरारनामा नहीं देदे। तो मैं नहीं समझ पाया कि यह बात कही जाय कि वर्किंग प्लान के सिस्टम के मुताबिक काम नहीं दिया जाता है, वह कहां तक उचित है।

श्री गंगा सिंहजी ने कहा कि वनमहोत्सव मनाये जाते है, और उसमें पेड़ लगाये जाते हैं। जयपुर में सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाये गये हैं, बनी पार्क में भी लगाये गये हैं, अजमेर-जयपुर रोड पर भी पेड़ लगाये और इलेक्शन के स्वार्थों की वजह से इजाजत दी गई वगैरह बातें कही गई। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक वनों का सवाल है, और सड़कों पर पेड़ों का संबंध है वह कई सदस्यों को स्पष्ट नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाये जाते हैं उनका वन विभाग से कोई ताल्लुक नहीं, इसी प्रकार बनी पार्क और अजमेर-जयपुर सड़क पर जो पेड़ लगाये गये उनका वन विभाग से संबंध नहीं है। उनका निर्माण विभाग से संबंध है। वन विभाग का संबंध केवल वनों से है। वन महोत्सव के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। जहां तक वन महोत्सव का संबंध है यह उत्सव श्री मुन्शीजी की देख रेख में मनाना देश ने आवश्यक समझा और इसलिये आवश्यक समझा कि हमारे देश को अधिक उत्पादन की आवश्यकता है और पेड़ लगाने से अधिक वर्षा होगी और उससे अधिक कृषि होगी, अधिक उत्पादन होगा। इसको एक राष्ट्रीय महत्व दिया गया और उसके अनुसार हमारी यह प्रथा ऐसे पड़ी। मैं इस बात को मानता हूं कि वन महोत्सव में जो पेड़ लगाये जायं उन पेडों की हिफाजत की जाय, उनकी रक्षा की जाय। जहां तक मेरा संबंध है मैं आश्वासन देने के लिये तैयार हूं कि जो वन महोत्सवमें पेड लगाये गये हैं उन पेडों की रक्षा की व्यवस्था की जायगी। यह मैं आपकी सूचना के लिये कह देना चाहता हूं कि वन महोत्सव में जो पेड़ लगाये जायंगे, हम यह मंजूर कर लेगें कि चाहे पेड़ कम लगाये जायं, लेकिन जो लगाये जायेंगे उनकी रक्षा का पूरा पूरा बन्दोबस्त किया जायगा; यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्री मुक्तिलालजी मोदी ने बतलाया मोहाना वीड का उन्होंने जिक्र किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब वह इस प्रकार की बात कर रहे थे। मैं नहीं समझा कि सत्य को किस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रखा

[श्री अमृतलाल यादव]

जाता है। मैं सदन की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि जिस बीड का उन्होंने जिक्र किया उस बीड को रिलीज नहीं किया गया है। वह वन विभाग के अन्दर मौजूद है। उसको काश्त के लिए नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सत्य को असत्य के रूप में रखना माननीय सदस्य के लिये सदन में कहां तक शोभाजनक हो सकता है! रह गई घास की बीडों को काश्त के लिए देने के बारे की बात, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह एक ऐसी चीज है कि जिसपर कि नीति निर्धारित है। डेढ़ करोड़ का हमारा राजस्थान है। इसमें अधिकांश जो हमारे नागरिक हैं वह भूमिहीन किसान हैं और कृषि एक महत्वपूर्ण कार्य है, और उसके लिये जितनी अधिक भूमि भूमिहीन किसानों को दी जाय उसमें हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन इस बारे में यह नहीं हो सकता कि जितनी भी घास की बीडें हैं उन सबको बिना विचार किये काश्तके लिये एक इन्च भी जमीन रिलीज नहीं की जाय। अलबत्ता हमें इस बात पर सोचना है कि दो तरह की भूमि वन के अन्दर होती है, एक वह भूमि है जिस पर काश्त नहीं हो सकती है, उसमें पेड लगाये जाते हैं, एफोरेस्टेशन किया जाता है, उस के ऊपर हरियाली होती है, पेड़ लगाकर उपयोगी बनाया जाता है, और दूसरी तरफ ऐसी जमीन है जिसमें घास होता है। उसमें से कुछ जमीन काश्त के लिये दी जा सकती है। लेकिन उसको देने के लिये सबको यह विचार करना पड़ेगा कि हमारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है, और यहां मेकेनिक फार्मिंग अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है, बैलों से खेती होती है। जब भी यह सवाल हमारे सामने आता है गवर्नमेन्ट जरूर ध्यान रखती है, इस बात को जरूर सोचती है कि जितना हमारे राजस्थान में पशु-धन है, उसके चरने की व्यवस्था हो उसके खाने के लिये घास अधिक हो और अकाल, कहतसाली हो जाय, जो कि दुर्भाग्य से होते ही रहते हैं तो कहतसाली के लिये पर्याप्त घास बच जाय, हमें बाहर से नहीं मंगाना पडे। इसलिये उन बीड़ों का रखना हमारे लिए लाजमी हो जाता है। तो इसका तालमेल बैठा कर कितना उसमें काश्त के लिये दिया जा सकता है, कितनी घास की बीडों को रखने की आवश्यकता है; इस प्रकार से सोचकर कोई प्रश्न इस प्रकार से निर्णय किया जा सकता है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह नीति का प्रश्न मैंने स्पष्ट किया है अर्थात् घास की बीडों को काश्त के लिए रिलीज करने में हमारी क्या नीति है, यह स्पष्ट किया है।

श्री सोहनलालजी ने अभी बतलाया कि उदयपुर महाराणा के जंगल का सवाल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। इस जंगल में हजार डेढ हजार फेमिली बसाई जा सकती हैं। मैं मानता हूं, उनकी बातों को, लेकिन मैं भी उन्हीं आदिवासियों में से हूं और अपने भाइयों की जरूरत को जानता हूं। वे तो भटनागर हैं जो इस प्रकार की हमदर्दी आदिवासियों के प्रति दिखला रहे हैं लेकिन मैं भी उसी प्रान्त के उसी समाज में से आ रहा हूं, उसी वर्ग में से आता हूं और मुझे उन भाइयों के साथ उनकी झोपडियों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिये मेरा दावा है कि उनसे कम किसी भी अंश में उन आदिवासियों के लिये मुझे हमदर्दी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे आदिवासी भाई भूमिहीन न रहें सब के पास जमीन रहे और वे खेती करें।

श्री हिम्मतसिंह—Is it secularism?

श्री अमृतलाल यादव—कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आदिवासियों को यदि जमीन भी दे दी जावेगी खेती करने के लिये तो भी उनकी चोरी करने की आदत है उसको वे नहीं छोडेंगे,

[श्री अमृतलाल यादव]

चोरी तो वे करेंगे चाहे आप उनको कुछ भी देदें। मैं इस संबंधमें यह कहूंगा कि आप उन आदिवासियों के यहां चलिये, मैं आपको दावत करता हूं, आप इन चारों के यहां पधारिये और देखिये कि वे किस प्रकार खेती करते हैं और अपना जीवन ईमानदारी और मेहनत से विताते हैं। इस समय मुझे हमारे एक नेता के वे शब्द याद आते हैं और वे शब्द यहां बिल्कुल उपयुक्त हैं और मैं उनको कहे बगैर नहीं रह सकता वे यह हैं कि "चोर मक्कयारा जेलों में, धाड़ायती बेठा महलों में"। यह एक कहावत है जो यहां उपयुक्त है।

मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने कहा है कि 'आदि-वासी लोग चोरियां करते हैं, उनको यह बता देना चाहता हूं कि वास्तव में यह बात नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी बात मानता हूं कि सरकार की जिम्मेवारी है कि उन लोगों के रोटी-रोजी का बंदोबस्त करे। जब उनके रोटी-रोजी का प्रबन्ध नहीं होगा तो फिर वे क्या करेंगे? इसके अलावा मेरे दोस्त जिस समय महाराणाके जंगल की भूमि को रिलीज करने की बात करते हैं और कहते हैं कि इस संबन्ध में सरकार ने स्कीम को कोल्ड स्टोरेज में रख दी है क्योंकि महाराणा, जो महाराजप्रमुख हैं उनकी तरफ से व रियासती विभाग की तरफ से कुछ हिदायतें आती हैं। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि इस संबन्ध में कार्यवाही चल रही है। यह तो हो नहीं सकता कि एक आदि-वासी की एप्लीकेशन आए और उसको जमीन दे दी जाए। आखिर महाराणा के भी अधिकार हैं, उनसे भी बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिये यह बता दूं कि सरकार ने महाराजप्रमुख से बातचीत की है और उन्होंने इतना मान लिया है कि जो जमीनें जयसमुद्र से पीवल हो सकती है उसको वे रिलीज करने के लिये तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मामला आपसी बातचीत से हल हो जाए तो अच्छा है और आपसी बातचीत से मामले का हल होना ज्यादा शोभा जनक होता है। इस प्रकार काफी सवाल हल हो गया है और हम भी यही सोचते हैं कि इस प्रकार से मामलों का आपसी तौर पर हल होना ज्यादा ग्रेसफुल और सुन्दर होगा। इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं और इससे आदिवासियों को रोटी और रोजी मिलेगी।

अब मेरे लायक दोस्त मौलाना इब्राहिम ने अपनी तकरीर में इस बात की शिकायत की है कि शेर बघेरे वगैरह ज्यादा बढ़ गये हैं और वे जानवरों को खाते और नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे जिस तरह श्री मुक्तिलालजी के भाषण को सुन कर आश्चर्य हुआ उसी तरह मेरे लायक दोस्त के स्टेटमेन्ट को सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्हें खुद को मालूम है कि इसके लिये हम किस प्रकार कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं, उन्हें खुदको मालूम है। जब वे मेरे पास आए थे और शिकायत लाये थे उस समय वे अपने साथ एक ठेकेदार को भी लाये थे और उस ठेकेदार ने कहा था कि मैं शेरों को पिंजरों में पकडूंगा और एक हजार रुपया दूंगा। मैंने कहा कि मैं उनकी दावत को मंजूर करता हूं और मैंने ५ शेरों को पकड़ने के लिये इजाजत दे दी। लेकिन अभी तक वे एक भी शेर को नहीं पकड़ पाये। एक शेर पकड़ा था उसको बुढ्ढा कहकर छोड़ दिया।

**एक सदस्य**—एक जवान शेर भी पकड़ा गया है।

श्री अमृतलाल यादव–इसके बावजूद भी आपका यह कहना कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो मैं नहीं समझता कि यह बात कहना कहां तक उचित है। इसके अलावा जहां मेनईटर ( Meneater ) का प्रश्न है कहीं शेर और बघेरा आ जाता है तो उसके लिये हम न केवल हुक्म ही देते हैं बल्कि अपने खर्चे से जानवर को मरवा देते हैं। मैं समझता हूं कि इस बहाने कुछ हमारे शिकारी बन्धु भी फायदा उठाना चाहते हैं। जंगल में शेर और बघेरे रहने चाहिये। इसके लिये ऑल इन्डिया कॉन्फ्रेन्स हुई थी जिसमें वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के लिए स्थान होना चाहिये, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ का प्रोटेक्शन हो सके। जंगली जानवर तो जंगल में ही रहेंगे। वे जयपुर में आ कर बसने वाले नहीं। इसलिये उनके लिये जंगल में ही व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री भैरूंसिहजी ने जो बातें कहीं उनमें से दो का तो वर्णन पहले कर चुका हूं और जू के संबन्ध में मैं अब बताना चाहता हूं जो यह है कि राजस्थान बनने से पहले अलग २ राज्य थे। उनमें हर एक राज्य में जू होता था। हमारे राजस्थान में अलग अलग रियासतों के समय में अलग अलग राजा महाराजाओं ने अपने अपने साधनों के अनुसार छोटे मोटे जू बना रखे थे। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जू की उपयोगिता बच्चों के शिक्षण बढ़ाने के लिये उपयोगी होती है। लेकिन राजस्थान के एकीकरण के बाद सरकार ने यह देखा कि इतने सभी जू को वेल मेन्टेन्ड करने में बहुत धन-राशि की जरूरत है। इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया कि ५ जू नहीं रख कर एक ही वेल मेन्टेन्ड जू रखा जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन इसके बाद इस पर और भी विचार किया गया और इसके आर्थिक पहलू पर विचार किया गया और जैसा कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया, मैं यह कहूंगा कि यह प्रश्न पुनः सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा मैं और भी आगे आपको कह दूं कि ये जो ५ जू हैं उनको न केवल वहां रखे जाने पर विचार किया जा रहा है बल्कि सरकार यह सोचती है कि हम कहीं से जानवर एक्सचेन्ज में ला कर अपने जू को ठीक कर सकते हैं। मैं मद्रास में गया था और मैंने वहां के जू में एक ऊंट देखा। मैंने कहा कि यदि हमें दरियायी घोड़ा दे दिया जावे तो ऊंट हम बदले में दे सकते हैं। इस प्रकार जू को ठीक करने के लिये सरकार कोशिश कर रही है।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

एक बात राजस्थान के कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कही गई और सदन में यह चार्ज लगाया गया कि मंत्री महोदय और दूसरे लोग चूंकि इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं उसके केस को दबा रखा है। यह सुन कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सदन की जानकारी के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि अभी अभी कट मोशन में यह कहा गया कि इस डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन फैला हुआ है उसको रोका जावे। अतः यह मेरा फर्ज और कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस किसी के खिलाफ चाहे वह चपरासी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे और कोई बड़ा ऑफिसर हो उसकी पूरी पूरी जांच की जाए और जिस अधिकारी के संबन्ध में कहा गया है उसके खिलाफ गंभीर चार्जेज थे, उसकी वजह से उनको मौत्तिल किया गया और इन्क्वायरी के बाद उस केस को पी. एस. सी. के सुपुर्द कर दिया गया कि पी. एस. सी. इस मामले को देखे और अपना फैसला दे। मैं नहीं समझता कि इसमें मेरा और मेरे दोस्तों का प्रश्न कहां आता है और कैसे इन्ट्रेस्टेड हैं।

श्रीमान् हिम्मतसिंहजी साहब ने इन्स्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट्स की रिपोर्ट की ओर तवज्जह दिलाई। मैं मानता हूं कि वह रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी ओर तवज्जह जानी चाहिये। राजस्थान सरकार की

[श्री अमृतलाल यादव]

नीति के संबन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि भारत सरकार की जो रिपोर्ट निकलती है और भारत सरकार की जो नीति होती है उसी को राज्य सरकारें मानती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई इस तरह के फारेस्ट नहीं हैं जिनके अंदर कि वह इस प्रकार की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे। वह राज्य सरकारों के अन्दर एग्जीक्यूट होती हैं। जहां तक इस नीति का इन्स्पेक्टर जनरल फारेस्ट्स से ताल्लुक है इसका पालन किया जाता है। चित्तोड के एक बाग के बारे में उनकी शिकायत थी कि कलेक्टर के अहाते में २ पेड़ पहले लगे हुए थे, एक दो पेड़ और मंत्री महोदयने लगाये। मैं सदन की सूचनाके लिए कहदेना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मैं वहां नहीं था, मैंने वहां कोई पेड़ नहीं लगाया था और उन्होंने ओर किसी मंत्री महोदय का जिक्र किया होगा। पर मैं कहूंगा कि इससे उनको क्या आपत्ति हुई ? दो पेड लगे हुए थे, एक पेड़ और लगा दिया तो क्या हर्ज हुआ। मैं तो इस सदन के माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि वे भी अपने अपने मकानों में एक एक पेड़ और लगा दें।

अब रहा फोरेस्ट वेल्थ को बढ़ाने का सवाल। एफोरेस्टेशन के बारे में गवर्नमेंट योजना बना रही है। हमने लाख का प्रयोग करवायाहै, रांची में लाख की प्रयोगशाला है। हमारे राजस्थान में काफी ढाक के पेड़ हैं। सरकार चाहती है कि लाख का प्रयोग सफल हो। सरकार की नीति इस प्रयोग को काम में लेने की है जिससे कि राष्ट्र की संपत्ति वढे। शहतूत के पेडों के बारे में भी जैसा कि मौलवी साहब ने कहा योजना सरकार के विचाराधीन है। माइनर फारेस्ट प्रोडक्ट्स का मसाला आदि के बारे में हमने कोऑपरेटिव सोसायटी बनाने का निश्चय किया है। हमने एक ऑफिसर को इस विषय में जानकारी के लिये ट्रेनिंग में भेजा है। वह ट्रेनिंग लेकर आ जायगा तो इसको सिस्टेमेटिक ढंग से चलाने के लिये आदिवासियों को प्रोत्साहित किया जायगा। जहां तक एफारेस्टेशन का सवाल है सरकार की योजना है और जितने आर्थिक साधन अलाउ करेंगे उनको काम में लाकर सफल बनाने की पूरी कोशिश की जायगी। एक सवाल यह आता है कि ऐसे वन को सुरक्षित रखा जाता है, एफारेस्टेशन होता है वहां ग्रेजिग प्रोहिबिटेड होना चाहिये, पर जो वन सुरक्षित रखे जाते हैं तो दूसरे ही दिन शिकायत आती है कि हमारी भेड, ऊंट, गाय आदि को चराने से रोक दिया। एफोरेस्टेशन भी हो और ग्रेजिग भी अलाउ किया जाय, यह दोनों परस्पर विरोधी चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो एक तरफ किसानों की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये ऐसी बातें करते हैं और उनको कहते हैं कि अपनी भेडें, पशुओं आदि को चराओ और दूसरी तरफ एफारेस्टेशन की बातें करते हैं। मैं सरकार की इस कठिनाई की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता था। एफारेस्टेशन में किसी की दो राय नहीं हो सकती और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जिसमें रेत के कण उडते हैं, वह हरा भरा हो जाय।

जहां पेडों को काटने का सवाल आया है मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि वन विभाग इस ओर पूर्ण रूप से जागरूक रहेगा और पूर्ण कार्यवाही करेगा। इसमें सरकार को नागरिकों के पूरे सहयोग की भी आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सदन की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन मिलेगा। मुझे सब बातों का थोडे थोडे में जवाब देते हुए सदन का काफी समय लेना पड़ा है। मैंने सब प्रश्नों पर पूरी रोशनी डालने की कोशिश की है। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन संपत्ति राष्ट्र की कीमती संपत्ति है यह उत्तरोत्तर बढ़ सकती है। अगर इसको संरक्षण और नागरिकों का सहयोग मिले तो राजस्थान

[श्री अमृतलाल यादव]

की वन सम्पत्ति को काफी आगे बढाया जा सकता है और वनों के मामले में राजस्थान को काफी सम्पत्ति-शाली बनाया जा सकता है।

अब यह मेरे विभाग की मांग है वह सदन के सामने उपस्थित है।

श्री अध्यक्ष—Do all members want to press their cut motions?

श्री चन्दमल—Sir, I beg leave to withdraw my cut motion.

श्री अमरसिंह—I beg leave to withdraw my cut motion.

श्री भोमसिंह—Sir, I also beg leave to withdraw my cut motion.

श्री रघुवीरसिंह—Sir, I beg leave to withdraw my cut motion.

श्री गंगासिंह—Sir, I also beg leave to withdraw my cut motion.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—एफॉरेस्टेशन किया जायगा और शेरगढ़ के बंदर को भी लाकर रखा जायगा; इस आश्वासन पर मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री मोहम्मद इब्राहिम—मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की हाउस से इजाजत चाहता हूं।

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान होने पर उपरोक्त सदस्यों ने अपने अपने कट मोशन वापिस लिये)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास के कट मोशन को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि डिमाण्ड नं० ४ (वन) स्वीकृत की जाय।

(स्वीकृत)

डिमाण्ड नं० ४ (वन) स्वीकार की जाती है।

## वर्तमान अभियाचनाओं पर वाद-विवाद सम्बन्धी प्रक्रिया

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि वाम पक्ष के नेता और मैं, हम दोनोंने यह तय किया था कि इसे समाप्त करदेना; लेकिन बहुत से सदस्य जब बोलना चाहते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम खुद कुछ सेक्रिफाइस करें और सेटर्डे और सन्डे को मिलें। वक्त बढाना है तो मुझे बढाने में आपत्ति नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि जो सिलसिला दिया हुआ है और जैसा होता रहा है उनको डिस्कशन के लिये लेलें और दूसरों पर गुलेटिन लागू हो जाय। लेकिन ३१ तारीख तक बजट खतम करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—That we have scheduled. 31st we have scheduled.

श्री चन्दनमल बैद—३१ तारीख तक खत्म करने के लिये सटर्डे और सन्डे को बैठना। पर तो हम तैयार हैं।

श्री जयनारायण व्यास—एक सुझाव और है आज रातको १२ या १ बजे तक बैठें और खत्म करदें।

श्री अध्यक्ष—Is it the sense of the House that we meet tomorrow and the day after also ?

श्री रघुराजसिंह—Tomorrow is Saturday, Sir ? Tomorrow and Sunday will be holidays for some Members, who want to go on some important business.

श्री अध्यक्ष—There is nothing more important. I want you all to remember that there is nothing more important, no private or personal work than the discussion on the Budget. No priority can be attached to any other work. If they want more time then they will have to cancel their programmes and will make it convenient for themselves to attend the House, otherwise the guillotine will be applied before the 31st and We will pass the Budget.

श्री रघुराजसिंह—Some members have already left.

श्री एच. के. व्यास—Some of the Members are prepared to attend on holidays.

श्री अध्यक्ष—What has the Leader of the Opposition to say ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I think 81 Members have written an application to you, Sir, that there should be no sittings on Saturdays. I do not know whether these Members are now retracting from what they have given in writing.

श्री अध्यक्ष—They have every right to revise this.

श्री गोपीलाल यादव—Saturday will not be suitable, Sir, because it is also a holiday on account of Mahavir Jayanti.

श्री अध्यक्ष—We may not meet on this day. Then we will sit on the 30th.

श्री गोपीलाल यादव—I have come to know that the 30th also has been declared a holiday and as such how will we sit on the 30th ?

श्री अध्यक्ष—We will sit on the 30th.

Page No.57



श्री गोपीलाल यादव—And, Sir, what is the harm if we prolong the debate ?

श्री अध्यक्ष—There are some technical difficulties. Then we will have to pass a Vote on Account and all that but it has also been decided that we shall pass it on the 31st. Otherwise we can go on discussing and the guillotine will be applied and the Members will not get an opportunity to discuss the various Demands.

एक माननीय सदस्य—I agree with the Chief Minister's suggestion that we will break in the middle.

श्री जसवन्तसिंह—It appears now that the Hon'ble Members are keen to make their speeches. We should see whether they really mean it. In order to judge it I would submit that we should have a night session, Sir, after dinner and keep the session as long as we decide all our demands.

(Wide Cheers).

This will be really a test of the earnestness of the Members, if they really want to speak. My suggestion is that we should sit from 9.30 this evening and continue to meet till we finish the job.

श्री अध्यक्ष—What about day ?

एक माननीय सदस्य—The day will be employed for sleeping.

श्री जसवन्तसिंह—We have to prepare for the debate. There are many important items to which we have to come. Ordinarily we have to come on the 30th and if we cannot finish then we will sit the whole night ?

श्री अध्यक्ष—Tomorrow is a holiday.

श्री जसवन्तसिंह—That is how we can judge the earnestness of the Members. If they really want to speak they should sit upto 9.30, as far as possible.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I fully endorse the views of the Leader of the Opposition.

श्री रघुराजसिंह—What about the provision in the Rules ?

श्री अध्यक्ष—The rules are there. But ordinarily it will be very hard upon my staff.

श्री जसवन्तसिंह—It is only once a year.

श्री अध्यक्ष—If we accept the proposal then we start at 4.00 and finish at 6.00 and then we have a break of two hours and then we again meet at 8.00 and then we continue till 11.00 in the night.

श्री जसवन्तसिंह—4.00 or 4.30 to begin with and then we may continue till night ?

श्री अध्यक्ष—This is also good, from 4.00 p.m. to 9.00 p.m.

एक माननीय सदस्य—४ से कर दीजिये।

श्री गोपीलाल यादव—We shall sit without any allowance and the Budget may be passed ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—४ बजे से ८ बजे तक कर दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह आता है कि यह नहीं होना चाहिये कि दो हजार रुपया प्रतिदिन अलाउन्स का खर्चा करके भी हम शाम को कार्य न करें। मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि यदि वे अपने अलाउन्स को इन दिनों के लिए फोरगो करना चाहें तो दूसरी बात है। बजट सेशन बहुत इम्पार्टेंट सेशन होता है। हर डिपार्टमेन्ट के सबन्ध में माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्ट्स के सेक्रेटरीज आदि यहां बैठे रहते हैं और नोट करते रहते हैं, इससे इम्प्रूवमेन्ट होता है। पिछले साल रेवेन्यू तक पर कोई नहीं बोल सका था तो अब भी इस प्रकार नहीं होना चाहिये। अगर रात के १२ भी बजें तो हाउस के नेता को मेरे खयाल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरे खयाल से तो आयन्दा बजट पर बहस के लिए १५ दिन से कम समय कभी भी नहीं रखा जावेगा।

श्री अध्यक्ष—I do not know. I doubt very much because he has not volunteered himself.

श्री गोपीलाल यादव—I volunteer myself, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—I will accept it as a contribution.

श्री अध्यक्ष—So, this is practically the view of the House that we will sit from 4.00 P.M. to 8.00 P.M. and if necessary till 9.00 P.M.

Let him (Shri Ram Kishore Vyas) move the motion and we will continue the debate in the evening. Shri Ram Kishore Vyas.

## अभियाचना संख्या २३—उद्योग तथा व्यवसाय

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I move—"that a sum not exceeding Rs. 20,37,000 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. XXIII, Major Head 43—Industries and Supplies.

# Page No.59



श्री अध्यक्ष—Motion moved. We now adjourn for this afternoon at 4.00 . .

(१२ बज कर ३९ मिनट पर सदन की बैठक आज सायंकाल के ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक- २४ अक्टूबर, १९५३.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर

# राजस्थान विधान सभा

## चौबीसवीं बैठक, दिनांक २७ मार्च, १९५३

(सदन की बैठक ४-१० बजे संध्या को प्रारंभ हुई)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

### राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

**श्री गुलाबचन्द कासलीवाल**—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the State of Rajasthan.

### अभियाचना संख्या २३- उद्योग तथा रसद

**श्री अध्यक्ष**—The motion on Demand No. XXIII was moved. Now Mr. Santosh Singh Kachwaha

**श्री संतोषसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the demand for Grant No. XXIII be reduced by Re. 1/- (to discuss the solution of the problem of unemployment and the location of wool industry at Jaipur)"

माननीय अध्यक्ष, इन्डस्ट्री और सप्लाई ये दो डिपार्टमेन्ट बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्ट हैं। अगर ये डिपार्टमेन्ट खूब अच्छी तरह से काम करें तो हमारे राजस्थान की बेकारी समस्या हल हो सकती है। लेकिन जहां तक देखा गया है कि इन्डस्ट्री का जो विभाग है वह करीब करीब किसी काम का नहीं है। एक तरह से डेड डिपार्टमेन्ट सा है। इस डिपार्टमेन्ट में इन्डस्ट्री के मुत्तल्लिक प्रोत्साहन जनता को नहीं दिया जा रहा है। यह डिपार्टमेन्ट सिर्फ यह काम करता है कि किसी ने चक्की लगाने के लिए दरख्वास्त दी तो उसको इजाजत देदी या किसी ने कुछ मशीनरी लगाने की दरख्वास्त की तो उसे इजाजत दे दी। इस डिपार्टमेन्ट में ऐसे जानकार आदमी नहीं कि जो जगह जगह कोई कला-कौशल केन्द्र खोल सकें और जिसकी वजह से वहां के लोग अपना कारोबार अपना रोजगार पैदा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा कि बिलाड़ा में किस किस प्रकार से क्या क्या इन्डस्ट्री हो सकती है। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा कि बिलाड़ा एक सरसब्ज तहसील है। इसके अन्दर गंगा का एक हिस्सा बहता है। जिसका नाम बाण गंगा है। वह बारह मास बहती रहती है। इसके किनारे किनारे एक प्रकार का घास लगा हुआ है जिसको ऐरा कहते हैं, वह मीलों तक लगा हुआ है। इस ऐरा से अगर कागज बनाया जाय तो बहुत बढ़िया कागज बन सकता है; इसका परीक्षण किया जा चुका है। यह एरा जो है उसको वहां के लोग कुछ भी काम में नहीं लेते हैं, बेकार पड़ा है। सरकार को इससे बहुत अच्छी पैदा हो सकती है और इस घास से अच्छा कागज बनाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से

[ श्री संतोषसिंह ]

प्रार्थना करूंगा कि यह जो चीज बिना किसी काम आये पड़ी है जिससे अच्छा कागज का कारखाना आसानी से बन सकता है थोड़ा पैसा लगाने की जरूरत है, जिससे लोगों की बेकारी भी दूर हो सकती है और सरकार को आमदनी भी हो सकती है। बिलाड़ा में पेपर मिल खोलने के लिए एक योजना मैं आपके समक्ष पेश करता हूं।

दूसरी बात यह है कि वहां जगह जगह खारा पानी निकलता है इसका भी सदुपयोग किया जाय तो इससे नमक बनाया जा सकता है और लोगों की बेकारी इसमे भी दूर की जा सकती है। सरकार इजाजत नहीं देती जिससे बेरियें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज का जो महकमा है उसके मार्फत वे जो लोग बड़े बड़े कारखाने खोलने की इजाजत मांगते हैं उनको बड़ी बड़ी जरूरत से ज्यादा जमीनें दी जाती हैं, वे जमीनें किसानों की होती हैं। उसके एक-दो नमूने में आपको बताऊंगा। जयपुर के अन्दर बॉलबिअरिंग फेक्टरी . . . . . . . . है।

श्री अध्यक्ष—You have to confine yourself to the subject.

श्री संतोषसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं बेकारी दूर करने के उपाय बता रहा हूं। बॉलबिअरिंग फैक्ट्री जयपुर को जो जमीन दी गई है वह जरूरत से ज्यादा दी गई। उसमें से काफी जमीन फिजूल पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि जो जमीन फिजूल पड़ी हुई है वह वापिस ले ली जाय और उन किसानों को वापिस दे दी जाय जिनसे वह जमीन लेकर उन्हें दी गई है। आज वह जमीन न मिलने की वजह से कम से कम ५-६ किसानों के घर बेकार हो गये हैं और जमीन भी काम में नहीं आती है।

इस तरह से जोधपुर में एक ग्लास फेक्ट्री है। उस फैक्ट्री के लिये जो जमीन एक्वायर की गई है वह जमीन आवश्यकता से अधिक थी। उसमें कई बाग लग सकते हैं उस जमीन से भी ५-६ किसानों के घर बेकार हो गये हैं और फेक्ट्री भी बन्द पडी है।

जोधपुर में मंडोर डिस्टीलरी है। उसके लिये भी जमीन किसानों से ली गई वे किसान भी बेकार बैठे हैं। अब डिस्टीलरी कतई काम नहीं कर रही है। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो जमीन बेकार पड़ी हुई है और जिस पर फैक्टरी का काम नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी वापिस दिलाने की तजबीज की जाय।

इसके बाद बेकारी दूर करने के लिये मैं और उपाय बताऊंगा। मारवाड़ के अन्दर एक पत्थर निकलता है, खड्डी निकलती है; जिससे हमारे यहां राजस्थान में सीमेन्ट की बहुत बडी फैक्टरी बन सकती है। इस चीज की,हमारे राजस्थान में सीमेन्ट में बहुत कमी है। सरकार से जरूर कहूंगा कि वे पैसे की कमी को न बताते हुए अगर इस ओर ध्यान दे तो राजस्थान में बेकारी दूर हो सकती है और जनता को भी राहत मिल सकती है। अगर इसके लिये कि हो अन्य आदमियों को थोड़े पैसे की मदद दी जाय तो जरूर कोई न कोई आदमी इस प्रकार की फेक्टरी खोलने के लिये तैयार हो सकता है। इस सीमेन्ट के लिये रॉ मेटेरियल

[ श्री सन्तोषसिंह ]

( raw material ) जरमनी भेजकर परीक्षण करवाया गया कि इसका अच्छा सीमेन्ट बन सकता है या नहीं। वहां से परिणाम यही आया, जो मैं अर्ज कर रहा हूं।

कॉटेज इन्डस्ट्रीज जिसका बहुत ज्यादा प्रचार है, हमारी सरकार के पास इस इन्डस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने का कोई जरिया नहीं है। कोई इसके लिये टेक्निकल आदमी नहीं, कोई इन्जीनियर नहीं। अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह कहा था कि जयपुर में एक वूल फैक्टरी बनायी जा रही है। यह फैक्ट्री जयपुर में बन रही है, जहां कि ऊन का रॉ मेटिरियल पैदा नहीं होता। रॉ मेटिरियल तो हमारे यहां बाडमेर, जैसलमेर, शेरगढ़, पोकरन, ओसिया और बीकानेर में पैदा होता है, जहां पर ऊन का सबसे ज्यादा जखीरा मिलता है। वह रॉ मेटिरियल तो उस जगह है और वह फैक्ट्री जयपुर में रखेंगे तो वह रॉ मेटिरियल महंगा पड़ेगा। वहां यदि फैक्ट्री खोल दी जावे तो मजदूर लोग बड़े सस्ते मिलेंगे, जयपुर के अन्दर मजदूरी बड़ी महंगी पड़ेगी और जमीन वगैरह की हर तरह से तंगी रहेगी। इसलिये रॉ मेटिरियल के नजदीक चाहे बीकानेर में या पोकरण फलोदी में, कहीं फैक्ट्री खुलवा दी जाय तो वहां सैकड़ों की तादाद में बेकार लोग बैठे हुए हैं, उनकी बेकारी दूर हो जायगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर जरूर गौर करेगी और यह फैक्ट्री किसी ऐसी जगह बनायेगी, जिससे कि वहां के लोगों को कुछ राहत मिले।

मैं यह कहकर, अगर मुझे यह आश्वासन दिया जायगा तो मेरा यह कट मोशन वापिस ले लूंगा।

**श्री अध्यक्ष**--This has become conventional. Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

Shri Tejmal Bapna.

**श्री तेजमल बापना**--I beg to move, "That the demand for Grant No. XXIII be reduced by Re. 1/- (to discuss that the Government has failed to give proper protection to mining and other industries)."

**श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)**--Just through you, Sir, I want to make a submission. This cut motion relates to two grants; (1) regarding mining and the other relating to industries. Mining comes under Scientific Departments Demand No. XV.

**श्री तेजमल बापना**--अध्यक्ष महोदय, मेरा जो यह कटमोशन है इसका आशय यह है कि मैं इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट के खर्चे के मुतल्लिक जो डिमान्ड मंत्री महोदय ने रखी है, उसमें एक रुपये की कटौती की जाय। इसके कारण मैं यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

आज हमारा राजस्थान इन्डस्ट्रीज के माने में अग्रसर हो रहा है और बहुत सा हमको ऐसा काम सोचना है कि जिससे हमारे यहां इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले और हम इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कर सकें।

[ श्री तेजमल बापना ]

हमारे राजस्थान में वैसे बहुत इनीगिनी सी इन्डस्ट्रीज हैं। उनके लिये भी सरकार द्वारा जो नीति अभी तक अपनाई जा रही है वह इस प्रकार की नीति है कि जिससे उन इन्डस्ट्रीज को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है; बल्कि यहां तक कहा जाय कि डिपार्टमेन्ट उन इन्डस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के अलावा पीछे धकेलने की कोशिश करता है। कारण क्या है, अध्यक्ष महोदय? इन्डस्ट्रीज़ में अपना पैसा कोई लगाना तभी ठीक समझेंगे जब कि वह ठीक लाभदायक सिद्ध हो। किसी भी इन्डस्ट्री को प्रारम्भ करने के लिये जब तक साल दो साल उसको इधर उधर घूमना फिरना, किसी की खुशामद करना, किसी को पैसा देने में लग जायं और किसी प्रकार से इन्डस्ट्री खोलने की स्वीकृति मिल जाय तो अच्छा है। उसमें भी वह अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकता है। आशय मेरा केवल यह है कि जिस इन्डस्ट्री की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं उसमें कई तरह के रोड़े अटकाये जाते हैं। जैसे किसी दूसरे को प्रोपर्टी का सवाल पैदा हो जाता है और कहीं किसी दूसरे के एरिया में काम करने का मौका मिल जाता है और यहां तक होता है कि जिस किसी काम के लिये जिस किसी स्थान को, माईनिंग का ही कोई सवाल नहीं और किसी दूसरे प्रकार की इन्डस्ट्री के काम करने में भी दिया जाता है तो उसके लिये भी सर्वप्रथम इस डिपार्टमेन्ट में इतनी ढिलाई है कि वहां पर प्रोपर प्लान्स, प्रोपर मेप्स और प्रोपर मेन्टीनेन्स आफ डिपार्टमेन्टल पेपर्स की पूरी सुविधा नहीं है।

अब कई तरह की इन्डस्ट्रीज़ जो हमारे यहां पर चल रही हैं उनमें माइका इन्डस्ट्रीज, सोप स्टोन इन्डस्ट्री, ( Soap stone ), टेक्सटाइल इन्डस्ट्री, कोटन इन्डस्ट्रीज तथा और कई तरह की इन्डस्ट्रीज़ हैं। उनमें हम क्या बढ़ावा देना चाहते हैं, यह मैं आपको बताऊं। बहुत से आदमी माइका इन्डस्ट्री में कुछ प्रोत्साहन पर राजस्थान में आते हैं, लेकिन आज तक इन्डस्ट्रीज़ का जो हाल है वह मेरे ख्याल से, अध्यक्ष महोदय, इस सदन से और आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहिले मैंने एक प्रश्न इस पर सदन में प्रस्तुत किया था और उसका आशय केवल यह था कि माइका इन्डस्ट्री में कितने लाइसेन्स दिये गये हैं, आया जिन जिन को लाईसेन्स मिले हैं प्रोस्पेक्टिंग के, क्या वे सब उनको मिले हैं, और उनमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट है या नहीं? मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उसका जवाब जो मंत्री महोदय ने दिया है, उसमें उन्होंने यह बताया कि दरअसल हमारे डिपार्टमेन्ट में कोई इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जिस रोज़ उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया उसके एक दिन पहले ही उन्हीं मंत्री महोदय ने भीलवाड़ा माइका इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का एक डेपुटेशन, जो कि यहां आया हुआ था, उसे बताया था कि कम से कम ४० या ५० केसेज़ की ऐसी एक लिस्ट उनके सामने प्रस्तुत की गई है जो इस माइका इन्डस्ट्रीज़ के डिस्प्यूट में इन्वोल्व्ड (involved) हैं। यहां पर प्रश्न यह है कि बहुत समय के बाद में जब माइका का कोई एरिया दे दिया गया उसके बाद में वह रोक दिया जाता है। साल दो साल के बाद जब वे परेशान होकर किसी प्रकार उसमें बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिये बाद में यह कहा जाता है कि वह उनको नहीं मिल सकता है। जब हमारी मेवाड़ रियासत थी तो तीन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को इस माइका एरिया का पहले कान्ट्रक्ट दिया हुआ था। आज भी इस डिपार्टमेन्ट में उन तीनों के कोई मेप्स या प्लान नहीं हैं। डिपार्टमेन्ट किसी एरिया के लिए किसी किसी को रिकमन्ड करता है और गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन भी हो जाती है, वह पैसा भी जमा करा देता है। उसके बाद जब

[ श्री तेजमल बापना ]

वह वर्क करने को आता है तो उससे कहा जाता है कि वह एरिया नहीं। जिस एरिया का डिपार्टमेन्ट ने रिकमन्ड किया, जिस एरिया के लिये गवर्नमेन्ट ने सेन्क्शन दी है उसके लिए यह होता है कि वह उनका एरिया नहीं है। इस प्रकार की धांधली बाजी चल रही है। इसमें बहुत कुछ देखरेख करने की गुंजाइश है। इस बात की काफी जरूरत है कि ठीक ढंग से वहां के प्लान्स, मेप्स हों। कोई भी एरिया किसी को रिकमन्ड होने पर उसी को मिलना चाहिये। गलत एरिया को रिकमन्ड क्यों करना चाहिये जब कि वह उसके पास है? इस अन्धेरपन के अन्दर जो काम इस डिपार्टमेन्ट का हो रहा है उसको चेक किया जाय और इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय। यही आशय मेरे कटौती प्रस्ताव का है जो कि मैंने प्रस्तुत किया है।

**श्री मोतीचन्द**—मेरा यह प्रस्ताव है, "That the Demand for Grant No. XXIII be reduced by Re. 1/- (to discuss the Question of industries and supplies in Rajasthan.)"

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो अपना कटौती प्रस्ताव रखा है उसका तात्पर्य राजस्थान में व्यापार और उद्योग के मामलों में सरकार की जो नीति रही है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए है, और मैं यह बताना चाहूंगा कि आज तक हमारी सरकार का रवैया औद्योगिक विकास की ओर कहां तक रहा है और हमने किस हद तक इसमें प्रगति की है और हमारे यहां के छोटे-मोटे घरेलू धन्धों का कहां तक विकास हुआ है। जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, राजस्थान में इस ओर बहुत कम प्रगति हुई है और छोटे-छोटे घरेलू धन्धे, जो राजस्थान बनने से पूर्व जिस अवस्था में थे उससे भी उनकी स्थिति गिर कर दिनों दिन खराब हो रही है। बीकानेर में कोटेज इन्डस्ट्रीज विभाग द्वारा कुछ कपडा, गलीचे, दरियें आदि बनाई जाती थीं और लोइयां जो बीकानेर की प्रसिद्ध हैं, भी बनाई जाती थीं। उन्हें उस समय प्रोत्साहन दिया जाता था किन्तु वे आज बन्द हो गई हैं। कपड़ा बनना बन्द हो गया है। जो लोग खड्डियों पर कपड़ा बुनते थे और अपनी रोजी कमाते थे वहां आज हम देखते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग धन्धों को दिनों दिन कम किया जारहा है। न जाने सरकार की यह मनोवृति कब तक रहेगी? मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार की नीति से लोगों की रोजी पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसी प्रकार वहां को माइन्स भी बन्द पड़ी हैं। बीकानेर में चाइना क्ले और ग्लास फेक्टरी के लिये ग्लास-सेन्ड की बहुत बड़ी माइन्स ४ साल से बन्द है। न तो सरकार खुद उसको चालू करती है और न किसी दूसरे को प्रोत्साहित करती है और न किसी दूसरे को देती है। सरकार की जो यह नीति है इससे बेरोजगारी फैल रही है और व्यापार पर भी इसका असर पड़ता है और सरकार की आय में भी लाखों रुपयों की हानि होती है। इस साल एक १० मील का एरिया किसी व्यक्ति को दिया गया और यह नीति बाद में अपनाई गई कि यदि कोई दूसरा लेना चाहे तो ५ मील का एरिया ले सकता है और वह एक मील भी नहीं ले सकता है। इस प्रकार की सरकार की नीति माइन्स एन्ड मिनरल्स रूल्स के बिलकुल विपरीत है।

बीकानेर ऊन की बहुत बड़ी मंडी है। ऊन की ग्रेडिंग के लिये सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें १ लाख इस वर्ष में रखा है। इसमें किस प्रकार भेडों की उन्नति होगी और ग्रेडिंग अच्छा होगा, यह मैं

# Page No.65



[ श्री मोतीचन्द खजान्चा ]

नहीं समझ सकता जब तक कि भेडों के पानी पीने के लिये तालाबों का और उनके बैठने के लिए छाया का प्रबन्ध नहीं किया जावे। जब तक यह नहीं होगा तब तक ग्रेडिंग में सुधार करना मुश्किल है। इसी प्रकार ऊन से जो कपडा बनाया जाता है उसकी और सरकार यदि ध्यान दे तो एक छोटा सा प्लान्ट लगाया जा सकता है जिससे इस कार्य में काफी प्रोत्साहन मिल सकता है। यहां ऊन भी अच्छी है और काफी पड़ेगी जिससे लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और जो लोग वहां केवल कृषि से अपना निर्वाह करते हैं उनको सहारा मिलेगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर अपना ध्यान देगी और दिलचस्पी लेगी।

**श्री अध्यक्ष**--श्री मानसिंह डिविजन नम्बर ७९।

**श्री भेरूंसिंह (दांता रामगढ)**--वे अभी पहुंचे नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**--यह बिलकुल साफ है।

**श्री रामकिशोर व्यास**--माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार की यह निश्चित और घोषित नीति है कि उद्योग धंधों को जितना प्रोत्साहन दिया जावे व जितना विकास किया जावे उसके करने में पूरा सहयोग दिया जावे। सरकार की इस नीति का पहले भी कई मरतबा जिक्र किया गया है और मैं यह हाउस के सामने फिर रख रहा हूं कि गवर्नमेन्ट की पोलिसी यह है कि जो भी उद्योगपति उद्योग धंधा खोलना चाहे उसको सरकार रियासती शर्तों पर जमीन देने के लिये तैयार है। इसके अलावा उनको मशीनें आदि लाने में कस्टम ड्युटी आदि में रियायत करती है, इसी तरह बिजली को पावर कम रेट से चार्ज करती है। इसके अलावा भी जो जो सुविधायें सभंवत: दी जा सकती है सरकार उनको देने के लिये तैयार है। इसके अलावा मैं यह बता देना चाहता हूं कि बहुत सी इन्डस्ट्रीज को यह रियायतें दी गई हैं और उन लोगों ने इससे फायदा उठाया है।

मेरे दोस्त श्री संतोष सिंह ने यह बताया कि जमीनें वापिस ले लेनी चाहिये। एक तरफ तो यह कहते हैं कि उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाए और दूसरी तरफ इस बात का एतराज करते हैं कि जो जमीन लोगों को इस कार्य के लिये दी गई हैं वे वापिस ले लेनी चाहिये।

**श्री संतोषसिंह**--मैंने यह कहा था कि जो जमीनें बेकार पड़ी हैं, काम में नहीं आ रहीं हैं, जरूरत से ज्यादा हैं वे ले ली जावें।

**श्री रामकिशोर व्यास**--अगर आप चाहते हैं कि उद्योग-धंधे फूलें फलें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में हों तो मैं यह कहूंगा कि उसके लिये सबसे पहली जरूरत की चीज है भूमि, जिन पर कि वे काम चला सकें। आपने बताया कि बॉल बियरिंग वालों से, जो जमीन उनके पास ज्यादा है, ले ली जानी चाहिये।

बॉल बियरिंग एक ऐसी फैक्ट्री है जो हिन्दुस्तान में ही नहीं वरन् एशिया में एक ही है; इसका विकास काफी हो रहा है और यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी बढ़ती हुई आवश्यकता के लिये जो जमीन

Page No.66



[ श्री रामकिशोर व्यास ]

उनके पास है वह ज्यादा है। इसलिये इन फैक्ट्रियों से जमीन वापस ली जावे, यह ठीक नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उद्योग-धंधों को जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये दिया गया है व दिया जाता है।

इन्हीं दिनों कई फैक्ट्रियें सरकार ने उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर व कोटा में खोलने की इजाजत दी है।

साल्ट के बारे में यह अर्ज है कि सांभर व किसी दूसरी जगह जहां कोई उद्योगपति उद्योग खोलना चाहे उस पर भी विचार कर रही है। इस प्रकार उद्योग-धंधों को सरकार की तरफ से जितनी सहायता दी जानी चाहिये सरकार दे रही है और बेकारी की समस्या को हल करने में जितना उससे हो सका है हमेशा तत्पर रही है और रहेगी।

एक कट मोशन श्री संतोष सिंह जी ने रखा है उसका एक भाग यह है "Location of wool Industry at Jaipur". इस संबंध में मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जयपुर में न तो कोई वूल इन्डस्ट्री खुली है और न गवर्नमेन्ट के सामने किसी आदमी ने इस बारे में प्रार्थना-पत्र ही दिया है। मैं यह बताऊं कि गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि राजस्थान में, जब कि सारे हिन्दुस्तान का १।३ ऊन पैदा होता है इसलिये यदि कोई इस प्रकार की इन्डस्ट्री या फेक्ट्री हो तो वह बीकानेर में हो सकती है। फिर भी यदि कोई जयपुर में खोलना चाहे तो खुशी से खोल सकता है। हम तो यह कह सकते हैं कि इसके लिये उपयुक्त स्थान बीकानेर है। मैं यह कहूंगा कि आप किसी उद्योगपति (केपिटलिस्ट) को तैयार करें और गवर्नमेन्ट जितनी सहायता दे सकती है देने के लिये तैयार है और हमेशा तैयार रही है।

दूसरा कट मोशन भाई तेजमल बापना का है। उनका कहना है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की पॉलिसी इन्डस्ट्रीज को एन्करेज करने की नहीं बल्कि उसमें रोड़े अटकाने की है। मेरा अनुमान है कि उनके फरमाने में सच्चाई का हिस्सा बहुत कम है।

**श्री तेजमल बापना**—I do not mean that the Government does not give encouragement to the industries. But I only say that by the industrial policy which the Government is pursuing, the industrialists are discouraged inspite of their will.

**श्री रामकिशोर व्यास**—जैसा कि मैंने ऊपर बताया अगर बकौल उनके, सरकार की नीति ऐसी है कि वह इन्डस्ट्रीज के पनपने में रोड़े अटकाऊ है तो मेरे खयाल से गवर्नमेन्ट को वह सारे कन्सेशन्स और रियायतें, जो इन्डस्ट्रीज को बढाने के लिये सरकार ने दे रखी हैं, सारी रियायतें नहीं दी जानी चाहिये। पर सरकार चाहती है और दिल से चाहती है कि राजस्थान में जितने भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे खोले जाय उनमें जितनी भी मदद दी जा सके, दे।

यह भी कहा गया कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पेन्डिंग पड़े हुए हैं। इस बाबत प्रश्न पूछा गया था तो मैंने कहा था कि जो माइन्स और जियोलोजी के कुछ केसेज पड़े हुए हैं उनको निबटाने के लिए डाइरेक्टर

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

को कह दिया गया है। अभी एक दो रोज पहले मिले तो कहा कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और पैदा हो गये हैं। मैंने कहा कि प्रश्न पूछा गया उस दिन तक तो कोई सूचना नये डिस्प्यूट की नहीं प्राप्त हुई। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के केसेज को लटकाये रखने की गवर्नमेन्ट की कोई मंशा नहीं है। गवर्नमेन्ट चाहती है कि ऐसे डिस्प्यूट्स के फैसले करने में डाइरेक्टर या सेक्रेटेरियेट में देर लगती है तो जल्दी से जल्दी उन्हें तय किया जाय।

तीसरा कट मोशन भाई मोतीचन्दजी का है कि बीकानेर में उद्योग-धंधे नष्ट हो रहे हैं। वे तो सरकार की विघटन पोलिसी बता रहे हैं; जो सही नहीं है। वे खुद जानते हैं कि बीकानेर में कॉटेज इन्डस्ट्री इन्स्टीट्यूट खुला हुआ है जहां इस विषय की ट्रेनिंग दी जाती है, चीजें तैयार की जाती हैं; चीजें रख जाती हैं और चीजें बेची जाती हैं। एक बात और बताई कि वहां ग्लास फैक्टरी कई साल से बन्द पड़ी है। यह बात सच है कि वहां की ग्लास फैक्ट्री (factory) कई साल से बन्द पड़ी है परन्तु इसका कारण गवर्नमेन्ट नहीं है क्योंकि वह गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं चल रही है वह प्राइवेट पार्टीज की तरफ से चल रही है और साझीदार के आपस में तनाजा है, इसलिये बन्द पड़ी है। सरकार की ओर से उनको लिखा गया है कि जितना जल्दी से जल्दी चला सकें, चलायें।

श्री मोतीचन्दजी ने दूसरी बात यह कही कि मिनरल कन्सेशन के मातहत जो १० माइल का एरिया दिया जाता है वह ठीक नहीं है। मेरा खयाल है कि आपने मिनरल रूल्स को शायद पढ़ा नहीं है। उन रूल्स के माफिक १० मील का एरिया दिया जा सकता है। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट से बात करने के बाद एक सवाल पोलिसी का तय कर लिया है। मिनरल कन्सेशन रूल्स के माफिक १० मील का एरिया दिया जा सकता है और रेट्स और रोयल्टी मिनरल कन्सेशन रूल्स के माफिक चार्ज किये जायेंगे।

और कोई विशेष एतराज नहीं किया गया है। अतः मैं आप की सूचना के लिये निवेदन करूंगा कि जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है उसकी पोलिसी ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करने की है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधों को चलाये, फैक्ट्रीज और मिल्स खुलें। पर यह धारणा रखना गलत है कि गवर्नमेन्ट खुद उद्योग धंधे चलाये या मिल्स और फैक्ट्रीज खोले और गवर्नमेन्ट के पास न तो इतना पैसा है और न ट्रेडिंग कन्सर्न है और न गवर्नमेन्ट यह कर सकती है। वह सिर्फ इन कामों को चलाने के लिये सुविधायें और मदद दे सकती है। अतः मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि आप अपने यहां के उद्योगपतियों से सम्पर्क में आइये और उनको ज्यादा से ज्यादा उद्योग चालू करने के लिये तैयार कीजिए। मसलन आपने कहा कि बिलाड़ा में कागज का कारखाना खोला जा सकता है, तो आप अपने मित्रों से कहिये कि कागज का कारखाना वहां खोलें। सरकार सुविधायें और यथासंभव सहायता देने के लिये तैयार है।

**श्री अध्यक्ष**—Now should I put all these out motions to vote ?

श्री तेजमल बापना—Sir, I beg leave to withdraw my cut motion, although the Minister concerned has not satisfied me whether there are genuine difficulties in the matter of providing facilities to mica and other industries.

श्री अध्यक्ष—It is his sweet will.

श्री तेजमल बापना—I beg leave to withdraw it.

श्री अध्यक्ष—The question is that leave be granted to Shri Bapna to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

श्री तेजमल बापना—I withdraw my cut motion.

( श्री सन्तोषसिंह कुछ बोलने को खडे हुए )

श्री अध्यक्ष—No, I do not want to waste time. The question is that the cut motion moved by Shri Santosh Singh be accepted.

अस्वीकृत

The cut motion is rejected.

श्री मोतीचन्द खजांची —I may also be permitted to withdraw my cut motion.

Now, the question is that leave of the house be granted to Shri Moti Chand to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

श्री मोतीचन्द—I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष—The question is that Demand No. XXIII regarding Industries and Supplies be accepted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

## अभियाचना संख्या १६-शिक्षा

Now we come to Demand No. XVI—Education. There are some 17 cut-motions on this Demand and I think 5 minutes will be sufficient for each mover. Shri Nathu Ram Mirdha to move the demand.

श्री गुलाब चन्द कासलीवाल—Sir, I humbly suggest that Demand No. I, given at serial 11 in the list, may be taken up first in deference to the wishes of the Members of the House. It may be given priority over the other demands. It relates to revenue.

श्री अध्यक्ष--Ordinarily the order of taking demands is decided by the Leader of the House in consultation with the Public Accounts Committee. The House has every right to take a decision otherwise. I think Mr. Kasliwal has the confidence of the House.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—So far as I am aware, I have.

श्री अध्यक्ष--Then may I take it ?

श्री जसवन्तसिंह—On behalf of the Opposition, Sir, I may say that we have no objection.

श्री अध्यक्ष--But then in the meanwhile I will like that necessary suggestions for order of priority may be given to me from both the sides.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—We have sat together and have decided that land revenue may be taken up first, then education, medical....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—....And the rest may follow.

## अभियाचना संख्या १-भू-राजस्व

Mr. Speaker, Sir, I beg to move, "that a sum not exceeding Rs. 1,47,20,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. 1, Major Head 7--Land Revenue."

श्री अध्यक्ष--Motion moved. Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Demand for Grant No. 1 be reduced by Rs. 1,000/- ( to discuss the allotment of compensation to Jagirdars the harmful policy of the Government regarding question of Khudkasht and back stage negotiations with Jagidars, its failure in evolving proper rent rates for Kisans, its failure to recover the settlement charges from Jagirdars, the realisation of one and a quarter land revenue refugee Kisans of Alwar, its failure to make proper arrangement for enforcement of the law regulating share of produce and improper nepotic allotment of land).

श्री अध्यक्ष--You should not waste your time in reading the cut-motion. We can take the cut motions as moved and the Members can straight-away go with their speeches. When the members are not present the cut motions will be taken to be not moved.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—अध्यक्ष महोदय, इस मांग के सिलसिले में जो कटौती का प्रस्ताव मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके कई कारण है और मैं केवल उनमें से विशेष कारणों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन्हें मैं कम समय में सदन के सामने पेश कर पाऊंगा।

सबसे पहले जो चीज मैं इस मांग के सिलसिले में कहूंगा वह यह है कि आखिर क्या जिम्मेवारी है इस विभाग की? सबसे पहली और बड़ी जिम्मेवरी इस विभाग की यह है कि किसानों से जो लगान वसूल किया जाता है उसे वाजिब तरीके से मुकर्रर करें और वसूल करें। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इस प्रश्न पर आज तक बहुत ही बेजा रुख राजस्थान सरकार और संबंधित मंत्री ने अपनाया है। कुछ दिन पहले सेटलमेन्ट के सिलसिले में मैंने एक प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया था और उस समय कुछ बातों का जिक्र मेरे द्वारा यहां हो चुका है। मैं उनको न दोहराता हुआ केवल उन बातों के विशेष अंग की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक प्रश्न मैंने बाली और देसूरी तहसीलों में रेन्ट रेट रिपोर्ट के बारे में पूछा था। माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि वहां छठे बांटे के हिसाब से रेट मुकर्रर की गई है। बार बार सप्लीमेन्टरी प्रश्नों के बावजूद भी वे अपने बयान पर डटे रहे। इसके बाद मैंने जो रेन्ट रेट रिपोर्ट है, उसको देखा। मेरे पास उसमें के एक्सट्रेक्टस मौजूद हैं मैं इस रेन्ट रेट रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि वहां पर छठे बांटे के हिसाब से रेट मुकर्रर नहीं की गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा कानून बनानेवाला सदन कानून बनाता है और कहता है कि किसानों से छठे बांटे से ज्यादा लगान वसूल नहीं कर सकते और इस सदन से अधिकार लेकर चलनेवाली सरकार और उसके अधिकार जब फैसला करने चलते हैं तो अंत में यह कहते हैं कि हम चौथी पांती के हिसाब से लगान लेंगे और यही रेट मुकर्रर करेंगे। मेरा यह कहना है कि यह कानून की अवहेलना ही नहीं है बल्कि कानून बनानेवालों का गैर जिम्मेवर रुख है। मुझे ताज्जुब हुआ यह सुनकर और पढकर कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी स्पीच में कहा कि बहुत जल्दी ही सेटलमेन्ट की रेट रिवाइज करने वाले हैं और उससे बहुत बड़ी आमदनी होने का अन्दाजा है। मैं यह समझा कि राजस्थान सरकार आमदनी बढ़ाने की दौड़ लगा रही है। दिखने में बजट में घाटा हो या न हो लेकिन असल में जो घाटा है पूरा करने के लिये किसानों से रेन्ट रेट, चाहे हो या नहीं न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण हो, बढ़ाना चाहती है। जो सरकार की नीति है वह न सिर्फ गैर वैज्ञानिक, न सिर्फ अन्याय पूर्ण और कानून के खिलाफ है बल्कि बजट को बेलेन्स्ड करने के लिये विशेष प्रकार की बेजा नीति दिखती है।

दूसरा कारण जो इस कटौती प्रस्ताव को रखने का प्रस्तुत करूंगा वह यह है कि एक ओर तो सरकार कानून बनाती है और दूसरी ओर इस कानून को अमल में लाने के लिये किसी मशीनरी का इन्तजाम नहीं करती है। पिछली बार हमने एक कानून बनाया था उस पर एक अमेन्डमेन्ट इस सेशन में मन्जूर हुआ है। वह छठे बांटे का कानून है। लेकिन माननीय अध्यक्ष, यदि आप गौर फरमावेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान में कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी क्षेत्र में टिनेन्सी कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई भूमि का मालिक किसानों से छठे बांटे से ज्यादा लगान लेने की कोशिश करे तो किस प्रकार किसानों को राहत मिल सकती है; इसका कोई इन्तजाम नहीं है। दूसरे इलाकों में इस प्रकार के रेवेन्यू लॉज नहीं हैं। जोधपुर और एक दो रियासतों में इस प्रकार के लॉज हैं, बाकी रियासतों में इस प्रकार के कानून नहीं हैं। जोधपुर में मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट में जो कानूनी धाराएं हैं उनका अमल किस प्रकार

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

होता है उसकी मिसाल सदन में रखना आवश्यक है। सरकार यह कानून बनाती है कि छठे बांटे से ज्यादा जो लगान वसूल करेंगे या गैर कानूनी कार्यवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और इस प्रकार की कार्यवाही करने का तरीका यह मुकर्रर किया है कि यदि कोई किसान तहसीलदार के पास शिकायत करे कि मुझसे छठे बांटे से अधिक लिया गया है तो उसे अर्जी के साथ १५) रुपये पहले देने पड़ेंगे। सरकार कहती है कि कानून के खिलाफ कार्यवाही करनेवाले के खिलाफ तो बाद में विचार करेंगे, पहले तो तुम जो फरियाद करनेवाले हो वह १५) रुपये फीस के दो। किसानों से अलग अलग अर्जियां ले ली जाती हैं और हरेक से पन्द्रह-पन्द्रह रुपये वसूल किये जाते हैं और जो शिकायतें हुई हैं उनका हल अभी तक नहीं हुआ है। यह अत्यन्त ही अन्याय पूर्ण है। जो कानून तोड़ने वाला है उसके खिलाफ कुछ न करके पहले जो फरियाद करने वाला है उसी से फीस वसूल करेंगे तो किसान समझेंगे कि पहले १५) रुपये तहसील में जमा कराओ, फिर आने जाने का खर्चा दो; इससे अच्छा तो यही है कि चौथा बांटा देकर पिण्ड छुड़ाओ। इस महत्वपूर्ण कानून को अमल में लाने के लिये सरकार ने मशीनरी नहीं बनाई है इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

तीसरा कारण जो प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि सरकार बहुत अर्से से सदन को कॉन्फीडेन्स ( Confidence ) में लाये बिना ही जागीरदारी प्रथा को खत्म करने के सबसे बड़े अहमियत के सवाल को हल करना चाहती है। मैं याद दिलाऊंगा कि जब सबसे पहले राजस्थान की चुनी हुई एसेम्बली का सेशन हुआ था उससे १२ दिन पहले इस कानून को राजप्रमुख ने मन्जूर किया था और उसे सदन के सामने नहीं लाया गया। बहुत ज्यादा महत्व की बात तय करने के लिये सदन को कोई मौका नहीं दिया गया।

उसके बारे में सदन में यह कानून प्रस्तुत करने के बजाय पर्दे के पीछे, मकानों और बंगलों में, जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और दिल्ली में जगह जगह निगोशिएशन्स ( Negotiations ) किये जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये किस बात के लिये? क्या राजनैतिक चाल खेली जा रही है? क्या राजस्थान के किसानों के हितों को गिरवी रख कर अपनी पार्टी की पोजिशन को सम्हालने की कोशिश की जा रही है? मेरा यह दावा है और साफ कहना है कि यह जो काम किया जा रहा है वह आम लोगों के हित की दृष्टि से नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि पर्दे के पीछे सदन को बगैर कोन्फिडेन्स में लिये किसानों के हितों के खिलाफ समझौता करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो सरकार फिर कानून क्यों पास करती है? चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी राय देने का मौका क्यों नहीं देती? क्यों पर्दे के पीछे निगोशिएशन्स करना चाहती है? क्या वजह है कि एक के बाद दूसरी सहूलियतें दी जा रही हैं? मेरा यह भी कहना है कि यदि सरकार का यह पक्का इरादा है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो और जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि हमने इसको कोर्ट के हाथ में रख दिया है और इसलिये देर हो रही है, तो फिर यह देर क्यों हो रही है? असलियत तो यह है कि राजस्थान सरकार के वकील खुद कोर्ट्स में जाकर कहते हैं कि इस सम्बन्ध में हमारी बातचीत चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या किसानों के हित की दृष्टि से यह किया जा रहा है या अपनी पार्टी की पोजिशन को सम्हालने के लिये ही किया जा रहा है? अपनी

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]
सत्ता को कायम रखने के लिये किसानों से जो आपने वायदे किये थे उनके खिलाफ कार्यवाही किये जारहे हैं। आप सत्ता के अन्दर इतने अन्धे हो गये हैं कि आप किसानों के हितों की भी परवाह नहीं करते।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं अपने इस कट मोशन के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार पर्दे के पीछे जो समझौते होंगे तो राजस्थान की जनता ऐसे कानून को मानने वाली नहीं है। चाहे राजस्थान सरकार फैसला करदे कि अमुक अमुक चीज हमको देनी हैं किन्तु जमीन ऐसी चीज है जो मन्त्री मण्डल की दी हुई नहीं है। जमीनें लाखों और करोड़ों किसानों की जिन्दगी है। जब तक किसानों के हाथों में जमीन है तब तक केबिनेट के एक प्रस्ताव नहीं दस प्रस्ताव भी हो जांय तो भी वें लागू नहीं हो सकते। आप लॉ (कानून) बनाइयेगा किन्तु इससे बेदखलियों के रास्ते खुलेंगे। पर्दे के पीछे अपनी पार्टी की पोजिशन सम्हालने के लिये आप ऐसा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा इरादा पक्का है कि हम किसानों को राहत पहुंचायंगे। तो मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यह केवल भुलावे में डालने का प्रस्ताव है और मैंने इसीलिये यह बात इस कटौती के प्रस्ताव के जरिये सदन में रखी है।

माननीय अध्यक्ष, मैं सदन के सामने एक चीज और इसी सम्बन्ध में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। इस विभाग के अफसरों को चारों और से खुली छूट दे दी गई है और इस विभाग के अफसर मनमानी कार्यवाही कर रहे हैं, जो आम लोगों के हितों के लिये खतरनाक चीज होने वाली है। मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा सेटलमेन्ट के विषय में। सेटलमेन्ट के रेकर्ड में तब्दीलियां की जा रही हैं और कुछ दिनों से लगातार रियायतें दी जा रही हैं। राजस्थान के सेटलमेन्ट कमिश्नर ने एक सर्क्युलर निकाला है जिसमें कहा गया है कि सेटलमेन्ट का जो कानून है उसके अनुसार, यानि कानून के अन्दर यह लिखा है कि जो खातेदार हैं उनके नाम पर्चा दिया जावेगा, चाहे उनका पजेशन हो या न हो; लेकिन राजस्थान सेटलमेन्ट कमिश्नर का एक सर्क्युलर है जिसमें कहा गया है कि चाहे रेकर्ड में किसान खातेदार दर्ज हो या न हो, फिर भी अगर आप (अफसर) मौके पर देखें कि ऐसे आदमी ने कब्जा कर रखा है कि जिसका नाम खातेदार में दर्ज नहीं है तो भी आप रेकर्ड में पजेशन के अनुसार तब्दिली कर दीजिये। अर्थात् पैमाइश हो चुकी, खातेदार का नाम रेकर्ड में दर्ज हो गया और कानून के अनुसार जो पांच साल तक नहीं हट सकता किन्तु यदि पजेशन दूसरे का है तो उसको बेदखल किया जा सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कानून के अनुसार उस किसान का पांच साल तक कब्जा नहीं हट सकता। कानून में यह भी है कि जब तक एस. डी. ओ. के सामने बयान नहीं करे तब तक पांच साल तक उसको कोई नहीं हटा सकता। किन्तु हो यह रहा है कि जिस व्यक्ति का कब्जा है उसका पजेशन मान कर रेकर्ड में दुरुस्ती कर दी जाती है और यह हो रहा है ऊंचे ऊंचे अफसरों के द्वारा। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की बेजाब्तियां कानून के खिलाफ हैं, जनता के हितों के खिलाफ हैं, किसानों को राहत नहीं किन्तु नुकसान पहुंचाने वाली है और अफसरों को इस प्रकार बेजाब्तियां करने के लिये

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

हरी झंडी दे दी गई है। मैंने यह कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने इसीलिये प्रस्तुत किया है कि इस पर विचार किया जाय।

(श्री किशनलाल शाह बोलने को खडे हुए)

**श्री अध्यक्ष**—No, there is no cut motion of yours.

**श्री किशनलाल शाह**—Am I not entitled to speak in general ?

**श्री अध्यक्ष**—No, You have to see whether you partake in the discussion on any of these cut motions. This is your choice.

**श्री किशनलाल शाह**—I have to support Mr. Vyas.

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लैण्ड के विषय में जो प्रथा चली आ रही है उसके अन्तर्गत जमीनों की मिल्कियत का हिसाब राजस्थान सरकार के हाथ में होता है।

**श्री अध्यक्ष**—You should finish your speech within 5 minutes.

**श्री किशनलाल शाह**—और उस मिल्कियत का हिसाब सरकार के दफ्तरों में रखा जाता है। परन्तु जहां तक जमीनों का प्रश्न था और उपयोगी बागों का प्रश्न है, वे सब जागीरदार के कब्जे में थे। जब से हमारी लोकप्रिय सरकार बनने लगी तब से किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई जाने लगी। किन्तु जहां तक कब्जे का प्रश्न है उसके सबूत पूर्णतः जागीरदारों के कब्जे में थे। इसलिये जो कुछ इन्द्राज या किताब काश्तकारों के पास मिल सकती है वही सेटलमेन्ट के दफ्तर से मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक जिक्र करूं कि जिस समय संवत् २००४ में रेकर्ड ऑफ लेन्ड्स बने उस समय मारवाड़ में एक कानून था और वह यह था कि बारह साल कब्जे वाला खातेदार मौरुसी खातेदार होता था, छः साल वाला खातेदार और इससे कम वाला Tenant at will होता था। उस समय जागीरदारों ने छः साल से कम कब्जे को लिखवाया और कामदारों के जरिये दस्तखत करवाये, यानि अटेस्टेड करवा दिया। उसके बाद मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट बना। ज्योंही जागीर एबोलिशन का प्रश्न सामने आया जागीरदारों ने सेटलमेन्ट विभाग से मिल कर अनुचित और अनधिकृत कार्यवाहियां की। पट्टे काश्तकारों के नाम से कटवा कर जागीरदारों ने अपने नाम करवा लिये। ऑफिसर्स के इन्फ्लुएन्स ( Influence ) से जागीरदारों को कब्जा दिलाया गया। ये संवत् २००६, २००७, २००८ और २००९ के कब्जे के बिना पर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि एक रोज में एक ही खसरे के चार चार पट्टे दिये गये; एक आदमी को सुबह दस बजे, दूसरे को दो बजे और तीसरे को चार बजे। कलेक्टर की नाक के नीचे, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की नाक के नीचे और असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट कमिश्नर की नाक के नीचे यह होता था। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं, दो नहीं, किन्तु गांव के गांव बतला सकता हूं जहां पर एक ही नम्बर का पर्चा काश्तकार के पास है तो उसी नम्बर का पर्चा जागीरदारों के पास भी मौजूद है। इस सम्बन्ध में अदालतों ने जो फैसले

[ श्री किशनलाल शाह ]

किये हैं वे भी मौजूद हैं रेकर्ड में । अध्यक्ष महोदय, यह हो रहा है कि कब्जा काश्तकार के पास है और पट्टा जागीरदार के पास है और छटा बांटा लिया जाता है । अगर पर्चा न हो तो और काश्त करता है तो चौथा बांटा लेते हैं । यह हाल हमारे राजस्थान का हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि पटवारी लोग आते हैं, गिरदावरी करते हैं और वे किस तरह भ्रष्टाचार करते हैं वह तो विचारा किसान ही जानता है । अगर वह कानून की शरण लेता है तो आपकी लाल फीताशाही उसके मार्ग में किस तरह से आती है, यह किसान ही जानता है ।

मैं यह कहने को तैयार हूं कि रेवेन्यू विभाग के सम्बन्धित मन्त्री महोदय का दिल जरूर किसान का है; परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने में भी नहीं हिचकूंगा कि उनकी आंख और उनके कान लाल फीताशाही को गिरवी रखे हुए हैं ।

और आज............... (घंटी)

Now I am concluding.

श्री अध्यक्ष—While criticizing the Budget he has criticized the Minister.

श्री किशनलाल शाह—I think the burden lies upon him.

श्री अध्यक्ष—But not on his person.

श्री किशनलाल शाह (जारी)—तो किसानों के साथ सेटलमेन्ट विभाग का जो बर्ताव है वह अच्छा नहीं है । इस विभाग ने कुछ सर्क्यूलर्स और हिदायतें भी इस सम्बन्ध में जारी की हैं जो कानून के विरुद्ध हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज यह सेटलमेन्ट विभाग जागीरदारों के साथ कैसा पक्षपात कर रहा है ? ६० प्रतिशत सेटलमेन्ट चार्जेज उनसे वसूल किया जाता है । मैंने सेटलमेन्ट कमिश्नर से पूछा तो यह कहा गया कि उनसे हिसाब नहीं हो सका । यह उत्तर है उनका । जिन जागीरदारों में सेटलमेन्ट का रुपया बकाया है उसे वसूल नहीं कर सकता यह सेटलमेन्ट विभाग और सेटलमेन्ट कमिश्नर । ऐसा सेटलमेन्ट कमिश्नर इस पोस्ट पर रहने के लायक नहीं हो सकता । इस तरह से एक तरफ तो सरकार को आय को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ इन जागीरदारों को राहत पहुंचाई जा रही है । ऐसा सेटलमेन्ट का विभाग और सेटलमेन्ट कमिश्नर आम किसान का क्या भला करेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ।

इधर जागीरदारी उन्मूलन कानून के बारे में सरकार सोच रही है और आज जागीरदार कहने जा रहे हैं कि यह बात छोड़ दी जावे, वह बात छोड़ दी जावे । जैसा श्री एच. के. व्यास ने कहा कि इस तरह ढील छोड़ी जा रही है और आगे जाकर इस मामले पर जागीरदारों से कोई समझौता होने वाला है मैं भी समझता हूं कि इसमें इसकी बू आ रही है ।

इधर जागीरदार अपने किसी प्रश्न पर मुकाबला करने से पीछे हटने को तैयार नहीं और उधर जो इस तरह परदे के पीछे राजनैतिक चाल चली जा रही है, मैं कहता हूं कि वह चाल चलती रहने वाली

[ श्री किशनलाल शाह ]

नहीं है। इस तरह ऐसे मामलों पर मैं कहता हूं कि पाटवी और ठाटवी की प्रथा की तरह ही यह व्यवहार तो समाप्त ही होकर रहेगा।

तो इस तरह से इस विभाग में जो धांधली है उसे अगर समाप्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो असन्तोष और भी अधिक फैलने वाला है।

**श्री गोपीलाल यादव**—मेरा खयाल था कि मैं Education के मामले पर साथ ही बोलू पर रेवेन्यू आ गया है इसलिये औरों को कट मोशन उपस्थित करने की इजाजत दे दी जावे तो........

**श्री अध्यक्ष**—Once a Member is called and he waives his right, he is not entitled to speak again.

**श्री गोपीलाल यादव (जारी)**—माननीय अध्यक्ष, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में मुझे बहुत सी शिकायतें हैं और यह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की समानता का ही डिपार्टमेन्ट है जिसका कि हर वक्त जनता के हरेक अंग से ताल्लुक रहता है। इसलिये रेवेन्यू विभाग में जो बातें हो रही हैं, जो गड़बड़ियां चल रही हैं जब तक उनका सुधार नहीं हो जावे शासन ठीक नहीं हो सकता और न लॉ और आर्डर (कानून और व्यवस्था) की स्थिति ही सुधर सकती है।

सब से मुख्य चीज जो मुझे रेवेन्यु विभाग के सम्बन्ध में कहनी है वह है लैन्ड रेकॉर्ड की। आपको ताज्जब होगा कि इस वक्त जितनी अव्यवस्था और लड़ाई झगड़े इस सारे राजस्थान में फैले हुए ह वह लैण्ड रेकार्ड को सही तरीके पर न रखे जाने से ही है। इसको हर एक आदमी जानता है कि एक पटवारी, खेत किसी का है और नाम किसी का लिख लेता है। आगे चल कर जिसके नाम खेत लिखा हुआ है वह उसके खिलाफ, जिसके कब्जे में खेत है, मुकद्मा दायर कर देता है और इस तरह से हजारों केसेज आज चल रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड से हर साल हजारों मुकद्में इस तरह के फैसले होते हैं कि यह जो एन्ट्री कागजों में की गई है गलत है और जिनके नाम एन्ट्री नहीं है उनको खेत दे दिया जाता है। पर आज तक उन पटवारियों को कोई सजा नहीं दी गई।

तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा इन्तजाम करिये कि जिससे आपका रेवेन्यू का अफसर जिन मुकद्मों के सम्बन्ध में यह फैसला कर दे कि इसमें पटवारी ने एन्ट्री गलत की थी उसमें उस पटवारी पर डिपार्टमेन्टल कार्यवाही जरुर की जावे। उसका कुसूर ज्यादा है, कम है इस पर उसे सजा देनी, थोड़ी देनी, ज्यादा देनी या बर्खास्त करना या क्या करना ; यह आपके लिये आप अलग से रिजर्व रखिये।

अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि कम कसूर है तो कम सजा दीजिये और ज्यादा है तो बरखास्त कर दें। पर यह विज्ञप्ति निकाल दें कि जिस जगह पर लैण्ड रेकॉर्ड में गलती बताई जावे उसकी सूचना आपको दी जावे।

[श्री गोपीलाल यादव]

इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वह यह है कि क्यों इन गल्तियों की वजह से मुकद्दमें बढाये जाते हैं, लोगों की खामख्वाह कठिनाइयां बढ़ाई जा रही हैं।

आप तय कर दीजिये अब कि जिस आदमी के पास खेत हैं और जिनकी एन्ट्री है वही अगले साल खेत का मालिक होगा; पटवारी को कोई अधिकार नहीं है उसे चेन्ज करने का। अगर चेन्ज करेगा भी तो तहसीलदार के सामने दोनों पार्टियां जावेंगी; जिसका नाम चेन्ज होना है और जिसके नाम खेत पिछली साल था वह दोनों होंगे। उन दोनों के स्टेटमेन्ट तहसीलदार के पास रेकॉर्ड होने के बाद ही कार्यवाही ठीक मानी जानी चाहिये। इस तरह का कानून बना कर रेवेन्यू विभाग की ओर से इस तरह के इन्स्ट्रक्शन (आदेश) देते हैं तो ये शिकायतें अपने आप समाप्त हो जावेंगी। इसके साथ ही बहुत से झगड़े भी खतम हो जाते हैं।

इसके अलावा भी एक दूसरी चीज है। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां या तो सरकार की जमीन है या जागीरदारों की। बिस्वेदारी जमीन तो भरतपुर अलवर के थोड़े से इलाके में है। बाकी जमीन या तो सरकार की है या जागीरदारों की है। अभी ७ मार्च का कानून निकला है जिसमें ऐसा निर्देश है कि सरकारी जमीन पर से टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डीनेन्स को हटा लिया जावे। राजस्थान के लाखों किसानों को, जो कि सारे राजस्थान के हिस्से में बसे हैं उनके साथ यह जुल्म क्यों करने जा रहे हैं?

सबसे मुख्य चीज यह होनी चाहिये कि पहले सरकार जमीन पर से बेदखलियां नहीं करेगी। ऐसा तय कर दे। अगर कभी कोई उनको हटावेगा भी तो जागीरदारों की जमीन पर से जागीरदार ही हटाने वाले होते हैं क्योंकि सरकारी जमीन से तो हटाने का कोई कारण ही नहीं है। अगर आप सरकारी जमीन को लेना भी चाहें तो जमीन को एक्वायर कर सकते हैं और ऐसी सूरत में बाकायदा कम्पेन्सेशन देकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर जरूरत पड़े और किसी जागीरदार अथवा कांग्रेसमैन या किसी आदमी को देना हो तो बाकायदा उसको पूरा पूरा कम्पेन्सेशन देने पर यह हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि उसको आप एकाएक ही वहां से हटा दें। और ये सब चीजें तो अलग एक्वीजीशन के रूल में आ जावेंगी। मेरे कहने का आशय यह है कि इस गलती को आप अभी अमेन्ड कर दीजिये।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का व्यर्थ खर्चा हो रहा है। नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों से जो पॉवर्स ले लिये गये हैं उससे वे अब निठल्ले बैठे रहते हैं। इसलिये आप उनको जैसे पहिले काम देते थे, जो ड्यूटीज आपने दे रक्खी थी वही फिर दे दीजिये। उनको वैसे ही बिठाकर आप तनख्वाह का बोझा क्यों अपने पर बढ़ाते हैं। उनसे काम लें, अगर काम नहीं लेते हैं तो उन्हें कम करदे। इस बारे में मैं और भी सजेशन देना चाहता हूं कि जिस तहसील में अभी एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार है वहां दो का काम नहीं है। तहसीलें जो तोड़ी जा रही हैं इससे लोगों को असुविधा होती है। उनकी तादाद और बढ़ा दीजिये, तोड़ियेगा नहीं। ऐसा करके वहां आप एक ही तहसीलदार रखिये, नायब तहसीलदार मत रखिये। क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं है। दो का काम वहां नहीं है। कुछ जगह सब-तहसीलें बना दीजिये वहां तहसीलदार मत रखिये नायब तहसीलदार

Page No.77



[श्री गोपीलाल यादव]

रख दीजिये। इस तरह से आपका खर्चा कम होगा और जनता की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बहुत से आदमियों को बेकार में बिठाये-बिठाये तनख्वाह देने में फायदा भी नहीं है।

इसके अलावा बड़ी शिकायत टीनेन्सी एक्ट को हाउस के सामने न लाने की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल से यह टीनेन्सी बिल चल रहा है। कई बार यह सर्क्युलेट हुआ, सिलेक्ट कमेटी को सौंपने की बात हुई पर वह अभी तक सिलेक्ट कमेटी को नहीं सौंपा गया। पिछले सेशन में सिलेक्ट कमेटी को देने के लिये इन्ट्रोड्यूस हो गया, सिलेक्ट कमेटी को दिये जाने केलिए पास हो गया किन्तु उसके परसोनल्स अनाउन्स कर देने की सूचना थी; पर खेद है कि पर्सोनिलस आज तक अनाउन्स नहीं किये गये।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**--अध्यक्ष महोदय, कब यह तय हुआ कि पर्सोनल अनाउन्स कर दिये जायेंगे? पब्लिक आपीनियन के लिए रेफर करने की बात थी।

**श्री गोपीलाल यादव**--पब्लिक ओपीनियन के लिए दिये जाने की बात तैय हुई, पहले सेशन में जहां तक मेरा खयाल है; यह पिछले साल अप्रेल में हुआ और सिलेक्ट कमेटी के पर्सोनल की जो बात बतला रहा हूं वह अक्टूबर और नवम्बर के महीने की बात है। इसमें पहले सेशन में पब्लिक ओपीनियन का तय हो चुका था। अब सिलेक्ट कमेटी के पर्सोनल अनाउन्स करेंगे, फिर सेशन होगा अक्टूबर में। उस वक्त तक उसकी रिपोर्ट मुश्किल से आवेगी। इसका मतलब यह है कि इस तरह से दो तीन साल निकाल देंगे और इस बीच ये झगड़े-टन्टे चलते रहेंगे। इस बीच सरकार ताकत अपने हाथ में लेकर, मैं समझता हूं, बेजाब्तगियां करना चाहती है, अपनी मनमानी करना चाहती है और डेलिबरेटली इस टीनेन्सी एक्ट को टालना चाहती है। यह कभी उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन पेश करता हूं।

**श्री गंगासिंह**--मेरा कटौती प्रस्ताव यह है, "TO discuss mismanagement in the Department and also to discuss inefficiency of the staff)".

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस कट मोशन के सिलसिले में मैं जो कुछ कहना चाहता था उसका काफी हिस्सा श्री गोपीलाल यादव ने कह दिया है। उसको न दोहराते हुए जो कुछ बातें रह गई हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला हमारा लेन्ड रेवेन्यू का महकमा है। वह हमारी आमदनी का सबसे बड़ा महकमा है। अगर हम ठीक तरह से इस रेवन्यू के महकमें पर गौर करें तो हमारी आमदनी बहुत बढ़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस महकमे में बहुत बड़ा मिसमेनेजमेन्ट (mismanagement) है और साथ ही स्टाफ एफीशियेन्ट नहीं है इसलिये आमदनी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं सदन का ध्यान उस आर्डर की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिस आर्डर के मातेहत सरकार ने एलान किया कि जो जमीन काबिल काश्त नहीं वह बोने वालों को या किसानों को लीज पर दी जाय। सरकार की जो नीति है उसको तो मैं चेलेन्ज नहीं करता किन्तु यह जरूर कहूंगा कि इन्टरप्रीटेशन (interpretation) इस हुक्म का डिस्ट्रिक्ट में अफसरों द्वारा जो लिया जा रहा है वह बहुत गलत लिया जा रहा है। इस हुक्म की मन्शा यह थी कि जो जमीन पड़ी हुई है, जो जमीन काबिल काश्त

[श्री गंगासिंह]

नहीं जिसको काश्त करने के लिए काश्तकारों को बहुत रुपया लगाना पड़ेगा उस जमीन को लेकर काश्तकारों को जोतने के लिए दी जाय जिससे कि ग्रो मोर फूड (Grow more food) के अन्तर्गत हमारा काम भी सफल हो और जमीन भी बेकार न पड़ी रहे। लेकिन इस ऑर्डर के तहत ऐसी ऐसी जमीनें भी lease पर दे दी गईं जिस जमीन को जोतने के लिये बारी पट्टा लेकर काश्तकार बोने के लिये तैयार थे। मुझे समझ में नहीं आता कि वह जमीन लीज lease पर क्यों दी गई? इस तरह से जमीन देने से सरकार को काफी नुकसान हुआ है। नागोर डिस्ट्रिक्ट को ही लीजिये। वहां पर जमीन की कमी के कारण जोड़ वगैरह जो पहले थे उनके बारी पट्टे दिये जाते तो सरकार की आमदनी बढ़ती। कुछ सिफारिशों के कारण ऐसे आर्डर के तहत सरकार ने उन जोड़ों की आमदनी की ओर ध्यान न देकर कलेक्टर, एस. डी. ओ. तहसीलदार की सिफारिश से ये जोड़ भी इस आर्डर के तहत lease पर दे दिये। इससे सरकार को लाखों रुपयों का भारी नुकसान हुआ।

श्रीमन्, इसके अलावा मैं दूसरी ओर सदन का जो ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे इस महकमे के अन्दर पट्टों की बहुत भारी इनकम हो रही है। पट्टे जमीन के दो तरह के दिये जाते हैं। पट्टे देने में बहुत मिसमैनेजमेन्ट हो रहा है। पट्टे देते वक्त ठीक रेट नहीं लगाई जा रही है। इससे सरकार को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

तीसरी बात जिसकी ओर ध्यान दिलाऊंगा वह यह है कि हमारे जो केसेज रेवन्यू कोर्टस में चल रहे हैं उनके अन्दर कार्यवाही में बहुत देरी हो रही है। देरी होने के कारण केसेज का जिस तरह से नतीजा निकलना चाहिये वैसा नहीं निकल रहा है।

चौथी बात यह है कि तहसीलदार वगैरह मुकद्दमों का फैसला काननों की तहत कार्य न कर एक्जीक्युटिव साइड के अन्दर तय कर रहे हैं जिससे जनता में बड़ा असन्तोष फैल रहा है और जो कार्य ठीक रूप से होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। इसके अलावा इस सदन का ध्यान में उन पटवारियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो पटवारी हमारे इस लेन्ड रेवेन्यु के एडमिनिस्ट्रेशन की बेक बोन (back bone) हैं। उनके कार्य में मिसमेनेजमेन्ट (mismanagement) हो रहा है इसके फलस्वरूप करप्शन को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसे ठीक करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये।

पटवारियों को चाहिये कि वे अपना रेकर्ड लेन्ड रेकर्ड मेनुअल के अनुसार रखें। इस समय पटवारी दो तरह का रेकर्ड रखते हैं, एक तो पक्का और दूसरा कच्चा। दोनों विषय में रेकर्ड में विषय तरह तरह से दिखाये जा रहे हैं। अगर अदालतों में गिरदावरी का काम पड़ता है तब वे पैसा लेकर खेतों की गिरदावरी झूठी ही रेकर्ड में दर्ज कर जिस तरह से चाहें, जिसका नाम रखना चाहें रखवा सकते हैं। इस तरह से हमारे रेवेन्यू साइड के अन्दर जो इस प्रकार के काम हो रहे हैं वे बड़े आश्चर्यजनक हैं।

दूसरी बात यह है कि पटवारियों का जो इन्सपेक्शन हो रहा है उसके लिये नायब तहसीलदार मौके पर नहीं जा रहे हैं, पटवारी मन-चाही अपनी गिरदावरी कर रहे हैं।

[श्री गंगासिंह]

इन बातों के अलावा मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कई ऐसे गांव हैं जहां तीन तीन सालों से गिरदावरियां नहीं हो रही हैं। यहां तक कि किसान जो जमीन जोतते हैं और जिसका रेकर्ड रखा जाता है, वह भी रेकर्ड तैयार नहीं है। यहां तक भी मालूम नहीं है कि कौनसे काश्तकार ने गैर माफी से काश्त की और कौन से ने बापी से।

लेन्ड रेकार्ड के टूटने से भी, अध्यक्ष महोदय, हमारा लेन्ड रेवेन्यु का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बाधा पहुंची है। लेन्ड रेकार्ड के टूटने से लेन्ड रेकार्ड का जो काम है वह कलेक्टर्स और एस. डी. ओ. के पास हो जाने से हमारा कार्य जो लेन्ड रेकार्ड का होता था वह ठीक तरह से चेक नहीं होता है। एस.डी.ओ. और कलेक्टर्स को अपने ही काम से फुरसत नहीं मिलती है जिसके कारण यह लेन्ड रेकॉर्ड का काम बिगड़ा जा रहा है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पटवारियों की नियुक्तियों का भी खयाल रखा जाना चाहिये। पटवारी का, जिस गांव का वह होता है उस गांव के अन्दर रखने से हमारे रेवेन्यु के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां उसकी उस गांव में तरह तरह की रंजिशें होती हैं और उन रंजिशों को निकालने के लिए वे इधर-उधर का कार्य करते रहते हैं।

इसके अलावा अब आखिर में यही कहूंगा कि पटवारी जो रेकॉर्ड्स तैयार करते हैं और उनके जो कागजात हैं वे ठीक तरह के होने चाहिए। जो कागज फिलहाल काम में आ रहे हैं वे बहुत ही मामूली क़िस्म के होने के कारण ३-४ वर्ष तक पटवारियों के गिरदावरी के रेकॉर्ड में ठीक तरह से नहीं रह सकते हैं।

**श्री केसरीसिंह** (बूंदी)—अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. I be reduced by Re. 100/- (to discuss inefficiency of the departmental staff in discharging their duties properly)."

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कट मोशन के द्वारा यह स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट की इनएफिशियेन्सी के कारण सरकार को कितना नुकसान होता है। रेवेन्यु एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जिसको कि डिपार्टमेन्ट या महकमा न कहकर एक साइन्स कहना चाहिये। उसके अन्दर तजुर्बेकार आदमियों की जरूरत है। यह साइन्स आज से नहीं बहुत पुराने जमाने से चलरही है। शहन्शाह अकबर के जमाने के अन्दर नवरत्न थे। उनमें राजा टोडरमल जो थे वे रेवेन्य के धुरन्धर विद्वान थे और हिन्दुस्तान में इसकी राजा टोडरमल ने ही बुनियाद डाली थी। मौजूदा राजस्थान सरकार में भी ९ मिनिस्टर हैं और वे राजप्रमुख के नवरत्न हैं और इसके अन्दर हमारे जो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब हैं वे श्रीमान् राजा टोडरमल की जगह हैं। (हियर, हियर,) उनको राजा टोडरमल के फूटस्टेप्स पर चलना चाहिये और उसी तरह इन्ट्रेस्ट और दिलचस्पी से काम करना चाहिये जैसा कि राजा टोडरमल ने अकबर के जमाने में किया था।

[श्री केसरीसिंह]

रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट होल (whole) एडमिनिस्ट्रेशन की बेकबोन back bone हैं। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है तो भला शरीर ही कैसे चल सकता है? इसलिये शरीर को चलाने के लिये रीढ़ की हड्डी की बहुत मजबूती चाहिये।

रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में क्यों इन्एफिशियन्सी है? इसका कारण केवल एक ही है और फ्रिक्वेन्ट (frequent) ट्रान्सफर्स जो ऑफिसरों के किये जाते हैं जिसके कारण जो ऑफिसर हैं वे एक तरह से (permanency) अपना नहीं समझते कि न मालूम कब ट्रान्सफर कर दिये जायं। इससे वे काम में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बिफोर इलेक्शन व पोलिटिकल ग्राउड्न्स पर ट्रान्सफ बहुतेरे किये गये। उनमें और डिपार्टमेन्ट्स के साथ साथ रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में भी ट्रान्सफर किये गये हैं, जैसे कोटा में रामनिवास हावा का तबादला केवल पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर किया गया और सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, श्रीहिम्मतसिंहजी का तबादला बूंदी से दूसरी जगह किया गया। ग्राम पंचायत के अन्दर इन्सपेक्टर श्री देवीचरणजी का सिरोही से बूंदी तबादला किया गया वह भी पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर किया गया है। इसलिये इस तरह के तबादलों की बोछार होने से गवर्नमेन्ट के अन्दर बहुत इनएफीशियन्सी आ जाती है और उसका काम नहीं करने देते।

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—वे क्या पोलिटिकल ग्राउन्ड हैं, य भी बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा?

**श्री केसरीसिंह** (अपना भाषण जारी रखते हुए)—तहसील पाटन में १८ महीने में ३ तहसीलदारों का तबादला कर दिया गया है। यह भी एक इनएफिशियन्सी का कारण हो सकता है...

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** (राजस्व मंत्री)—पोलिटिकल तो नहीं है।

**श्री केसरीसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) तहसील पाटन में वसूली के पिछड़ने का एकमात्र कारण यह है कि वे एक खास पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं. उन्होंने उनमें एक तरह से नो रेन्ट कम्पेन (No rent compaign) चालू कर रखा है और वह काश्तकारों से दो सेर जुवार फी बैल जोडी वसूल करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी वसूली माफ करा देंगे। इस कारण से अब तक वसूली पिछड़ी हुई है। और वे कुछ काश्तकारों के साथ जाकर कलेक्टर को कहते ह कि इन लोगों के यहां वारिश नहीं हुई तो कलेक्टर बालाबाला हुक्म दे देता है कि वसूली मुल्तवी कर दी जाय। उनको चाहिये था कि तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर फिर हुक्म द। वहां पर वारिश नहीं हुई तो कोई जरूरी बात नहीं है कि वसूली की जाय। मगर जो कुछ भी हो वह प्रोपर चैनल्स (channels) से होना चाहिये, लेकिन वह बालावाला हुक्म दे देते हैं: केवल धौंस में आकर। तहसीलदार से रिपोर्ट लेनी चाहिये। अगर तहसीलदार की यही राय हो तो उसके लिये जरूर एक्शन में लेना चाहिये। ........

**एक सदस्य**— तहसीलदार भी धौंस में आ जायगा।

**श्री केसरीसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अब नायब तहसीलदारों के तबादलों के बारे में निवेदन करूंगा। एक नायब तहसीलदार का तबादला बूंदी पुण्यार्थ व दूसरे

[श्री केसरीसिंह]

कोर्ट ऑफ वार्डस में किया गया है। भला में यह नहीं जान सका कि रेवेन्यू का काम करने वाला पुण्यार्थ व कोर्ट ऑफ वार्ड्स में क्या काम कर सकेगा, और उसकी उपयोगिता जो कि रेवेन्यू में हो सकती है वह पुण्यार्थ और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में क्या हो सकती है। नायब तहसीलदार अटरू के मनोहर थाने का तबादला बूंदी पुण्यार्थ व कोर्ट आफ वार्ड्स में कर दिया गया है; यह रेवेन्यू मिनिस्टर साहिब की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूँ। उनका तबादला होगया है। उन्होंने चार्ज ले लिया है। (घण्टी)। इस तरह से जो कि रेवेन्यू का काम करने वाला है उसका दूसरे महकमों में तबादला कर दिया जाना एक तरह से बेकार है, ऐसा करके उसको एक तरह से पेन्शन देना है। इससे तो अच्छा यह है कि उसको पेन्शन ही देदी जाय। वे चाहते हैं कि उनका तबादला फिर रेवेन्यू में किया जाय तो अपना काम करके बतलायेंगे और उनके अनुभव से डिपार्टमेन्ट और गवर्नमेन्ट का कुछ फायदा हो सकेगा। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्री **हिम्मतसिंह**—(अटरू) कटौती प्रस्ताव यह है,

"To discuss corruption and inefficiency in the general administration including collection and Land Record Department."

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू के विषय पर मैं भी दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। कहने के लिये वैसे तो बहुत ही गुंजाइश है, लेकिन आपके पास समय की गुंजाइश नहीं है इसलिए इस समय में दो एक खास मुद्दों पर कहूंगा।

श्री **अध्यक्ष**—Brevity is the soul of wit.

श्री **हिम्मतसिंह**—If others can follow it.

इतना टू ब्रीफ (too brief) तो मैं नहीं कह सकता जितना कि अभी हो सका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक तरह से मैं नमूना पेश कर देता हूं। मुझको कुल राजस्थान का ज्ञान नहीं है कि कहां-कहां किस २ किस्म का रेवेन्यू सिस्टम पर वर्क हो रहा है, लेकिन चन्द पुरानी रियासतों का मुझे जरूर ज्ञान है। कोटा रियासत में काफी सालों तक मैंने रेवेन्यू का काम किया और फार्मर राजस्थान में भी मुझे उसका मौका प्राप्त हुआ। इसलिए फॉर्मर राजस्थान के बारे में अर्ज कर सकता हूं। जयपुर, जोधपुर का ज्ञान मुझे नही है इसलिए मैं फार्मर राजस्थान तक ही सीमित रहूंगा।

जो स्टेन्डर्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का कोटा महाराजा के समय में हमने छोड़ा था उसको आज करीब ५ साल होने को आये हैं और आज भी हम जो देख रहे हैं और पहले वाले को देखते हैं तो बड़ा दुःख होता है और दुःख के साथ अर्ज करना पड़ता है कि काम में ५० प्रतिशत भी एफिसियेन्सी नहीं रही है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ होने की मुख्य बात यह है कि जिस समय मर्जर के कारण तबादले हुए उस समय रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया। उदयपुर के रेवेन्यू अधिकारी को जो वहां के काम-काज और रिवाज से वाकिफ थे, कोटा बदल दिया और कोटा के रेवेन्यू ऑफिसर को उदयपुर बदल दिया गया। यह उन दोनों अधिकारियों के लिये नई बात थी और

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

इस कारण दोनों जगह का रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगया। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, यह तो भाग्य की बात है। लेकिन अब यह टीनेन्सी एक्ट जो कई वर्षों से बन रहा है, बनकर हमारे सामने आवेगा उसके जरिये एकीकरण होने के बाद जिस दिन इतजाम होना शुरू हो जावेगा उस दिन मैं, हमारे टोडरमलजी साहब को धन्यवाद दूंगा।

रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किस तरह से हो सकता है? कचरा टीप के कागद कर्मचारियों के पास नहीं, खाते के कागज नहीं; चार साल हो गये। वे, बहुत कुछ लिखने पर भी, नहीं भेजे गये। इसका कारण चाहे आप यह समझ लीजिये कि जानबूझ कर नहीं भेजे गये थे या यह समझ लीजिय कि अनजाने में नहीं भेजे गए। जो कागज बाद में भेजे गए वे जयपुर के रेकार्ड के कागज भेजे गये। किन्तु सत्य यह है कि काम कोटा का होरहा है और कागज भेजे जारहे हैं जयपुर के रेकार्ड के! आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं और खयाल कर सकते हैं कि काम खराब होगा नहीं तो क्या होगा?

कोटा में रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन के बन्दोबस्त को हुए करीब करीब ६० साल का अर्सा हुआ वैसे तो जालमसिंहजी ने १०० वर्ष पहले इस एडमिनिस्ट्रेशन को कायम किया था। यह फोर्थ सैटिलमेंट ड्यू है; लेकिन न मालूम यह कब होगा? अभी तक इसका कोई विचार गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ है कि रेवेन्यू रेकार्ड मैप्स आदि इतने जर्जरावस्था में हो गए हैं कि उनमें से फील्ड और उनके नम्बर तक देखना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह ठीक चल सकता है? वास्तव में हालत यह हो रही है कि पटवारी को यह पता तक नहीं चलता कि किस खेत का लगान लेना है और किस खेत का लगान लिया हुआ है। जब सरकार इतनी बेपरवाह हो गई है तो वे भी बेपरवाह हो गए हैं। उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि जब गवर्नमेंट कागज तक नहीं देती है तो फिर वे क्यों परवाह करे? कई मौकों पर तो वे खेत को नापने की कोशिश ही नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसका लगान वसूल होना है और जिसके लिये न पटवारी को मालूम है और न अन्य अधिकारी को मालूम है कि यह खेत किसका है और आया इसका लगान लेना है या नहीं। पटवारियों से मेरी जान-पहिचान है और अक्सर मैं उनसे मिलता रहता हूं। बात-चीत करने से मुझे ऐसा मालूम हुआ और उन्होंने कहा कि आजकल उनकी तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढाई में है क्योंकि वे मुझसे कोई बात छुपाना भी मुनासिब नहीं समझते।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—वह तो बड़ा अच्छा आदमी होगा।

श्री **हिम्मतसिंह**—मैं समझता हूं कि जो आदमी सत्य बात प्रकट करे वह मेरे निकट तो अच्छा ही आदमी है और मैं कहूंगा कि वह बुरा नहीं है। कानून की यह हालत है कि वे अपन दफ्तरों में बैठे बैठे ही जांच करना चाहते हैं। इसके अलावा कानूनगो और ऐसे ऐसे पटवारी हैं जो यह भी नहीं जानते कि नक्शा कैसे पकड़ा जाता है।

अब मैं रैमिशन के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। इस पर सख्त कन्ट्रोल होना चाहिये। इस पर कर्मचारी कितना ध्यान देते हैं, यह मैं आपके सामने रखूंगा। यदि वक्त पर फसल देखी जावे

[श्री हिम्मतसिंह]

तो मालूम होजाता है कि वास्तव में किसान को कितना नुकसान हुआ है; नुकसान हुआ या नहीं। लेकिन होता क्या है कि राज्य के कर्मचारी, जब फसल कट जाती है उसके बाद जांच करने के लिये जाते हैं और रैमिशन (remission) की तजवीज करते हैं। इस प्रकार रैमिशन की तजवीज करने में राज्य के पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्टर की ओर से किसानों को आश्वासन दिया जाता है कि तुमको रैमिशन दे दी जावेगी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट यह ऑर्डर दे देती है कि रैमिशन नहीं होगा, सस्पैन्शन (suspension) होगा। यह मिनिस्टरी का एक नमूना है। मैं यह कहूंगा कि आप इस तरह से काश्तकारों को बेईमान बनाते हैं। गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि वह काश्तकारों को बेईमान नहीं बनावे। हम तो यह सोचते हैं कि गवर्नमेंट का शासन ठीक होगा तो काश्तकार भी ईमानदार और सीधे होंगे।

अब मैं आपका ध्यान एग्रील्कचर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय देशी रियासतें थीं उस समय १५ लाख रुपये लोन के लिये दिये जाते थे। उस हिसाब से करीब-करीब एक-एक तहसील जिसको हम उस समय निजामत कहते थे २०–२५ हजार लोन के मिल जाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक तहसील जो २ हजार और यदि अधिक हुआ तो ५ हजार मिल जाते हैं। मैं मानता हूं कि जब किसानों के पास बैल, हल और बीज के लिये रुपया नहीं है और उनको लोन नहीं मिलता है तो फिर उसका परमात्मा ही मालिक है। इसलिये हम चाहते हैं कि एग्रिकल्चरल लोन में सुधार हो। बस इतना ही कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मुझे एक सजेशन पेश करना है।

श्री **इब्राहीम**—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No 1 be reduced by Re. 1/- (to discuss the inefficiency of the Government to wipe out Corruption from the Revenue Department.

मुल्क के आजाद होने के बाद व राजस्थान एक होने के बाद देश के किसानों की दशा सुधरेगी; यह सबको उम्मीद थी। मगर मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश और किसानों की हालत सुधरी नहीं। कहा यह जाता है कि किसानों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किया जावेगा; पानी के कुएं भी खुदवाये गये हैं। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कि मिनिस्टर साहब ने कहां पानी के कूएं खुदवाए हैं। कामा पहाडी जहां से मैं आया हूं वहां तो एक भी कूआ खुदा नहीं है। पानी कुओं से निकलता है और आसमान से आता है। इसलिये कूए भी आसमान में ही खुदे होंगे। जमीन के नक्शे पर तो किसी जगह मुझे नजर नहीं आते। मन्त्री महोदय, जहां से मैं आ रहा हूं वहां एक भी कुआ खुदा हुआ बता दिया जावे तो बहतर होगा। यह तो मैं कह नहीं सकता कि यह महकमा इतना अच्छा है और इसने बहुत से काम किये हैं। जो चीज गलत है उसको तो गलत ही कहना पड़ेगा और सही को सही मानना पड़ेगा और मानना चाहिये। इस बात को कि सही चीज को सही कहे और गलत चीज को गलत कह देना चाहिये कांग्रेस पार्टी व दूसरी सभी पार्टी ने माना है और मन्जूर किया है। मि० लालबहादुर

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

ने पार्लियामेन्ट में अपनी कमी को तसलीम किया, जिसकी सारी पार्टियों ने तारीफ की है। आज जहां से मैं आ रहा हूं वहां एस. डी. एम., तहसीलदार, पटवारी और सारा का सारा अमला जो वहां पर काम कर रहा है और पब्लिक को सता रहा है वह आप सबको मालूम ही है। मैं आपके सामने चन्द मिसालें पेश करूंगा कि किस तरह से वे लोग पब्लिक को सता रहे हैं। जिस समय पटवारी के पास लगान जमा कराते हैं उस समय पटवारी कच्ची रसीद देता है। फैसले वगैरह का गलत इन्दरांज करना, यह तो एक मामूली बात है। इस मामले में सुधार की जरूरत है। इस तरीके से तहसीलदारों के तबादले नहीं होने चाहिये। जो जहां अच्छा काम करता हो उसको वहीं रखना चाहिये और जहां काम खराब हो वहां पूरी पूरी निगरानी रखनी चाहिये। मैं आपको बताऊं कि मेरी तहसील कामा में एक महीने में तीन तहसीलदारों को पलटा गया। एक तहसीलदार अच्छा काम कर रहा था मगर मैं आपको बताऊं कि पार्टी का, उनके रिश्तेदारों का और सरमायेदारों का भी खयाल रखना पड़ता है। तहसीलदार कितनी ही अच्छी और वाजिब बात पर चल कर काम क्यों नहीं कर रहा हो पर जब कोई सरमायेदार आ गया हो तो उसकी बात उसे माननी ही पड़ती है। मेरी तहसील से एक महीने में तीन तहसीलदारों के तबादले हुए। कहा गया, समझाया गया कि यह तहसीलदार अच्छा काम करता है पर चन्द सरमायेदार जो उस तहसीलदार से नाजायज, गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे, जमीन पर नाजायज कब्जा हांसिल करना चाहते थे और उन्हें तहसीलदार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो उस तहसीलदार को भी वहां से हटा दिया गया। इस बारे में मिनिस्टर साहब को कहा गया। पर मैं कह लूं, चाहे किसान कह लें, उसी आदमी की बात मानी गई। इसी तरह एक दूसरा तहसीलदार आया जिसने बहुत अच्छा काम [illegible] या। इसी तरह उसका भी तबादला कर दिया गया।

**श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—मेरा कटौती प्रस्ताव यह है:—

"That the Demand for Grant No I be reduced by Rs. 100/- (to discuss the unsatisfactory progress of the work due to appointment of unqualified officers on responsible posts)".

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो इस ग्रान्ट के सम्बन्ध म एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अगर मुझे इस ग्रान्ट पर बहस प्रारम्भ होने के प्रारम्भ में ही बोलने का अवसर दिया जाता तो मैंने जिन मुख्य उद्देश्यों को लेकर यह प्रस्ताव रखा था, उनके बारे में मैं सदन के सामने अपने विचार पेश करता।

**श्री अध्यक्ष**—Now you don't want to speak.

**श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—नहीं, बोलूंगा तो सही। पर अभी श्री एच.के. व्यास व उनके भावी सहयोगी श्री किशनलाल शाह ने जागीरदारों व सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के बारे में काफी कुछ कह दिया। उनकी बातों से इस प्रकार का अन्दाज लगता है कि जैसे किसी जागीरदार साहब ने उनकी भैंस को मार दिया हो। इसलिये मैं इन्हीं विषयों पर कहना आवश्यक समझता हूं।

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

जहां तक जागीरदारी प्रथा का सम्बन्ध है मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान सरकार ने जागीरदारी प्रथा को खतम करने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं रखी है। चाहिये तो यह था कि जागीरदारी प्रथा के मसले को विधान सभा के सन्मुख प्रस्तुत करके पास करवाते परन्तु उन्होंने देखा कि इसमें शायद देर होगी और इससे डर कर इस प्रकार की विधान सभा के बनने से पहले ही लागू करने की योजना बनाई, पर दुर्भाग्य से इसमें कई गलतियां रह गई जिससे जागीरदारों ने हाईकोर्ट में रिट पेश करके स्टे आर्डर हासिल कर लिया और वह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके कारण यह कानून यों का यों हां ताक में पड़ा है।

इतना होते हुए भी आजकल जो इस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री, श्री जयनारायण व्यास की इस सम्बन्ध में तारीफ करूंगा कि उन्होंने जागीरदारों को इस बात पर राजी कर लिया या यों कहिये कि विवश कर दिया कि वे लोग अपनी जागीरों का समर्पण कर दें और साथ ही जागीरदार साहेबान की भी-मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने राजस्थान के मुख्य मन्त्री के सामने इस सिद्धान्त को मान लिया कि इस मौजदा जमाने को देखते हुए जागीरदारी प्रथा का मिटना अवश्यम्भावी है। जागीरदारों ने केवल राजस्थान के मुख्य मन्त्री के सामने ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री के सामने भी इस सिद्धान्त को मन्जूर कर लिया और देश तथा समय की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी जागीरों का समर्पण कर दिया। तो इस मामले में मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्री और जागीरदारों, दोनों, की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता। और यह कहूंगा कि इस तरह देश और समाज के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए जागीरदारों ने जो त्याग किया है उसकी तारीफ की ही जानी चाहिये परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी चाहते हैं कि जागीरदारों और किसानों में आपस में झगड़ा हो, यह मामला शान्ति से नहीं निबटे और इस तरह के झगड़ों से लोगों में सरकार के प्रति घोर असंतोष पैदा हो जिससे कि कम्युनिज्म के प्रसार के लिये क्षेत्र तैयार हो, और इस तरह कम्युनिज्म फैले। परन्तु मैं कम्युनिस्ट पार्टी वालों को बता देना चाहता हूं कि अब वे दिन लद गये और इन बातों के उन्हें स्वप्न ही आयेंगे। आज वह किसानों को राहत दिलाने की बातें करते हैं और जागीरदारी की आड में सब राजपूतों को कोसते हैं परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे इस तरह किस वर्ग को राहत दिलाना चाहते हैं ? अगर उनके दलों में किसानों को राहत दिलाने की भावना है तो मैं उन्हें बताता हूं कि किसानों में तो गरीब राजपूत और भोमिये भी आते हे जिनकी कि हालत आज बहुत खराब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज राजस्थान के कहे जाने वाले काश्तकारों की बनिस्पत, राजस्थान के भोमियों और राजपूतों की हालत कहीं अधिक खराब है और यह कहना भी अत्योक्ति न होगी कि वे आजकल राजस्थान में फाइनेन्शिअली (financially) अनटचेबल्स हैं, आज उनकी हालत राजस्थान की बैकवर्ड क्लासेज् से भी गिरी हुई है और मैं सदन के सामने यह बता देना चाहता हूं कि उनकी हालत नहीं सुधरी तो उनके द्वारा उलझाई हुई समस्या को राजस्थान सरकार तो क्या और दूसरी सरकार भी नहीं सुलझा सकेगी। कोई नहीं कह सकता कि इन भोमियों की क्या हालत हो जाने वाली है। जिन जमीनों पर उनका उनके बाप दादों और पीढ़ियों से कब्जा है, उनको उस कब्जे से महरूम कर दिया गया है।

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

अब मैं, जिस मुख्य बात को लेकर मैंने यह कटौती प्रस्ताव पेश किया है, उसको पेश करूंगा। अभी सदन में बहस के दौरान में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी भी सरकार का सारा दायित्व उसकी राजस्व विभाग से होने वाली आमदनी से होता है। इस वर्ष के बजट प्रस्तुत होने पर एक माननीय सदस्य ने बताया था कि डाइरेक्ट टेक्सेशन से उतनी आमदनी नहीं होती जितनी होनी चाहिये। किन्तु उन्हीं माननीय सदस्य द्वारा सेटलमेन्ट की रेट्स रिवाइज़ करने की बात अभी जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि सरकार को एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सरकार को direct Taxation से कोई आमदनी नहीं और दूसरी तरफ जब सरकार रेट्स रिवाइज़ करने का विचार करती है तो उसका विरोध किया जाता है; इसमें माननीय सदस्य का मतलब क्या है? परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि सेटलमेन्ट ऑफिसर और सेटलमेन्ट विभाग रेट्स रिवाइज़ करने के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सके हैं।

यदि कुछ रियासतों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो पता चलेगा कि अलवर, धोलपुर भरतपुर आदि में सेटलमेन्ट हुए चालीस-चालीस साल हो गये। कई जगह सेटलमेन्ट हुए २५ साल हो गये और कहीं १५ साल हो गये। पर सरकार ने यह सोचा कि पहले जागीरदारों को खत्म करना है इसलिये सबसे पहले जागीरी एरिया में ही सेटलमेन्ट करवाना चाहिये और इसी भावना को लेकर जागीरी एरिया में सेटलमेन्ट करवाना शुरू किया गया। परन्तु यह नहीं देखा कि जिन जगहों में तीस-तीस, चालीस-चालीस साल सेटलमेन्ट हुए हो गये हैं वहां आजकल के भावों के अनुसार rates revise करके सरकारी आमदनी बढ़ाना है। यदि समय पर rates revise हो जातीं तो सरकार की कम से कम ४० लाख रुपयों की आमदनी बढ़ती।

इस समय सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने बाढमेर, जैसलमेर तथा शेरगढ़ तहसील में सेटलमेन्ट का काम शुरू कर रखा है। इन क्षेत्रों में अकाल है और जमीन बंजर पड़ी हुई है। इसलिये सेटलमेन्ट से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। पर चुनाव की बातों को दृष्टिगत रखते हुए कि वहां जागीरदार हैं और उस भूमि का सेटलमेन्ट करवाना जागीरी एरिया होने के कारण जरूरी है, वहाँ सेटलमेन्ट शुरू कर दिया गया।

यदि इस सारे स्टाफ को जिस जगह सेटलमेन्ट रेट्स रिवाइज नहीं हुई हैं उस जगह लगाते तो राजस्थान की आमदनी बढ़ती और उस बढ़ी हुई आमदनी से कई और अच्छे काम किये जा सकते थे। सेटलमेन्ट के काम में ढिलाई का कारण सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों की अज्ञानता है। आज हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रान्त की आमदनी खास तौर से सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट पर ही मुनस्सर होती है। जो रेट्स सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट मुकर्रर करता है उसी के आधार पर उसकी आमदनी १०, २० या ३० साल तक चलती है। लेकिन आजकल जो सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट का रवैया है उससे जान पड़ता है कि सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट शायद इस उत्तरदायित्व से कहीं दूर है। ऐसे आदमियों को रखा जाता है जिन्हें या तो सेटलमेन्ट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है या जिनका सेटलमेन्ट से कभी सम्बन्ध ही नहीं रहा है। मैं आपके

[श्री भैंरूंसिंह (१६)]

सामने जयपुर डिवीजन के एक सेटलमेन्ट ऑफिसर की नजीर पेश करूंगा। सीकर डिस्ट्रिक्ट के एक सेटलमेन्ट अफसर हैं जिनकी योग्यता के विषय में मैं शक शुबहा नहीं करता लेकिन सेटलमेन्ट के काम की उनको जो जानकारी है उस बारे में मुझे शक पैदा होता है। जिन्होंने अब तक सेटलमेन्ट का काम नहीं किया, उसकी खास खास बातों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया ऐसे आदमी को सीकर डिस्ट्रिक्ट के सेटलमेन्ट का कार्य सौंपा जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कैसे आशा रखनी चाहिये कि सेटलमेन्ट मेन्युअल और कायदे के अनुसार वहां का कार्य होगा। मैंने सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से बात की तो मालूम हुआ कि कुछ एसे अफसरों के आ जाने के कारण, जो हकदार थे उनको प्रमोशन नहीं मिले। इसके कारण लोगों में असन्तोष हो रहा है और अच्छा काम जानने वाले भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इसलिये अमली कायदों पर अमल नहीं किया जाता है और इस कारण से न केवल किसानों को या जागीरदारों को नुकसान होता है बल्कि सरकार को भी नुकसान होता है। इस डिपार्टमेन्ट के कई रेकर्ड ऑफिसरों से मेरी बातचीत हुई है। उनसे मुझे मालूम हुआ है कि इस डिपार्टमेन्ट का, मर्जर के बाद, अब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इस डिपार्टमेन्ट के बड़े बड़े अधिकारी अपने अपने भाई-भतीजों, रिश्तेदारों को लाना चाहते हैं। हाल ही में मौजूदा कमिश्नर ने एक ऑफिस सुपरिटेन्डेन्ट, जिसका नाम शंकरस्वरूपराय माथुर है, ए. एस. ओ. कर दिया। ऑफिस में काम करने वाला आदमी अगर फील्ड के काम के लिये लगा दिया जाता है तो वह कभी भी ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। वह सेटलमेन्ट कमिश्नर का रिश्तेदार नहीं था बल्कि सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास इस सदन के एक सदस्य की सिफारिश गई है कि वह मेरा रिश्तेदार है इसलिये उसे ए. एस. ओ., की पोस्ट दे दी। आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि ऐसा आदमी क्या काम कर सकता है।

श्री **श्रीदास गोयल**—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन, क्या माननीय वक्ता बता सकते हैं कि इस सदन के उस सदस्य का क्या नाम है जिसने ऐसी सिफारिश की ?

श्री **भैंरूंसिंह**—उस ए. एस. ओ. का नाम शंकररूपराय माथुर था और माथुर की सिफारिश इस सदन में कौन कर सकता है, यह आप जान सकते हैं।

इसी प्रकार लो पेड अफसर जिनकी भी आम शिकायत है कि जिस समय इन्टीग्रेशन हुआ......

श्री **अध्यक्ष**—You are not relevant to your cut motion.

श्री **भैंरूंसिंह**—मेरा सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के विषय में कट मोशन है।

श्री **अध्यक्ष**—There is no name of Settlement Department.

श्री **भैंरूंसिंह**—अब मैं अमीनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जिस वक्त राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था अलग अलग रियासतों में अमीन और पटवारी का एक ही ग्रेड था। एकीकरण के पश्चात् हालांकि अमीन और पटवारी का एक ही प्रकार का काम है इस कारण से उनकी तनख्वाहों में कुछ भी अन्तर नहीं होना चाहिये परन्तु अमीन की तनख्वाह बिना किसी कारण के पटवारियों से

[श्री भैरुसिंह]

कम कर दी गई है। इस सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट से सारे समाज को नुकसान हो सकता है। सेटलमेन्ट के कर्मचारियों में इस प्रकार का असन्तोष होने से काम अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा और काफी नुकसान होगा। इसलिये सरकार को चाहिये कि सेटलमेन्ट के काम में ज्यादा ध्यान दे और कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने का प्रयत्न करें।

**श्री मानसिंह महार**—माननीय अध्यक्षजी, मैंने लैण्ड रेवेन्यू के बारे में एक कटौती प्रस्ताव दिया है परन्तु यदि समय रहेगा तो इस प्रस्ताव के बारे में बोलूंगा लेकिन बीच में मेरे दोस्त कॉमरेड ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि मुझे उन्हें थोड़ा जवाब जरूर देना होगा इसलिये यदि मैं ज्यादा लम्बा बोलूं तो भले ही मुझे कटौती प्रस्ताव पर न बोलने दें लेकिन उन्हें जवाब देने के लिये मुझे समय अवश्य दें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कॉमरेड बन्धुओं ने इस सदन में जागीरदारी प्रथा को लेकर बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। मैं मानता हूं कि जागीरदारी प्रथा आज के जमाने में चलने वाली चीज नहीं है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम लोगों ने राजस्थान गवर्नमेन्ट को और भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री को इस प्रकार कह दिया है कि हम इस बात को मानते हैं कि सिद्धान्ततः आज के जमाने में जागीरदारी नहीं रह सकती और मैं मेरे कॉमरेड भाइयों को बताना चाहता हूं कि वे चाहे जो कहें, हम इस सिद्धान्त को मन्जूर कर चुके हैं और उनको इस बात के लिय ज्यादा अधीर न होना चाहिये क्योंकि राजस्थान में हम खुद जागीरदारी प्रथा को जल्दी से जल्दी खतम कर रहे हैं। यह बात कहने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को यह कहना चाहता हूं कि जागीरदारी कानून में यह चीज है कि ५ हजार रुपये वार्षिक आय वाली जागीरों को या उससे नीचे की आय वाली जागीरों को अभी नहीं लिया जायगा और इससे ज्यादा आय वाली जागीरों को ही लिया जायगा। इस प्रकार मेरे मित्र कॉमरेड साहब ने जो इस बात को उठाया है तो उन के लिये मैं अर्ज करूं कि उनके खुद के मकान की आमदनी जोधपुर में पांच हजार रुपया सालाना से ज्यादा है हालांकि वे कह देगें कि उनका कोई मकान नहीं है। हम कोई धोखा-बाजी नहीं करना चाहते। हमारी जागीर २५ हजार की है तो उसे चार भाइयों में और स्त्री-बेटों में बांट कर नहीं कहेंगे कि हमारी जागीर इतनी नहीं है। इस प्रकार की बेईमानी हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अवश्य की है। उन्होंने अपनी आमदनी को भाइयों में बांट दी है। उनकी आमदनी ५००) रुपये माहवार की है जिसकी ताईद जोधपुर के सदस्य अवश्य करेंगे। आमदनी ५००) रुपये माहवार होने से ६ हजार रुपया साल की आमदनी हो जाती है। यदि वे बेईमानी न करके अपनी जागीर को सरेन्डर कर देते तो मैं पहला आदमी होता जो अपनी जागीर को सरेन्डर करता। (हियर! हियर!!) अध्यक्षजी, अफसोस तो इस बात का है कि एक आदमी तो ईमानदारी को लेकर चलता है और दूसरा धोखादेई को लेकर चलता है और सच्चाई पर चलने वालों को धोखेबाज बताता है। मैं मानता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जागीरदारी को बिना मुआवजा खतम कर दें तो मैं उनकी भावना को समझ सकता हूं क्योंकि राजस्थान के मुख्य मन्त्री होते हुए भी वे जोधपुर में किराये के मकान म रहते हैं। ऐसी बात यदि वे कहते तो मैं मानता कि वे सिद्धान्त की बात कहते हैं लेकिन जो मेरे दोस्त उछल-उछल कर इस प्रकार की बात करते हैं उन्होंने नहीं देखा कि खुद की आमदनी का क्या जरिया है या वे किस प्रकार की आमदनी ले रहे हैं।

Page No.89



[श्री मानसिंह महार]

यही नहीं अध्यक्ष महोदय, हजारों और लाखों रुपया उनके दफ्तर को मेन्टेन करने के लिये रूस से आते हैं। (करतल ध्वनि)

इस रुपयों के बल बूते पर ही आप जो कुछ बातें कहते हैं उनकी पब्लिसिटी अखबारों में होती है। जो साहब इस प्रकार की बातें करते हैं मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार से तो समझौता करके जागीरदारी को हेन्ड ओवर ( hand over ) कर सकते हैं किन्तु अगर आपकी गवर्नमेन्ट आ जायगी तो आप देख लेना कि हम आपको राजी खुशी जागीरदारी नहीं देंगे। (करतल ध्वनि)

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने राजस्थान सरकार से या दिल्ली की सरकार से जागीरदारी का मुआवजा लेने के लिये कोई भीख नहीं मांगी है। जागीरदारी का मुआवजा देना भारतवर्ष के विधान में लिखा हुआ है और यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार का फर्ज हो जाता है कि यदि कोई प्रोपर्टी लेते हैं तो विधान के तहत उसका मुआवजा दिया जाय। इसी बात को लेकर सरकार से बातचीत शुरू की है। इसके अलावा मैं यह कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार के पिलर्स स्वर्गीय सरदार पटेल और पं० नेहरू जैसे व्यक्तियों ने उसका समर्थन किया है और करते हैं। कांग्रेस के भावी कॉमरेड साहब न मानें तो उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। (जोर की हंसी)

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हमारे जो कुछ सरकार से निगोशिएशन्स ( negotiations ) हो रहे हैं वे कोई बेकबाइटिंग ( backbiting ) की तरह नहीं हो रहे हैं किन्तु हम इमानदारी और खुले आम सरकार से चर्चा कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि जागीरदारी का एबोलिशन हो तो शान्तिपूर्ण ढंग से हो। यह एक प्रकार का रिवोल्यूशन ( revolution ) है। मेरे कॉमरेड दोस्त उस रिवोल्युशन को लड़ाई-झगड़े का रूप देकर पूरा करना चाहते हैं और हम लोग यह चाहते हैं कि वह शान्तिपूर्ण ढग से हो। तो अगर मेरे दोस्तों की तरफ से राजस्थान सरकार को और जागीरदार भाइयों को इस बात के लिये बधाई दें तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई अत्युक्तिपूर्ण बात नहीं है। कई बार जब उन्होंने मुझे कहा कि आप लाल झंडे के नीचे आ जाओ तो मैंने उनसे कहा कि इन बातों में क्या पड़ा है ? (करतल ध्वनि)

हम जागीरदारी तो हेन्ड ओवर ( hand over ) करने के लिये तैयार न हों और इस सरकार से हमारी कशमकश चलती रहे और इस बीच में दूसरों को फायदा हो जाय, ऐसा वे जो चाहते हैं यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय सरकार ने जो नीति अपनाई है वह नीति ऐसी है कि उससे न तो राजस्थान को किसी प्रकार से नुकसान होने वाला है और न भारतवर्ष की जनता को ही नुकसान होने वाला है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सौराष्ट्र में जागीरदारी की समस्या शान्तिपूर्ण ढंग से हल हो गई उसी प्रकार राजस्थान में भी जागीरदारी खतम हो जाय और हमारे और सरकार के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है वह पूरी हो जाय। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि जागीरदारी दस वर्ष या २० वर्ष में एबालिश हो, किन्तु हम तो यह कह रहे हैं कि

[श्री मानसिंह महार]

गरीब राजपूतों को जोतने के लिये जमीनें दी जायें। हमने सरकार से कह दिया है कि अगर उनके कब्जे में जमीनें नहीं हैं तो उनके लिये सरकार शान्तिपूर्ण तरीके से पेट पालने के लिये जमीनें दिलाये। इसको शायद साम्यवादी दुखदाई समझ सकते हैं। लेकिन अपने पेट के लिये जमीनें मांगना, मैं समझता हूं कि कोई अनुचित चीज नहीं है और इसीलिये मेरे दोस्तों ने जो लेन्ड रेवेन्यु का कटौती प्रस्ताव पेश कर बवन्डर मचाया है और पब्लिसिटी हासिल करने के लिये कि राजस्थान कांग्रेस और जागीरदारों में गठबन्धन होगा, यह होगा, वह होगा आदि ; इसके लिये मैं मेरे कोमरेड दोस्तों से, आपके जरिये, अपील करूंगा कि यह बवन्डर नहीं है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जागीरदारी एबोलिशन होना चाहिये और उसके लिये जो तय हो वह शान्ति पूर्ण तरीके से हो। जमीनों की जो दिक्कतें होंगी उनके लिये कानून अमल में लाया जाय, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दो मिनिट अपने कटौती प्रस्ताव पर कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—After your nice speech we will not like to have a bitter speech.

**श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**—All right, Sir.

जैसा आपने फरमाया यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं मेरे मित्र कॉमरेड साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों के अन्दर फालतू बीच में न पड़ें क्योंकि उनकी बात नहीं चलने वाली है।

(करतल ध्वनि)

**श्री गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे इस सम्बन्ध में एक-दो सजेशन्स ( suggestions ) देने हैं।

**श्री अध्यक्ष**—But you should not make a speech.

**श्री गोपीलाल यादव**—मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं। मुझे तो आपको एक-दो सजेशन्स देने थे और वे ये हैं कि:—

तहसील डिस्ट्रिक्ट और एस. डी. ओज के हेड क्वाटर्स पर हर जगह एक एक कम्पलेन्ट बुक रखादी जाय। आम तौर पर उसका लोगों में, देहातों में प्रचार करा दिया जाय ताकि किसी व्यक्ति को किसी अफसर के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वे उसमें दर्ज कर दें। इससे, मैं समझता हूं कि बहुत सी बुराइयां दूर हो जायेंगी।

इसके अलावा दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कन्सर्निंग अफसरों को हिदायात कर दी जाय कि किसी भी पार्टीमैन की बात नहीं मानी जाय। अगर आप किसी व्यक्ति या पार्टीमैन को भेजें तो आप स्वयं उनके पास लेटर भेजें यानि आपसे जो व्यक्ति जायें वह लेटर लिखा कर जाय। जब आप मौके पर जायें तो खुद सारी चीजों को देखें और सुनें।

**श्री अध्यक्ष**—No addendum to the speech.

**श्री गोपीलाल यादव**—मुझे ये ही दो सजेशन्स देने थे।

(कुछ सदस्य बोलने के लिये और खड़े हुए)

**श्री अध्यक्ष**—आॅर्डर ! श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, इस डिमान्ड पर काफी बहस हो चुकी है और सेटलमेन्ट के बारे में, लेण्ड रेकार्ड्स के बारे में और नायब तहसीलदार, तहसीलदार वगैरह के बारे में कई बातें कही गई हैं। साथ ही साथ कुछ मामलों की बातें भी खड़ी की गई हैं और सदन के दूसरी ओर बातों के बीच में कुछ आपस में बहस भी हुई है। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न यहां पर काफी चर्चा के विषय बने और स्वाभाविक तौर से उनके बारे में जानने की उत्सुकता बहुतसों के दिलों में हो सकती है और कुछ के दिलों में उस परिस्थिति का दुरुपयोग करने के लिए एक तरह से कहा जाय कि बेचेनी हो सकती है, ऐसी कोई स्थिति राजस्थान के अन्दर सम्भव नहीं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें यह अच्छी तरह से याद रखना है कि जागीरी प्रथा को समाप्त करने का मूल कारण यही है कि काश्तकार और राज्य के बीच में जो एजेन्सी है वह न रहें।

और काश्तकारों के ऊपर जो अलग-अलग तरह से इस प्रथा के कारण शोषण होने की सम्भावना है वह समाप्त हो जावे।

कहा यह जाता है कि जागीरी प्रथा को समाप्त करने के बजाय कुछ डर से, कुछ पोलिटिकल रीज़न्स के कारण इसे छोड़ दिया। यह बातचीत की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब कभी यह अवसर आया और पिछले वर्ष के अन्दर सबने देखा होगा राजस्थान के अन्दर कि जब यह मालूम हुआ कि सैटलमेन्ट किया जाना चाहिये और परचे तकसीम होने चाहिये काश्तकारों में तो मैं समझता हूं इसी सरकार ने उनके बीच में मजबूती के साथ परचे तकसीम किये। यही सरकार है जिसने सैटलमेन्ट के मामले पर विरोधी पक्ष द्वारा कही जाने वाली बातों के बावजूद सैटलमेन्ट चालू किया। यही वह सरकार है जिसने चौथे बांटे से छठा बांटा करने का कानून पास कराके राजस्थान पर लागू किया, यही सरकार है जिसने प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स एक्ट में जो खामी थी उसे दूर किया और यही सरकार है जिसने अलवर और भरतपुर में दूना लगान का कानून बनाकर लागू किया।

मैं समझता हूं कि इस वर्ष जिस तेजी के साथ राजस्थान प्रदेश में जो एग्रीकल्चर रिफार्म्स हुए हैं, हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि वैसे, देश के किसी अन्य राज्य में नहीं हुए हैं। (करतल ध्वनि) और आजतक उन्हीं नीतियों की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है। उनसे यह प्रकट है कि सरकार की मूलभूत नीति इस बारे में क्या है ?

मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सदन का उस समय की तरफ जब कि इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जब गुटबन्दी का बोलबाला था, सौदा करने का अवसर था; तबभी

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

हम सौदा करने के लिए नहीं हुए। उस स्थिति का मुकाबला हमने अपने तौर पर किया और जब नो कोन्फीडेन्स (no confidence) समाप्त हो गया तो इस प्रान्त के हित के लिए इस बात को सोचा गया कि कोई व्यावहारिक मेल जोल का रास्ता हो सकता है या नहीं ? पर जिन माननीय सदस्यों की रात दिन किसी भी वास्तविकता का और वस्तु स्थिति का दुरुपयोग करने की आदत बन गयी है, उनके प्रोपेगन्डा से प्रभावित होकर हम जो इस प्रान्त के हित में उचित समझते हैं उससे विचलित नहीं होने वाले हैं । मैं आपको यह भी संतोष दिलाऊं कि जो कुछ भी किया जा रहा है सोच समझ कर किया जा रहा है, बैकडोर (back door) से नहीं किया जा रहा है। जैसा सब दुनिया जान रही है हम बातचीत कर रहे हैं अवश्य । जिससे जो कुछ औचित्य है उसे स्वीकार किया जावे और राजस्थान के हित में, राजस्थान की शान्ति के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए सबकी सम्मिलित शक्ति लगे; इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया जावे । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रयत्न के लिए जो शान्ति चाहता है इस प्रदेश में, इस प्रदेश राजस्थान का विकास चाहता है सभी इस बात को चाहेंगे । पर हमारे साम्यवादी सदस्य जो एक तरफ तो कहते हैं कि जमीन का सवाल बहुत बड़ा है और जो खेती करता है वही उसका मालिक है वे ही दूसरी तरफ भोमियों को लाल झंडा देकर उनका भी नेतृत्व कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, मैं समझता हूं वे मुझसे छिपे नहीं हैं, और हम उनसे छिपे नहीं हैं । उनकी मूल नीति क्या है ? वे किसी तरह अशान्ति और अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं और उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करना यही उनकी मूल नीति है। यही केवलमात्र उनका उद्देश्य है और मैं यह भी साफ कर दूं कि उनकी इस नीति के अन्दर हम किसी तरह गिरफ्तार नहीं होने वाले हैं । हम समझते हैं कि जो कार्य जनता ने हमें सौंपा है उसको हमें पूरा करना है। इमानदारी के साथ, इस बात का ख्याल रखते हुए पूरा करना है और मैं आज कहना यह चाहूंगा कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसके अन्दर यह निश्चित बात है । उसे उन्होंने भी माना है कि जो भोमियें हैं, जिन्हें छोटे-छोटे जागीरदार कहिये या जो ऐसे राजपूत बहुत से बिखरे हुए हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको मैं समझता हूं कि चाहे जैसी स्थिति पहले हो, लेकिन हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर उनको बसाने के लिए यह सरकार निश्चित तौर से प्रयत्न करे और उन्हें बसावें। उनको बसाने के बारे में प्रयत्न करना, इसका हल निकालना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको कोई भी समझदार यह कहे कि यह सरकार का उचित कदम नहीं है ।

पर साथ ही यह भी कहे देता हूं कि इसे बसाने में यह कोई न समझे कि इससे कोई काश्तकार इस तरह से हो जावेगा कि उसकी रोजी का इन्तजाम नहीं रहे। हम इसको भी सोचना चाहते हैं । जो कुछ फैसला किया जावे वह ऐसा हो कि सारी व्यवस्था के अन्दर कोई भी बेघरबार और बेरोटी का न हो; सबके लिए रोजी का इन्तजाम और रहने की व्यवस्था हो जिससे राजस्थान की शान्ति कायम रहे। जब इस बात का विश्वास हो और प्रयत्न किया जावे तो कोई नहीं कह सकता कि जो कुछ किया जा रहा है वह ऐसा है जिसके कारण राजस्थान की उन्नति न होने वाली हो । मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के हमारे प्रयत्न हैं। आज कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो चुका है। पर मेरा विश्वास है कि जो कुछ बातचीत की जा रही है उसके पीछे जो भावना है वह यही है। उसकी सफलता के लिए मुझे शंकाएं नहीं होतीं। मेरे दिल में ख्याल होता है कि हम उचित निर्णय पर पहुंचेंगे और इस राज के हित के लिए, हमारे

# Page No.93



[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

प्रदेश के हित के लिए जो उपयोगी होगा और जिसके द्वारा हम आगे बढ सकेंगे वही किया जावेगा । पार्टी के लिए भले ही वह उपयोगी हो या न हो इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं । जिस पार्टी के लिए बहुत बड़े संकट का समय था उस वक्त भी इस बात का ख्याल नहीं रक्खा तो आज तो रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इस तरह से सोचने से इसके पीछे जो अच्छी भावना और प्रयत्न हैं और जो हम चाहते हैं कि राजस्थान यह परिवर्तन करके इतिहास के लिए नमूना दे, अपनी पुरानी परम्परा को कायम रक्खे, अपनी पुरानी शान को ऊंचा करे आज के समय में भी आपसी मेल जोल से सदियों पुरानी एक सामाजिक कुप्रथा समाप्त कर दी गई है और प्रान्त और देश के हित के लिए एक नवीन सामाजिक सुधार को जन्म दिया है, यह बहुत बडी चीज हो सकती है; इस तरह में यह समझता हूं । इस सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों में प्रदेश के कल्याण की भावना है तो मैं समझता हूं कि हमें सबको मिलकर इसके समर्थन और सफलता के लिए प्रयत्न करना चाहिये, अच्छा वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिये, बजाय इसके कि भ्रम और दुर्भावना फैलाकर इस वातावरण को दूषित करने का प्रयत्न करें ।

मैं सोचता हूं कि अधिक कहने की अब कोई आवश्यकता नहीं और समय भी नहीं । परिणाम बहुत जल्दी सामने आवेगा और परिणाम जिस समय सामने आवेगा तो जो भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह खतम हो जावेगा ।

दूसरी बात, जो हमारे मित्र ने कही, मेरा मतलब है श्री एच. के. व्यास से, वह है सेटिलमेन्ट के बारे में और दूसरी बातों के बारे में । मैं समझता हूं कि एलजेबरा ( algebra ) में एक कॉमन फैक्टर निकाल लियां जावे तो बार बार कोई बात लीजिए तो परिणाम बार बार वही आवेगा । तो बार बार वे ही बातें सदन के सामने दोहराई गई हैं जिनको वे समय समय पर इस सदन के सामने कहते रहते हैं । पर मुझे समय अधिक नहीं है और मैं फिर उन बातों को दोहराना भी नहीं चाहता जिनका जवाब मैं एक बार दे चुका हूं ।

और कुल मिलाकर सेटिलमेन्ट के बारे में अलग अलग तरफ से बहुत सी बातें कही गई । मैंने पहले भी स्वीकार किया है कि जो प्रोसिजर (procedure) है उसमें खामी पाई गई है और उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ की जा रही है । मैं यह नहीं कहता कि कोई ऐसी चीज नहीं कि जिस पर सोचने की भी गुंजाइश न हो या जो कुछ भी किया गया है सब शत प्रतिशत ठीक है, यह हमारा दावा कभी नहीं है । यह हमारे माननीय सदस्य भी जानते हैं । हमारा प्रयत्न इस दिशा में सुधार करने का है और वह हम कर रहे हैं; यह माननीय सदस्य भी जानते हैं । पर सदन में कुछ कह दिया जाना चाहिये इसलिए कुछ न कुछ कहा जाता है क्योंकि इसके बिना इनका कर्तव्य पूरा नहीं होता । बाकी इन चीजों पर विचार चल रहा है ।

१५) रुपये पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं । मैं इसके बारे में माननीय सदस्य से बात भी कर चुका हूं पर फिर भी इस सदन के सामने उसके बारे में चर्चा करना वह आवश्यक समझते हैं क्योंकि मूल में जवाब

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]
पहुंचना उनका उद्देश्य नहीं। जितना यहां सदन में बातें करना और प्रोपेगेण्डा करना और इससे यह जाहिर करना कि हम भी कुछ कार्य कर रहे हैं, यह साबित करना है। (करतल ध्वनि)

तो यही बातें अलग अलग तरह से समय समय पर कहते रहते हैं जिनका सबका जवाब कई बार दिया जा चुका है।

श्री गोपीलालजी यादव ने लैण्ड रेकार्ड की वही पुरानी बातें कहीं हैं जो वे हमेशा कहते रहते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं और फिर से उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ और भी मेरे मित्रों ने बाद में, जैसे हिम्मतसिंहजी तथा और दूसरे मित्रों ने उनका जिक्र किया है इसलिए मैं सदन को फिर बता देना चाहता हूं कि लैण्ड रेकार्ड के बारे में खातों को रखना, खसरा बनाना वगैरह बहुत सी खामियां सरकार के सामने आई हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इनके बारे में इस वर्ष पूरे तौरसे इन्तजाम किया गया है कि वे चीजें फिर न हों। अभी भरतपुर के लिए मैं कह चुका हूं।

गंगानगर के लिए जहां इस तरह की बात आई कि वहां गिरदावरी गलत दर्ज करके लोगों को मुश्किल में डाला जा सकता है तो इस वजह से इस बात को लागू करने का तय किया गया। वहां किसानों को खसरा टीप दे दी जावे जिससे काटने के वक्त इस प्रकार के झगड़े न आवें कि किसने बोया और कौन काट रहा है क्योंकि इस तरह के भी मामले आते हैं।

मेरा ख्याल है पिछले समय में समाज में परिवर्तन लाने वाले कानून-कायदे पास किये उनका असर भी होता है, उनकी प्रतिक्रियाए भी होती हैं, स्वाभाविक तौर से होती हैं। इन सबके बावजूद मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष में बेदखलियां इस हद तक नहीं हुई और आपस के झगड़े भी उस हद तक नहीं हुए जितने पिछले वर्षों तक होते आये हैं। और बहुत हद तक, मैं यह नहीं कहता कि पूरे हद तक, ये कानून और व्यवस्थायें जो हमने तय की हैं वे आपस में जमती जा रही हैं और आगे भी जम जायेंगी। यह सब जिस समय हो जावेगा तब इनके प्रति शंकायें रखने की जो अवस्था है उसका सवाल ही नहीं रहने वाला है।

इसके बाद श्री केसरीसिंहजी ने कहा कि पाटन में नो रेन्ट कम्पेन का आन्दोलन चलाया जा रहा है, कांग्रेस के जरिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को सचेत करना चाहता हूं कि हमने बराबर इस बात के लिये प्रयत्न किया है कि कोई भी आपसी झगड़े हों तो उनको आपस में मिलकर के सुलझा दिया जाय। लगान कोई न दे तो चाहे वह जागीरी इलाके में हो या खालसा में, इस बात के लिए तरजीह न दी जावे। अधिकारियों को हिदायत करदी गई है कि इस संबंध में जो कोई भी झगड़े हों उनको निपटाया जावे। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष जहां अच्छी वर्षा हुई वहां पर नो रेन्ट कम्पेन No rate Compaignकी कार्यवाही असम्भव है। वहां लगान वसूल हो रहा है और उचित तरीके से लगान वसूल हो रहा है और वसूली होगी। इसके बाद और ज्यादा विस्तार

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

की चीजों में न जाकर कुछ और बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तरफ से कहा गया कि सेटिलमेन्ट हुए साठ साल हो गये वापिस सेटिलमेंट किया जाना चाहिये। मैं भी मानता हूं कि कायदे के मुताबिक सेटिलमेन्ट होना चाहिये। श्री एच.के. व्यास, ने कहा कि रिविजन नहीं होना चाहिये, यह तो किसानों के साथ अन्याय होगा। सेटिलमेन्ट का एक निश्चित पीरियड होता है, उस पीरियड में तो रिवाइज होना ही चाहिये। उस वक्त अगर यह कहा जाय कि वह रेन्ट न बढ़ाइये जो साठ साल पहले कायम थे और वहीं ज्यों के त्यों रहने दिये जाय तो यह वाजिब चीज नहीं है। हमारी इस चीज में तो उनको साथ देना चाहिये। उनको तो किसानों को कहना चाहिये कि सेटिलमेन्ट की दर के भाव बढ गये हैं इसलिये उनको भी साथ देना चाहिये। वे यह जानते हुए भी कि एक बटा छः हिस्सा सेटिलमेन्ट की दर है और अभी जो झगड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर उनको कम देना पडता है इस बात को कहा तो यह ठीक ही है क्योंकि यह जो उनका दृष्टिकोण है वह स्वभाविक है। उनको तो हमे इस बात के लिए सब से ज्यादा धन्यवाद देना चाहिये। रेवेन्यु विभाग ने उनको इतने नये नये साधन दिये जिससे वे लोगों के बीच में जाकर उनसे कहते सुनते हैं, वरना उनको किसानों के बीच जाने का मौका ही क्या आता।

**श्री चन्दनमल वैद्य**—यह तो येही कहते हैं, किसानों तक तो पहुंचते ही नहीं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—आप उनके पड़ोस में बैठे हुए हैं, आप इस विषय में ज्यादा जानते होंगे।

इसके बाद एक बात जो बार बार श्री गोपीलालजी द्वारा कही गई है, वह है टिनेन्सी एक्ट के बारे में। हमने इस बिल को आखिरी तौर पर तैयार करने के लिये, एग्जामिन करने के लिये एक स्पेशल व्यक्ति को, अफसर को नियुक्त किया है और उसे जल्दी से जल्दी सदन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बात मैं सदन में कई बार कह चुका हूं। सरकार इस चीज में एक दिन की भी देरी करना नहीं चाहती। जल्दी से जल्दी तैयार होते ही सरकार इसको सदन में लाना चाहती है। इसे लाने से राजस्थान में जो अलग अलग कानून हैं उनकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। वह दिक्कत बिना इस कानून के बने दूर नहीं हो सकती। अन्त में मैं हमारे मौलवी साहब का जिन्हें सिवाय आसमान के और कहीं भी कुएं नजर नहीं आते, क्या जवाब दिया जाय। ये जो मैंने बातें कहीं हैं उनके लिये मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हू कि राजस्थान के किसानों के हित को दृष्टि में रखते हुए अगर सरकार आगे चलना चाहती है और जागीरी प्रथा आपसी मेलजोल से समाप्त करना चाहती है तो इसमें किसी को किसी प्रकार का भ्रम या अविश्वास नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कट मोशन्स वापिस लेलें और इस ग्रान्ट को पास करने की स्वीकृति प्रदान करें।

**श्री गोपीलाल यादव**—What about the suggestions of a complaint book.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—आपके सजेशन्स बहुत माकूल हुआ करते हैं। उन पर जरूर विचार किया जा सकता है।

# Page No.96



श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--माननीय अध्यक्ष, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री गंगासिंह—Leave be granted to me also to withdraw my cut motion.

श्री भैरूंसिंह—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री मानसिंह महार—मुझे भी अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री केसरीसिंह— मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री गोपीलाल यादव की ओर संकेत करते हुए)

You want to put your cut motion to vote.

श्री गोपीलाल यादव-- मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

(उपरोक्त समस्त सदस्यों को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन द्वारा आज्ञा प्रदान की गई )

श्री अध्यक्ष— अब सदन के सामने श्री एच. के. व्यास का कटौती प्रस्ताव है। क्या सदन की इच्छा है कि इसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

The cut motion is defeated.

(विराम)

Now the Question is "That a sum not exceeding Rs.1,47,20,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. 1, Major Head 7—Land Revenue."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

## अभियाचना संख्या १६-शिक्षा

श्री अध्यक्ष—Now we come to Demand No. XVI, Shri Nathu Ram Mirdha.

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री) Mr. Speaker, Sir, I beg to move, "That a sum not exceeding Rs. 3,10,48,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st March, 1954 in respect of Grant No. XVI, Major Head 37—Education".

**श्री अध्यक्ष**—Motion moved. There are some 17 cut motions. 5 minutes each will do.

**श्री गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मुझे कितने मिनट इस पर बोलने के लिए मिलेंगे। मैं उतने ही समय में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा जितना समय आप नियत करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**—Relaxation can be done in view of the nature of the speeches which the Hon'ble Member makes.

**श्री गोपीलाल यादव**—मेरा कटौती प्रस्ताव यह है:—

"That the demand for grant No. XVI be reduced by Rs. 250/- (in order to discuss the failure of the Government to provide at least one Primary School for a vileage or a group of villages having a population of about 1,000 persons and also to stop the growing tendency of indiscipline amongst the students and other matters of a like nature).'

माननीय अध्यक्ष, एजूकेशन, जो कल्याणकारी विभाग हैं उनमें सबसे मुख्य है। जब तक एजूकेशन के सम्बन्ध में हम पूरा ध्यान नहीं देंगे हमारा काम चलना नहीं। मुझे सबसे पहले आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना है कि हम प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं? पिछले साल प्राइमरी टीचर्स् की संख्या करीब सवा सात हजार थी और अब वह करीब ७॥ हजार कर दी गई है, यानी २५०/३०० टीचर्स बढाये गये। एक टीचर ३० लड़कों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ायेगा। ये टीचर्स् कितने लडकों को पढायेंगे? वह लडके जो कि प्राईमरी स्कूलों में जाने की उम्र के हैं, जिनकी अवस्था ६ साल से लेकर १२ साल तक की हो लेता हू और १३-१४ साल की उम्र वालों को छोड़ देता हू तो ६ साल से लेकर १२ साल तक जो लड़के हैं उनकी संख्या करीब २० लाख होती है। इस वक्त जो लड़के हमारे यहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि पौने आठ हजार जो टीचर्स हैं उनको अगर ३० से मल्टिप्लाई करके अन्दाजा लगाते हैं तो २ लाख पचीस हजार से ऊपर उन विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती जो कि प्राईमरी स्कूलों में इस वक्त जा रहे हैं। २० लाख विद्यार्थी हमारे प्राईमरी स्कूलों में होने चाहियें। अगर हम एजूकेशन को कम्पलसरी कर दें और २ लाख पढ रहे हैं तो १८ लाख विद्यार्थियों के लिये हमको और इन्तजाम करना पड़ेगा। और इसमें अब जब कि बहुत बड़ा बजट बनाने की कोशिश की गई है। सेन्टर से जो ४० लाख रुपया मिल गया जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय ने अपने भाषण में कहा और उसमें से २० लाख रुपये प्राइमरी एजूकेशन के लिये मिला है, तो ऐसी हालत में जब कि ३००-२५० टीचर्स् ही टीचर्स् बढ रहे हैं तो पता नहीं उनके लिये स्कूलें २०० या १५० ही हो सकती हैं। क्योंकि जितने टीचर्स् हैं उससे ज्यादा स्कूलें नहीं बढ़ सकती हैं। १८ लाख विद्यार्थी जो इस समय ६ साल की उम्र से लेकर १२ साल की उम्र तक के हैं अपनी शिक्षा १० साल या २० साल में पूरी कर सकेंगे। क्या इसी साल की ही तरह हर साल स्कूल बढ़ सकेंगे? इस साल २० लाख रुपये मिले हैं, अगले साल २० लाख से अधिक सेन्टर यहां पर देगी तो कितने साल में जा कर यह संख्या पूरी होगी? मेरा निवेदन यह है कि फाइव ईयर प्लान की तरह, जैसा कि आपके कॉन्स्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि १० वर्ष के अन्दर आपको

[ श्री गोपीलाल यादव ]

प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी कर देनी है, तो क्यों नहीं प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी बनाने के लिये ऐसा ही एक इस बारे में फाइवईयर या १० ईयर प्लान हम मिल कर बनायें और हाउस में पास करायें, और १० या ७ ईयस् के अन्दर हम प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी करें जिससे कि इतने विद्यार्थी इस साल, इतने विद्यार्थी दूसरे साल, इतने विद्यार्थी तीसरे साल, अगर उसके लिये एरिया भी नियत किये जावें कि इस साल फलां एरिया में कम्पलसरी कर दिया है, नेक्स्ट ईयर हम इस बात को उसमें रखेंगे, इत्यादि कर दें। अगर हमको एजुकेशन को कम्पलसरी करना है तो इस प्लान को हाथ में लेना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि इस वक्त जो फाइनेन्सेज हैं उनसे आप कतई, कभी भी एजुकेशन कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं और नतीजा यह निकलेगा कि राजस्थान के लोग जहां पड़े हुए हैं वहीं पड़े रहेंगे; यह लगातार बैकवर्ड बना रहेगा। इसलिये कम्पलसरी एजुकेशन के लिये प्रबन्ध करना जरूरी है। इसको अपने बजट के, स्टेट की रेवेन्यू के अलावा किया जाय। इसके लिये सबसे मुख्य चीज आपके समक्ष यह निवेदन करूं कि आपके जो विभाग के बड़े बड़े अफसर हैं उनसे यह कहें और वे यह कोशीश करें कि देहातों में जितने मालदार लोग हों या दूसरे आदमी हों उन्हें अपने इलाके के लिये स्कूल खोलने के लिये उन्हें प्रोत्साहन दें। और जब आपके पास यह रिपोर्ट आये कि फलां आदमी ने अपने प्रयत्न से १० स्कूल नये खुलवाये तो आप उसको कोई उपाधि दीजिये जैसे मिलिट्री में "परमवीरचक्र" आदि होते हैं। इस तरह की उपाधियां आदमियों को दें जो कि एजुकेशन के लिये किसी एरिया में १०-२० हजार लड़कों को एजुकेशन दिलाने का प्रयत्न करें। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स कमेटियां बना कर चन्दा इकट्ठा करवावें और स्कूल खोलें। आप यह एलान कर दीजिये कि जितना रुपया वह लगायेंगे उसका ५० प्रतिशत सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा दूसरी चीज में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सपेक्टिंग स्टाफ जितने आपके अफसर हों, जितने आपके दूसरे हैड मास्टर्स हों आप उनको बुला कर बतलाइये कि हमें एजुकेशन कम्पलसरी करना है, हमें हर एक बच्चे की तरक्की करना है।

प्राइमरी स्कूलों से निकलने वाले बहुत से बच्चे वहां के वहां रह जाते हैं। इससे कोई विशेष फायदा नहीं। प्रत्येक तहसील में आपका जो इन्सपेक्टर है उसकी ड्यूटी लगाइये कि वह यह देखे कि कितने लड़के उस तहसील में प्राइमरी स्कूल से पास हुए और वे आगे क्यों नहीं दाखिल हुए तथा उनमें से कितने लड़के ऐसे इन्टेलीजेन्ट थे कि वे आगे बढ़ सकते थे लेकिन गरीबी की वजह से रह गये। उनके लिये स्कॉलरशिप का प्रबन्ध स्टेट से या दान लेकर कराइये। पूअर फन्ड (Poor fund) हरेक स्कूल में आप कायम कराइये जिससे शिक्षा में काफी सुधार हो सकता है। मैं आपको यह बता दूं कि मैंने एक हजार रुपये गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिये लोगों से एक जगह बैठे बैठे इकट्ठे कर लिये। इस तरह से आपके टीचर्स, आपका स्टाफ, इसके लिये काम करेंगे तो वे बहुत काफी इकट्ठा कर सकेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा दूसरी चीज में आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके लिये आप अपने मन्त्री मण्डल से किसी प्रकार स्वीकृति लीजिये। इन्टर स्टेट ड्युटीज खतम होने वाली हैं। मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको खतम कर दीजिये; लेकिन जो इम्पोर्ट ड्युटीज हैं वह रकम सब आप एजुकेशन के लिये ले लीजिये, क्योंकि इम्पोर्ट ड्युटीज का भार सब पर समान पड़ता

[ श्री गोपीलाल यादव ]

हैं ; क्या किसान, क्या देहाती और क्या शहरी । किसान खेत में २० मन नाज पैदा करता है और वह उसको एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट के ढाई रुपये मन उसको देने पडते हैं । जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वह कन्ज्युमर्स पर यानी जो उसका लेंगे, जो उसको कन्ज्यूम करेंगे उनको देनी पड़गी । उसको आप बढा भी दें तो कोई उसके खिलाफ नहीं होगा, नाराज नहीं होगा; बशर्ते कि उस सबको आप एजूकेशन के लिये लेलें । आप इस चीज को पास करें और संभव है सेन्टर भी इसको मान लेगा कि जब तक आपका फाइनेन्स ज्यादा नहीं हो इन ड्यूटीज को कायम रहने दिया जाय ; लेकिन उसको आप सिर्फ एजूकेशन में काम में लें; दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं करें । इस तरह से रुपया इकट्ठा कीजिये । लेकिन जो तरीका आपने कर रखा है इससे काम चलने वाला नहीं ।

मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्कूलों की स्थिति क्या है ? खास तौर से डिसिप्लिन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक जितने स्ट्राइक और दूसरी चीजें होती हैं शहरों में तो इन तमाम में स्टूडेन्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है । एक जमाना था जब महात्मा गांधी ने आवाज दी थी कि विद्यार्थी स्कूलों को छोड कर सत्याग्रह करें । वह देश की स्वतन्त्रता के लिये था । आज ऐसी बातें, अपने पार्टी प्रोपेगेन्डा के लिये, पार्टी के एम्स के लिये की जाती हैं; मगर इस पर आपको सख्ती से काम करना है । इस मामले में आप ऑल पार्टी बेसिस पर डील कीजिये, एक पार्टी बेसिस पर नहीं ।

इस बात का अपनी तमाम पार्टीज़ में एलान कर दिया जाय कि व बच्चों को बिगाडने का प्रयत्न नहीं करेंगे, ठीक ढंग से पढाने के काम में ही उन्हें लेंगे इसके साथ साथ उन बच्चों के चरित्र-निर्माण की तरफ भी ध्यान दिया जावे । चरित्र-निर्माण पर पहले जितना ध्यान दिया जाता था वह अब नहीं दिया जाता । मैं आपको बताऊं कि टीचिंग की जो प्रथा या प्रणाली आपको पहले की पुरानी किताबों में, जो आज से २० साल पहले पढाई जाती थीं; (घंटी) मिलती थी वह आज नहीं मिलती है । आज कल किताबें कुछ लोगों को आमदनी दिलाने और मदद दिलाने के लिये रखी जाती हैं । इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि अच्छा तो यह हो कि एक दफे सिलेबस को, शिक्षा विभाग की कमेटी के देखने के बाद, हाउस के लोग भी देख लें कि जो सिलेबस रखा जाता है वह ठीक काम देता है या नहीं । (घंटी) टाइम समाप्त हो गया है इसलिये मैं ज्यादा न कह कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

**श्री तनसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है:—

"That the demand for grant No. XVI be reduced by Re. 1/- ( to discuss the attitude of the Government towards Adult Education)".

किसी देश की स्वतन्त्रता के बाद उस देश की स्वतन्त्र सरकार का यह पहला कर्तव्य होता है कि वह देश को उस ढंग से सुशिक्षित करे कि वह देश अपने आदर्श तक पहुंच सके । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने इसको बड़ी अवहेलना की दृष्टि से देखा है । मैं निवेदन करूंगा कि पिछले साल सरकार की तरफ से इसकी इतनी उपेक्षा रही है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल जोधपुर डिविजन में नहीं खोला गया । मेरा कट मोशन प्रौढ़ शिक्षा पर है और मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार

[ श्री तनसिंह ]

एडल्ट एजुकेशन पर क्या ध्यान देती है। यह जरूरी है कि पहले देश के उस अंग को, जो ५० वर्ष बाद तैयार होने वाला है, ठीक ढंग से तैयार और सुशिक्षित किया जावे; लेकिन हम उस वर्तमान अंग की भी उपेक्षा नहीं कर सकते और न सरकार को उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिये। क्योंकि वह हमारे चारों तरफ रहने वाली पीढ़ी है। यदि उसकी उपेक्षा की जावेगी तो यह हमारे लिये लाभदायक नहीं होगा।

मैं अर्ज करूंगा कि आज से दो वर्ष पहले एडल्ट एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिये चन्दा इकट्ठा किया गया और उस चन्दे को इकट्ठा करने में चपरासी से लेकर मिनिस्टर तक ने प्रयत्न किये थे। लेकिन बाद में इलेक्शन में मास्टरों को लगाने से इस विषय पर कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि बेगार तो मास्टरों से ही लीजाती है, चाहे कोई कम्पेन आवे, चाहे इलेक्शन हो या और कोई बात हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी उपेक्षा इस डिपार्टमेन्ट की करके मास्टरों से जो बेगार ली जाती है वह दूसरों से नहीं ली जाती है। दो वर्ष पहले जब चन्दा इकट्ठा किया गया तो उस सम्बन्ध में एक बार हाउस में प्रश्न भी पूछा गया था कि उस चन्दे का क्या हुआ। तो उस वक्त बताया गया था कि वह जनता के काम में लाया गया है। इसके बाद स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया कि बाडमेर में जो चन्दा इकट्ठा किया गया था उसका क्या हुआ। उसका उत्तर मिला कि तीन हजार के लगभग चन्दा इकट्ठा हुआ था जिसमें से करीब दो सौ रुपये खर्च किये गये। यह दो तीन वर्ष पहले की बात है। आज से ३ वर्ष पहले तो नहजार रुपया वहां की पब्लिक ने इकट्ठा किया, वह भी वहां के लोगों के काम म अगर सरकार नहीं लाएगी तो हम सरकार से दूसरे रुपयों के लिये तो क्या उम्मीद रखें। एक तरफ तो सरकार यह चाहती है कि सारी जनता सुशिक्षित हो और दूसरी तरफ यह उपेक्षा ! यह बात दुरुस्त नहीं है।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि प्रौढों को, जिन्हें शिक्षित बनाना चाहते हैं, परीक्षा में भी बठने की इजाजत होनी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठना चाहे तो स्कल के लोग कहते हैं कि तुम नहीं बैठ सकते। तुम चाहो तो मैट्रिक में बैठ सकते हो। एक व्यक्ति मैट्रिक में बैठ सकता है मगर चौथी-पांचवीं और दूसरी-तीसरी में नहीं बैठ सकता; यह एक आश्चर्य की बात है। यह तो हो सकता है, यदि आप चाहें कि वे आपके दवातों, कागजों और स्याही की फीस देकर बैठें। यह तो आप और हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति नौकरी में लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि किस क्लास तक पढ़े हो। अगर वह व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा की स्कल में पढ़ा है तो वह यही कह सकता है कि एक साल पढ़ा हूं लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि वह कौनसी क्लास तक पढ़ा हुआ है। इसलिये इसका प्रबन्ध होना चाहिये ताकि लोगों का भी हौसला बढ़े। सारी स्कलों के दरवाजे जो आज उन लोगों के लिये बन्द हैं वे खोल दिये जावें जिससे उनको भी प्रोत्साहन मिले और वे यह समझें कि वे दूसरा काम करते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जायगा।

**श्री खेतसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है:—

"That the demand for Grant No. XVI be reduced by Re. 1/- (to discuss the insufficient number of Secondary and Primary Schools in certain areas)."

[ श्री खेतसिंह ]

मैं शिक्षा की आवश्यकता के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं समझता कि आजाद देश के नागरिकों के लिये शिक्षा महत्व की चीज है क्योंकि इस बात को शिक्षा मन्त्री जी खुद जानते हैं। लेकिन राजस्थान में अब तक कितनी प्राइमरी स्कूलें खुली हैं व गत वर्ष कितनी खुली हैं उसके मुतल्लिक मैं अर्ज करूंगा। जहां तक मुझे मालूम हुआ है प्राइमरी स्कूलें राजस्थान में तीन या साढे तीन हजार हैं और गत वर्ष जोधपुर डिवीजन में ३१ मार्च से ३१ दिसम्बर तक एक भी स्कूल नहीं खोली गई। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मन्त्री महोदय सब लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं या शिक्षा के मामलों में दिलचस्पी नहीं लेते; लेकिन यह जरूर है कि जोधपुर को इस मामले में निग्लेक्ट ( neglect ) जरूर किया गया है और उन्होंने शायद यह समझ कर निग्लेक्ट किया है कि वे खुद जोधपुर के हैं और यदि जोधपुर में स्कूलें खोली जावेंगी तो लोग यह कहेंगे कि ये जोधपुर के हैं इसलिये ज्यादा ध्यान देते हैं। मगर मैं यह अर्ज करूंगा कि जोधपुर ही सबसे ज्यादा इस मामले में पिछड़ा हुआ है जिसमें खास कर वे इलाके, जहां से मैं आया हूं; बाडमेर, शिव और जैसलमेर आदि, वे तो इसमें बहुत ही पीछे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देने के लिये तैयार हूं कि इन स्थानों में कितनी स्कूलें हैं :—

शेरगढ़ में प्राइमरी स्कूलें ९ चल रही हैं।
बाडमेर में प्राइमरी स्कूलें १३ काम कर रही हैं।
शिव में प्राइमरी स्कूलें ४ काम कर रही हैं।
जैसलमेर में प्राइमरी स्कूलें ४-५ होंगी।

इस प्रकार इतने बड़े इलाकों में कुल मिला कर ३० या ३२ प्राइमरी स्कूलें होंगी।

इसलिये मैं मिनिस्टर महोदय से यह अर्ज करूंगा कि चूंकि सेन्टर से इस साल मदद मिली है और बजट में भी इस साल अच्छा प्रोवीजन रखा गया है, सरकार इस बार इस इलाके का खास तौर से ध्यान दे और जल्दी से जल्दी स्कूलें खोलने की कृपा करे। इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा यह बतलाया कि एक हजार से ज्यादा आबादी होनी चाहिये और ३०-४० विद्यार्थी होने चाहियें व मकान की सुविधा हो उस जगह स्कूल खोला जा सकता है तो उनके शब्दों को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं यह कहूंगा कि मेरे ध्यान में ४०-५० गांव ऐसे हैं जिनकी तरफ से दरख्वास्तें दी गई हैं और आज भी मैं सदन के सामने इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि यदि सरकार पाठशालाएं खोले तो मकान और लड़के और मास्टरों के रहने के लिये मकानों का सारा प्रबन्ध हम करने के लिये तैयार हैं।

अगर इस पर भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी तो हम यह समझेंगे कि सरकार या तो हमारे साथ ठीक बरताव करना नहीं चाहती या हमें कुछ अलग समझ रही है।

इसके साथ ही जो थोड़ी बहुत स्कूलें कहीं काम कर भी रहीं हैं तो उनके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बच्चे पांचवीं या छठी कक्षा में फेल हो जाते हैं और किसी स्कूल में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है तो बाद में और कोई जरिया नहीं मिलने पर वे लोग एजूकेशन में मास्टर बन जाया करते हैं। शेरगढ़ में जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें १७-१८ वर्ष की उम्र के बच्चे मास्टर बन कर आये हैं और वे भी शहरों के बच्चे हैं। उनको वहां डेजर्ट इलाके में रहना मुश्किल हो जाता है और वे

Page No.102



[ श्री खेतसिंह ]
खुद बच्चे होने की वजह से न तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं और न डिसिप्लिन ही मेन्टेन कर सकते हैं। वहां हफ्ते में दो-तीन दिन स्कूलें खुली रहती हैं जिससे वहां के लोगों के दिलों पर यह प्रभाव पड़ा है कि इस तरह की स्कूलें खुलने से तो स्कूलें नहीं खुलना ही अच्छा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि या तो सरकार वहां जिस तरह की गुरू पाठशालाएं होती थीं उस तरह की स्कूलें खोले या वहां बुजुर्ग, काबिल मास्टरों को भेजे या फिर वहीं के रहने वाले जो काबिल आदमी हों उनको मास्टर बना कर वहां की स्कूलों में मुकर्रर कर दे जिससे कि बच्चों को शिक्षा मिल सके और वहां की जनता को, शिक्षा पर जो रुपया खर्च किया जाता है, उसका कुछ लाभ मिल सके। (घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है और मुझे बोलते हुए समय भी कम हुआ है फिर भी आपने घंटी बजा दी। इस पर भी आप फरमावें तो मैं बैठ जाऊं।

**श्री उपाध्यक्ष**—२ मिनिट और।

**श्री खेतसिंह**—इसके अलावा सेकन्डरी एजुकेशन के लिये भी अर्ज करूंगा कि इस इलाके में बहुत कम मिडिल स्कूलें खुलीं हैं। शिव में कोई मिडिल स्कूल नहीं है, इतनी बड़ी तहसील होते हुए भी एक भी मिडिल स्कूल नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक-आध मिडिल स्कूल खोलने का तो वह अवश्य प्रवन्ध करे। शेरगढ़ में एक मिडिल स्कूल है। बालेसर स्कूल में लड़कों की काफी अच्छी संख्या है। स्कूल के लिये हमने एक अच्छी इमारत भी बना दी है, माननीय मंत्री उस स्कूल को अगर हाई स्कूल बना देते तो अच्छा होता। पर जैसा कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर के समय बताया कि उनकी हाई स्कूलें बनवाने की इच्छा नहीं है तो यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। वरना लड़कों की संख्या और बिल्डिंग के लिहाज से कोई नहीं कह सकता कि वह स्कूल हाई स्कूल बनने के योग्य नहीं है।

**श्री संतोषसिंह**—मेरा कटौती प्रस्ताव यह है:—

"That the demand for Grant No. XVI be reduced by Re. 1/- (to discuss the necessity of new schools and buildings for them)."

माननीय उपाध्यक्ष शिक्षा का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पर इस पर बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। इसलिये मैं इसके बारे में सारी बातें तो नहीं बता सकूंगा। मैं केवल स्कूलों की बिल्डिंग्स के मुतल्लिक आपकी मार्फत कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, जब कि स्कूलों की बिल्डिंगें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि बड़े बड़े शहरों में तो बनाने के लिये पांच-पांच लाख रुपयों की मंजूरी हो जाती है और यूनिवर्सिटी आदि की बिल्डिंग के लिये २०-२० लाख रुपये तक की मंजूरी हो जाती है तो फिर गांवों को क्यों भुलाया जाता है? शहरों में स्कूलों की बिल्डिंगों के लिए जो अनाप-शनाप खर्चा होता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है लेकिन जब ग्रामीणों के लिये स्कूलों की बिल्डिंगें बनाने के लिये प्रश्न पूछे जाते हैं तो माननीय मंत्रीजी की तरफ

[ श्री संतोषसिंह ]

से उत्तर मिलता है कि धन के अभाव से हम आगे काम नहीं चला सकते। यह बड़े अफसोस की बात है कि ग्रामीण जनता के लिये स्कूलें बनाने के लिये जब बात की जाती है तो उनके पास धन नहीं रहता है और शहरों की बड़ी-बड़ी स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों की बात होती है तो उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जाता है!

आज कई गांवों में बच्चे टूटे फूटे झोंपड़ों में और कई जगह तो पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। सरकार को ज्यादा आमदनी गांव वालों से मिलती है न कि शहरों से। लेकिन जब गांवों की स्कूलों के बाबत प्रश्न पूछा जाता है तो रुपयों का अभाव बताते हैं और इस तरह उस प्रश्न को हर वक्त टाला जाता है और अगर बार बार ज्यादा कहा जाता है तो माननीय मन्त्रीजी की ओर से कहा जाता है कि स्कूल के लिये किराये पर मकान का प्रबन्ध कर दो तो हम स्कूलें खोलने को तैयार हैं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि यही प्रश्न आप शहर वालों के लिये स्कूलें, कॉलिज और यूनिवर्सिटी खोलते वक्त व नाइट स्कूलें खोलते वक्त क्यों नहीं करते? पर शहर वालों के लिये ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे ऐसा नहीं कहा जाता।

कोई भी चन्दे की स्कूलें बनाता ही तो। पहले सरकार का यह आदेश था कि कोई स्कूल बनायेगा तो सरकार ५० पर्सेन्ट एड (aid) देगी। ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें बनीं पर ५० पर्सेन्ट सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गई। जोधपुर में सरदारपुरा में कुम्हारों ने हजारों रुपये लगाकर स्कूल बनाई और जब ५० पर्सेन्ट की मांग की, ताकि बिल्डिंग पूरी कर दी जाय तो सरकार ने इस पर कोई तवज्जह नहीं की क्योंकि कुम्हारों की तरफ से आवाज पहुंचाने वाला यहां कोई नहीं है और वह एक बैकवर्ड क्लास है। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके मार्फत माननीय मन्त्रीजी से कहूंगा कि आप भी एक ग्रामीण हैं और ग्रामीणों के प्रति इस तरह की उपेक्षा करना कहां तक उचित है? आप ग्रामीणों के लिये प्रायोरिटी ( priority ) दीजिये। जो भी धन खर्च होता है सरकार की तरफ से उसमें से पहले ग्रामीणों को दीजिये। सरकार का फर्ज तो बी. ए. तक पढ़ाने का होना चाहिये। बाद में अगर कोई पढ़ना चाहे तो घर के पैसे से पढ़े। यहां बी. ए. के बाद में भी मुफ्त में पढ़ाते हैं और नाइट स्कूलें खोलते हैं। वहां ग्रामीणों के लिये प्राइमरी पढ़ाई का भी प्रबन्ध नहीं किया जाता। भारत के विधान के मुताबिक सबको बराबर का हक मिलना चाहिये पर गांव वालों को नहीं दिया जाता। अगर सरकार विधान के अनुसार चलने का दावा करती है तो गांव वालों को भी बराबर का हक दिया जाना चाहिये।

भारत स्वतन्त्र हुआ है, उसके बाद बहुत सी जो धार्मिक स्कूलें थीं उनमें धार्मिक शिक्षा को बन्द कर दिया गया है और किसी स्कूल पर धार्मिक स्कूल के नाम से बोर्ड होता है तो उस स्कूल को एड (aid) देना बन्द कर दिया जाता है जहां बहुत सी क्रिश्चियनों की स्कूलें हैं। जहां एक घन्टा बाइबिल ( Bible ) अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है पर हमारी स्कूलों में अगर वैदिक धर्म पढावें तो एड बन्द कर दी जाती है, या उस धार्मिक पढ़ाई को बन्द करना पड़ता है।

शास्त्री गवर्नमेन्ट के वक्त का किस्सा सुनाता हूं। उस वक्त हमारे यहां डाइरेक्टर साहब आये थे और वे किसी कन्या पाठशाला का निरीक्षण करना चाहते थे। हमारे यहां कोई कन्या पाठशाला ऐसी

[ श्री संतोषसिंह ]

नहीं है कि जिसे डाइरेक्टर साहब को बता कर तरक्की बता सकें । इसलिये सोचा गया कि आर्य कन्या पाठशाला दिखा देंगे तो काम चल जायगा । डाइरेक्टर साहब को कन्या पाठशाला में लाया गया और ज्योंही डाइरेक्टर साहब ने एक पैर मोटर से नीचे रखा और नजर उठाई तो वैदिक कन्या पाठशाला का बोर्ड नजर आया और उनका दूसरा पैर मोटर में ही रह गया। उन्होंने कहा कि मुझे कहां ले आये, यह तो भूतों का स्कूल है, मैं इस स्कूल में कभी नहीं चलूंगा। उन्हें कहा गया कि बहुत इन्तजाम किया गया है, आप नहीं चलेंगे तो बड़ी हंसी होगी। उन्होंने कहा कि यह तो एक धार्मिक स्कूल है, मैं तो इसके नजदीक भी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह यह कांग्रेस सरकार जो अभी तीन वर्ष की बालक है, जिस तरह एक बालक भूत के नाम से डरता है उसी तरह यह सरकार धर्म के नाम से डरती है।

अगर हम बालकों को धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो वे सदाचार, शिष्टाचार और अनुशासन कहां से सीखेंगे ? कॉलेजों में जाकर देखिये कि लड़के प्रोफेसर्स के सामने सीगरेटें पीते हैं और वे उनकी कुछ भी परवाह नहीं करते ।

आज कल धर्म का नाम लिया जाता है तो लोग हंसी करते हैं। जिस धर्म का लड़का हो उसको उसी धर्म की शिक्षा दी जाय। जैन है तो जैन धर्म की, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म की, सनातनी हो तो सनातन धर्म की। यह शिक्षा नहीं देंगे तो शिष्टाचार और अनुशासन बिगड़ जायगा और चोरी तथा गुंडागिरी बढ जायगी और जिसको मिटाने के लिये सरकार को दुगना खर्चा ना पड़ेगा। अनुशासन और शिष्टाचार को बनाये रखने के लिये धार्मिक शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है। इसका असर आने वाली संतानों के लिये अच्छा होगा।

मैं आपसे यही कहूंगा कि ग्रामीण लोगों की स्कूलों और बिल्डिग्ज के बारे में कभी अवहेलना न की जाय और जब कभी कोई मांग की जाय तो बराबर पूरी की जाय। बड़ी बड़ी कालेजों और युनिवर्सिटियों के पैसे भले ही काटे जांय लेकिन ग्रामीणों के लिये नहीं न की जाय। मुझे बहुत बोलना था लेकिन समय कम है इसलिए मैं इतना ही कहकर बैठ जाता हूं।

**श्री जसवन्तसिंह**--कटौती प्रस्ताव यह है:—

"That the demand for Grant No. XVI be reduced by Re. 1/- (to discuss the general policy)."

माननीय उपाध्यक्षजी, समय के अभाव के कारण मुझे एक ही विषय पर कहना है और वह यह है कि भारतवर्ष में शायद एक भी ऐसा प्रान्त नहीं होगा जहां पर शिक्षकों के लिए उस प्रान्त की खुद की ट्रेनिंग की कोई संस्था न हो। हमारा राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जिसमें सरकार की तरफ से टीचर्स की ट्रेनिंग के लिये कोई संस्था नहीं है। बीकानेर राज्य में राज्य की तरफ से एक सी. टी. ट्रेनिंग स्कूल मौजूद थी। लेकिन उसके लिए आज तक जो व्यवस्था हुई उसके बारे में मैं दो चार शब्द आपके सामने कहूंगा। पहली बात तो यह है कि सी. टी. एग्जामीनेशन की आज क्या वक्त रह गई है ? इसके लिये मैं कहूंगा कि इस परीक्षा में बैठने वालों के लिये ऐसा कोई भविष्य नहीं है कि

# Page No.105



[ श्री जसवन्तसिंह ]

जिससे उन्हें कुछ उत्साह मिले। जो ट्रेन्ड मैट्रिकुलेट्स या ग्रेजुएट्स हैं उनकी इनीशियल सैलेरी (initial salary) या स्केल ऑफ पे (scale of pay) सी. टी. पास से बहतर है। और जो एफ. ए. सी. टी. हैं उन्हें वही सैलेरी मिलती है जो मामूली एफ. ए. को मिलती है उनको ७०) रुपये स्टार्टिंग सैलेरी मिलती है और वही एफ. ए. सी. टी. को मिलती है। युनिवर्सिटी का फैसला इस बात का हो चुका है कि हाई स्कूल के हैड मास्टर पद के लिये सी. टी. का इम्तिहान काफी योग्यता रखता है लेकिन हमारी सरकार ने यह ऐलान किया है कि सी. टी. पास टीचर को किसी हाई स्कूल का हैड मास्टर नहीं बनायेगी। इन बातों को देखते हुए यह नतीजा निकलता है कि उनके लिए सिवाय डिसकरेजमेंट के कोई रास्ता नहीं है। इन्टर पास टीचर को भी सी. टी. से कम वेतन नहीं मिलता। इसका नतीजा यह निकलता है कि सी. टी. के बजाय दूसरे टीचर्स प्राइवेट बी. ए. पास करने की ज्यादा कोशिश करते हैं बजाय सी. टी. देकर अपना वक्त खराब करें। बीकानेर में सी. टी. की कालेज है। उसका यह हाल है कि वहां ५ पोस्टें टीचर्स की ट्रेनिंग देने के लिए रखी गई हैं लेकिन वहां पर ३ लेक्चरार ही नियुक्त किये गये हैं। इसके सिवाय ट्रेनिंग कॉलेज के लिये जो प्रिन्सिपल भेजा गया है वह उदयपुर से आया है। इसका कारण आप बगैर एक्सप्लेन किये ही समझ सकते हैं। वह ऐसा है कि उनके नीचे काम करने वाले टीचर्स उनसे पे और सर्विस में सीनियर हैं। मंत्रीजी के दिमाग में या इस विभाग में काम करने वाले धुरंधर अफसरों के दिमाग से यह बात शायद हो कि एक आदमी जिसकी तनख्वाह उसके नीचे काम करने वाले टीचर्स से कम हो, प्रिन्सिपल का काम कैसे अच्छी तरह से कर सकता है? यह कैसे हो सकता है कि अपने नीचे काम करने वालों से कम वेतन पाने वाला और जूनियर प्रिन्सिपल हो और उनका अफसर बना रहे यह विचार करने की बात है। यदि इस संस्था का भला करना है और राजस्थान को दुःख का विषय न बनाना हो तो इस भूल को सुधारना चाहिये। बीकानेर रियासत ने यह सोचा था कि इस कॉलेज को बी. टी. के स्टैन्डर्ड का बनाया जाय किन्तु आज सन् ५३ हो गया है और अब तक इसे सी. टी. ही रखा जाता है, बी. टी. नहीं बनाया जा सका है। तो यह समझ में नहीं आया कि इन पांचों वर्षों में बी. टी. के स्टेन्डर्ड के कॉलेज की जरूरत ही क्यों महसूस नहीं हुई? इन पांच वर्षों में राजस्थान सरकार को ऐसे कॉलेज की जरूरत ही मालूम नहीं हुई। सन् ४८ में बीकानेर रियासत ने युनिवर्सिटी से एफिलियेशन ( affilitition ) करने के लिये दरख्वास्त की थी और मंजूर भी हो गई थी। वही मंजूरी साल दर साल जारी रहती है। अब भी वह मंजूरी स्टेन्ड करती है। लेकिन अफसोस और दुःख की बात है कि कुछ वजूहात के कारण वे इस संस्था के लिए ऐसे वजूहात और कंडिशन्स क्रियेट ( create ) करना चाहते हैं कि उसकी नेचुरल डेथ (natural death) हो जावे। इसमें बड़े बड़े महानुभावों का स्वार्थ है जिसका जिक्र मैं आगे चल कर करूंगा। सी. टी. कॉलेज के भवन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वह कितना आलीशान है और उसमें कितनी एकोमोडेशन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बराबर राजस्थान भर में कोई इमारत नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। वहां का होस्टल एकोमोडेशन फर्स्ट क्लास है। वह ऐसे स्वच्छ वातावरण में बना हुआ है कि वहां पर सैंकडों स्टूडेन्ट्स और टीचर्स आराम के साथ रह सकते हैं। उसका उपयोग किस तरह किया जाता है यह भी सुनिये। दूसरे युनिट्स से छोटे २ क्लर्क्स जो किसी काम के लिये बीकानेर भेजे जाते हैं उनको इस होस्टल में ८ दिन से लेकर ८ महिने तक रहने दिया जाता है।

[ श्री जसवन्तसिंह ]

उनके लिये यह होस्टल एकामोडेशन है। यह सरासर गलती है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि या तो वे मेरा चेलेन्ज एक्सेप्ट (accept) करें या अपनी गलती मानकर दुरुस्ती करें। इस सुन्दर इमारत के साथ लगा हुआ काफी मैदान है जिसमें अगर दिलचस्पी ली जाय तो गार्डनिंग और एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जा सकती है या एक्सपेरीमेन्ट किया जा सकता है। हमारी सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती है कि कुछ न कुछ तरक्की करें, पर हमारे पास धन का अभाव है। सी. टी. से बी. टी. के स्टेन्डर्ड तक बढ़ाने के लिये आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप ३६ हजार रुपये दूसरी एक प्राइवेट संस्था को ट्यूशन के रूप में देते हैं, उससे आपको बचत हो जायगी। यदि धन के अभाव पर मंत्रीजी बहस करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स पर ३६ हजार रुपये ट्यूशन फीस के खर्च कर रहे हैं उसमें से ५० प्रतिशत से ज्यादा बचत हो सकती है यदि गवर्नमेन्ट इस इन्स्टीट्यूशन को सी.टी. से बी.टी. के स्टेन्डर्ड का करें। इसमें जो डिफिकल्टीज या मुश्किलात सरकार को महसूस होती हैं उनका हल निकालना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्रीजी इन मुश्किलों के सामने खड़े रहने की हिम्मत कर सकेंगे या नहीं।

वह मुश्किल यह है कि उदयपुर में जो विद्या भवन नाम को टीचर्स ट्रेनिंग कालेज है, उसकी मदद के लिए, जिसकी सहायता के लिए बड़े-बड़े महानुभाव हैं, उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। अगर फिर भी सरकार चाहती है कि गवर्नमेन्ट की संस्था के बजाय वह संस्था फूले फले तो इस में संस्था ने क्या बिगाड़ा है? मैं यह कहूंगा कि उदयपुर वाली संस्था ने करीब करीब मोनोपोली ले रखी है। बीकानेर ट्रेनिंग कॉलेज की यह हालत बना दी है कि उसको बी.एड.(B. Eed.) बनने से वंचित कर दिया और ऐसी कन्डीशन्स बना दी गई हैं कि करीब करीब यह कॉलेज खत्म सा हो गया है। विद्या भवन के लिए हजारों रुपयों की तादाद में ग्रान्ट इन एड मिलती है। मैं ऐसा कह कर किसी महानुभाव का दिल नहीं दुखाना चाहता और न मैं विद्या भवन को ही हानि पहुंचाना चाहता हूं किन्तु मैं तो चाहता हूं कि उस संस्था की ६० हजार की ग्रान्ट इन एड (Grants-in-aid) के बजाय चार गुना कर दिया जाय जिन टीचर्स को दो सौ रुपया मिलता हो उनको आप दो हजार की तनख्वाह कर दीजिए, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है किन्तु हमें एतराज है कि गवर्नमेन्ट ट्यूशन फी के लिए ३६ हजार रुपया उस इन्स्टीट्यूशन को देती है तो बीकानेर के इस सी.टी. ट्रेनिंग कॉलेज को भी ३६ हजार के बजाय १०-१५ हजार तो अवश्य दे और उसको बी.एड. कर दिया जाय।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

Only two minutes, Sir.

अगर गवर्नमेन्ट अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि उन्हें इस कॉलेज के स्टेन्डर्ड को बढ़ाना चाहिए ताकि इन दोनों संस्थाओं में तरक्की होगी। इससे जनता को फायदा होगा।

मेरे पास समय कम है। विद्या भवन में जो कार्य होता है उसके संबंध में मुझे दो शब्द कहने हैं। वहां यह हो रहा है कि वहां एम.एड.(M.Eed.) का स्टेन्डर्ड कर दिया गया है किन्तु वहां जो पढ़ाने वाला स्टाफ है वह बी.एड. ही है। जो खुद एम.ए. बी.टीज. हैं वे खुद एम.एड. को शिक्षा देने के लिए नियुक्त हैं। हमारे धुरन्धर माननीय मंत्रीजी, डाइरेक्टर आफ एजुकेशन, एजुकेशन सेक्रेटरी इस विषय

[श्री-जसवन्तसिंह ]

को ज्यादा समझ सकते हैं ; किन्तु एक बी.टी. एक बी.एड को शिक्षा देने के लिए हो तो वह संस्था क्या फायदा पहुंचायेगी और उससे क्या फायदा राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेन्ट को पहुंचेगा; यह बात उनके खुद के देखने की है। हालां कि मुझे इस विषय पर बहुत कुछ कहना है किन्तु उपाध्यक्षजी ने घंटी बजा दी है, अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बीकानेर के प्रति राजस्थान की जो भावना है उसको आप छोड़कर सिर्फ अपने खुद के कॉलेज को आप एक आइडियल (ideal) कॉलेज बनावें और जब यह तालीम के महकमें को फायदा करता है तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी यह आवश्यक बन जाता है कि उसके साथ आपका कर्त्तव्य पूरा होना चाहिये, उसके साथ न्याय होना चाहिये। सी.टी. कॉलेज द्वारा सन् १९४८ में बी.एड. के लिए. युनिवर्सीटी को एप्लाई कर दिया गया था और मंजूरी भी दे दी गई थी। उसे बी.एड. का कॉलेज बनाना है और यह न्याय संगत भी होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**—श्री गंगासिंह।

**श्री गंगासिंह**--

CUT MOTIONS.

1. "That the demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government for having compulsory military training in High Schools and Colleges)".

2. "That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to give the Rajasthani language an important place in the study circle)."

3. "That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to raise the High School of Nagaur Town to Intermediate College)."

इस एजुकेशन की हालत पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं और मैं तीनों को साथ लेता हूं।

(१) राजस्थानी लेंग्वेज को हमारे स्टडी सर्किल में प्रॉपर प्लेस उचित स्थान दी जाय।

(२) मिलिटरी ट्रेनिंग हाईस्कूल और कॉलेजेज में कम्पलसरी की जाय।

(३) नागौर हाईस्कूल को इन्टरमीडियेट कॉलेज बना दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं, राजस्थानी लेंग्वेज को स्टडी सर्कल में उचित स्थान दिया जाना चाहिये, इस पर प्रकाश डालूंगा। प्रांतीय भाषाओं के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रजातन्त्र युग के अन्दर उनकी ठीक तरह से कद्र की जाय और ठीक तरह से उनका उत्थान किया जाय। दूसरे प्रान्तों में भी प्रान्तीय भाषाओं की ठीक तरह से उन्नति की जा रही है परन्तु दुख की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे राजस्थान में हमारी राजस्थान सरकार इस बात को भूल सी रही है। मैं आपका

# Page No.108



[ श्री गंगासिंह ]

ध्यान हमारी राजस्थानी लेंग्वेज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर सबसे पहले यह सवाल इस भाषा के विषय में आया है। यदि आप अपना ध्यान इस ओर लगावें तो आपको विदित होगा कि इस सदन में यह प्रश्न मेरे द्वारा ही सबसे पहले लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थानी भाषा के उत्थान में कौन कौनसी अड़चनें आई, उसको ऊपर उठाने के लिए कौन-कौनसी बाधाएं आई इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से चित्र आपके सामने रखूंगा। मैं आपका ध्यान करीब दस बारह वर्ष पूर्व के काल की ओर लेजाना चाहता हूं जब कि कुछ लोग यह चाहते थे कि इस राजस्थानी भाषा की कहीं उन्नति न हो जाय, दूसरे प्रान्तों के लोगों ने इसको बहुत कुछ गिराने की कोशिश की थी और इस सदन को मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त के लोगों का हमारे प्रान्त के शिक्षा क्षेत्र में मुख्य हाथ नहीं था इसलिए हमारे प्रान्त की भाषा इस पिछड़े हुए स्तर पर रह गई। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अपनी यूनिवर्सिटी की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी राजस्थान सरकार द्वारा और हमारी यूनीवर्सिटी द्वारा जो सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनमें राजस्थानी भाषाओं की ओर कोई तवज्जह नहीं दी गई है और न दी जा रही है। यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का कोई किसी प्रकार का सबजेक्ट भी नहीं रखा है जिससे कि इस भाषा को प्रोत्साहन मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थानी के दायरे के लिए जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वह मुख्यतया यह है कि यदि प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला तो प्रान्तीयता आ जायगी। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जब कि एजुकेशन साइड के अन्दर बहुत से मुख्य २ आदमियों की धारणा यह है कि देश में एजुकेशन की उन्नति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रान्तीय भाषाओं का उत्थान हो और जब कि दूसरे प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं का उत्थान बराबर हो रहा है और उनको बराबर स्थान दिया जा रहा है तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पडता है कि राजस्थान की भाषा को राजस्थान सरकार उन्नति क्यों नहीं दे रही है। मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय, इस देश के बहुत बड़े बड़े आदमियों की ओर खींचना चाहता हूं जिन्होंने स्टेटमेन्ट्स दिये हैं और किताबों में लिखा है कि प्रान्तीय भाषाओं का उत्थान करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० राधाकृष्णन, सांकृत्यायन और के.एम. मुन्शी के नाम प्रस्तुत करूंगा। इसके साथ साथ दूसरा क्रिटिसिज्म जो प्रान्तीय भाषाओं पर आ रहा है वह है प्रगतिवाद का बहाना। कहना है कि अगर हम राजस्थानी को लेकर उसमें उत्थान की ओर चलें या सोचें और हमारी प्रान्तीय भाषा को अपनी शिक्षा के अन्दर उच्च स्तर दें तो हम प्रगतिवादी नहीं कहे जावेंगे। इसके लिए मैं आपका ध्यान प्रगतिवादी देशों की ओर दिलाना चाहता हूं। वे हैं... रूस और स्विटजरलैंड। वहां यह समझा जाता है कि प्रान्तीय भाषा की जितनी उन्नति की जायगी उतनी ही देश की उन्नति और प्रगति समझी जायगी। तीसरा क्रिटिसिज्म जो हमारी राजस्थानी भाषा के लिए चल रहा है वह यह है कि अगर हम राजस्थानी भाषा को प्रमुख स्थान दें तो हमारी राजस्थानी भाषा का स्टन्डर्ड क्या होगा? मैं कह देना चाहता हूं कि बड़े बड़े विद्वान और राजस्थानी भाषा में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों की धारणा है कि राजस्थानी भाषा का स्टेन्डर्ड जोधपुरी भाषा ही हो सकता है। जिस तरह से लेंग्वेज बोली जाती है उसी के अनुसार गद्य और पद्य लिखे जा सकते हैं। लेखकों और कवियों का नाम मैं आपको बताऊं जिन्होंने जोधपुरी को स्टेन्डर्ड मान कर इस भाषा की उन्नति की है। इसके लिए मैं रामनाथ और बूंदी की नाक श्री सूर्यमल्ल आदि के नाम गिनाकर यह कहना चाहता हूं कि हमारी राजस्थानी का जो स्टन्डर्ड है वह दूसरी भाषाओं से कम नहीं है।

[ श्री गंगासिंह ]

तीसरा क्रिटिसिज्म यह है कि राजस्थानी को पाठ्यक्रम में नहीं रख सकते क्योंकि इसका कोई अधिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि अगर आप राजस्थानी भाषा के स्तर को देखें और जो कार्य आजतक इसमें हुए हैं उनकी खोज की जावे तो पता लगेगा कि हमारा कार्य महान कार्य है, हमारा स्तर और राजस्थानी का साहित्य बेजोड़ है और जो साहित्य आज भी उपलब्ध है उसको हम हाई स्कूलों के ऊपर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में उचित स्थान दे सकते हैं।

अब रहा नीचे की कक्षाओं के बारे में। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी क्या हो रहा है। नीचे की कक्षाओं के लिए जो स्तर रखा जाता है वह स्तर हमारी राजस्थानी भाषाओं के आधार पर भी बना सकते हैं। और इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसा आसानी से हो सकता है।

अब सवाल यह आता है कि हमारी यह जो राजस्थानी भाषा है उसको प्रान्तीयता की भाषा का नाम देकर हम जो संकुचित विचार ध्यान में रखते हैं इसके बारे में दूसरे विद्वान् क्या सोचेंगे ऐसा भी कहा जाता है और हमारे खिलाफ दलीलें दी जाती हैं। विश्वकवि रवीन्द्र नाथ और पूज्य माननीय मालवीयजी ने अपने स्पष्ट विचार राजस्थानी के बारे में प्रकट किये हैं। उनका कहना है कि अगर राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो हमारी हिन्दी का प्रचार और कविता का स्टेंडर्ड ऊंचा नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको उपयुक्त स्थान दिया जावे और हमारे एजुकेशन (education) में इसको उपयुक्त स्थान दिया जावे। इसे पाठ्यक्रम में शीघ्रातिशीघ्र रक्खा जाना चाहिये और इसका वाइड सर्कुलेशन (wide circulation) भी होना चाहिये। हमारे यहां साहित्य में सन्त मीरा, रैदास वगैरह की कवितायें भरी हुई हैं और बहुत सा साहित्य हमारे प्रान्त में है उसको प्रोत्साहन देकर हमारे साहित्य को देश के अन्य साहित्य के स्तर पर लाना चाहिये। इस तरह राजस्थानी के उत्थान के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर हमें इसको प्रोत्साहन देना है।

(घंटी)

दूसरा मेरा कट मोशन यह है कि मिलिटरी ट्रेनिंग हमारी स्कूलों में दी जावे। राजस्थान के कॉलेजेज और स्कूलों में इसे कम्पलसरी कर दिया जावे। यह बिल्कुल सत्य बात है कि हमारी स्कूलों और कॉलेजों में जो डिसिप्लिन (discipline) होना चाहिये उसकी कमी है। हमारा मोरल (moral) स्तर भी नीचे गिरा है और हममें संगठित रूप से कार्य करने की जो स्पिरिट होनी चाहिये उसका भी हममें नितान्त अभाव है। इसका कारण यही है कि हम इस तरह की सैनिक शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं जिससे हम डिसिप्लिन में दक्ष बनें और सामाजिक संगठन के महत्व को समझें। राजस्थान की शिक्षा नीति फौजी शिक्षा से बहुत दूर रही है। शायद यह दूर रहने की नीति इसलिए है कि हमारे देश की या प्रान्त की जो सरकारें हैं उनका यह ध्येय रहा है कि हम तथा हमारे देश व प्रान्त को सैनिक नहीं बनना है। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि केवल एग्रेसिवनेस (aggressiveness) के लिए ही शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि हमारे खुद के बचाव के लिए भी शिक्षा दी जानी चाहिये। परन्तु राजस्थान की सरकार ने इस ओर तवज्जह नहीं दी है। पहले भी जो-जो स्कूलें थीं, मिलिटरी ट्रेनिंग की, उनकी भी अवहेलना कर दी गई है।

[ श्री गंगासिंह ]

इसके बाद मेरी यह भी मांग थी कि नागौर की हाईस्कूल को इन्टरमिडियेट कॉलेज में बदल दिया जावे। इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने से पहले सरकार की जो पॉलिसी इस बारे में रही है उसके बारे में कह देना चाहता हूं।

शिक्षा के संबंध में जब जब सवाल पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं और यही हमारी नीति है। जब एक ओर तो ऐसी बातें करें और दूसरी ओर कहा जाता है कि हमारे यहां पर हम खुद मकान बनाकर कालेज के लिए देने को तैयार हैं उस समय हमारे वहां की हाईस्कूल को इन्टरमिडियेट कॉलेज में बदलने में सरकार को क्या ऐतराज है? इसके लिए उत्तर तक हमें शिक्षा मंत्री महोदय से नहीं मिलता है। वे यह जरूर कह देते हैं कि इसकी बिल्डिग तो जरूर आप बना दोगे पर बाद में खर्चा कैसे करेंगे। इसके लिये भी मैं यह राय दे देना चाहता हूं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं है, न अधिक हाई स्कूलें ही हैं: फिलहाल नागौर की पढ़ाई का स्तर ही इस प्रकार का है। वैसे लाडनूं में २ हाईस्कूलें हैं जिनपर भी सरकार को आर्थिक खर्च नहीं करना पड़ता है तो अगर एक जिले में एक कॉलेज का भी खर्चा सरकार को अधिक न पड़े तो इस तरह से यह खर्च का सवाल भी उतना नहीं रह जाता है। साथ ही बिल्डिंग भी सरकार को बनी बनाई मिलती है।

इन शब्दों के साथ में अपने कट मोशन्स पेश करता हूं।

**श्री कानसिंह**—कटौती प्रस्ताव यह है:—

'That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 100/-. (to discuss different constitutions of College Unions, insufficient provision for games, and poor pay of teachers and particular partiality in awarding of scholarships, poor education facilities)'.

श्रीमान् उपाध्यक्षजी, शिक्षा के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ कहा है और मैं अधिक कहकर सदन का समय खर्च करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये इतना सा कहना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आ रहा हूं वह जिला शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा है। आशा है मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

ऐसे बहुत से बड़े २ गांव इस जिले में इस वक्त हैं जिनमें अगर एक हजार से ऊपर की आबादी के लिहाज से स्कूलें खोली जावें तो ५०-५५ हजार से ऊपर वहां की आबादी इस वक्त केवल उन बड़े गांवों की है। अब अगर कम से कम हजार-हजार की आबादी पर भी एक १ स्कूल खोलने को जरूरी समझा जावे तो ५९ हजार स्कूलें फौरन खोली जा सकती हैं और खोली जानी चाहिये। इस तरह से मेरी प्रार्थना है कि बीकानेर जिले में ५० स्कूलें फौरन खोली जानी चाहिये।

अव्वल तो आपके पास बजट में रकम नहीं है इसके लिए धन का अभाव है; यह दलील आप दे सकते हैं पर मैं समझता हूं कि बीकानेर जिले को भी वक्तन फवक्तन कुछ मिलना चाहिये, आपका ध्यान उधर भी जाना चाहिये। इसी बात पर मेरा कट मोशन है।

[ श्री कानसिंह ]

दूसरी बात जिस पर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि शारीरिक शिक्षा पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है । इस ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । शिक्षा तो सभी स्कूलों में हो रही है लेकिन किसी कॉलेज में, किसी प्राथमिक स्कूल में या प्रौढ़ शिक्षा के बच्चों व विद्यार्थियों की स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का कोई भी इन्तजाम उचित नहीं है । इस देश की होने वाली भावी सन्तति और आगा आइन्दा आने वाले नौजवान और राजस्थान के नौजवान महज दिमागी शिक्षा ही पाकर बिल्कुल दफ्तरों में जाने वाले क्लर्क ही बन कर न रह जावें । हमारी नस्ल सुदृढ़ हो और हमारी स्कूलों और कालेज़ों के पढ़े हुए विद्यार्थी आइन्दा स्कूलों से पढ़कर निकलें और संसार में कुछ करने योग्य हों । यह तभी सम्भव हो सकता है जब उनकी शिक्षा और खास कर शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिया जावेगा । अगर शारीरिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जावेगा तो ये शरीर से दुर्बल हमारे नौजवान किस तरह से इस देश के उत्थान में योग दे सकेंगे और हमारी आज की नई आजादी को कैसे स्थिर रख सकेंगे, मुझे इसमें संशय है ।

मुझे अफसोस है कि सरकार इस चीज को नहीं समझना चाहती, इसलिए मैंने यह कट मोशन रक्खा है । में अब इस विषय पर अधिक नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त के अच्छे अच्छे व्यक्तियों की जो शारीरिक शिक्षा में दक्ष हों, एक कमेटी बना दी जावे, जो वर्तमान मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ ठोस राय दे सकें इस विषय की कि हमारे राजस्थान प्रदेश में इस दिशा में किस तरह से प्रगति हो सकती है और किस तरह से हमारे भावी नौजवान शारीरिक दृष्टि से भी सबल और सक्षम बन सकते हैं ।

अगर इस विषय को मंत्री महोदय अच्छी तरह से गौर के साथ विचार में लेंगे तो मैं समझता हूं कि कोरी शिक्षा से जितना हमारा कल्याण होगा उससे कहीं ज्यादा इस शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान देने से राजस्थान का कल्याण होगा ।

ज्यादा कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता । सरकार इसके महत्व को समझकर उचित कार्य करे ।

**श्री अध्यक्ष**—Next. Shri Mohabbat Singh.

(अनुपस्थित)

**श्री तेजमल बापना**— (अनुपस्थित)

**श्री एच.के. व्यास**— (अनुपस्थित)

**श्री मोतीचन्द खजान्ची**—मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 1/- (to discuss the question of Education in Rajasthan)."

[ श्री मोतीचन्द खजान्ची ]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना कटौती प्रस्ताव रखा है उसका कारण यह है कि राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर रहा है उसे सन्तोष प्रद नहीं कहा जा सकता। इसी दृष्टिकोण को रख कर मैंने अपना कटौती प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख पेश किया है। राजस्थान में शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार की अपनायी हुई है वह कभी सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती। हमारा जो शिक्षा विभाग है उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि न तो यह कहा जा सकता है कि उसका हैड ऑफिस जयपुर में है और न उसके लिए यह कहा जा सकता है कि वह बीकानेर में ही है। कुछ अरसे पहले शिक्षा विभाग के हैड ऑफिस को बीकानेर रखा गया था लेकिन आजकल जो उसके डाइरेक्टर हैं वे जयपुर में रहते हैं। आम जनता को अब तक पता नहीं चल पाया कि शिक्षा विभाग का कार्यालय जयपुर में है या बीकानेर में। इससे लोगों की दुविधा और कष्ट बढ़ते जारहे हैं। इस नाते जहां तक मैं समझ पाया हूँ माननीय मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और शिक्षा विभाग के हैड ऑफिस को एक जगह केन्द्रित करेंगे। शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को जयपुर रखकर शिक्षा के कार्य की प्रगति को अवरुद्ध करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

दूसरा बीकानेर में जो सी. टी. ट्रेनिंग कालेज है उसके लिए श्री जसवन्तसिंह जी ने काफी कह दिया है; मैं उस पर प्रकाश डालना उपयुक्त नहीं समझता।

पाठ्यपुस्तकों के विषय में जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। पाठ्यपुस्तकों का जो कुछ निर्णय किया जाता है वह इकतरफा सा होता है; न्याययुक्त दृष्टिकोणसे विचार नहीं किया जाता। इसमें अधिकारियों की धांधलेबाजी चलती है। बहुत से अधिकारी अपने व्यक्तियों से अपने रिश्तेदारों से पाठ्य पुस्तकें लिखवा देते हैं और वही पुस्तकें पाठ्यक्रम के लिये मन्जर कर दी जाती हैं। पाठ्यपुस्तकों के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसमें उन अधिकारियों का षडयन्त्र चल रहा है और उसमें ऊपर के अधिकारियों द्वारा ऐसी कार्यवाही की गई है कि दूसरी बहुत सी बातों में, जहां तक उनके रिश्तेदारों का सबंध है वह उन की पाठ्यपुस्तकों के न्यूज प्रिन्ट्स छपवाकर उसे स्वीकृति दे देते हैं। ५१ में न्यूज प्रिन्ट्स पर बहुत सी पुस्तक छपवाई गई थीं। इस प्रकार बहुत ज्यादा पैसा लेकर विद्यार्थियों को लूटा गया, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस संबन्ध में मेरी राय है कि जिस प्रकार हमारी यूनिवर्सिटी की पाठ्यपुस्तकों के चुनाव के विषय में जो नियम हैं वह हमारे शिक्षा विभाग के लिये भी लागू कर दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री शम्भूसिंह**—मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:-

"That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Re. 1/- (to discuss Government policy)."

अध्यक्ष महोदय, इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि जनता के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने में शिक्षा का सबसे प्रथम स्थान है। शिक्षा कि वृद्धि में जितने भी प्रयत्न किये जायं, किये जाने चाहियें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि इस शिक्षा के विषय में हमारी सरकार की जो आज पॉलिसी है वह कभी भी प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती। इस विषय में इस विभाग की जो टेन्डेन्सी ( Tendency ) रही है वह किसी

[ श्री शम्भूसिंह ]

क्षेत्र विशेष से, जिस क्षेत्र से कांग्रेस व्यक्ति चुने जाकर नहीं आये हैं उस क्षेत्र के साथ सरकार का यह विभाग सौतेली मां का सा व्यवहार कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक स्थान का उदाहरण पेश करता हूं। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वह सहाड़ा क्षेत्र है। वहां गंगापुर नामक एक कस्बा है जो जिला भीलवाड़ा में दूसरे नम्बर का कस्बा है। वहां अब तक हाईस्कूल नहीं है। उसके लिये जनता ने कोशिश की कि वहां हाईस्कूल खोल दिया जावे किन्तु मन्त्री महोदय ने फरमाया कि आप यदि स्कूल के लिये मकान बनवादें तो हम हाईस्कूल खोल देंगे। इस आश्वासन पर वहां की जनता ने मिलकर स्कूल के लिये मकान बनवा दिया; किन्तु वहां अब तक हाईस्कूल नहीं बन पाया है।

दूसरा एक गांव रायपुर, जो तहसील का हैड क्वार्टर भी है, जहां की आबादी काफी बडी है वहां पर भी यह कहा गया कि यदि यहां की जनता स्वयं मकान बनवा ले तो हाईस्कूल बनवा दिया जायगा। किन्तु अभी तक वहां भी हाईस्कूल नहीं खोला। मैं नहीं समझ सकता कि जब सिरोही में हाईस्कूल का इन्टर कॉलेज हो सकता है, टोंक में इन्टर कॉलेज खुल सकता है तो हमारे क्षेत्र में हाई स्कूल भी न खोला जाय। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो इसका केवल एक ही कारण समझ पाया हूं और वह यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार को मत नहीं मिले इसलिये मन्त्री महोदय का इस क्षेत्र की ओर कोप बना हुआ है। बावजूद आश्वासन के अब तक वहां हाई स्कूल नहीं खोला गया। इस वास्ते माननीय अध्यक्ष आपकी मारफत शिक्षा मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे, जब कि नया बजट पास होने जा रहा है वहां की जनता की मांग, जो करीब तीन साल से है और वे वहां हाई स्कूल खुलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस वास्ते आशा करूंगा कि शिक्षा मन्त्री वहां पर हाईस्कूल खोलने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा उन क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलें हैं वहां के अध्यापकों की तनख्वाह जो हैं वह बहुत कम है। वह उस तनख्वाह में किस तरह से अपना निर्वाह कर रहे हैं यह समझने की बात है।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिये ऐसे लोगों की भरती की जानी चाहिये जो कि योग्य, अच्छे तथा अनुभवी हों। अच्छे, योग्य और अनुभवी आदमी तभी मिल सकते हैं जब कि उन्हें अच्छी तनख्वाह दी जाय। बाहर की जितनी भी स्टेटें हैं, राजस्थान भी एक अच्छी स्टेट है, लेकिन इसके अध्यापकों को उनके मुकाबले में कम तनख्वाह दी जाती है। मैं आशा करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स की तनख्वाह पर अवश्य ध्यान दिया जायगा और उनमें बढ़ते हुए असंतोष को दूर किया जायगा, और यू. पी. में आजकल प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स में जो असंतोष फैल रहा है उसकी पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं होने दी जायगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

**श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**—माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है वह एक निराला ही है इसलिये मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं :—

"That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 100/- (to discuss the low salaries of teachers and mixing of politics with Education)."

Page No.114



[ श्री मानसिंह महार ]

मेरा कटौती का प्रस्ताव जो है वह खास तौर से इसलिये रखा गया है कि राजस्थान में शिक्षकों का जो वेतन है वह बहुत कम है। उपाध्यक्षजी, यह एक सोचने की बात है कि पटवारी या अमीन लोग या और कोई विभाग या पुलिस के सिपाही लोग तो, मामूली कम तनख्वाह होती है तो, किसी तरह से अपनी आय में दूसरे साधन से पूर्ति कर लेते हैं; लेकिन बेचारे शिक्षकों के पास तो वह जरिया भी नहीं है जो किसी दूसरे तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। फिर भी शिक्षकों ने आज के पोल के जमाने में आमदनी के कई तरीके जरूर निकाले हैं; लेकिन वे पर्याप्त नहीं है उनके जीवन के लिये। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से खास कर यह छोटा सा मुद्दा लेकर अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि शिक्षकों के पेट की तरफ वे जरूर ध्यान दें।

यही नहीं उनके ग्रेड की यह हालत हो रही है कि कई स्कूलों में ५-६ महीने से तनख्वाह नहीं पहुंची है। इन बातों की तरफ शिक्षा मन्त्रीजी को अवश्य ध्यान देना चाहिये।........

(श्री अध्यक्ष ने पुनः ७.५४ पर आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षजी, जैसा मैंने पहले कहा था कि इस प्रकार की बातों से साम्यवाद को बढ़ावा मिलता है और अगर शिक्षकों को आप असंतुष्ट रखेंगे तो वे हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। वे उन्हें इस साम्यवाद की बिमारी से दूषित कर देंगे और उसका नतीजा देश के लिये बड़ा घातक होगा। मैं खास कर प्रार्थना करता हूं कि शिक्षकों की तनख्वाह के लिये कोई खास स्तर मुकर्रर होना चाहिये, और सरकार को उससे कम तनख्वाह शिक्षकों के लिये नहीं रखनी चाहिये।

कम तनख्वाह के अलावा एक तमाशा राजस्थान के शिक्षकों के बारे में यह हो रहा है कि राजस्थान के शिक्षकों की तनख्वाह, जो पुराने जमाने से हैं आज नये नियुक्त हुओं से कम है। शायद मन्त्री महोदय या शिक्षा विभाग के अन्य मित्र लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वे यह कहेंगे कि इन्टीग्रेशन होने के बाद मिल जायगा। यह मैंने माना कि इन्टीग्रेशन के बाद मिल जायगा, लेकिन अगर एक आदमी यह जानता है कि उसे ५) रुपये माहवार ज्यादा मिलने वाले हैं तो वह उत्सुक होता है कि वह रुपये उसको जल्दी से जल्दी मिलें। इसलिये मन्त्री महोदय, पोलीटिकल वातावरण कुछ भी हो लेकिन कल ही इसके लिये आज्ञा प्रदान करें कि बहुत जल्दी उन्हें इस प्रकार की चढ़ी हुई तनख्वाएं जो हैं दे दी जांय। इससे राजस्थान के शिक्षकों का बहुत बड़ा कल्याण होगा। अगर राजस्थान सरकार उनका एकीकरण नहीं कर सकी है, और एकीकरण इसलिये नहीं हो रहा है, मैं मन्त्रीजी की इत्तिला के लिये बतला दूं, क्योंकि वे शायद इतने डीपली ( deeply ) उसमें नहीं गये होंगे, कि एकाउन्ट्स ऑफिस ने शिक्षकों के कागजात मांगे थे, मगर विभाग द्वारा उनके पूरे कागजात नहीं भेजे गये, इसलिये एकीकरण नहीं हो सका; और एकाउन्ट्स ऑफिस ने चढी हुई तनख्वाहें जो थीं वे नामन्जूर कर दीं। आज भी कागजात वगैरह जो हैं उन्हें सरकार जल्दी से जल्दी भिजवा दे तो उन शिक्षकों को पहले से चढ़ी हुई तनख्वाहें जो हैं वे मिल जायंगी, और इससे शिक्षकों को बहुत संतोष होगा। उनका

[ श्री मानसिंह महार ]

अगर आप असंतोष बनाये रखेंगे तो हमारे बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकेंगे। अच्छी शिक्षा मिलने से हमारे देश का स्तर ऊंचा होगा और स्तर ऊंचा उठने से देश में शान्ति फैलेगी। इसलिये शिक्षा मन्त्रीजी से मेरी खास यह अपील है कि इन गरीब शिक्षकों को, जो बहुत कम तनख्वाह मिलती है यह तो बड़े दुख की बात है कि हमारे देश का चरित्र निर्माण करने वाले शिक्षकों को इस सदन के चपरासी से कम तनख्वाह मिले। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ? लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि अगर आपके बजट में गुंजाइश कम है तो आप स्कूल भले ही कम खोलिये, लेकिन शिक्षकों की तनख्वाह अवश्य बढ़ाइये। यह मेरी अपील है और मैं शिक्षा मन्त्री जी से ही क्या, इस सदन के सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि वे मन्त्री महोदय को दबा कर इस काम को सुचारू रूप से चलायें।

इसके अलावा मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में दूसरी बात जो कहूंगा वह है शिक्षा केअन्दर पोलिटिक्स को मिलाना। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़े शब्दों में ही कहूंगा। मेरा मतलब है आजकल जो शिक्षा विभाग के अन्दर ट्रान्सफर्स हो रहे हैं वे एक दूषित वातावरण में हो रहे हैं। वह दूषित वातावरण क्या है ? गांव के किसी पालीटिकल वर्कर ने आकर किसी शिक्षक की शिकायत कर दी कि साहब यह शिक्षक हमारा कहा नहीं करता है और अमक पार्टी का आदमी है और उनका वहां से स्थानान्तर कर दिया जाय तो उसका स्थानान्तर हो जाता है। इस प्रकार के जो ट्रान्सफर्स कर दिये जाते हैं उसकी तरफ शिक्षा मन्त्रीजी को ध्यान देना चाहिये और ऐसे ट्रान्सफर्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

इन बातों को कह कर शिक्षा विभाग की एक दो जो अच्छाईयां हैं उनके लिये मन्त्रीजी को बधाई दूंगा। (हंसी) वे यह हैं कि एक योग्य पुरुष डाईरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन हैं और अब उनकी टर्म एक्स्टेन्ड करने के लिये जो सरकार विचार कर रही है उसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है (हंसी) इसमें कोई शक नहीं है।

इसके अलावा एक बात यह है कि शिक्षा विभाग के तहत गर्ल्स स्कूल्स वगैरह हैं तो उनके बारे में भी सरकार को सोचना है; क्योंकि हमारे यहां पर बच्चियों का चरित्र निर्माण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उन संस्थाओं के अन्दर अध्यापिकायें जो हैं उनके चरित्र का पहले ध्यान दिया जाय और फिर उनकी नियुक्ति होनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई टीचर्स ऐसी हों जो सुचरित्र न हों। इस प्रकार की बातें गलत हैं। (हंसी) और इस प्रकार की बातों को मैं नापसन्द करता हूं, और सदन से अपील करूंगा और मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि ऐसी बातों को अवश्य रोकें, इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव इस पर इस प्रकार है:—

"That the Demand for Grant No. XVI be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government in not introducing the subjects concerning the Culture of India to improve the moral character of the Citizens)."

[श्री भैरूंसिंह (१६) ]

शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। अभी मेरे पड़ोसी सदस्य ने शिक्षा के अन्दर नैतिकता के विषय पर कुछ बातें कहीं और मैंने भी यह कटौती प्रस्ताव नैतिक उत्थान के सम्बन्ध में रखा है।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था उस समय अंग्रेजों ने यह देखा कि भारतवर्ष में राष्ट्रप्रेम की भावना दूसरे मुल्को के प्रति ज्यादा है और इसको कम करने के लिये साईकलोजी ( Psychology ) को तब्दील किया जाये और इसलिये यह मार्ग सोचा कि भारतवासियों को जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है उसमें इस प्रकार की प्रणाली रखी जावे कि इन लोगों का राष्ट्र प्रेम जो सब मुल्कों से ज्यादा है समाप्त हो जावे और इस कारण वे उन्हें जिस गुलामी में रखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय तक रख सकें और वे उनकी गुलामी स्वीकार कर लें और उनके कार्यकाल में किसी तरह की बाधा नहीं डालें। इसलिये उन्होंने शिक्षा प्रणाली को बदला और उसमें वे सफल हुए। वे जानते थे कि शिक्षा योजना को बदलने से समाज का नैतिक पतन होता है और उन्होंने ऐसा करके सफलता प्राप्त की। शिक्षा में नैतिक पतन किस प्रकार फैला हुआ है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। महाराजा कॉलेज में एक लेडी लेक्चरार हैं जो इंग्लिश की लेक्चरार हैं। पुरातन शिक्षा प्रणाली के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री जो शिक्षक के स्थान पर होते हैं माता-पिता तुल्य समझे जाते हैं और भारतीय संस्कृति इस बात की साक्षी है। मगर मौजूदा प्रणाली में ऐसा नहीं होता। एक उसी लेडी द्वारा पढ़ाये गये नवयुवक ने उसको एक पत्र द्वारा सूचित किया कि वह आपसे शादी करना चाहते हैं। इससे यह मालूम होता है कि हमारे समाज का कितना नैतिक पतन हो चुका है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो शिक्षा अभी दी जा रही है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जायगा तो यह मुमकिन है कि जिस प्रकार लेक्चरार से शादी करने की बात हमारे सामने आ रही है उस ही प्रकार कल ऐसा भी समय आ सकता है कि बहिन-भाई और माता-पिता के सम्बन्ध के बारे में भी समाज पतितावस्था में पहुंच जावे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, जब तक इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में

(पुनः समय समाप्ति सूचक घण्टी)

**श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—मुझे कुछ और कहना है।....

**श्री अध्यक्ष**—No. Shri Gurdayal Singh Sandhu.

**श्री गुरूदयालसिंह सन्धु**—श्री अध्यक्ष, मुझे आश्वासन मिल गया है कि वहां डिग्री कॉलेज बढ़ा दिया जावेगा इसलिये मैं बैठ जाना चाहता हूं।

**श्री देवीसिंह**—क्या माननीय सदस्य को रिश्वत दे कर बिठाया जा रहा है ?

**श्री मोतीराम**—माननीय अध्यक्ष, यह तो शिक्षा मन्त्रीजी ने बता दिया है कि डिग्री कॉलेज बढ़ा दिया जावेगा। मगर मैं थोडी सी सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो पु

[श्री मोतीराम]

( aid ) शिक्षा विभाग की ओर से दी जाती है उसमें बडा पक्षपात हो रहा है यदि उसके सम्बन्ध में आप सुनेंगे तो आपको बडा ताज्जुब होगा । जयपुर में ९३ हजार तक की एड ( aid ) मिलती है जिसमें घोड़ों को अलग, चलाने वालों को अलग, लड़कों की तनख्वाह अलग; इस तरह से मैं आपको क्या अर्ज करूं कि इस प्रकार ९४ हजार रुपये दिये जाते हैं। अब आप बीकानेर की हालत देखिये । बीकानेर में ग्रामोद्योग विद्यापीठ सांगरिया नाम की स्कूल है जिसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं। यदि लड़कियें पढ़ने के नाते आप ज्यादा एड ( aid ) देते हो तो वह भी बात वहां पर मौजूद है । उसमें ग्रामों के रहने वाले किसानों को राहत देने वाले तरह तरह के उद्योग-धन्धे सिखाये जाते हैं और उसको एड ( aid ) क्या मिलती है यदि आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। बीकानेर गवर्नमेन्ट के समय में उसको १० हजार रुपये मिलते थे लेकिन राजस्थान सरकार के बनने के बाद वे १० हजार भी नहीं रहे और अब उसे सिर्फ ६ हजार मिलते हैं जब कि बजट १ लाख २५ हजार का है। किसानों पर आप सिर्फ १८ हजार इस डिवीजन को देते हैं। इसके अन्दर म्युजियम है, कपडे बुनाई आदि......... (घंटी) हर तरह की शिक्षा मिलती है। फिर भी इस स्कूल को इतनी कम एड दी जाती है जहां जयपुर में ९४ हजार की मदद दी जाती है। जहां पर, मैं तो यह कहूंगा, कि पूरा हिसाब भी नहीं रखा जाता और यही दिखाया जाता है कि ४० हजार दफ्तर खर्च । कोई हिसाब नहीं देते तो भी आप उसको मन्जूर कर लेते हैं, वे तगड़े आदमी हैं । (घंटी)

**श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में शिक्षा विभाग के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जो बहस की है उसमें कुछ मुद्दे उठाये हैं उसमें से जो खास खास मुद्दे हैं और जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है, उनके लिये अर्ज करूंगा ।

सबसे पहले मैं, माननीय गोपीलाल जी ने जो बातें कहीं उन पर कुछ प्रकाश डालूंगा । श्री गोपीलाल जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं जिस रफ्तार से हमारे प्रान्त में प्राइमरी एज्युकेशन चल रही है वह बहुत धीरे चल रही है यदि वह इसी रफ्तार से चलता रहा तो हमारे प्रान्त में, उनका अन्दाज है, कि २० लाख लडके जो हैं उनमें से सिर्फ २ लाख को ही शिक्षा दी जावेगी और १८ लाख को शिक्षा नहीं दी जा सकेगी । मैं यह ठीक नहीं कह सकता क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग के पास में ऐसे फिगर्स नहीं है । उनका अन्दाजा कहां तक सही है उसका पता मैं ठीक नहीं कह सकता परन्तु फिर भी यह बात मानने के लिये तैयार नहीं कि जो स्कूल गोइंग लडके हैं वे काफी तादाद में हैं और जो स्कूलों में जा रहे हैं काफी कम हैं। इस बात को मैं मना नहीं करता कि प्राइमरी एज्युकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं सदन के सभी सदस्यों को, माननीय अध्यक्ष , आपके जरिये यह बताना चाहता हूं कि जिस समय फाइनेन्स कमिशन आया था और उस समय वित्त का विभाग भी मेरे पास था और उस समय अपने प्रान्त का पिछला बजट पेश किया उस समय मेरे दिमाग म सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि हमारे गांवों में शिक्षा नहीं है और उस बजट की हालत को देखते हुए शिक्षा के लिये बहुत कम रकम दी जा सकेगी । मैंने उस बात पर कमीशन के सामन बहुत जोर दिया था कि प्राइमरी शिक्षा के लिये स्पेशल ग्रान्ट दी जाय । इस बात को बराबर, जब कभी उनसे मिलने का मौका मिला, प्रेस किया और इसका परिणाम भी निकला जो सदन के सामने है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

में आपको बताऊं कि हिन्दुस्तान के बहुत थोड़े ही प्रान्तों को इस तरह की ग्रान्ट केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राइमरी एज्युकेशन के लिये मिली है जो राजस्थान को मिली है। इस साल वह ग्रान्ट २० लाख थी। बजट के आंकडों की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल करीब १८ लाख रुपया हम पिछले साल से ज्यादा खर्च करेंगे।

में यह बताना चाहता था कि कुछ इन्स्टीट्युशन्स प्राइवेट एजेन्सीज़ के जरिये चलाये जा रहे थे, हमें उनको टेक ओवर (Take over) करना पड़ा। रिफ्यूजीज़ के प्राइमरी एज्युकेशन के इन्स्टीट्यूट जो गांवों में और कस्बों में थे उनको भी हमें टेक ओवर करना पड़ा। प्राइवेट स्कूलों के लिये १० लाख रुपये का आयोजन है और लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के जरिये गांवों में स्कूल खुलवाने का सरकार का इरादा है जिसमें गवर्नमेन्ट की यह योजना है कि एक तिहाई खर्चा गांव वाले बर्दाश्त करें और दो तिहाई खर्चा सरकार दे। इस तरह पिछले साल से करीब १७-१८ लाख रुपया प्राइमरी एज्युकेशन पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। जो स्कूलें खुली जायंगी उनमें टीचर्स भी एक साल में एक होगा, दूसरे साल में दो और तीसरे साल में तीन होंगे। इस तरह खर्चा बढ़ता जायगा तो वह ग्रान्ट इन एड जो फाइनेन्स कमीशन के जरिये भारत सरकार ने दी है वह भी बढ़ती जायगी। इस ग्रान्ट इन एड को ध्यान में रखते हुए और हमारे प्रान्त का भावी बजट क्या होगा और हमारी इन्कम क्या होगी इसको ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की है।

यादव जी ने कहा कि ५० प्रतिशत सहायता गांव वालों को जो स्कूलें चलायें उनको दी जानी चाहिये। मैंने पहले ही कहा कि गांवों में लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट वाले स्कूल चलाना चाहेंगे तो दो तिहाई हम देंगे और एक तिहाई गांव वालों को देना होगा। कुछ प्राइमरी स्कूलों के मकानात, पूरा खर्चा दे कर गांव वाले नहीं बना सकेंगे उनको स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिये भी एक तिहाई खर्चा सहायता देने की हम योजना बना रहे हैं। इस तरह की योजनायें इस बजट के कार्यान्वित होने पर बनाई जावेंगी।

इससे भी सदन को संतोष नहीं होगा और मुझे भी उतना संतोष नहीं है, जितना होना चाहिये। पर हमारी जैसी आर्थिक स्थिति है उसी पर यह सब मामला ठहरा हुआ है। जितना ज्यादा रुपया सरकार शिक्षा पर लगा सकती है उतना दूसरे खर्चों को ध्यान में रखते हुए लगायगी।

यादव साहब ने कहा कि हमारे मास्टरों और इन्सपेक्टरों को भी गांवों में रह कर अपने काम के अलावा शिक्षा के प्रसार का कार्य करना चाहिये। इसके लिये में बता देना चाहता हूं कि गांवों में जहां कम बच्चे आते हैं वहां बच्चों के माता-पिताओं को उन्हें अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने व राजस्थान सरकार जो शिक्षा पर खर्चा कर रही है उसका उपयोग करने व उससे लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। यह कंपलसरी (compulsory) नहीं है पर उनकी खुद की इच्छा पर भी यह बहुत हद तक डिपेन्ड करता है। जो अच्छे आदमी हैं वे ज्यादा प्रयत्न करते हैं और जो कम अच्छे हैं वे कम प्रयत्न करते हैं; पर डिपार्टमेन्ट की तरफ से ये स्टेंडिग इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि शिक्षा के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लें ताकि सरकार, जो शिक्षा पर रुपया खर्च कर रही है, उसका जनता ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

श्री यादव जी और दूसरे सदस्यों ने जिस बात पर ज्यादा जोर दिया वह डिसिप्लिन का पोइन्ट है। इसके लिये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के सबसे ऊंचे काम करने वाले लोगों की हमेशा इस बात में दिलचस्पी रही है और हमेशा इस बात के लिये कोशिश रही है कि हमारे विद्यार्थियों का नैतिक स्तर ऊंचा रहे और उनमें डिसिप्लिन रहे। यहां कुछ इन्डिविज्युअल केसेज के बारे में कहा गया। मेरे ख्याल से कुछ इन्डिविज्युअल केसेज को यहां नरेट (narrate) करना ठीक नहीं। आप भी इस बात को मानते हैं कि दुनियां में सब एक तरह के आदमी नहीं होते, अलग अलग विचार के आदमी होते हैं। उन विचारों को स्कूलों में तो क्या यहां सदन में बैठे बैठे भी प्रकट कर दिया करते हैं। नैतिक विचारों को किस तरह रखना, उनके दिमाग पर निर्भर रहता है। हमारे स्कूलों में इस बात पर जोर दिया जाता है, पाठ्यक्रम में उनकी पुस्तकों में इस तरह के पाठ रखे जाते हैं कि जिनसे उनका नैतिक स्तर ऊंचा उठे। क्लास रूम में, खेलों में और यहां तक कि अपने मकानों में जाने के बाद में भी उन्हें किस तरह का चरित्र रखना चाहिये इस बात पर हमारे स्कूलों में हमेशा जोर दिया जाता है और शिक्षा विभाग हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है।

पाठ्य पुस्तकों के लिये कहा गया कि कोर्स में किताबें बढ़िया रखी जायं। इसके लिये में निवेदन करना चाहता हूं कि आठवीं क्लास तक की किताबों का केरीक्युलम शिक्षा विभाग द्वारा बनाया जाता है और इसके ऊपर का केरीक्युलम युनिवर्सिटी द्वारा बनाया जाता है जो हमारा कन्सर्न नहीं, अलग कन्सर्न है। जो केरीक्युलम बन या गया है वह बढ़िया से बढ़िया एज्युकेशनिस्ट्स के जरिये ही हुआ है। वह किताबें जब आपके सामने आयेंगी तो उससे आपको पता चलेगा कि वे (पुस्तकें) आपकी सारी बातों को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं?

इसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा के लिये श्री तनसिंहजी ने जोर दिया। मैं आपको बताऊं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिये इस सरकार की जितनी आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कई जगह सेंटर बना कर काम किया जा रहा है। जहां पर पढ़े लिखे आदमी हैं और इस काम में दिलचस्पी रखते हैं वह भी प्रयास करते हैं। पर यह प्रोब्लम (problem) राजस्थान के लिए एक बहुत बडी प्रोब्लम है। शिक्षा विभाग की ओर से पढे लिखे लोगों को पार्ट टाइम पर इस काम के लिए रखा गया है और कई भाई जो खुद की इच्छा से कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी शिक्षा विभाग की ओर से काम में लगा रखा है। इस तरह इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु मैं यह मानता हूं कि जितनी बड़ी प्रोब्लम हमारे सामने है उसको देखते हुए यह प्रयास बहुत कम है। सरकार इस ओर खुद जागरुक है और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढावा देना चाहती है और इसे बढाने के लिए प्रयत्न और भी ज्यादा किया जाता रहेगा।

श्री तनसिंहजी ने यह पोइन्ट उठाया था कि इन्टर और बी. ए. तक परीक्षाओं में आदमी बैठ सकते हैं तो चौथी और पांचवीं कक्षाओं में प्राइवेटली बैठने के लिए क्यों नहीं इजाजत दी जाती। मैं अर्ज करूंगा कि चौथी और पांचवीं के इम्तिहान का कोई महत्व नहीं हो सकता। चौथी-पांचवीं कक्षा पास कर लेने से सर्विस की योग्यता नहीं होती। इस तरह से प्राइवेटली इम्तिहान में बैठने के लिये

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इजाजत दी जायगी तो स्कूलों में बैठकर जो डिसिप्लिन की बातें सीखी जा सकती है वे नहीं सीखी जा सकेंगी और इस तरह की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहेगा। चरित्र निर्माण, बच्चों के बीच रहने का सौभाग्य आदि बातें प्राइवेटली परीक्षा पाने वाले नहीं सीख सकते। इस तरह इम्तिहान देने न देने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एडल्ट्स को जरूर चौथी पांचवीं का इम्तिहान दिलाया जा सकता है।

श्री खेतसिंहजी ने अपनी तहसील का पिछड़ा हुआ इलाका होने का हाल सुनाया। यह में मानता हूं कि वह इलाका पिछड़ा हुआ है, वहां पर स्कूलों की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि शेरगढ़ में हाई-स्कूल होना चाहिये। यह में कमिटमेंट नहीं कर सकता कि वहां पर हाई स्कूल क्लासेज खोल दी जायेंगी। ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूलें खोलने का विचार रहता है। इस साल कुछ हाई स्कूलें खोलने की गुंजाइश है लेकिन दूसरे केसेज के साथ शेरगढ का केस भी रखा जायगा और सब पर मेरिट्स पर विचार होगा। प्राइमरी स्कूलें उस इलाके में हिस्से में कितनी आयेंगी इसका पता पूरी योजना बनने पर लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वहां के लोग स्कूलों के लिये मकान देने को तैयार हैं और लड़के भी काफी हैं। मैंने उन गांवों में जाकर वहां की स्कूलों की हालत देखी है। जहां जहां पर स्कूलें हैं उनमें लड़के बहुत कम हैं। किसी स्कूल में आठ लड़के हैं तो किसी में ७ और किसी में १० हैं। मैंने कहा था कि उन स्कूलों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेंगे तो बहतर होगा। नई स्कूलें खोलने में कोई ऐतराज नहीं है पर आप पहिले जिन स्कूलों में कम लड़के हैं उनमें लड़कों की संख्या तो बढावें।

इसके बाद श्री संतोषसिहजी ने इस बात पर खास जोर दिया कि शहरों में शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है पर गांवों में न बिल्डिग बनाई जाती है और न ज्यादा स्कूलें खोली जाती हैं और न ग्रांट इन एड दी जाती है। ग्रांट इन एड रूल्स बने हुए हैं। जितना पैसा इसके लिये होगा उस हिसाब से डिजर्विग (deserving) केसेज को देखा जाता है और सबको हिसाब से ग्रांट इन एड दी जाती है। यह बात जरूर है कि पहले कुछ ऐसी परम्परा थी कि शहरों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जो बिल्डिग बने हुए हैं वे शहरों और गावों के भेदभाव के कारण नहीं बने हुए हैं। आखिर जो गावों के विद्यार्थी शहरों में आते हैं वे इन्हीं हाईस्कूल्स और कॉलेजेज में पढ़ते हैं। गावों को निगलेक्ट (neglect) किया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। पहले के जमाने में इस सम्बन्ध में कम ध्यान दिया जाता था। गावों में जो कमी है उसे पूरा करने के लिए सरकार ध्यान देगी और उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। धर्म की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया। मैं सदनके सामने, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि धर्म लोगों का अलग अलग है। इनकी जो किताबें हैं उनमें एक दूसरे में लंबा-चौड़ा भेद है। इन बातों में पडने लगेंगे तो दूसरी बातों की शिक्षा दी जाती है उन्हें पढने का समय नहीं रहेगा। इसलिये धर्म घर की चीज है। घर में बैठकर धार्मिक किताबों को पढें और पूजा पाठ करें। स्कूलों में इन बातों को नहीं लावें तो अच्छा है क्योंकि दूसरी चीजों को दुनिया में जानना जरूरी है और उन बातों को जानने के लिये समय नहीं बचेगा यदि धर्म की किताबें पढ़ाई गई। सेन्ट जेवियर्स स्कूल में बाइबिल पढ़ाई जाती है, यह सवाल सामने आया था। उसका जवाब मैंने दिया था। वे शायद उस समय सदन से गैर हाजिर थे। उसका जवाब मैंने टेबल पर रखा था और वह यह था कि वहां पर बाइबिल नहीं पढ़ाई जाती है। धर्म को स्कूलों में न लावें और घर में ही रखें तो अच्छा है।

**श्री जसवन्तसिंह**—सरकार का खुद का जब कोई धर्म है ही नहीं तो धर्म कैसे पढ़ाया जा सकता है?

**श्री नाथूराम मिर्धा**—यह बहस का विषय नहीं रहना चाहिये कि सरकार का धर्म है या नहीं ।

**श्री जसवन्तसिंह**—क्या यह सेक्यूलर स्टेट नहीं है ? सेक्यूलर (secular) यानी निधर्मी ?

**श्री तेजमल बापना**—सेक्यूलर का मतलब है धर्म से ऊपर ।

**श्री गोपीलाल यादव**—धर्म के वे सिद्धान्त जो सब धर्मों में कॉमन है वे तो सबको सिखाये जा सकते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा**—वैसे सिद्धान्त किताबों में लिखे हुए हैं । "सच बोलो, माता पिता की सेवा करो आदि " बातें पहली क्लास से शुरू हो जाती हैं ।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने जो भाषण दिया है वह एक ही पोइन्ट को लेकर कहा गया है । वही बात समय समय पर उन्होंने कही है । मैंने सारे मामले को देखा है । भाषण के दौरान में एक ऐसी बात भी कही है कि जिसे मैं चाहता हूं कि नहीं कहते तो अच्छा रहता । विद्या भवन को आपने बताया कि वह तो प्रचार का साधन मात्र है और उससे तो बीकानेर का इन्स्टीट्यूशन अच्छा है । सरकार को इस तरह की बातें को कहनी नहीं देना चाहिये । मैं, अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये यह बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में ४-५ इन्स्टीट्यूशन अच्छे हैं जिनका ऑल इन्डिया लेवल पर रिकॉग्निशन है । उनमें से विद्याभवन भी एक है जिसे भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा माना है । एक दूसरे इन्स्टीट्यूशन का भी जिक्र किया है और बताया है कि वह बहुत अच्छा है । आपने वनस्थली . . .

**श्री जसवन्तसिंह**—मैंने नाम नहीं बताया है ।

**श्री नाथूराम मिर्धा**—मैं दूसरे सदस्य महोदय की बात कहता हूं । वनस्थली विद्यापीठ और ग्रामोद्योग विद्यालय, सांगरिया ये एक दूसरे लेवल पर हैं और एक दूसरे से अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं । ग्रामोद्योग विद्यालय एक ऐसे इलाके में है जहां डेजर्ट है और उसमें कई तरह के हाथ के धंधे सिखाये जाते हैं जिनका नया प्रयोग है । वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा की ओर नया प्रयोग है और इसको हमारे यहां के ही नहीं बल्कि भारत सरकार के एक्सपर्टस ने भी माना है । विद्याभवन बच्चों के उत्थान के लिए एक अच्छा इन्सटीट्यूशन माना गया है । हरेक सब तरह से अपना अपना अलग प्रयोग कर रहे हैं । विद्याभवन में ट्रेनिंग की व्यवस्था है । वहां पर बी.एड. पहले से था, अब एम.एड. खोला गया है । एम.एड. खोलना सरकार के हाथ में नहीं है । इसके लिये विश्वविद्यालय की कुछ कन्डीशन्स हैं उन्हें फुलफिल करने पर विश्वविद्यालय रिकॉग्निशन करती है । सरकार तो बाद में, जब रिकॉग्निशन हो जाता है, कहती है आप खोलिये ।

ये सारे इन्डिपेन्डेन्ट मामले हैं और जिन्हें सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहिये । विश्व विद्यालय जो है वह न सरकार का है और न दूसरों का । मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता को कहना चाहता हूं

[श्री नाथूराम मिर्धा]
कि वहां बी.ए. और एम.ए. खोल दिया गया है और जिनको ३६ हजार रुपया ट्यूशन फीस देते हैं वे भी गलत नहीं करते हैं ।

**श्री जसवन्तसिंह**—हमारे खयाल में तो वह गलत है ।

**श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—आपके खयाल में भले ही गलत हो सकता है किन्तु सरकार के खयाल से मैं गलत नहीं हूं । एक इन्सटीट्यूशन जो इतना सुन्दर है और जिसे हिन्दुस्तान के लोग मानते हैं उसको कायम रखना सरकार अपना फर्ज समझती है । ये लोग चन्दा करके काम चलाते हैं । ऐड (aid) के रूप में ही सरकार को रुपया देना पड़ता है । इसके साथ ही बीकानेर के सिटी कॉलेज के डेवेलपमेन्ट की बात कही गई और उसके साथ ही यह कह डाला गया कि राजस्थान में टीचर्स के ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए १२ इन्सटीट्यूशन्स हैं और वे अलग अलग जगहों पर हैं ।

**श्री जसवन्तसिंह**—कहां हैं हमें बताया जाय ?

**श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—अगर आप जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन्स ऑवर में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा । किन्तु ऐसी बात कहना कि कोई व्यवस्था नहीं है, गलत बात है । जहां तक ट्रेनिंग इन्सटीट्यूशन्स का सवाल है उसके (विद्याभवन) मुकाबले में दूसरा नहीं है । मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता को यह भी बताना चाहूंगा कि उन्हें इस प्रकार की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिये सारी चीजों को अच्छी दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिये । मैंने इस सारे मामले को अच्छी तरह से देखा है । पहले भी उन्होंने इस हाउस में कहा था अतः मैंने सारी चीज को देख कर विरोधी पक्ष के माननीय नेता की जानकारी के लिए यह कहा है । विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने बीकानेर के सिटी कॉलेज में बी. एड. के लिये जोर दिया है और वे बी. एड. खुलाना चाहते हैं तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह इस स्टेज पर करना वाजिब नहीं मालूम होता है क्योंकि टीचर्स को जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो उनकी एवज में दूसरे टीचर्स को टेम्परेरी (temporary) तौर पर रखना पड़ता है और उनको स्पेयर (spare) करना पड़ता है । इससे ज्यादा खर्चा इस समय पार नहीं पड़ सकता । इस प्रोब्लम पर काफी सोचा गया था और यदि इतना खर्चा ज्यादा नहीं पड़ता तो इस ओर और विचार किया जा सकता था और इस समय तो हम उसको बी. एड. नहीं बना सकते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बीकानेर का सिटी कॉलेज सरकारी इन्स्टीट्यूशन है । हम कोई इस संस्था से प्रेजुडिशियल (Prejudicial) हों ऐसी बात नहीं है और विरोधी पक्ष के नेता को ऐसी भावना नहीं बनानी चाहिये ।

**श्री जसवन्तसिंह**—जब तक आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक तो हमारी यही भावना बनी रहेगी ।

**श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—दृष्टिकोण तो बदल दिया गया है ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

दो तीन पोइन्ट और हैं मैं उनका भी जवाब दे देना चाहता हूं। श्री गंगासिंहजी ने कट मोशन्स रखे हैं। सबसे पहले और शुरू शुरू में उन्होंने राजस्थानी लेंग्वेज पर जोर दिया है और इसकी इम्पोर्टेन्स भी बतायी। मैं आपको बताऊं कि शिक्षा विभाग इस पक्ष को मानता है कि राजस्थानी लेंग्वेज को समय पर इम्पोर्टेन्स दिया जाना चाहिये और इम्पोर्टेन्स दिया भी गया है। अच्छी अच्छी किताबों का प्रकाशन प्राइवेट आदमियों के जरिये से करवाया गया है। सरकार के जरिये से जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये उतना दिया गया है और आगे भी दिया जाता रहेगा। इसके बाद में आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्थानी की शिक्षा को हमारा केरिक्यूलम मानता है। मैं आपको और भी बताऊं कि राजस्थान सरकार ने पहली से आठवीं क्लास के लिये जो केरिक्यूलम रेग्युलेट (regulate) किया है और नया केरीक्यूलम रखा गया है उसमें राजस्थानी भाषा की पोइम्स हैं और प्रोज (पद्य तथा गद्य) का कुछ हिस्सा हमारी किताबों के अन्दर रखा है और ये किताबें नए सिलेबस के अनुसार होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ओर हमने ध्यान इस स्टेज पर दिया है और हम आगे भी देते रहेंगे।

श्री गंगासिंह जी ने मिलिट्री एजुकेशन की बात भी कही। इससे डिसिप्लिन में मदद मिलेगी, यह मैं मानता हूं। हमारे यहां सीनियर और जूनियर केडेट्स की पोस्ट्स हैं और जितनी अर्थ-व्यवस्था हमारे बजट में हो सकती है उसी हिसाब से हमने शुरू किया है और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि सरकार आगे भी इसको बढ़ाने के लिए व्यवस्था करेगी। नेशन को बढ़ाने के लिए यह अच्छी चीज है। इसको कम्पलसरी कर देने के लिए न तो शिक्षा विभाग के लिए और न सरकार के लिए कोई मौका है कि इसको पूरा कर सके क्योंकि आर्थिक संकट जिसका राज यहां जिक्र होता है, अभी बना हुआ है।

आपने नागौर हाईस्कूल को इन्टरमिडियेट कालेज बना देने के लिए भी कहा। तो मैं आपको इसके लिए बताऊं कि सबके साथ यह भी हो जायगा। आपने यह भी कहा कि बिल्डिंग पब्लिक बनाकर देदे तब तो इसको इसका इन्टरमिजिएट कॉलेज बना दिया जाय। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बिल्डिंग के लिए भी पूरी रकम जमा नहीं हुई है। इसमें तीन लाख का खर्चा है और वे लोग १/३ देने को तैयार हैं यानि १ लाख रुपया देना चाहते हैं। जहां तक स्टेन्डर्ड राइज करने का सवाल है मैं आपको बताऊं कि यह भी सब के साथ कम्परेटिवली हो जायगा।

श्री कानसिहजी ने मामूली बात कही थी कि मेरा जिला पिछड़ा हुआ है इसलिए इसको ध्यान में रखा जाय। सबका सब काम तो एक ही क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। सबके साथ एक ही दृष्टि से विचार होता है।

श्री मोतीचन्दजी खजान्ची ने शिक्षा पद्धति के विषय में दो-तीन बातें कहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा-पद्धति को बदलने के लिए हिन्दुस्तान में चर्चा चल रही है और उसको बदलने के लिये यत्न किया जा सकता है और करना भी चाहिये। हमने नए सिलेबस में इसका पूरा ध्यान रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री अध्यक्ष**--You should b) so m) wh1t briefer.

**श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—केवल दो मिनिट ।

खास तौर पर पोलिटिक्स पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि शिक्षा विभाग में पोलि-टिक्स के आधार पर शिक्षा दी जाती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में इस दृष्टि कोण से काम नहीं किया जाता है और न कभी किए जाने की उम्मीद की जानी चाहिये। इस शिक्षा विभाग में पोलिटिक्स को दूर रख कर ही काम किया जाता है और मैं समझता हूं कि इस वातावरण से दूर रहने के लिए विरोधी पक्ष की ओर से भी सहयोग दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय ने घंटी बजा दी है और जो खास खास पोइन्ट थे उनका मैं आपको जवाब दे चुका हूं। ज्यादा इस ओर कहने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। अतः मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इतनी सारी बातों को सुनने के बाद शिक्षा विभाग के संबंध में जितने कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं वे विदड्रा किये जांय और इस डिमान्ड को एक राय से स्वीकार किया जाय।

**श्री गुरुदयाल सन्धु**--मैंने गंगानगर जिले के लिए कहा था किन्तु उस पर कुछ नहीं पर कहां गया है।

**श्री नाथूराम मिर्धा**—उस पर भी उसी तरह से विचार कर लिया जायगा जिस तरह से औरों विचार किया जावेगा।

**श्री गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र मिर्धाजी ने जो बातें कही हैं उनको ध्यान में रखते हुवे और यह आशा करते हुए कि अगले साल इन बातों को पूरा करने का यत्न करेंगे मैं अपना कटमोशन विदड्रा करना चाहता हूं।

**श्री कानसिंह**--मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने कि अनुमति चाहता हूं और साथ ही साथ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे शिक्षा की उन्नति के लिए पूरा यत्न करें।

**श्री गंगासिंह**—मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

**श्री गुरुदयालसिंह**—मैं भी अपना कट मोशन वापिस लेना चाहाता हूं।

**श्री संतोषसिंह**—मैं भी अपना कट मोशन वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री भैरूंसिंह**—मै अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री मानसिंह महार**—मेरे कटौती के प्रस्ताव के दो अंग थे। एक के लिए तो आश्वासन दे दिया गया और दूसरे के लिये भी वही समझा जाय?

( हंसी )

**श्री शंभूसिंह**—मैं अपने कटोती के प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—Order ! Order !! So should I think that all the cut motions on this demand are withdrawn by members.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Yes, Leave has been sought to withdraw all cut-motions except one. So I put that cut-motion, moved by Shri Kr. Jaswant Singh, to vote : "That the demand for Grant No. XVI be reduced by Re. 1/- (to discuss the general policy)."

The question is that the cut-motion be accepted.

( मत-दान के पश्चात् )

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—'Ayes' have it, Sir.

एक सदस्य (राज-पक्ष)—'Noes' have it,Sir.

श्री अध्यक्ष—Now let me have my decision.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—'Ayes' have it, Sir. I am prepared for 'Division'.

श्री अध्यक्ष—Division.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—It is a matter of principal and because I cannot tolerate it......

श्री अध्यक्ष—Allright.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—Let the world know how we are treated.

(एक सदस्य द्वारा बाधा उपस्थित करने पर)

श्री अध्यक्ष—You want all the Hon'ble Members to leave the House.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—This attitude is objectionable.

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut-motion of Shri Jaswant Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion is defeated

(विराम)

Now the question is that the Demand No. XVI be granted.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

Should I now apply guillotine ?

श्री एच.के. व्यास—Let us finish the Medical, Sir.

श्री अध्यक्ष—No. So I now apply the guillotine and put all the remaining Demands to vote.

[श्री अध्यक्ष]

## शेष समस्त अभियाचनाएं

श्री अध्यक्ष की आज्ञा से अनुदानों के लिये अभियाचनाओं के प्रस्ताव जो कि सदन द्वारा स्वीकृत हुए, नीचे दिये जाते हैं; यथा—

DEMAND No. XVII.

**38—Medical.**

"That a sum not exceeding Rs. 1,25,92,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XVII, Major Head—38—Medical."

DEMAND No. XVIII

**39—Public Health**

"That a sum not exceeding Rs. 46,23,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XVIII, Major Head—39—Public Health."

DEMAND No. XIX

**40—Agriculture**

"That a sum not exceeding Rs. 37 60,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of demand No. XIX, Major Head—40—Agriculture."

DEMAND No. XXIV.

**47—Miscellaneous Departments.**

"That a sum not exceeding Rs. 41,62,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXIV, Major Head—47—Miscellaneous Departments."

DEMAND No. XXII

**42—Co-operation**

"That a sum not exceeding Rs. 7,55,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. XXII-Majo Head—42—Co-operation".

[श्री अध्यक्ष]

DEMAND No. II.

**8-State Excise.**

"That a sum not exceeding Rs. 38,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. II-Major Head—8-State Excise."

DEMAND No. VI.

**12-Charges on account of Motor Vehicles Act.**

"That a sum not exceeding Rs. 3,20,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. VI-Major Head—12-Charges on account of Motor Vehicles Act."

DEMAND No. XXXIV.

**68 and 80-A-Construction of Irrigation, Navigation, embankment and drainage etc.**

"That a sum not exceeding Rs. 2,78,04,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. XXXIV-Major Head—68 and 80-A-Construction of Irrigation, Navigation, embankment and drainage etc".

DEMAND No. XXXVIII.

**81A-Capital outlay on Electricity Schemes.**

"That a sum not exceeding Rs. 21,31,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXXVIII-Major Head—81-Capital Outlay on Electricity Schemes."

DEMAND No. XXXV.

**70-Capital Outlay on Improvement of Public Health.**

"That a sum not exceeding Rs. 2.40,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. XXXV-Major Head—70-Capital Outlay on Improvement of Public Health".

[श्री अध्यक्ष]

DEMAND No. XXXIII.

**63-B-Community Development Projects.**

"That a sum not exceeding Rs. 62,46,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. XXXIII-Major Head—63-B-Community Development Project".

DEMAND No. XII.

**27-Administration of Justice.**

"That a sum not exceeding Rs. 32,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XII-Major Head—27-Administration of Justice."

DEMAND No. III

**9-Stamps.**

"That a sum not exceeding Rs. 1,42,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. III, Major Head—9-Stamps".

DEMAND No. V.

**11-Registration.**

"That a sum not exceeding Rs. 1,52,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Demand No. V, Major Head-11-Registration".

DEMAND No. VII.

**13-Other Taxes and Duties**

"That a sum not exceeding Rs. 71,09,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. VII, Major Head—13-Other Taxes and Duties".

DEMAND No. X.

**25-B-Parliament and the State Legislature—C—Elections.**

"That a sum not exceeding Rs. 16,64,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the

[श्री अध्यक्ष]

year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. X, Major Head—25-B-Parliament and the State Legislature-C-Elections".

DEMAND No. XI.

**25-E & F-Commissioners etc.**

"That a sum not exceeding Rs. 1,05,14,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XI, Major Head—25-E & F-Commissioners etc."

DEMAND No. XIII.

**28-Jails.**

"That a sum not exceeding Rs. 25,97,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XIII, Major-Head-28-Jails".

DEMAND No. XV.

**36-Scientific Departments.**

"That a sum not exceeding Rs. 13,26,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XV, Major Head-36-Scientific Departments".

DEMAND No. XX.

**40-A-Rural Development and Social Services.**

"That a sum not exceeding Rs. 13,95,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XX, Major Head-40-A-Rural Development and Social Services".

DEMAND No. XXI.

**41-Veterinary.**

"That a sum not exceeding Rs. 13,02,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXI, Major Head-41-Veterinary".

[श्री अध्यक्ष]

DEMAND No. XXVI.

**XLI-Receipts from Electricity.**

"That a sum not exceeding Rs. 1,14,72,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the cahrges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXVI, Major Head—XLI-Receipts from Electricity".

DEMAND No. XXVIII.

**54-B-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.**

"That a sum not exceeding Rs. 17,92,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXVIII, Major Head—54-B-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers".

DEMAND No. XXIX.

**55 and 55-A- Superannuation Allowances and Pensions etc.**

"That a sum not exceeding Rs. 42,10,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXIX, Major Head—55 and 55-A-Spueranuuation Allowances and Pensions etc."

DEMAND No. XXX.

**56-Stationery and Printing.**

"That a sum not exceeding Rs. 35,09,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXX Major Head—56-Sationery and Printing."

DEMAND No. XXXI.

**57-Miscellaneous.**

"That a sum not exceeding Rs. 74,90,000/- be granted to H.H. the Raj-pramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXXI Major Head—57-Miscellaneous."

DEMAND No. XXXII.

**63-Extraordinary Charges.**

"That a sum not exceeding Rs. 17,45,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXXII Major Head-63-Extraordinary charges.

DEMAND No. XXXVI.

**72-Capital Outlay on Industrial Development.**

"That a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXXVI major Head-72-Capital Outlay on Industrial Development."

DEMAND No. XXXVII.

**81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.**

"That a sum not exceeding Rs. 27,80,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXXVII Major Head-81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.."

DEMAND No. XXXIX.

**82-Capital account of other State Works.**

"That a sum not exceeding Rs. 15,25,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXXIX Major Head-82-Capital account of other State Works."

DEMAND No. XL.

**83-Commuted Value of Pensions.**

"That a sum not exceeding Rs. 50.000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XL Major Head 83-Commuted Value of Pensions."

[श्री अध्यक्ष]

DEMAND No. XLI.

**85-A-Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading.**

"That a sum not exceeding Rs. 4,07,69,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XLI Major Head-85-A-Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading.

DEMAND No. XLII.

**R-Loans and Advances by State Government.**

"That a sum not exceeding Rs. 1,17,77,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XLII Major Head-R-Loans and Advances by State Govt."

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**–Sir, I beg leave to introduce the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1954.

**श्री अध्यक्ष**—Motion moved.

(विराम)

The question is that leave be granted to introduce the Bill.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

**श्री जयनारायण व्यास**—I introduce the Bill.

**श्री अध्यक्ष**—We now adjourn till 8.15 A. M. of the 31st day of March, 1953.

(सदन की कार्यवाही रात्रि को ९ बजे, दिनांक ३१ मार्च, १९५३, के ८–३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

**विधान सभा भवन,**
**जयपुर,**
दिनांक २७ मार्च, १९५३

**मनसाराम पुरोहित,**
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।